त्रयोदश माला, खंड 19, अंक 21

मंगलवार, 21 अगस्त, 2001
30 श्रावण, 1923 (शक)

FOR REFERENCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. D. 53
Date 12/6/2002

(खंड 19 में अंक 21 से 29 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 19, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)]

अंक 21, मंगलवार, 21 अगस्त, 2001/30 श्रावण, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 402	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 401, 403 से 420	5–26
अतारांकित प्रश्न संख्या 4205 से 4339	27–189
सभा पटल पर रखे गए पत्र	190–191
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश	191
मणिपुर बजट	191
भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निधियों के कुप्रबंधन के बारे में	193–195
श्री चन्द्रशेखर	193
श्री यशवन्त सिन्हा	194
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में की गई नेपाल की सद्भावना यात्रा	
श्री जसवन्त सिंह	203–205
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक	205–207
नियम 377 के अधीन मामले	207–214
(एक) मध्य प्रदेश के नीमच में जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन कर रही अल्कालाईड फैक्टरी की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	207
(दो) महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई. जी. महाजन	208

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(तीन) राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य को एक विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	209
(चार) तेल कम्पनियों की लंबित विपणन योजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री सईदुज्जमा	209
(पांच) पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के चहुंमुखी विकास के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	210
(छह) पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्थित यूरिया विनिर्माण इकाइयों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनील खां	210
(सात) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	211
(आठ) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप आवंटित करने में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता	
श्री बालकृष्ण चौहान	211
(नौ) तमिलनाडु में अर्कोनम स्थित रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशाप के उन्नयन तथा वहां एक नया उप-नगरीय रेल टर्मिनल खोले जाने की आवश्यकता	
डा. एस. जगतरक्षकन	212
(दस) ड्यूटी इन्टायटलमेंट पास बुक स्कीम के अंतर्गत रेशम निर्यातकों को रियायत दिए जाने संबंधी निर्णय को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री के. फ्रांसिस जार्ज	212
(ग्यारह) महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन को जबलपुर (मध्य प्रदेश) और जम्मू-तवी के बीच चलाए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयश्री बैनर्जी	213
(बारह) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा	213
(तेरह) हिमाचल प्रदेश में कुनिहार होकर परवानू और दाड़लाघाट के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य	214
सरकारी विधेयक - पारित	215–226
(एक) पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन विधेयक	215
विचार करने के लिए प्रस्ताव	215
श्री सीएच. विद्यासागर राव	215, 224
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	215

विषय	कॉलम
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	217
कुमारी ममता बनर्जी	218
श्री रूपचन्द पाल	220
श्री रामजीलाल सुमन	222
श्री नरेश पुगलिया	223
श्री रामदास आठवले	223
खंड 2 और 1	226
पारित करने के लिए प्रस्ताव	226
(दो) प्रस्ताव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग का निवारण) संशोधन विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	226–235
डा. सी.पी. ठाकुर	226, 234
श्री अधीर चौधरी	227
डा. वी. सरोजा	229
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	231
श्रीमती मिनाती सेन	233
खंड 2 और 1	235
पारित करने के लिए प्रस्ताव	235
(तीन) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक	236–255
विचार करने के लिए प्रस्ताव	236
डा. सी.पी. ठाकुर	236
श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन	236
डा. मदन प्रसाद जायसवाल	239
प्रो. ए.के. प्रेमाजम	242
डा. रंजीत कुमार पांजा	243
श्री ए.सी. जोस	244
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	245
सरदार बूटा सिंह	248
डा. वी. सरोजा	251
डा. राम चन्द्र डोम	252

विषय	कॉलम
खंड 2 तथा 3 और 1	255
पारित करने के लिए प्रस्ताव	255
(चार) संविधान (इक्यानवेवां) संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 330 और 332 का संशोधन)	256–352
विचार करने के लिए प्रस्ताव	256
श्री अरुण जेटली	257, 308
श्री शिवराज वि. पाटील	260
श्री अनादि साहू	265
श्री सोमनाथ चटर्जी	270
श्री के. येरननायडू	274
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल	275
श्री ए. कृष्णास्वामी	276
श्री टी.एम. सेल्वागनपति	277
श्री संतोष मोहन देव	280
श्री थावरचन्द गेहलोत	283
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	286
श्री प्रभुनाथ सिंह	289
श्री राशिद अलवी	291
श्री छत्रपाल सिंह	294
श्री के.एच. मुनियप्पा	295
श्री राम नगीना मिश्र	298
श्री के.ए. सांगतम	299
श्री भर्तृहरि महताब	301
श्री आनन्द मोहन बिश्वास	303
श्री अवतार सिंह भडाना	304
श्री एस. जयपाल रेड्डी	305
श्री हरीभाऊ शंकर महाले	306
श्री रामदास आठवले	306
खंड 2 से 7 और 1	338
पारित करने के लिए प्रस्ताव	352
उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों की प्रतियों का परिचालन	225–256

लोक सभा

मंगलवार, 21 अगस्त, 2001/30 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 401

श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा-उपस्थित नहीं।

श्री इकबाल अहमद सरडगी-उपस्थित नहीं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, भारत पेंटेंट का मुकदमा हार गया है, हमने इस संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल की कार्यवाही के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 402

श्री बसुदेव आचार्य-उपस्थित नहीं।

श्री सवशीभाई मकवाना

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

शिक्षा का विकेन्द्रीकरण

*402. **श्री सवशीभाई मकवाना:***
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा प्रणाली का विकेन्द्रीकरण करने और प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी नगर पालिकाओं/पंचायतों/स्थानीय निकायों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा कार्य योजना, 1992 में सभी स्तरों के शिक्षा की आयोजना तथा प्रबन्धन के विकेन्द्रीकरण तथा इस प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने के महत्व पर बल दिया गया है। कार्य योजना के अनुसरण में भारत के संविधान के 72वें और 74वें संशोधनों के मद्देनजर जिला, उप-जिला तथा ग्राम स्तरों पर शिक्षा के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन पर एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने इस बात का उल्लेख किया था कि संवैधानिक संशोधनों के अनुसरण में जिला, ब्लाक/तालुक स्तरों पर किस तरह से शैक्षिक ढांचे सृजित किए जाने चाहिए। इसने शैक्षिक प्रक्रिया में समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने के उपायों का भी सुझाव दिया था ताकि देश एक नए जोश के साथ प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। तत्पश्चात् अपनी-अपनी परिस्थितियों तथा भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों को ध्यान में रखते हुए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसे समुचित रूप से अपनाए जाने तथा कारगर ढंग से इसके कार्यान्वयन की सिफारिश की गई।

[हिन्दी]

श्री सवशीभाई मकवाना: अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी शिक्षा का विकेन्द्रीकरण किया जाता है। लेकिन हमारे गुजरात में प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा का केन्द्रीकरण किया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, अध्यक्षपीठ को अपने विरुद्ध कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं कीजिए। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मि. अखिलेश, आप रोज-रोज क्यों ऐसा करते हैं। यह प्रश्न काल है, आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दूरदर्शन का प्रसारण रोक दिया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अखिलेश सिंह जी, आप प्रश्न काल में ऐसा क्यों कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, अध्यक्षपीठ को अपने विरुद्ध कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं कीजिए। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, इस सभा में आपका व्यवहार ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया माननीय सदस्य को पूरक प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री एस. जयपाल रेड्डी, आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मुझे भी उसकी जानकारी मिली है।...*(व्यवधान)* सरकार को इसका उत्तर देने के लिए कहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कैसे प्रश्न काल में इसके उत्तर की अपेक्षा कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री रामसागर रावत तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामसागर रावत, कृपया अपनी सीट पर जाइए। आप पूरी सभा को परेशान कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: टी.वी. कैमरा बंद कर दिया जाए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपके जो भी इश्यूज हैं, आप जीरो ऑवर में रेज करिए। अभी आप जाइए, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप लोग रोज ऐसे ही करते हैं। यह आप लोग क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह आप लोग क्या कर रहे हैं? बाद में जीरो ऑवर में इसे रेज करिए।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां

***401. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकारों के नियंत्रण को कम से कम करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वेंकय्या नायडू): (क) से (ङ) 11 जुलाई, 2001 को नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प भी लिया गया था कि पंचायती राज संस्थाओं पर राज्य सरकारों के हस्तक्षेप/नियंत्रण को न्यूनतम किया जाना चाहिए। सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति हुई थी कि राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य सौंपेंगे तथा पंचायतों को प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट कार्यकारी शक्तियां सौंपने के लिए कार्यकारी अनुदेश जारी करेंगे।

राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों से अनुरोध किया गया है कि वे सम्मेलन में लिए गये निर्णयों को चर्चा के दौरान निर्धारित की गई समय-सीमा के अनुसार कार्यान्वित करें।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अशक्त व्यक्तियों को आरक्षण

***403. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि स्वर्णजयंती ग्राम-स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अंतर्गत कुल लाभार्थियों में से तीन प्रतिशत लाभार्थी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले अशक्त व्यक्ति होंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति का कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिनमें अशक्त व्यक्तियों को आरक्षण का यह प्रतिशत नहीं बनाए रखा गया है; और

(च) अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण के कोटे का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (च) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के तहत सहायता पाने वाले 3% स्वरोजगारी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले विकलांग लोग होने चाहिए। वर्ष 2000-2001 के दौरान देश में 21 जिले योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों के निर्धारित कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त कर सके (जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है)। ग्रामीण विकास मंत्रालय को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों की कवरेज के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

इस दिशा में लक्ष्यों की प्राप्ति में जिन कारणों से कमी हुई उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* फील्ड स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा विकलांग लोगों की समस्याओं के प्रति जागरूकता का अभाव।

* विकलांग लोगों की जनसंख्या का एक दूसरे से दूर-दूर रहना तथा इन लोगों के स्व-सहायता समूह गठित करने में कार्यान्वयन एजेंसियों की असमर्थता।

* विकलांग लोगों के लिए उपयुक्त आय सृजन गतिविधियों का चयन करने में कठिनाई।

* विकलांग लोगों को प्राय: आय-विहीन/अनुत्पादक समझा जाता है, तथा

* आय सृजन संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले लोगों के स्व-सहायता समूह बनाने में कठिनाई।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों से पुन: कहा गया है कि वे स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करें। दिशा-निर्देशों में उपयुक्त छूट देने पर विचार करने, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य संस्थाओं को शामिल करने (कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् सरकारी विभागों और बैंकों को सेवा भाव से कार्य करने के लिए प्रेरित करना), विकलांग लोगों के स्व-सहायता समूह गठित करने, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा आय सृजन संबंधी उपयुक्त गतिविधियों का पता लगाने के प्रयास किया जा रहे हैं जिससे कि अधिक से अधिक विकलांग लोगों को योजना के अंतर्गत लाया जा सके।

विवरण

वे जिले जिनमें 2000-2001 के दौरान विकलांग लोगों की कवरेज 3% से अधिक है

क्रम सं.	जिला
	आंध्र प्रदेश
1.	नेल्लोर
2.	चित्तूर
3.	नलगोंडा
4.	श्रीकाकुलम
5.	वारंगल
	असम
6.	बारपेटा
7.	मंगलदोही (दारांग)
	गुजरात
8.	कच्छ
	हरियाणा
9.	मोहिन्दरगढ़
	हिमाचल प्रदेश
10.	सोलन
11.	सिरमौर
	कर्नाटक
12.	देवानागीरि
13.	बीदर
	मध्य प्रदेश
14.	हरदा
	मिजोरम
15.	कोलासिब
	पंजाब
16.	भटिंडा
	राजस्थान
17.	बूंदी
	तमिलनाडु
18.	सम्यावरैयार (तिरूनामलाई)
	उत्तर प्रदेश
19.	कानपुर देहात
20.	मथुरा
21.	कौशीनगर (पदरौना)

[हिन्दी]

असुरक्षित कोयला खानों में खनन

***404. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान कई कोयलना खानों में जमीन धंस जाने के कारण कोयला खनन कार्य बंद करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस कारण से हुई जान-माल की क्षति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) अधिक खनन होने के कारण राज्य-वार कितनी ऐसी खानों को असुरक्षित घोषित किया गया है जिनमें से कोयले का अवैध खनन हुआ है; और

(ङ) सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में क्या सुरक्षा उपाय किए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) भूमि के धंस जाने के कारण पिछले 10 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की चार खानों में खनन कार्य बंद करना/रोकना पड़ा। यह ई.सी.एल. की मधुसूदनपुर तथा झांझरा खानें और बी.सी.सी.एल. के ईना तथा ईस्ट भुग्गतडीह खानें हैं।

(ख) राज्य-वार, स्थान-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

ई.सी.एल. (पश्चिम बंगाल)

मधुसूदनपुर: मधुसूदनपुर गांव के समीप धंसाव होने के कारण वर्ष 1992 में लगभग 42 दिनों के लिए उत्पादन बंद कर दिया गया था। यह खान अब प्रचालनशील है।

झांझरा: यहां एक गड्ढा हो जाने के कारण मई, 1996 में कुछ दिनों के लिए लांगवाल फेस में उत्पादन बंद कर दिया गया था। यह खान अब कार्यरत है।

बी.सी.सी.एल. (झारखंड)

ईना: सितम्बर, 1992 में ईना कोलियरी की कालोनी संख्या 2 के समीप धंसाव होने के कारण 4 तथा 5 पिट से होकर, X, VII, तथा VIII सीमों में खनन प्रचालन रोक दिए गए थे।

ईस्ट भुग्गतडीह: (i) मार्च, 1996 में कटरास मोड़, झरिया कस्बे के समीप धंसाव होने के कारण पिट संख्या 9 से होकर सीम X में तथा नए इन्क्लाइन और पिट संख्या 10 से होकर XI/XII सीमों में खनन प्रचालन रोक दिए गए थे।

(ii) अक्तूबर, 1997 में कटरास मोड़, झरिया कस्बे के समीप धंसाव होने के कारण पिट संख्या 5 से होकर सीम VII/VIII में खनन प्रचालन रोक दिए गए थे।

(iii) अक्तूबर, 2000 में झरिया कस्बे के समीप खास झरिया बस्ती में धंसाव होने के कारण पिट संख्या 10 से होकर सीम X में खनन प्रचालन रोक दिए गए थे।

(ग) जीवन और सम्पत्ति की हानि का ब्यौरा नीचे दिया गया है-

ई.सी.एल.: उक्त अवधि के दौरान इस कारण से जान और माल की कोई हानि नहीं हुई।

बी.सी.सी.एल.: इन दोनों खानों में से किसी में भी जीवन की कोई क्षति नहीं हुई। तथापि, मार्च, 1996 में मिट्टी ढहने/धंसाव के कारण सीम XI/XII में एक साईड डिस्चार्ज लोडर फंस गया और उसे निकाला नहीं जा सका तथा अक्तूबर, 2000 में हुए धंसाव में एक 200 एच.पी. पम्प मोटर, स्विचगियर तथा एक पूरी डिलीवरी पाइप रेंज दब गई।

(घ) अत्यधिक खुदाई तथा अवैध खनन के कारण सी.आई.एल. की किसी भी खान को असुरक्षित घोषित नहीं किया गया है।

(ङ) अवैध खनन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

- अवैध खनन स्थलों को समतल बनाया जाना तथा उन्हें भरा जाना।
- सुरक्षा/सी.आई.एस.एफ. कार्मिकों द्वारा जांच किया जाना/छापे मारा जाना। ऐसे छापे पुलिस द्वारा भी मारे जाते हैं।
- एफ.आई.आर. दर्ज कराना।
- आसूचना रिपोर्ट एकत्र करना।
- सुरक्षा कार्मिकों/सी.आई.एस.एफ. द्वारा रात-दिन गश्त लगाना।
- जिला प्रशासन तथा राज्य प्राधिकारियों से गहन सम्पर्क में रहना ताकि अवैध खनन को रोकने में उनकी सहायता तथा सहयोग प्राप्त किया जा सके।

- पकड़े गए अवैध रूप से खनित कोयले को ले जा रहे ट्रकों को ब्लैक लिस्ट करना।

- पकड़े गए अवैध रूप से खनित कोयले तथा उपकरणों को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाता है।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर शिक्षा

***405. श्री अजय सिंह चौटाला: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मिडिल और हाई स्कूल स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी की चुनौतियों से निपटने के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या कार्य ढांचे में यह मत व्यक्त किया गया है कि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी को अध्ययन का एक पृथक विषय बनाने की जगह उसे अध्ययन प्रक्रिया में शामिल किया जाए। यह उच्च प्रौद्योगिकी की सहायता से सम्पूर्ण पाठ्यचर्या में कम्प्यूटरों का उपयोग करने में छात्रों के लिए सहायक सिद्ध होगा।

जहां तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संबंध है, उसने वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को एक वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया है। छात्र इन तीन विषयों, (i) कम्प्यूटर विज्ञान, (ii) सूचना विज्ञान पद्धतियां, और (iii) सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, में से कोई एक विषय चुन सकते हैं।

नवोदय विद्यालय समिति ने अपने सभी छात्रों के लिए कम्प्यूटर अध्ययन अनिवार्य कर दिया है और वह सभी स्कूलों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही कर रही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 446 स्कूलों में से अब तक 292 स्कूलों को शामिल किया जा चुका है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने कक्षा छह से कम्प्यूटर अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। इससे नीचे की कक्षाओं के लिए यह ऐच्छिक विषय है। यह संगठन 855 स्कूलों में से अब तक 679 स्कूलों को कम्प्यूटर दे चुका है।

विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन की संशोधित योजना के तहत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से कम्प्यूटर शिक्षा योजना बनाने का अनुरोध किया जाएगा। भारत सरकार पी.सी./ प्रिन्टर/सी.टी.वी., साफ्टवेयर पाठ्यचर्या, फर्नीचर, शिक्षक प्रशिक्षण इत्यादि जैसी मदों के लिए निधियां प्रदान करेगी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक विद्यालय को 'स्मार्ट स्कूल' के रूप में परिवर्तित करेंगे। केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति अगले तीन वर्षों में अपने आसपास स्थित लगभग 10,000 विद्यालयों को भी कम्प्यूटर साक्षरता प्रदान करने के लिए शामिल करेंगे।

गांवों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं

***406. श्रीमती रेनु कुमारी:**
श्री शीशराम सिंह रवि:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996-97 में उनके मंत्रालय को किए गए 2000 करोड़ रुपये के बजट आबंटन में से उस वर्ष के प्रथम ग्यारह महीनों के दौरान पेयजल उपलब्ध कराने और स्वच्छता संबंधी स्थिति सुधारने के लिए केवल तीन प्रतिशत बजट आबंटन का ही उपयोग किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गांवों में पेयजल नहीं पहुंचने और स्वच्छता संबंधी स्थिति खराब रहने का एक कारण यह भी है; और

(घ) सभी गांवों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि पेयजल और स्वच्छता सुधार के लिए वर्ष 1996-97 में 2000 करोड़ रुपये के बजट आबंटन का केवल 3% ही उस वर्ष के प्रथम ग्यारह महीनों में उपयोग हुआ। वर्ष 1996-97 में ग्रामीण जल आपूर्ति और ग्रामीण स्वच्छता दोनों के लिए हुए 1170 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से पहले 11 महीनों के दौरान 1035.63 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। मार्च, 1997 के दौरान 117.90 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 1996-97 के समग्र वर्ष के दौरान हुआ कुल व्यय 1031.25 करोड़ रुपये था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई विस्तृत कार्य योजना में देश की सभी ग्रामीण बसावटों को पेयजल आपूर्ति की सुविधाएं मुहैया कराने की परिकल्पना है बशर्ते कि निधियां उपलब्ध हों। जहां तक ग्रामीण स्वच्छता का संबंध है, जिलावार अभियान के दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए 1999 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुर्नगठन किया गया जो कि मांग आधारित है और जागरूकता पैदा करने पर ज्यादा से ज्यादा जोर देता है तथा वैकल्पिक सुपुर्दगी तंत्र के साथ मांग को पूरा करता है। ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता को व्यापक स्तर पर अपनाए जाने के लिए ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता को एक प्रमुख घटक और शुरूआती बिन्दु के रूप में भी शुरू किया गया है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तकनीकी शब्दावली का उपयोग

***407. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपने प्रकाशनों अर्थात् पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अनुशंसित पुस्तकों और प्रश्न-पत्रों में मानक तकनीकी शब्दावली का उपयोग नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार यह बोर्ड अपने प्रकाशनों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पाठ्य सामग्री में प्रयोग की गई शब्दावली के अनुरूप मानक तकनीकी शब्दावली/शब्दावली का उपयोग कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एन.पी.पी.ए. द्वारा औषधियों के मूल्यों में संशोधन

***408. श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति:**
श्रीमती श्यामा सिंह:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथारिटी (एन.पी.पी.ए।) की सिफारिश के अनुसार अनेक औषधियों के मूल्यों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो एन.पी.पी.ए. द्वारा औषधियों के मूल्यों में संशोधन करने के लिए क्या मापदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या एन.पी.पी.ए. ने औषधियों के मूल्यों में संशोधन की सिफारिश उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (घ) अनुसूचीबद्ध औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों की कीमतों का निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है जो औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा की जाती है। इनपुट की कीमतों में परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर भी कीमतों में संशोधन किया जाता है जिसकें परिणामस्वरूप इनमें वृद्धि और कमी दोनों होती हैं। समय-समय पर यथा संशोधित औषध नीति उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाली दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की ओर लक्षियत है।

[हिन्दी]

टीकों संबंधी अनुसंधान और विकास

***409. श्री रामपाल सिंह:**
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई गंभीर असाध्य बीमारियों के टीके तैयार किए गए हैं और कुछ और टीकों के विकास का कार्य तीव्र गति से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एड्स/एच.आई.वी. का उपचार करने हेतु टीके के विकास के लिए अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए अनुसंधान कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) बच्चों में होने वाली छः प्रमुख बीमारियों अर्थात् तपेदिक, डिपथीरिया, परट्यूसिस, टेटनस, पोलियो और मीजल्स के लिए विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम (ई.पी.आई.) के तहत प्रयोग में लाए गए टीकों का विनिर्माण भारत में पारम्परिक पद्धतियों से किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा कुष्ठरोग के लिए सर्वप्रथम विकसित एक चिकित्सीय इम्यूनोमाडुलेटर (टीका) इस समय बाजार में उपलब्ध है। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यह कुष्ठरोग के रोगियों के उपचार की अवधि को कम करता है। पुनर्योगज हेपाटाइटिस-बी टीकों का भी विकास किया गया है और भारत में इसका विनिर्माण किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा सहाय्यित राष्ट्रीय जय-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के तहत रेबीज, मलेरिया, कॉलरा, जापानी एन्सेफैलाइटिस, तपेदिक और एच.आई.वी./एड्स जैसी छः प्रमुख बीमारियों के संबंध में नए टीकों के अनुसंधान में तेजी से प्रगति हुई है। भारत-यू.एस. टीका कार्य योजना के तहत रोटावायरल डायरिया के लिए दो कैन्डीडेट टीके चरण-1 परीक्षण हेतु तैयार हैं। कालरा एवं रेबीज के लिए खाद्य टीकों के विकास संबंधी कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

(ग) और (घ) भारत में सर्वाधिक पाये जाने वाले जीनोटाइप अर्थात् एच.आई.वी.-1 सबटाइप "सी" विशिष्ट टीके को विकसित करने के लिए कई अनुसंधान कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं। पशुओं पर किए गए प्रारंभिक प्रयोगों से आशाजनक परिणाम निकले हैं। एच.आई.वी.-1 विलगकों की आण्विक टाइपिंग, मनुष्यों में प्रतिरक्षा संबंधी प्रतिक्रिया, टीका वितरण प्रणालियों और विषाणु आधान की स्थापना पर अध्ययन-कार्य प्रगति पर है। कार्य में तेजी लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों और अनुसंधान संस्थानों के साथ कुछ सहयोगात्मक परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

राष्ट्रीय एकता को खतरा

***410. श्री बृजभूषण शरण सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रह रहे कुछ अलगाववादी नेताओं की गतिविधियों के कारण देश की एकता को कोई खतरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसे नेताओं की पहचान करने और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की कोई योजना है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार हुर्रियत नेताओं को अलगाववादी नेता मानती है; और

(ङ) यदि हां, तो इनके अलगाववादी बयानों को अभिव्यक्ति की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) कतिपय अलगाववादी नेताओं और संगठनों की गतिविधियों से राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है। ऐसे संगठनों के विरुद्ध इन्हें विधिविरुद्ध घोषित करने सहित, विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। जब कि ऐसे पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हों, जो न्यायायिक संवीक्षा की कसौटी पर खरे उतरते हों।

(घ) आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के निश्चित लक्ष्यों/उद्देश्यों और इसके कुछेक नेताओं के कथनों के अनुसार, इसे एक अलगाववादी संगठन कहा जा सकता है।

(ङ) हालांकि कतिपय पाबंदियों के साथ, संविधान में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसलिए, समय-समय पर, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है जो इस स्वतंत्रता का दुरूपयोग करते हैं या इस पर संविधान द्वारा लगाई गई सीमाओं का अतिक्रमण करते हैं।

निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश

***411. श्री सुन्दर लाल तिवारी:**
श्री पी.डी. एलानगोवन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न निजी शिक्षण संस्थानों और इंजीनियरिंग कालेजों में प्रबंधन कोटे के अंतर्गत सीटों के आबंटन के संबंध में सरकार का कोई नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी न्यासों और अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा विशेषत: तमिलनाडु में चलाई जा रही कुछ शिक्षण संस्थाएं अपने संस्थानों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारी धनराशि की मांग कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन संस्थाओं द्वारा शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क)

से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने मई, 1994 में व्यावसायिक कालेजों में दाखिले तथा शिक्षण शुल्क संबंधी विनियम अधिसूचित किए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक कालेज में 50 प्रतिशत सीटें नि:शुल्क तथा 50 प्रतिशत सीटें भुगतान के आधार पर आबंटित की जाएंगी। भुगतान तथा नि:शुल्क सीटों, दोनों पर प्रवेश संबंधित राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची के आधार पर दिए जाएंगे। इन विनियमों में प्रबंधन कोटे का कोई प्रावधान नहीं है। व्यावसायिक कालेजों के लिए शिक्षण तथा अन्य शुल्कों का निर्धारण राज्य स्तरीय समितियों द्वारा किया जाता है। किसी भी व्यावसायिक संस्थान को, छात्रों से नि: शुल्क सीट या भुगतान सीट हेतु समिति द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी नाम से कोई अन्य शुल्क या राशि वसूलने का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन शिक्षा सहित उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले गैर-सहायताप्राप्त निजी शिक्षण संस्थाओं के लिए शिक्षण शुल्क निर्धारण के संबंध में अधिसूचना मार्च, 1997 में जारी की गयी थी, जिसका मूल उद्देश्य लाभ कमाने की भावना तथा व्यावसायीकरण को रोकने के साथ-साथ, मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करना तथा सुविधाओं एवं परिसंपत्तियों में वृद्धि करना भी है। किसी भी व्यावसायिक कालेज द्वारा इन प्रावधानों में से किसी की भी उल्लंघन करने की स्थिति में सरकार ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम के जरिए परिषद् को आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। परिषद् को जब भी संस्थाओं द्वारा कैपीटेशन फीस लेने या शिक्षा का व्यावसायीकरण करने के बारे में पता चलता है तो परिषद् संबंधित राज्य सरकार या विश्वविद्यालय को स्वतंत्र रूप से जांच करने के निर्देश देती है, जिनकी सिफारिशों पर परिषद् विचार करके यथोचित निर्देश जारी करती है।

राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना

***412. श्री रामप्रसाद सिंह:**
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए निर्धारित नियम और प्रक्रिया क्या है;

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की राज्य-वार, विशेषत: बिहार की स्थिति क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन विश्वविद्यालयों के कार्यकरण और गुणवत्ता में विकास किए जाने और इनमें सुधार किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है।

इस समय देश में 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरों को बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की है जिसने शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं, शिक्षण का न्यूनतम स्तर, पाठ्यक्रमों के लिए आदर्श पाठ्यचर्या इत्यादि जैसे विषयों के लिए समय-समय पर विनियम बनाए हैं। गुणवत्ता मूलक शिक्षा देने में सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का स्थान निर्धारण करने के लिए उनका मूल्यांकन करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की स्थापना की है। आयोग विभिन्न योजनागत योजनाओं के तहत केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को उनके कार्यक्रम तथा उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए भी अनुदान प्रदान करता है।

विवरण

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अवस्थिति का राज्य-वार ब्यौरा

देश में 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालय (केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल सहित) हैं जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

आन्ध्र प्रदेश	–	2
असम	–	2
दिल्ली	–	4
महाराष्ट्र	–	1
मणिपुर	–	1
मेघालय	–	1
मिजोरम	–	1
नागालैंड	–	1
पांडिचेरी	–	1
उत्तर प्रदेश	–	3
पश्चिम बंगाल	–	1
कुल	–	18

[अनुवाद]

दिल्ली में अपराध की स्थिति

*413. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 28.4.2001 को 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार दिल्ली पुलिस के पास मामलों के लगातार बढ़ते रहने के मुख्य कारण, राजधानी में अपराध दर में वृद्धि और जांच की धीमी गति है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्। वर्ष 1999 और 2000 के दौरान दिल्ली में सूचित किए गए भा.द.सं. के मामलों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आई है। इनमें से सूचित किए गए जांच के लिए लम्बित मामलों की संख्या भी इन दो वर्षों के दौरान, 31 दिसम्बर, 2000 को 20,171 से घटकर 30 जून 2001 में 9,778 रह गई है।

(ख) जांच-पड़ताल में तेजी लाने और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में जांच अधिकारियों के लिए पुर्नउन्मुखीकरण पाठ्यक्रम चलाना; जांच-पड़ताल के वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग, जांचाधीन मामलों का वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रबोधन; और अपराध बहुत जिलों में अतिरिक्त जांच अधिकारियों की तैनाती करना शामिल हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग को निधियों का आबंटन

*414. **श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:**
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार राष्ट्रीय महिला आयोग को कितनी निधियों का आबंटन किया गया;

(ख) क्या अनेक सराहनीय उद्देश्यों वाले आयोग के लिए उपरोक्त वार्षिक आबंटन बहुत ही कम है;

(ग) यदि हां, तो क्या आयोग को अधिक निधियों का आबंटन किए जाने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग को वर्ष 1998-99 में 2.50 करोड़ रुपये और वर्ष 1999-2000 में 3.50 करोड़ रुपये तथा 2000-2001 में भी 3.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए। चालू वित्तीय वर्ष (2001-2002) में 5 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है। इस बढ़े हुए आबंटन से राष्ट्रीय महिला आयोग को चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सहायता मिलेगी।

उर्वरकों पर राजसहायता

*415. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरिया, अमोनिया, फॉस्फेट और अन्य उर्वरकों पर वर्तमान में कितनी राजसहायता दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार अलग-अलग उर्वरकों पर अलग-अलग राजसहायता दे रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता किसानों तक नहीं पहुंच रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा): (क) से (ग) यूरिया सांविधिक मूल्य, वितरण और संचलन नियंत्रण के तहत एकमात्र उर्वरक होने के नाते, प्रतिधारणा मूल्य-सह-राजसहायता योजना के अन्तर्गत आता है जिसमें प्रतिधारण मूल्य (उत्पादन की लागत जमा शुद्ध पूंजी पर लाभ की एक निर्धारित दर) और बिक्री मूल्य के बीच अन्तर को राजसहायता के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। चूंकि स्वदेशी और आयातित, दोनों यूरिया का बिक्री मूल्य समान रूप से निर्धारित किया जाता है, अत: आयातित यूरिया पर भी राजसहायता दी जाती है। इसके अलावा, नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों जिसमें डाई अमोनियम फास्फेट (डीएपी), म्यूरियेट आफ पोटाश (एमओपी)

तथा मिश्रित शामिल हैं, की बिक्री पर रियायत योजना के तहत, इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को ऐसे उर्वरक सरकार द्वारा निर्धारित किए गए खुदरा मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए निर्माताओं और आयातकर्त्ताओं को रियायत दी जाती है। यद्यपि, यूरिया एककों के लिए राजसहायता का निर्धारण प्रत्येक एकक के लिए अलग से किया जाता है, किन्तु नियंत्रणमुक्त पोटाशिक और फॉस्फेटिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की धनराशि (तिमाही आधार पर निश्चित) का स्वदेशी निर्माताओं और आयातकर्त्ताओं को समान दर पर भुगतान किया जाता है। वर्तमान में, सरकार द्वारा लगभग 4300 रु. प्रति टन की औसत राजसहायता वहन की जाती है। जहां तक सिंगल सुपर फॉस्फेट (एस.एस.पी.) का संबंध है, खुदरा मूल्यों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और केन्द्र सरकार रियायत की निश्चित दर प्रदान करती है। नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों तथा एस.एस.पी. के लिए रियायत की दरें निम्न प्रकार हैं:-

वस्तु	रियायत की अन्तिम दर (रु. प्रति मी. टन) (चतुर्थ तिमाही 2000-2001)
स्वदेशी डीएपी	4100
आयातित डीएपी	2550
म्यूरियेट आफ पोटाश (एमओपी)	3200
मिश्रित	2306-3886
एसएसपी (1.7.2000 से 31.3.2001)	700

(घ) और (ङ) उर्वरक पर राजसहायता/रियायत का लाभ किसानों को मिलता है क्योंकि किसानों को यूरिया की बिक्री सांविधिक रूप से निर्धारित किए गए अधिकतम खुदरा मूल्य पर और नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरकों की बिक्री संकेतात्मक अधिकतम खुदरा मूल्यों पर की जाती है जो उत्पादन की लागत से काफी कम हैं।

[हिन्दी]

कोयले के मूल्यों से नियंत्रण समाप्त करना

***416. श्री अवतार सिंह भडाना:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा उत्पादित कोयले के मूल्यों से अपना नियंत्रण पूर्णत: हटा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले के मूल्यों से नियंत्रण हटा लेने के बाद उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किस प्रकार किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) केन्द्र सरकार द्वारा 1.1.2000 से कोयले के मूल्य निर्धारण को पूर्णत: विनियंत्रित कर दिया गया है।

(ख) कोयला कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्द्धा, आयात और कोयला कंपनी बोर्डों पर कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों से उपभोक्ता हितों की रक्षा होने की आशा है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 के अधिनियमन से, जिसमें किसी भी भारतीय कंपनी को कैप्टिव के प्रतिबंधों के बिना कोयला खनन करने की अनुमति देने की कोशिश की गई है, भविष्य में, स्थिति में और सुधार आना चाहिए।

[अनुवाद]

स्कूलों में यौन-उत्पीड़न

***417. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री शिवाजी माने:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने स्कूल प्राधिकारियों को अपने-अपने स्कूलों में यौन-उत्पीड़न के मामलों पर रोक लगाने के लिए दोषरहित व्यवस्था विकसित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष यौन-उत्पीड़न के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार ने भी स्कूलों को कुछ दिशानिदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड से सम्बद्ध सभी स्कूलों को परिपत्र जारी करके अनुदेश दिया है कि वे कार्य स्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए 13.8.1997 को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये अपने निर्णय में उसके द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों का पालन करें। राष्ट्रीय महिला

आयोग ने यौन-उत्पीड़न का एक मामला दिनांक 6 जुलाई, 1999 के अपने पत्र द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेजा था। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

समुद्र तल के संसाधनों का सर्वेक्षण

*418. श्री पी. कुमारासामी: क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने समुद्र क्षेत्र में समुद्र तल पर और महाद्वीपीय समुद्र में समुद्र तल के नीचे उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संसाधनों का दोहन करने के लिए कोई परियोजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। सरकार, खान मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से क्षेत्रीय सागरों और महाद्वीपीय शेल्फ में उपलब्ध संसाधनों का पता लगाने के लिए निर्जीव संसाधनों एवं भूविज्ञान से संबंधित खोज के लिए सर्वेक्षण करती है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सर्वेक्षण के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहले ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तटों के पास इलमेनाइट, रूटाइल, जिर्कोन, सिलीमेनाइट, मोनोजाइट एवं गार्नेटयुक्त किफायती भारी खनिज बालू, गुजरात तट के पास 180 से 1200 मीटर जल गहराई में उच्च कोटि के चूना-पंक निक्षेप; गुजरात तट के पास 200-1000 मीटर जल गहराई में (0.4-20 प्रतिशत $पी_2ओ_5$) फास्फेटिक तलछट; लक्षद्वीप सागर में 2800-4300 मीटर जल गहराई में 2-5 सेंटीमीटर घनी परत वाली सूक्ष्म मैंग्नीज पिण्डिकाओं का रेखांकन किया है; महाराष्ट्र एवं गुजरात तटों के पास 50 से 200 मीटर जल गहराई में अलाइट एवं कैल्सियमी बालू पाया गया; आंध्र तट के पास 100 से 200 मीटर जल गहराई में उच्च श्रेणी चूना पंक, चेन्नै के पास दक्षिण पूर्व में 100-200 मीटर जल गहराई में फास्फेटिक तलछट (0.5 से 19.1 प्रतिशत $पी_2ओ_5$), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पश्चिम में 1000 मीटर जल गहराई में कैल्सियमी तलछटों; लक्षद्वीप के उथले अपतटों एवं समुद्र तालों में उच्च श्रेणी की कैल्शियम युक्त बालू होने का वर्णन किया है।

(ख) और (ग) इन खनिज संसाधनों के दोहन के लिए अभी तक कोई परियोजना नहीं है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

*419. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 2001 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) की सामान्य परिषद् की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन विषयों पर संकल्प पारित किए गए; और

(ग) राज्य सरकारों द्वारा इन संकल्पों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हां।

(ख) बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के मानकों तथा मानदण्डों, स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताओं के निर्धारण तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के लागू होने से पहले विद्यमान संस्थाओं के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता न होने संबंधी संकल्पों को पारित किया गया।

(ग) इन संकल्पों को लागू करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम की धारा 32 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशनार्थ उपयुक्त विनियम अधिसूचित करेगी। ये नियम जम्मू व कश्मीर राज्य के अलावा संपूर्ण भारत पर लागू होंगे।

[अनुवाद]

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन

*420. श्री ए. वेंकटेश नायक:
डा. प्रसन्न कुमार पाटसाणी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के विषय में सरकार के पास कोई सांख्यिकीय आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में अनेक योजनाएं चलाये जाने और काफी व्यय किए जाने के बावजूद, प्रायः सभी विद्यालयों की स्थिति खराब है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से समयबद्ध रूप से सभी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति सुधारने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किये गये मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) वर्ष 1999-2000 (30.9.1999 तक) के दौरान कक्षा 1 से 5 तक नामांकित बच्चों की (राज्यवार) संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है। वैकल्पिक (अनौपचारिक) शिक्षण संस्थाओं के नामांकन की संख्या इसके अतिरिक्त है।

(ग) से (ङ) आपरेशन ब्लैकबोर्ड और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय जैसी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से सरकार स्कूलों की आधारभूत संरचना और गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत प्रयास कर रही है। हाल में आरंभ किए गए सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ अतिरिक्त स्कूल, शिक्षण कक्ष और शिक्षकों तथा अध्ययन-अध्यापन सामग्री मुहैया कराके प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था में सुधार और विस्तार करना है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नामांकन** (1999-2000) (30.9.1999 तक)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9112061
2.	अरूणाचल प्रदेश	158682
3.	असम	4005779
4.	बिहार*	10473252
5.	गोवा	122345
6.	गुजरात	6146281
7.	हरियाणा	2081380
8.	हिमाचल प्रदेश	665538
9.	जम्मू और कश्मीर	893005
10.	कर्नाटक	6501200
11.	केरल	2561000
12.	मध्य प्रदेश*	11455935
13.	महाराष्ट्र	12076501
14.	मणिपुर	270092
15.	मेघालय	319728
16.	मिजोरम	124933
17.	नागालैण्ड	171952
18.	उड़ीसा	4615000
19.	पंजाब	2137483
20.	राजस्थान	7917364
21.	सिक्किम	87511
22.	तमिलनाडु	6083110
23.	त्रिपुरा	470271
24.	उत्तर प्रदेश*	14106511
25.	पश्चिम बंगाल	9469320
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	39977
27.	चण्डीगढ़	66540
28.	दादरा और नगर हवेली	27068
29.	दमन और दीव	15860
30.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1324426
31.	लक्षद्वीप	8323
32.	पांडिचेरी	104113

*इन राज्यों में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल का नामांकन शामिल है।

**वैकल्पिक (अनौपचारिक) शिक्षण संस्थाओं के नामांकन की संख्या इसके अतिरिक्त है।

आई.आई.एस.सी.ओ. की रक्षित खानें

4205. **श्री महबूब जहेदी:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लौह एवं इस्पात कम्पनी लिमिटेड ने कतिपय निजी संगठनों को ठेका श्रम के माध्यम से दो रक्षित खानों को मनमाने ढंग से चलाने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अवैध खनन

4206. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार, कम्पनी-वार अवैध खनन के कितने मामले दर्ज किए गए;

(ख) क्या अवैध कोयला खनन संबंधित खान अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध कोयला खनन के मामलों में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्टों की राज्य-वार, कम्पन-वार संख्या निम्नानुसार है-

राज्य	कम्पनी	दर्ज की गई एफ.आई.आर. की संख्या		
		1998-99	1999-2000	2000-2001
पश्चिम बंगाल	ईसीएल	209	110	180
पश्चिम बंगाल	बीसीसीएल	-	-	-
जोड़ पश्चिम बंगाल		209	110	180
बिहार/झारखण्ड	ईसीएल	54	45	23
बिहार/झारखण्ड	बीसीसीएल	2	2	1
बिहार/झारखण्ड	सीसीएल	4	25	15
जोड़ बिहार/झारखण्ड		60	72	39

(ख) अवैध खनन के मामले में संबंधित खानों के अधिकारियों के सांठ-गांठ की कोई रिपोर्ट प्रबंधन की जानकारी में नहीं आयी है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तें

4207. **श्री प्रभात सामन्तराय:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए वही सेवा शर्तें निर्धारित की थीं जो वर्ष 1956 के दौरान राज्य सरकार के समतुल्य पदों के लिए की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन नियमों को क्रियान्वित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) केवल दो पदों, नामत: निरीक्षकों और कल्याण अधिकारियों, के सम्बन्ध में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा

शर्तें राज्य सरकार के अधीन तदनुरूपी पदों के लिए निर्धारित सेवा शर्तों के समान थीं।

(ख) जी, हां।

(ग) ये नियम 1960 तक प्रभावी रहे। तत्पश्चात् कर्मचारियों की सेवा शर्तें केन्द्रीय बोर्ड द्वारा शासित हैं।

आई.डी.पी.एल. द्वारा आंध्र प्रदेश को बकाया धनराशि का भुगतान

4208. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से एपीएसईआर को अक्तूबर, 1998 तक के विद्युत खपत प्रभारों की 27,24,15,495 रुपए की बकाया धनराशि आई.डी.पी.एल. की ओर से तत्काल भुगतान का अनुरोध किया है;

(ख) क्या मुख्य मंत्री ने उक्त बकाया धनराशि का भुगतान करने के लिए सरकार से अनुरोध करते हुए 26.11.98 को केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री को भी पत्र लिखा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 31.12.2000 तक की स्थिति के अनुसार आई.डी.पी.एल. की ओर से आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमि. तथा आंध्र प्रदेश गैस पावर कार्पोरेशन लिमि. की बकाया राशियां निम्न प्रकार हैं:

(रु. लाख में)

ए.पी. ट्रांसको	3632
ए.पी.जी.सी.एल.	1071

आई.डी.पी.एल. एक रुग्ण कंपनी है जो रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत बी.आई.एफ.आर. के समक्ष है। आई.डी.पी.एल. के पुनरुद्धार से संबंधित निर्णय के अनुसार ही इन बकाया राशियों का निपटारा किया जाएगा।

[हिन्दी]

हुडको से जीडीए को ऋण

4209. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुडको ने केन्द्र सरकार के निर्देश पर वर्ष 1985 में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आवास योजना हेतु गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को ऋण मुहैया किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आवंटियों से वसूल की जाने वाली ब्याज-दर के मामले में हुडको और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बीच हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण इस ऋण को लौटा रहा है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उन आवासों की श्रेणियां कितनी हैं जिनके लिए ऋण मुहैया कराया गया था और इनमें प्रत्येक श्रेणी के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए थे?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आवास और शहरी विकास निगम (हडको) ने फरवरी, 1986 में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों हेतु एक आवासीय स्कीम के लिए गजियाबाद विकास प्राधिकरण (जी.डी.ए.) को ऋण मुहैया कराया है।

(ख) हडको ने गाजियाबाद के लाजपत नगर के सेक्टर-4 में केन्द्र सरकारी कर्मचारी आवास स्कीम के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को फरवरी, 1986 में मंजूरी दी थी। उसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

कुल आवासीय ईकाइयों की संख्या:	240
कुल परियोजना लागत:	547.03 लाख रुपये
कुल ऋण राशि:	492.28 लाख रुपये

(ग) ऋण-पत्र के अलावा अन्य ऐसा कोई करार नहीं है।

(घ) और (ङ) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस स्कीम के लिए ली गई पूरी ऋण-राशि लौटा दी है।

(च) ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

क्र.सं.	श्रेणी/टाइप	मासिक आय मानदण्ड
1.	टाइप-''ए''	2600 रुपये तक
2.	टाइप-''बी''	2601 से 4500 रुपये तक
3.	टाइप-''सी''	4501 रु. से ऊपर

[अनुवाद]

खैराती अस्पतालों के मूल उद्देश्य का उल्लंघन

4210. श्री मंजयलाल:
श्री अरुण कुमार:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 अगस्त, 2001 के ''द इंडियन एक्सप्रेस'' में ''हास्पिटल्स चेरिटेबल आन्ली व्हेन साइनिंग लैन्ड डील्स'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्या क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या इन अस्पतालों ने उस मूल उद्देश्य का उल्लंघन किया है, जिसके लिए उन्हें जमीन आबंटित की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या इन चार अस्पतालों को गुप्त समझौतों के तहत बेचा या हस्तांतरित किया जाने वाला है और न्यायमूर्ति कुरैशी समिति ने इनके पट्टे रद्द करने की सिफारिश की है;

(छ) यदि हां, तो सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है;

(ज) गत तीन वर्ष के दौरान दिल्ली में गरीबों और कमजोर वर्गों को नि:शुल्क/खैराती उपचार प्रदान करने के लिए खैराती अस्पताल चलाने हेतु विभिन्न संस्थाओं/एजेंसियों को कुल कितने भूखंड (एकड़ भूमि) आबंटित किए गए और इन संस्थाओं/एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(झ) उक्त अवधि के दौरान इन अस्पतालों ने गरीब/कमजोर वर्ग के लोगों का कितने अनुपात में नि:शुल्क उपचार किया है;

(ञ) ऐसे अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जो भूमि आबंटन के दौरान की गई बचनबद्धता/समझौते के अनुसार गरीब/कमजोर वर्ग के लोगों का उपचार नहीं कर रहे हैं; और

(ट) दोषी अस्पतालों से कितने भूखंड (एकड़ भूमि) वापिस लिए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) जी, हां। समाचार में उल्लिखित चार अस्पतालों में से मूल चन्द खैराती राम ट्रस्ट को एक अस्पताल के निर्माण के लिए निर्धारित दर पर प्रीमियम की अदायगी पर लाजपत नगर में करीब 9 एकड़ का एक भूखंड आबंटित किया गया था। आबंटन, भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा पट्टाधारक के साथ निष्पादित पट्टा विलेख के निबंधन व शर्तों के अन्तर्गत किया गया है।

अन्य तीन अस्पतालों, तथा (i) अपोलो, (ii) जेस्सा राम और (iii) बी.एल. कपूर को भूमि का आबंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार जेस्सा राम और बी.एल. कपूर मैमोरियल अस्पतालों के मामलों में, बेनामी बिक्री के लिए ''कारण बताओ नोटिस'' जारी किए गए थे, लेकिन इन भूखंडों के प्रबंधकों/पट्टाधारकों ने बिक्री के आरोप का खंडन किया है। जहां तक अपोलो अस्पताल का संबंध है उसे भूमि दिल्ली सरकार द्वारा आबंटित की गई थी।

(च) और (छ) उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट दिल्ली सरकार के विचाराधीन है।

(ज) से (ञ) गत तीन वर्षों के दौरान भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा केवल राम मनोहर लोहिया अस्पताल को 2.257 एकड़ भूमि, डाक्टरों के निवास के निर्माण के लिए 1982.785 वर्ग गज उनकी सुविधाओं के निर्माण के लिए, 553.32 वर्ग गज भूमि डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल की सुविधाओं के विस्तार के लिए तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 11 एकड़ भूमि, सफदरजंग अस्पताल के कर्मचारियों विशेषकर रेजीडेंट डाक्टरों और नर्सों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए वैस्ट किदवई नगर में आबंटित की गई है। भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा पिछले वर्षों में जिन संस्थाओं को भूमि आबंटित की गई है, इनमें अधिकतर संस्थाएं सरकारी अस्पताल हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने चार अस्पताल स्थल आबंटित किए हैं। आबंटित भूमि का कुल क्षेत्रफल 5.994 एकड़

है। जिन संस्थाओं को डीडीए द्वारा आबंटन किया गया है, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि आबंटन के निबंधनों और शर्तों के अनुसार, अस्पतालों से अपेक्षा की जाती है कि वे भर्ती हुए रोगियों में से 10% गरीब रोगियों का और बाह्य रोगियों में से 25% गरीब रोगियों का मुफ्त इलाज करें। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि गरीबों का इलाज न करने के बारे में किसी भी अस्पताल के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ट) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोई पट्टा परिसमाप्त नहीं किया गया है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण सांस्थानिक शाखा

पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए अस्पतालों के आबंटन का ब्यौरा

क्र. सं.	सोसाइटी का नाम	स्थान का नाम	क्षेत्रफल	आबंटन तारीख
1.	दिल्ली ई.एन.टी. हास्पिटल व अनुसंधान केन्द्र	एफसी-33, जसोला	769 वर्ग मी.	20.9.99
2.	मधुकर मल्टी स्पेशियालिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर	गीतांजली	5500 वर्ग मी.	21.10.99
3.	शान्ति मैमोरियल सोसाइटी	लाडो सराय	10000 वर्ग मी.	6.5.99
4.	महादुर्गा चैरिटेबल ट्रस्ट	मॉडल टाउन	8000 वर्ग मी.	9.8.99
		कुल	24,260 वर्ग मी.	(5.994 एकड़)

होम गार्ड्स और अन्य नागरिक सुरक्षा बल

4211. श्री ए. नरेन्द्र: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने होम गार्ड्स और अन्य नागरिक सुरक्षा बलों को वित्त पोषित करने के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को दिल्ली और अन्य राज्यों में इन बलों की भर्ती में नियमों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) भारत सरकार, राज्य सरकारों को निम्नलिखित आधार पर, होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा कोर को खड़ा करना, प्रशिक्षित करने और शस्त्रों से सज्जित करने के लिए खर्च की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति करती रही है:

(i) सभी पूर्वोत्तर राज्य (असम को छोड़कर) - 50%

(ii) सभी अन्य राज्य (असम सहित) - 25%

पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान, राज्यों को होम गार्ड संगठनों को खड़ा करने, प्रशिक्षण देने और शस्त्रों से सज्जित करने के लिए क्रमश: 31 करोड़ रु. 32 करोड़ रु. और 31 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गयी।

इसी प्रकार, वर्ष 1998 से 2001 तक, पिछले तीन वर्षों के दौरान, राज्यों को नागरिक सुरक्षा कोर को खड़ा करने, प्रशिक्षण देने और शास्त्रों से सज्जित करने के लिए वार्षिक आधार पर 5.5 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

(ग) और (घ) होम गार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए पात्रता मानदण्ड दिल्ली होम गार्ड्स नियम, 1959 में निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस संबंध में नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, होमगार्डों की भर्ती, पुन: भर्ती और डिस्चार्ज के मामलों में भ्रष्टाचार के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस संबंध में पारदर्शिता लाने के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसरण में, इस विषय पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल के अनुमोदन से दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं और इन्हें कार्यान्वित किया गया है।

बाल विकास

4212. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा बच्चों के व्यापक और चहुंमुखी विकास हेतु कोई योजना प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए कार्य योजना

4213. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्यावृत्ति के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में वैश्यावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ग) यद्यपि, महिलाओं और बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण पर अनेकों अध्ययन और रिपोर्टें उपलब्ध हैं फिर भी भारत में अवैध व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण की व्यापकता और सीमा के बारे में कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है। हाल ही में सरकार ने कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है।

भारत सरकार ने विभिन्न रणनीतियों, जिनमें निवारण, विधायन व कानून प्रवर्त्तन, वैश्यावृत्ति के पीड़ितों को मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था करना, बचाव और पुनर्वास, जागरूकता पैदा करना तथा समाज को इसके लिए तैयार करना शामिल है, के माध्यम से अवैध व्यापार और महिलाओं और बच्चों के व्यावसायिक यौन शोषण पर काबू पाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। केन्द्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार इसके अपेक्षित मध्यक्षेप तैयार करेंगे और उन्हें लागू करेंगे। जून, 1998 में सरकार ने सार्क रिजनल कन्वेंशन आन प्रिवेंशन एण्ड कम्बैटिंग ट्रेफिकिंग इन वूमैन एण्ड चिल्ड्रन फार प्रास्टिट्यूशन पर एक मसौदा भी तैयार किया है। उस सम्मेलन मसौदा में अन्तर्राष्ट्रीय सरकारों के बीच उचित ताल-मेल के माध्यम से तथा अवैध व्यापार तथा बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित विभिन्न कानूनों और वैधानिक प्रावधानों को सुमेलित करके सीमा पार से अवैध व्यापार को रोकने के लिए उपाय करने की व्यवस्था है।

भारतीय दंड संहिता, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के प्रावधानों को कड़ाई से लागू करने के उद्देश्य से सरकार, विशेषकर बालिकाओं को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और महिलाओं को आर्थिक शक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सम्पूर्ण सुधार लाने का प्रयास कर रही है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम की सहायता (एस.टी.ई.पी.), महिलाओं के लिए रोजगार एवं आय-सृजन वाली इकाईयां स्थापित करना (एन.ओ.आर.ए.डी.), सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम (एस.ई.पी.) राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.), स्वर्ण जयंती रोजगार योजना (एस.जे.आर.वाई.) आदि जैसी शक्तिकरण और आय सृजन की स्कीमों को वेश्यावृत्ति की शिकार छुड़ाई गई महिलाओं के पुनर्वास के लिए और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है जहां से वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को अधिक संख्या में सप्लाई किया जाता है। प्रिंट मीडिया और इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से समाज में महिलाओं की साकारात्मक छवि प्रकट करने और महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सामाजिक नजरिये में बदलाव लाने के भी प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

भारत-बंग्ला सीमा के निकट सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय की स्थापना

4214. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए मेघालय में भारत-बांग्ला सीमा के निकट सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है? और

(ग) आपात स्थिति में संबंधित राज्य सरकार के साथ निरंदर सम्पर्क में रहने के लिए सीमा सुरक्षा बल को सक्षम बनाने के लिए तंत्र तैयार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) सीमा सुरक्षा बल और राज्य प्रशासन के बीच नजदीकी और निरन्तर सम्पर्क हेतु पहले से ही व्यवस्था विद्यमान है। किसी भी आपात स्थिति में राज्य प्राधिकारी और सीमा सुरक्षा बल सदैव एक दूसरे से सम्पर्क कर सकते हैं।

पोंगामिया की खेती

4215. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान की मृदा पोंगामिया की खेती के लिए उपयुक्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पोंगामिया के बीज से प्राप्त तेल डीजल का विकल्प है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप राजस्थान के किसान किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'): (क) और (ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण से उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार, पोंगामिया की खेती राजस्थान में की जा सकती है। हालांकि राजस्थान में पोंगामिया की कोई प्रबन्धित या संगठित खेती नहीं है। तथापि जोधपुर में पादपों से बीजों का उत्पादन होता है। ये वृक्ष सड़क के किनारे उगते हैं और इनमें लवणता के प्रति सह्यता और दीमक के लिए उच्च प्रतिरोध शक्ति विद्यमान है।

(ग) और (घ) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पोंगामिया पीनाटा (हान्ज तेल) के बीच से प्राप्त तेल प्रयोग के लिए सक्षम है और डीजल के स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। हान्ज तेल को प्रयोग में लाने से पहले गरम करना पड़ता है क्योंकि कमरे के तापमान पर तेल की चिपचिपाहट डीजल से कहीं अधिक होती है। डीजल इंजन की क्षमता लगभग वही रहती है, हालांकि हान्ज तेल का उष्मीय मूल्य कुछ कम है। हान्ज तेल का प्रयोग करते समय प्रारंभ में जो समस्याएं आई वे फील्टरों के चोक होने जाने से संबंधित थी।

(ङ) किसानों को पोंगामिया का बड़े पैमाने पर संगठित रूप से उत्पादन करने से, विशेषतौर पर उन्हें अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत लाभ मिल सकता है।

आंध्र प्रदेश में शौचालयों का निर्माण

4216. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में शौचालयों के निर्माण हेतु नौवीं योजना में मूल रूप से क्या लक्ष्य रखा गया था;

(ख) क्या यह सच है कि मूल योजना का केवल 50 प्रतिशत लक्ष्य ही प्राप्त किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) नौवीं योजना के दौरान अभी तक वर्ष-वार कुल कितने शौचालयों का निर्माण किया गया है; और

(ङ) उक्त योजना अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश में शौचालयों के निर्माण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) शहरी सफाई राज्य का विषय होने के नाते सफाई स्कीमों की योजना बनाने, उनका कार्यान्वयन करने, उन्हें बनाए रखने, उन्हें मानीटर करने तथा नौवीं योजना में निर्धारित

लक्ष्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों की है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि वर्ष 1997-98 से 2001-2002 तक 113 शहरी स्थानीय निकायों में 5,71,319 शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि दिनांक 31.7.2001 तक की उपलब्धि 50% से अधिक अर्थात् 67.60% है तथा 44,607 शौचालयों का निर्माण कार्य चल रहा है। शेष शौचालयों को शीघ्र बनाने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाही की जाती है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा प्रेषित वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

1997-98	6,220
1998-99	59,228
1999-2000	2,79,747
2000-2001	35,307
2001-2002	5,763
कुल	3,86,265

(ङ) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय "समग्र कस्बा आधार पर" क्रमिक ढंग से भारत सरकार की सब्सिडी तथा आवास एवं नगर विकास निगम (हडको) से ऋण मुहैया कराकर मैला ढोने वालों की मुक्ति के लिए केन्द्र प्रवर्तित कम लागत की सफाई स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है। यह एक मांग-आधारित स्कीम है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 110 कस्बों के लिये पेश 78 स्कीमें कुल 7861.06 लाख रु. की सब्सिडी तथा 15,711.33 लाख रु. ऋण से मंजूर की जा चुकी हैं, इसमें से बतौर सब्सिडी 5,307.22 लाख रु. तथा बतौर ऋण 9,665.65 लाख रु. राज्य सरकार को जारी किए जा चुके हैं। स्कीम की प्रगति तथा शेष मामलों की समीक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ बैठकें की जाती हैं।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में आग

4217. डा. राजेश्वरम्मा चुक्कला: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में आग लग गई थी जिससे करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब इस संयंत्र में उत्पादन कार्य आरंभ हो गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) जी, हां। विखाशापट्नम इस्पात संयंत्र में 29 जून, 2001 को आग लगी थी। लगभग 40 मीटर से अधिक विद्युत और नियन्त्रण की विभिन्न आकार की कुछ केबलें जल गई थीं। आग के कारण अनुमानत: 9.8 लाख रुपये की हानि हुई।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बिहार में उर्वरकों की कमी

4218. श्री राजो सिंह: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान बिहार को कुल कितना यूरिया दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या बिहार सरकार ने यूरिया का अतिरिक्त कोटा दिए जाने की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 2000-2001 के दौरान बिहार राज्य को मौसमवार आकलित आवश्यकता एवं आपूर्ति की गई यूरिया की मात्रा निम्नानुसार थी:-

(लाख टन)

2000-2001	आकलित आवश्यकता	आपूर्ति की गई मात्रा
खरीफ	7.00	8.23
रबी	6.20	7.78

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी उपशमन योजनाओं के लिए विश्व बैंक ऋण

4219. श्री जय प्रकाश: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में गरीबी उपशमन योजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराएं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण से राज्य में चलाई जा रही उपरिलिखित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं। विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश में कोई विशिष्ट शहरी-गरीबी उपशमन परियोजना वित्तपोषित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पंचायती राज संस्थाओं में कमजोर वर्गों को आरक्षण

4220. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को दरकिनार कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने इनके समानान्तर ग्राम विकास समितियां गठित की हैं;

(ग) क्या पंचायती राज संस्थाओं में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की अनदेखी की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियमन का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, मध्य प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास समितियों की स्थापना की है जबकि हरियाणा सरकार ने ग्राम विकास समितियों की, जो कि ग्राम पंचायतों के समानान्तर निकाय प्रतीत होते हैं। केन्द्र सरकार इन मुद्दों की छानबीन करने के लिए मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों के साथ बातचीत कर रही है।

(ग) और (घ) पंचायती राज संस्थाओं में कमजोर वर्गों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों की उपेक्षा नहीं की गई है। तथापि, एस.एल. पीज के निपटारे को लंबित रखते हुए उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में सभी स्तरों की पंचायतों में अध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किए बगैर बिहार में पंचायत के चुनाव कराए गए।

(ङ) केंद्र सरकार संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकों के जरिए, मुख्य मंत्रियों/प्रशासकों, पंचायती राज के प्रभारी राज्य के मंत्रियों और राज्य के सचिवों के साथ पत्र व्यवहार करके राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध करती रही है। 11 जुलाई, 2001 को नई दिल्ली में हुए पंचायत राज के प्रभारी, राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन में भी विभिन्न प्रावधानों का समुचित कार्यान्वयन करने के संबंध में सिफारिशें की गई। जैसा कि संविधान (73वें संशोधन) अधिनियम, 1992 में निहित है।

कोयले से सल्फर कम करने संबंधी अनुसंधान

4221. श्री सुबोध मोहिते: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैस्टर्न कोलफील्ड्स ने कोयले से सल्फर कम करने संबंधी अनुसंधान हेतु एक केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अभी तक इस अनुसंधान से इस संबंध में क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस संस्थान ने इस संबंध में कोई रिपोर्ट दी है; और

(घ) यदि हां, तो वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) भाग में दिये उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

डी.डी.ए. में गायब फाइलें

4222. श्री रामजी मांझी: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 2001 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "10,000 डी.डी.ए. फाइल्स वैनिश इन टू थिन एयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचारों का तथ्य क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) उक्त गायब फाइलें किन विभागों से संबंधित हैं;

(ङ) फाइलों की सुरक्षा हेतु कोई पूर्व सावधानी न बरते जाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या इस मामले की जांच कराने के आदेश दिए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है और दिल्ली विकास प्राधिकरण में जब कभी किसी फाइल के गुम/लापता होने की रिपोर्ट मिलती है तो सभी तथ्यों की पुष्टि करने के बाद फाइलें पुन: बनाई जाती हैं।

(ङ) से (ज) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि फाइलें सुचारू रूप से रिकार्ड कक्ष में रखी जाती हैं। तथापि बड़ी संख्या में फाइलें होने और इनको बार-बार इधर-उधर भेजने के कारण कुछ फाइलों के लापता होने की संभावना हो सकती है जिन्हें मामलों के निपटान के लिए विधिवत पुन: बनाया जाता है। इसके अलावा फाइल गुम हो जाने पर मामले की जांच की जाती है और जिम्मेदारी तय की जाती है।

राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान

4223. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.एस.आई.आर. के घटक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान अक्सर "वैल्थ आफ इंडिया" (भारत की संपदा) के नाम से एक प्रकाशन हार्ड कापी में प्रकाशित करता रहा है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मुद्रित और हार्ड कापी में प्रकाशित "वेल्थ आफ इंडिया" संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सी.एस.आई.आर. की एक घटक इकाई राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (एन.आई.एस.सी.ओ.एम.), वेल्थ आफ इंडिया (भारत की संपदा) के हार्ड कापी वर्जन का प्रकाशन कर रहा है। गत तीन वर्षों के दौरान हार्ड कापी प्रिंट का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नवत् है:

1998-99	शून्य
1999-2000	भारत की संपदा - प्रथम अनुपूरक श्रृंखला, खंड 1 (ए-सीआई) (डब्ल्यू.ओ.आई.-आर.एम.) (मार्च, 2000)
2000-2001	भारत की संपदा - प्रथम अनुपूरक श्रृंखला, खंड 2 (ए-सीआई) (डब्ल्यू.ओ.आई.-आर.एम.) (फरवरी, 2001)

नकली करंसी नोट/स्वापक औषधियां

4224. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस ने पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान अब तक नकली करंसी/स्वापक औषधि रखने के आरोप में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है;

(ख) क्या राजधानी तेजी से नकली करंसी और स्वापक औषधियों का बड़ा बाजार बनती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार नकली करंसी और स्वापक औषधियों को राजधानी में लाए जाने के मार्गों का पता लगाने में सफल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ पुलिस अधिकारी भी ऐसे गिरोहों से संबद्ध पाए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है; और

(छ) राजधानी में नकली करंसी/स्वापक औषधियों के आवागमन की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) अपेक्षित ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	
	जाली मुद्रा	नशीली दवाईयां
1998	62	697
1999	77	745
2000	66	688
2001 (30.6.2001 तक)	48	428

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस द्वारा की गयी जांच-पड़ताल से पता चला है कि जाली मुद्रा के परिचालन के अधिकांश मामलों में पाक आई.एस.आई. संलिप्त है और देश में जाली मुद्रा की तस्करी सीधे पाकिस्तान से या अन्य पड़ोसी देश के मार्फत की जाती है। इसी प्रकार से नशीली दवाओं की बरामदगी के संबंध में गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा किए गए खुलासे से पता चलता है कि कुछेक मामलों में दिल्ली का प्रयोग, विदेशों को नशीली दवाओं की तस्करी के लिए, ट्रांजिट रूट के रूप में किया जा रहा है और नशीली दवाओं को कुछ पड़ोसी देशों से दिल्ली में नशीली दवाओं की अधिकतर तस्करी, इन नशीली दवाओं को आगे विदेशों को भेजने के लिए की जाती है।

(ङ) से (च) पिछले दो वर्षों के दौरान और आज तक केवल एक मामला सूचित किया गया जिसमें केवल एक पुलिस अधिकारी का संलिप्त होना बताया गया है। उसे निलम्बित कर दिया गया और उसके खिलाफ मामला विचाराधीन है।

(छ) राजधानी में जाली मुद्रा और नशीली दवाओं के प्रयोग के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं:-नशीली दवाओं के तस्करों, व्यापार करने वालों और जाली मुद्रा गिरोहों के बारे में आसूचना एकत्र करना और उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना, सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान के लिए नारकोटिकस कन्ट्रोल ब्यूरो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और अन्य आसूचना एजेन्सियों के साथ प्रभावी सम्पर्क बनाना, नशीली दवाओं की आपूर्ति में संलिप्त व्यक्तियों को पकड़ने के लिए नशेड़ियों पर नियमित निगरानी रखना; और ऐसे क्षेत्रों, जहां इस प्रकार की गतिविधियां अधिकतर होती हैं, गश्त गहन करना इत्यादि। इसके अतिरिक्त, जाली मुद्रा के परिचालन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में, मुद्रा नोटों को अतिरिक्त सुरक्षा विशिष्ट विशेषताओं सहित मुद्रित करना, असली और नकली मुद्रा नोटों के बीच अन्तर समझने के लिए जनता को शिक्षित करने के लिए समय-समय पर, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करना, और सीमा सुरक्षा बल की अग्रणी टुकड़ियों को, देश में जाली मुद्रा और नशीली दवाओं की तस्करी के प्रति अधिक सतर्क रहने के लिए सावधान करना शामिल है।

दिल्ली में सड़कों पर अवरोध के कारण जनता को असुविधा

4225. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली की सड़कें, विशेष तौर पर उत्तम नगर की मुख्य सड़क पिछले कई वर्षों से अवरुद्ध पड़ी है जिसके कारण जनता को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सड़कों की मरम्मत के लिए नियुक्त एजेंसियां मरम्मत कार्य को निर्धारित समय में पूरा नहीं कर सकी हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) मरम्मत कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस संबंध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार और अनियमितताएं

4226. श्री अखिलेश यादव:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:
श्री नवल किशोर राय:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने दिल्ली विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए कुछ माह पूर्व छापे मारे थे और क्या इसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों को निलंबित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इनमें से बहाल किए गए और अभी तक निलंबनाधीन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आवास विभाग के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके खिलाफ जांच लंबित है किन्तु जिन्हें निलंबित नहीं किया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में कनिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सी.बी.आई. की स्वीकृति प्राप्त किए बिना निलंबित अधिकारियों को बहाल किए जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) दोषी अधिकारियों को दंडित करने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने दिनांक 10.12.2000 को दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के कुछ अधिकारियों के आवासीय तथा कार्यालयी परिसरों पर छापे मारे थे तथा निम्नलिखित नौ कार्मिकों के निलम्बन की सिफारिश की थी:-

सर्वश्री/श्रीमती

1. वी.के. सिंघल, निदेशक (आवास)
2. एम.एस. शर्मा, संयुक्त निदेशक (आवास)
3. एम.एल. आहूजा, सहायक निदेशक (कल्याण)
4. जगवीर चौधरी, सहायक (ई.एच.एस.)
5. आर.पी. शर्मा, सहायक (ई.एच.एस.)
6. सतवीर सिंह, संबंधित सहायक
7. जे.पी. शर्मा, संबंधित सहायक
8. अशोक कपूर, उपाध्यक्ष के निजी सचिव
9. श्रीमती ऊषा रविचन्द्रन, आयुक्त (कार्मिक) की निजी सचिव।

क्र.सं. 3, 6 तथा 7 पर उल्लिखित कार्मिक कुछ अन्य मामलों में पहले से ही निलम्बित थे। शेष छह कार्मिकों को निलंबित किया गया। क्र.सं. 9 के कार्मिक को पुन: बहाल कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) सी.बी.आई., जो आवास विभाग मामले की जांच कर रही है, ने नौ कार्मिकों को निलंबित करने की सिफारिश की थी। नौ में से तीन अधिकारी पहले से ही निलंबित थे और शेष छह कार्मिकों को भी निलंबित कर दिया गया।

डीडीए ने रिपोर्ट दी है कि अभी तक मामले में संलिप्त सभी अधिकारियों के खिलाफ, उनके पद का लिहाज किए बिना, कार्यवाही की गई है।

(च) चूंकि कुछ निलंबित कार्मिकों ने बहाल किए जाने के लिए अभ्यावेदन दिए थे, इसलिए मामले को टिप्पणी/अन्वेषण स्थिति के लिए सी.बी.आई. को भेजा गया था। सी.बी.आई. से रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहाल किए जाने का मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेजा गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सलाह दी कि चूंकि यह एक प्रशासनिक मामला है, अत: सक्षम प्राधिकरण निर्णय ले सकते हैं। सभी तथ्यों को ध्यान में रख कर दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुशासनिक प्राधिकरण ने निलंबित कार्मिकों में से एक कार्मिक को बहाल किए जाने का निर्णय लिया।

(छ) दिल्ली विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में सुधार लाने व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिये ड्रा (लाटरी) निकालने जैसे कुछ कार्य कम्प्यूटरीकृत कर दिए गए हैं। ये ड्रा विभाग के बाहर से आमंत्रित निर्णायकों की उपस्थिति में निकाले जाते हैं। ड्रा (लाटरियों) के परिणाम विधिवत अधिसूचित और समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। ताकि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

2. लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन, आबंटन/कब्जा पत्र जारी करने जैसे कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए प्रबंध सूचना प्रणाली लागू की गई है।

3. एक कम्प्यूटरीकृत रसीद काउंटर खोला गया है जहां आबंटियों के विभिन्न प्रकार के अनुरोध स्वीकार किए जाते हैं और उनके उत्तर भी उसी काउंटर पर 15 दिन के बाद दिए जाते हैं।

4. आदेश जारी किए गए हैं कि भविष्य में विशेष मुख्तारनामे के पते पर कोई धन वापसी नहीं की जायेगी। ये धन वापसी केवल मूल आवंटियों को उनके बैंक खाते का नम्बर लेकर सामान्यत: डाक द्वारा की जायेगी।

भ्रष्ट आचरणों पर अंकुश लगाने के लिए नियमित निवारक व दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। जब कभी भी कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो विभागीय कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाती है और जांच के दौरान यदि आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो कड़ी कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

स्टील स्क्रैप का निपटान

4227. श्री कमलनाथ: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न इस्पात संयंत्रों में जमा स्टील स्क्रैप को निविदाएं आमंत्रित किए बिना केवल एक ही कम्पनी के माध्यम से निपटाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कम्पनी का नाम क्या है;

(ग) स्टील स्क्रैप को उठाने के लिए खुली निविदाएं आमंत्रित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह उप-संविदाकारों को विवर्जित करने के संबंध में फरवरी, 2000 में पहले लिए गए निर्णय का उल्लंघन नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो स्टील स्क्रैप के निपटान से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्या नीति अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, नहीं। सेल और आर.आई.एन.एल. के इस्पात संयंत्रों में प्रक्रिया के दौरान सृजित हुआ इस्पात स्क्रैप सामान्यत: खुली निविदा अथवा निर्धारित मूल्य बिक्री के जरिए निपटाया जाता है, जहां ग्राहक बोली लगाने और सामग्री खरीदने के लिए स्वतन्त्र होते हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशनों का नाम बदला जाना

4228. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन:
श्री किरीट सोमैया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के संबंध में वर्तमान नियम और विनियम क्या हैं; और

(ख) देश में स्थित उन रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जिनका नाम बदल कर प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर रखा गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) मौजूदा नीति निर्देशों में विभिन्न विस्तृत सिद्धान्त दिए गए हैं जिन्हें गावों, नगरों, रेलवे स्टेशनों आदि के नाम बदलने के प्रश्न की जांच करते समय राज्य सरकारों द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। निर्देशों में साथ ही यह भी उल्लेख गिया गया है कि जब तक कोई अति विशेष कारण न हों, ऐसे नाम को बदलना वांछनीय नहीं है, जिसके लोग आदी हो चुके हैं और यह कि परिवर्तन, स्थानीय देशभक्ति, या राष्ट्रीय नेता के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के आधार पर या भाषाई कारणों से या स्थानीय भावनाओं की तुष्टि के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 1997 में मैट्रो रेलवे कलकत्ता के भवानीपुर स्टेशन का नाम बदल कर नेताजी भवन स्टेशन रखने पर, अपनी अनापत्ति सूचित कर दी थी।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से जनजातियों के विकास संबंधी कार्यक्रम

4229. श्री रामशकल: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी सहायता से जनजातियों के विकास के

लिए इस समय चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजना-वार और देश-वार प्राप्त हुई आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[अनुवाद]

कोलियरियों में धोवनशालाओं की स्थापना

4230. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के ताप विद्युत संयंत्रों में 34% से कम राख की मात्रा वाले कोयले का प्रयोग अपेक्षित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड से अपनी कोलियरियों में धोवनशालाओं की स्थापना करने का आग्रह किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कोल इंडिया लिमिटेड की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, हां। पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड के नासिक, भुसावल तथा कोराड़ी ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा 1.6.2002 से वार्षिक औसत के आधार पर 34% से अनधिक राख वाले कोयले का उपयोग करना अपेक्षित है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, एम.एस.ई.बी. ने एस.ई.सी.एल. को प्रस्तावित दीपका वाशरी से धुले हुए कोयले की सम्पूर्ण मात्रा को उपयोग करने के लिए अपनी स्वीकृति संसूचित की थी।

(घ) एस.ई.सी.एल./सी.आई.एल. ने कोरबा कोलफील्ड में दीपका में बिल्ड-ओन-आपरेट (बीओओ) योजना के तहत वाशरी स्थापित करने के लिए कार्यवाही पहले ही आरम्भ कर दी है तथा इस प्रस्तावित कोयला वाशरी से धुले हुए कोयले की आपूर्ति के लिए एम.एस.ई.बी. के साथ धुला कोयला आपूर्ति समझौता इत्यादि के संबंध में विचार-विमर्श प्रारम्भ कर दिया है।

समेकित शिक्षा योजना

4231. चौधरी तेजवीर सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष समेकित शिक्षा योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को विशेषकर विकलांग बच्चों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) धन उपयोग का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत कुछ धनराशि का उपयोग नहीं हो सका; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) प्रस्तावों तथा कार्य सम्पादन रिपोर्टों के आधार पर पिछले दो वर्षों के दौरान विकलांग बच्चों के लिए समेकित सिक्षा योजना के तहत सीधे तौर पर अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 19 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों को उपयोग में लाने के लिए निधियां प्रदान की गई। सूची विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) दिनांक 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है। कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी प्रगति तथा उनसे प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर व्यय करने के लिए समय प्रदान किया जाता है।

विवरण-I

विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों (गैर-सरकारी संगठनों सहित) को सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	29.57	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	3.99
3.	असम	–	1.42
4.	गुजरात	323.44	337.62
5.	हरियाणा	86.38	21.24

1	2	3	4
6.	हिमाचल प्रदेश	96.63	–
7.	कर्नाटक	116.74	226.31
8.	केरल	236.27	267.31
9.	मध्य प्रदेश	55.19	31.87
10.	मणिपुर	45.17	–
11.	महाराष्ट्र	–	44.55
12.	मिजोरम	15.50	22.41
13.	नागालैंड	5.75	–
14.	उड़ीसा	109.73	80.22
15.	राजस्थान	–	154.44
16.	तमिलनाडु	62.18	206.07
17.	त्रिपुरा	23.31	–
18.	उत्तर प्रदेश	24.82	9.86
19.	पश्चिम बंगाल	12.00	2.72
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16.62	15.43
21.	दिल्ली	29.42	61.29
22.	दमन और दीव	0.26	0.17
23.	पांडिचेरी	1.04	3.69
	कुल	1290.02	1490.61

विवरण-II

अनुदानों के उपयोग का ब्यौरा

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	उपयोग की गई राशि 1999-2000	उपयोग की गई राशि 2000-2001
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	उ.प्र. प्राप्त नहीं	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	उ.प्र. प्राप्त नहीं
3.	असम	*	उ.प्र. प्राप्त नहीं
4.	गुजरात	323.44	337.62
5.	हरियाणा	उ.प्र.	21.24
6.	हिमाचल प्रदेश	उ.प्र. प्राप्त नहीं	*
7.	कर्नाटक	116.74	226.31
8.	केरल	236.27	267.31
9.	मध्य प्रदेश	55.19	31.87
10.	मणिपुर	45.17	*
11.	महाराष्ट्र	*	44.55
12.	मिजोरम	15.50	उ.प्र. प्राप्त नहीं
13.	नागालैंड	5.75	*
14.	उड़ीसा	41.95	80.22
15.	राजस्थान	*	उ.प्र. प्राप्त नहीं
16.	तमिलनाडु	उ.प्र. प्राप्त नहीं	उ.प्र. प्राप्त नहीं
17.	त्रिपुरा	23.31	*
18.	उत्तर प्रदेश	उ.प्र. प्राप्त नहीं	उ.प्र. प्राप्त नहीं
19.	पश्चिम बंगाल	12.00	2.72
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16.62	15.43
21.	दिल्ली	उ.प्र. प्राप्त नहीं	उ.प्र. प्राप्त नहीं
22.	दमन और दीव	0.26	0.17
23.	पांडिचेरी	1.04	3.69
	कुल	893.24	1031.13

*उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण आवंटन नहीं।
उ.प्र. – उपयोग प्रमाणपत्र

राज्यों को शक्तियां हस्तांतरित करना

4232. **श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:
श्री भीम दाहाल:
श्री शिवाजी माने:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष शक्तियां हस्तांतरित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों को शक्तियां हस्तांतरित करने से संबंधित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि सरकार का यह मत है, कि यद्यपि जम्मू और कश्मीर विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी यदि कोई ऐसे मामले हों, जिनके संबंध में राज्य सरकार यह महसूस करती हो कि राज्य के पास अधिक शक्तियां होनी चाहिए और ऐसी अधिक शक्तियों से वह जम्मू और कश्मीर के लोगों की बेहतर सेवा कर सकती है, तो भारत सरकार उस पर विचार करने को तैयार होगी।

(ग) और (घ) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के मुद्दे की जांच करने के लिए भारत सरकार ने सरकारिया आयोग का गठन किया था। इसकी सिफारिशों का उद्देश्य केन्द्र और राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध विकसित करना हैं और उन पर अन्तर्राज्यीय परिषद् जिसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक हैं, द्वारा विचार किया जा रहा है। 247 सिफारिशों में से 171 पर विचार किया जा चुका है। इनमें से 95 कार्यान्वित की जा चुकी हैं, 16 रद्द कर दी गई हैं और 60 राज्यों तथा केन्द्रीय मन्त्रालयों के कार्यान्वयन के अधीन हैं।

[हिन्दी]

आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय दुकानों का खोला जाना

4233. **श्री माणिकराव होडल्या गावित:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय दुकानें खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्य-वार कितनी दुकानें खोली गई हैं; और

(घ) सभी राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय दुकानें *कब तक खोल दिए जाने की संभावना है?*

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) से (घ) *वर्तमान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तथापि, जनजातियों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्पों और उनके द्वारा उगाए गए जैव उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए ट्राइफेड द्वारा एक जनजातीय दुकान दिनांक 09.04.1999 को बंगला नं. 9, महादेव रोड, नई दिल्ली में खोली गई।*

कापार्ट के पास महाराष्ट्र के लंबित प्रस्ताव

4234. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** 1 अगस्त, 2001 के तारांकित प्रश्न संख्या 136 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के लंबित प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 136 दिनांक 1.8.2000 (और न कि दिनांक 1.8.2001 जैसा कि प्रश्न में उल्लिखित है) के उत्तर में महाराष्ट्र के मामले में लंबित दिखाये गये 87 परियोजना प्रस्तावों में से 13 परियोजनायें मंजूर की गई हैं तथा 24 परियोजनायें नामंजूर की गई हैं। शेष 50 परियोजनायें अभी भी लंबित हैं।

(ख) और (ग) परियोजना-वार ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं।

(घ) कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं दर्शाई गई है क्योंकि परियोजनाओं की स्वीकृति कपार्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित औपचारिकताओं पर निर्भर करती है।

विवरण

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वैच्छिक संगठन का नाम और पता	परियोजना की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	कर्मवीर थाऊराव पाटिल विकास प्रतिष्ठान, सतारा, महाराष्ट्र	मंजूर
2.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	सामाजिक सद्भाव संघ, इसाली, ले-आऊट, सुदामपुरी, वर्धा	लंबित (परियोजना मूल्यांकनकर्त्ता की वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।)
3.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	वनराई, पुणे	मंजूर
4.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	एम.एन. राय इंस्टीट्यूट फार नाम फार्मल एजूकेशन, जिला-नांदेड	मंजूर
5.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	वसुंधरा सेवान्धन सामाजिक संशोधनी विकास सेवा संस्थान, जिला-लातूर	लंबित (परियोजना मूल्यांकनकर्त्ता की वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।)
6.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	रुग्णा सेवा प्रकल्प, जिला-सांगली	नामंजूर
7.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	रामदेव बाबा चैरिटबल सोसाइटी, अकोला	मंजूर
8.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	अकदामी ऑफ डेवलपमेंट साईंस ग्राम व पो. बा.-कासली, जिला-रायगढ़	मंजूर
9.	ग्रामीण प्रौद्योगकिी	-वही-	लंबित (डेस्क मूल्यांकन स्तर)
10.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	सेंटर ऑफ साईंस फार विल्ज, वर्धा	लंबित (डेस्क मूल्यांकन स्तर)
11.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	-वही-	लंबित (डेस्क मूल्यांकन स्तर)
12.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	अप्रोप्रिएट रूरल टेक्नालोजी इंस्टीट्यूट जिला-पुणे	लंबित (परियोजना मूल्यांकनकर्त्ता की वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।)
13.	ग्रामीम प्रौद्योगिकी	डा. सी.जी. शशाधरी समूर्ति चैरिटबल ट्रस्ट तिलक नगर, जिला-लातूर	लंबित (डेस्क मूल्यांकन स्तर)
14.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	ग्रामोदय संघ, भद्रावती, जिला-चन्द्रपुर	लंबित (राष्ट्रीय स्थायी समिति की राय की प्रतीक्षा)

1	2	3	4
15.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	ग्रामोदय संघ, भद्रावती, जिला चन्द्रपुर	लंबित (परियोजना मूल्यांकनकर्त्ता की वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।)
16.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	कुंटुरकर एजूकेशन सोसाइटी, गोवर्धन धार, जिला-नांदेड	लंबित (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा)
17.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	लक्ष्मीबाई सेवाभावी ग्राम विकास मंडल, जालना	लंबित (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा)
18.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	महाबैंक एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, बैंक आफ महाराष्ट्र लोकमंगल, पुणे	लंबित (राष्ट्रीय स्थायी समति की राय की प्रतीक्षा)
19.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	नारायन आश्रम, मडोना कालोनी, बोरीवली, प. मुम्बई	लंबित (राष्ट्रीय स्थायी समिति की राय की प्रतीक्षा)
20.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	नवभारत शिक्षण मंडल, मिराज, जिला-सांगली	लंबित (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा)
21.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	प्रवारा इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एन नैच्युरल एंड सोशल साईंस, लोनी, जिला-अहमदनगर	लंबित (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा
22.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी	प्रोग्रासिव फ्रंट सर्कल, मुखेड, जिला-नांदेड	लंबित (परियोजना मूल्यांकनकर्त्ता की वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।)
23.	जनसहयोग	ग्रामीण उत्कर्ष बहुउद्देश्यीय संस्थान, पो.बा. जारूद, अमरावती जिला	मंजूर
24.	जनसहयोग	मदर इंदिरा लेडीज किन, जि. -लातूर	लंबित (13.8.2001 की बैठक में क्षेत्रीय समिति द्वारा आस्थगित)
25.	जनसहयोग	पब्लिक प्रोग्रासिव डेवलपमेंट सर्कल, लातूर	मंजूर
26.	जनसहयोग	जीवन विकास मंडल, नांदेड	नामंजूर
27.	जनसहयोग	दा ब्राइट रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, ब्लाक परसोनोई	मंजूर
28.	जनसहयोग	विद्या विकास शिक्षा संस्था, कंधार	लंबित (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/ अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा)
29.	जनसहयोग	आनंद युवक मंडल, नांदेड	नामंजूर
30.	जनसहयोग	मार्कंडेश्वर जन कल्याण शिक्षण प्रसारक मंडल, नांदेड	मंजूर
31.	जनसहयोग	प्रगन्य चैरिटेबल ट्रस्ट, विट्ठलवाड़ी रोड, पुणे	लंबित (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/ अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा)

1	2	3	4
32.	जनसहयोग	श्री गणेश ग्रामीण विकास संस्था, गोंडिया	नामंजूर
33.	जनसहयोग	दलित मुस्लिम मागसर्वज्ञ यूथ फेडरेशन, उमरेद रोड, नागपुर	नामंजूर
34.	जनसहयोग	सोसायटी फॉर एजूकेशन इन वैल्यूज एवं एक्शन, पुष्पक, जिला-औरंगाबाद	मंजूर
35.	जनसहयोग	श्री विवेकानंद पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, पूणे	लंबित (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/ अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा)
36.	जनसहयोग	आदर्श ग्राम शिक्षण संस्था, नागपुर	लंबित (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/ अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा
37.	लाभार्थियों का संगठन	अमर शक्ति ग्राम विकास शिक्षण संस्थान, लातूर	नामंजूर
38.	लाभार्थियों का संगठन	सौ. लक्ष्मी येनप्रिद्धार शिक्षण संस्थान, जिला-चंद्रपुर	नामंजूर
39.	लाभार्थियों का संगठन	मुल तालुका युवक विरादरी संगठन, जिला-चंद्रपुर	नामंजूर
40.	लाभार्थियों का संगठन	जीवनधारा सेवाभावी संगठन, जिला-बीड	मंजूर
41.	लाभार्थियों का संगठन	बहु-उद्देश्यीय समाज कल्याण मंडल, पो.-सूक्लाल, नागपुर	नामंजूर
42.	लाभार्थियों का संगठन	जय जवान क्रिडा मंडल एवं धामशाला, तौचीर उदगीर, लातूर	नामंजूर
43.	लाभार्थियों का संगठन	श्रमजीवी महिला विकास मंडल, फूले नगर, मुखेड	नामंजूर
44.	लाभार्थियों का संगठन	रूरल एजूकेशन डेव. रिहेबिलेशन ऑफ सोशल एंड इकानोमिक एसो. जि. पुणे	बाक़ी (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है)
45.	लाभार्थियों का संगठन	संबोधिनी शिक्षण प्रसरक मंडल, जि. परबनी	नामंजूर
46.	लाभार्थियों का संगठन	समता महिला मंडल, जि. नांदेड	नामंजूर
47.	लाभार्थियों का संगठन	रूग्न सेवा प्रकल्प, जि. सांगली	परियोजना मूल्यांकनकर्त्ता की वित्तपोषण पूर्व मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
48.	वाटरशेड विकास	आई तुलजा भवानी सेवाभावी संस्था, धूले	नामंजूर

1	2	3	4
49.	वाटरशेड विकास	ग्रामीण आदिवासी विकास संस्था, गदचिरौली	बाकी (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/ अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है)
50.	-वही-	ज्ञानपीठ कला कृषि शिक्षण ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, यावतमल	बाकी (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है)
51.	-वही-	गंगाई महिला सेवा संस्थान, नांदूरबार	बाकी (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/ अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है)
52.	-वही-	सहयाडी युवा क्रांति मंडल, सतारा	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
53.	-वही-	गायत्री महिला शैक्षणिक संस्था, पुणे	बाकी (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/ अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है)
54.	-वही-	महात्मा ज्योतिबा फूले विविध कार्यकारी संस्था, नासिक	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
55.	-वही-	किब्बतु, पुणे	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
56.	-वही-	अभिब भारत विकास संस्था, लातूर	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
57.	-वही-	प्रभात शिक्षण प्रसारण	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
58.	-वही-	प्रभात शिक्षण प्रसारण मंडल, नांदेड	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
59.	-वही-	रूरल डेव. फाउन्डेशन, सांगली	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
60.	-वही-	ओम आदिनाथ सम्प्रदाय माहनान्त सांगली	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
61.	-वही-	लोक पंचायत, अहमदनगर	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
62.	-वही-	आल इंडिया अपंग कल्याणकारी बहुउद्देश्य संस्था, वर्धा	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
63.	-वही-	मगसूरिया युवा विकास एंड कल्याण संस्था, नागपुर	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
64.	-वही-	मॉडल एक्शन फार रूरल चेन्ज, सोलापुर	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
65.	-वही-	ग्रामीण जन सेवा शिक्षण प्रतिष्ठान, धुले	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
66.	-वही-	श्री अरनेश्वर भारती प्रतिष्ठान, अहमदनगर	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
67.	-वही-	करमवीर भाऊराव पाटिल विकास प्रतिष्ठान, सतारा	बाकी (डेस्क अप्रेसल स्थिति)
68.	-वही-	दाता शोसल इंस्टीट्यूट, उस्मानाबाद	स्वीकृत
69.	-वही-	भताई देवी विकास महिला मंडल, धुले	लंबित (राष्ट्रीय स्थायी समिति के विचारार्थ प्रतीक्षित)
70.	-वही-	युवा ग्राम विकास मंडल, बीड	स्वीकृत

1	2	3	4
71.	वाटरशेड विकास	हरित क्रांति शिक्षण प्रसारक मंडल, सांगली	लंबित (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/ अतिरिक्त सूचना प्रतीक्षित है)
72.	-वही-	अप्पा साहेब सर्वांगीण विकास संस्था, नान्दुरबार	अस्वीकृत (स्वैच्छिक संगठन से आर सी, अहमदाबाद को छोटी परियोजना देने के लिए कहा गया।)
73.	-वही-	श्री गणेश शिक्षण संस्था, नांदेड	लंबित (डेस्क मूल्यांकन स्तर)
74.	-वही-	जनिव जागृति संस्था, धुले	लंबित (डेस्क मूल्यांकन स्तर)
75.	-वही-	डायमंड एजूकेशन सोसाइटी, जालना	नामंजूर
76.	-वही-	भारत रत्न अम्बेडकर शिक्षण प्रसारक मंडल	नामंजूर
77.	-वही-	वाचान, नासरिक	नामंजूर
78.	-वही-	सोसियो इकानामिक असिस्टेंस फार रूल एंड सिटी हैबीटेन्स, पुणे	नामंजूर
79.	-वही-	स्वामी विवेकानंद शिक्षा प्रसारक मंडल, बुलडाना	नामंजूर
80.	-वही-	विवेकानंद एजूकेशन सोसाइटी, जालना	नामंजूर
81.	-वही-	सेवा ग्राम प्रतिष्ठान, धुले	नामंजूर
82.	-वही-	कुन्दुरकर एजूकेशन सोसाइटी, नांदेड	नामंजूर
83.	-वही-	सोसाइटी फार प्रोमोटिंग पार्टीसिपेटिव इकोसिस्टम मैनेजमेंट, पुणे	नामंजूर
84.	-वही-	अकैडमी आफ डेव. साइंस, रायगढ़	लंबित (डेस्क मूल्यांकन स्तर)
85.	-वही-	श्री स्वामी समर्थ ग्रुम्मन विकास मंडल, धुले	बाकी (स्वैच्छिक संगठन से स्पष्टीकरण/ अतिरिक्त जानकारी की प्रतीक्षा है)
86.	-वही-	ग्रेस्प, औरंगाबाद	लंबित (डेस्क मूल्यांकन स्तर)
87.	-वही-	आल इंडिया अपंग कल्याणकारी बहुउद्देश्य संस्था, वर्धा	लंबित (राष्ट्रीय स्थायी समिति के विचारार्थ प्रतीक्षित)

[अनुवाद]

टाडा गजरबन्द

4235. श्री एम.ओ.एच. फारूक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आज की तारीख के अनुसार टाडा के अंतर्गत विभिन्न कारागारों में राज्य-वार कितने व्यक्ति बंद हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): चूंकि, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, इसलिए आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत विभिन्न जेलों में रखे गए व्यक्तियों की संख्या के संबंध में सूचना केन्द्रीय रूप से गृह मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जा रही हैं।

अध्यापक-शिष्य अनुपात

4236. **श्री रामशेठ ठाकुर:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अध्यापकों और शिष्यों के अनुपात के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के वर्तमान मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् वर्तमान अनुपात को पुनरीक्षित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कई राज्य सरकारें विशेषकर महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य के वर्तमान अनुपात को स्वीकार करने हेतु केन्द्र सरकार से निवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् का शिक्षकों और छात्रों के अनुपात के संबंध में मौजूदा मानदण्ड प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के मामले में 1 : 12 से लेकर माध्यमिक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के मामले में 1 : 10 तक परिवर्तनशील है।

(ख) से (ङ) विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शर्तों और मानदण्डों की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने एक समिति नियुक्त की है। समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर तथा महाराष्ट्र सहित राज्यों से प्राप्त पुनर्निवेशन को ध्यान में रखते हुए सात शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शर्तों और मानदण्डों में संशोधन किया जा रहा है, और भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाना

4237. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह मांग की है कि राज्य में कुछ और समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि संशोधन के बाद, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे उन्हीं समुदायों को भिन्न-भिन्न दर्जा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) एक राज्य के अंतर्गत किसी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां एक क्षेत्र में भिन्न हो सकती हैं। अत: विनिर्देश में विभिन्नता होती है।

[हिन्दी]

कोयला खानों को बंद किया जाना

4238. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में बंद की गई कोयला खानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके बंद होने के खान-वार कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन कोयला खानों को लाभप्रद बनाने हेतु कदम उठाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में बंद की गई कोयला खानों का राज्य-वार विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	राज्य	पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बंद की गई खानों की संख्या				
		1998-99	1999-2000	2000-2001	चालू वर्ष	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	2	1	4	–	7
2.	असम/मेघालय	–	–	–	1	1
3.	छत्तीसगढ़	–	1	–	–	1
4.	झारखंड	5	1	2	–	8
5.	मध्य प्रदेश	6	5	1	–	12
6.	महाराष्ट्र	–	–	3	–	3
7.	पश्चिम बंगाल	4	1	1	–	6
	जोड़	17	9	11	1	38

(ख) खानों को बंद किए जाने के प्रमुख कारण इस प्रकार थे:-

बंद किए जाने के कारण	बंद की गई खानों की संख्या
1. भंडारों की समाप्ति	29
2. सुरक्षा के दृष्टिकोण से	1
3. पिटों का जलमग्न होना	1
4. तकनीकी-आर्थिक कारक	6
5. भूमि की अनुपलब्धता	1
जोड़	38

(ग) और (घ) सी.आई.एल./एस.सी.सी.एल. द्वारा खानों को लाभप्रद बनाए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं-

1. जहां भी व्यवहार्य हो, भूमिगत खानों को ओपनकास्ट खानों में बदला जाना।
2. जहां भी व्यवहार्य हो, एस.डी.एल., एल.एच.डी. तथा सतत खनिक तकनीक प्रारंभ करके भूमिगत खानों का मशीनीकरण किया जाना।
3. श्रमशक्ति घटाने तथा मशीनीकरण प्रारंभ करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को प्रोत्साहित करना।
4. गहन प्रबोधन तथा प्रोत्साहन से उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कर वर्तमान संसाधनों का प्रभावी उपयोग किया जाना।
5. सभी खानों में कोयला गुणवत्ता सुधार अभियान चलाया जाना।

अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र

4239. श्री ताराचन्द साहू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आई.आई.टी. आदि जैसी अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन केन्द्रों को कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परीक्षा नामत: संयुक्त प्रवेश परीक्षा के स्क्रीनिंग टेस्ट और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कई अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं के लिए रायपुर पहले से ही एक परीक्षा केन्द्र है।

दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षित पदों की बकाया रिक्तियां

4240. श्री रामदास आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने संसद द्वारा वर्ष 1997 में की गई सिफारिशों और विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् द्वारा पारित संकल्प के अनुसार, विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित बकाया रिक्तियों को तत्काल भरे जाने के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा है कि उपर्युक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को शत प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए चूंकि कार्यकारिणी परिषद द्वारा पारित संकल्प में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक इन श्रेणियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियां नहीं भरी जाती, तब तक इन्हें संसद द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार शत प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) न्यायालय के उक्त निर्देशों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9.7.2001 की दिल्ली विश्वविद्यालय कालेज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटान करते समय यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई ऐसी रिक्तियां हैं जिन्हें विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा दिनांक 5.3.2001 के अपने संकल्प सं. 241 द्वारा स्वीकृत आगे ले जायी गई आरक्षित रिक्तियों/पिछली बकाया रिक्तियों को भरने संबंधी सरकार के आदेशों के अनुसार भरा जाना है तो उन्हें भरने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।

(घ) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उसने पिछली बकाया सभी रिक्तियां पहले ही लेक्चररों के काडर में विज्ञापित कर दी हैं।

मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले

4241. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
प्रो. आर.आर. प्रमाणिक:
श्री सुरेश कुरूप:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और जून, 2001 तक देश में कितने मामले राज्य-वार दर्ज किए गए; और

(ख) राज्य-वार उनमें से कितने मामले निपटाए गए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों और जून, 2001 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज और निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या के दो ब्यौरे क्रमश: विवरण-I और विवरण-II के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों और जून 2001 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दर्ज मामलों की राज्यवार संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001	जून, 2001
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	527	614	1003	246
2.	अरुणाचल प्रदेश	21	42	32	09
3.	असम	157	178	196	36
4.	बिहार	4069	4409	4273	892

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	25	42	65	09
6.	गुजरात	479	533	756	310
7.	हरियाणा	1273	1661	2577	514
8.	हिमाचल प्रदेश	156	120	121	28
9.	जम्मू तथा कश्मीर	269	209	293	79
10.	कर्नाटक	382	659	766	99
11.	केरल	399	297	450	51
12.	मध्य प्रदेश	2053	2189	2909	457
13.	महाराष्ट्र	1532	2178	2532	528
14.	मणिपुर	42	43	33	10
15.	मेघालय	22	22	06	06
16.	मिजोरम	26	01	10	01
17.	नागालैंड	09	19	08	01
18.	उड़ीसा	532	641	964	190
19.	पंजाब	557	851	1009	279
20.	राजस्थान	1833	1946	2606	606
21.	सिक्किम	04	06	16	00
22.	तमिलनाडु	962	1321	1557	269
23.	त्रिपुरा	17	53	43	13
24.	उत्तर प्रदेश	22017	28598	40444	10066
25.	पश्चिम बंगाल	851	804	830	212
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	07	16	16	02
27.	चंडीगढ़	45	58	76	19
28.	दादरा और नागर हवेली	04	07	06	03
29.	दमण और दीव	03	01	05	00
30.	दिल्ली	2419	3077	4085	1082

1	2	3	4	5	6
31.	लक्षद्वीप	00	03	04	00
32.	पांडिचेरी	21	36	42	08
33.	छत्तीसगढ़	00	00	310	77
34.	झारखंड	00	00	1208	359
35.	उत्तरांचल	00	00	2263	488
36.	विदेशी	00	00	39	16
	कुल	40713	50634	71553	16965

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और जून 2001 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001	जून, 2001
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	518	321	576	257
2.	अरुणाचल प्रदेश	20	25	21	06
3.	असम	192	113	98	42
4.	बिहार	4313	2308	2216	1040
5.	गोवा	25	25	29	15
6.	गुजरात	494	319	434	148
7.	हरियाणा	1465	1131	1591	486
8.	हिमाचल प्रदेश	177	71	68	35
9.	जम्मू तथा कश्मीर	399	125	119	56
10.	कर्नाटक	409	441	508	126
11.	केरल	450	214	306	79
12.	मध्य प्रदेश	2090	1637	1895	415
13.	महाराष्ट्र	1898	1399	1445	470
14.	मणिपुर	49	27	15	05
15.	मेघालय	12	10	03	03

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	25	02	04	03
17.	नागालैंड	16	19	05	03
18.	उड़ीसा	702	450	630	211
19.	पंजाब	571	524	599	170
20.	राजस्थान	2298	979	1303	655
21.	सिक्किम	08	04	09	02
22.	तमिलनाडु	1392	957	1064	325
23.	त्रिपुरा	20	35	31	03
24.	उत्तर प्रदेश	24978	14603	25745	5476
25.	पश्चिम बंगाल	904	526	391	266
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	06	10	10	03
27.	चंडीगढ़	34	40	51	12
28.	दादरा और नागर हवेली	01	08	03	04
29.	दमण और दीव	03	02	05	00
30.	दिल्ली	2789	1929	2796	774
31.	लक्षद्वीप	00	02	02	00
32.	पांडिचेरी	27	25	25	09
33.	छत्तीसगढ़	00	00	206	55
34.	झारखंड	00	00	649	347
35.	उत्तरांचल	00	00	1513	328
36.	विदेशी	00	00	18	14
	कुल	46285	28281	44383	11853

[अनुवाद]

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कोयले की समान आपूर्ति

4242. श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपनी सभी उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की समान आपूर्ति संबंधी समझौता अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश को आपूर्ति किये जाने वाला कोयला बिल में दर्शाए गए कोयले की दर से घटिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश ने केन्द्र सरकार से इन अनियमितताओं को दूर करने का अनुरोध किया है;

(च) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) सरकार द्वारा उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) एम.सी.एल. ने इंडिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्यूसर्स (आई.पी.पी.), कैप्टिप पावर संयंत्रों (सीपीपी)/राज्य विद्युत बोर्डों (एस.ई.बी.)/सीमेंट, स्पांज आयरन, इकाईयां इत्यादि जैसे भिन्न-भिन्न उपयोग करने वाले क्षेत्रों के लिए ईंधन आपूर्ति समझौतों को अपनाया है।

(ग) और (घ) यह सत्य नहीं है कि एम.सी.एल. द्वारा आंध्र प्रदेश को आपूर्ति किया जाने वाला कोयला उसके बिल की दर से निम्न क्वालिटी का होता है। "एफ" ग्रेड के कोयले की आपूर्ति की जाती है और उसके लिए तदनुसार बिल बनाया जाता है।

(ङ) और (च) हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एम.सी.एल. के कोयले के क्वालिटी और ग्रेडों और संयुक्त सेम्पलिंग कोयले का मूल्य तथा ईंधन आपूर्ति समझौतों के बारे में कोयला मंत्रालय को पत्र लिखा है। सभी संबंधित मामलों को विधिवत सम्बोधित करते हुए कोयला मंत्रालय द्वारा आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक विस्तृत उत्तर भेज दिया गया है।

(छ) आन्ध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम (ए.पी.जी.ई.एन.सी.ओ.) तथा एम.सी.एल. के बीच कोयला आपूर्ति के समझौते को अन्तिम रूप देने का कार्य अग्रिम चरण पर है और अधिकांश बकाया मामले हाल की बैठक में निपटा दिए गए हैं।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की कोयला खानों का बंद किया जाना

4243. श्री सुनील खां: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलियाई कोयले का भारत में मूल्य भारतीय कोयले से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ई.सी.एल. में कोई समुचित खनन कार्य किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह कोयला विद्युत क्षेत्र के लिए बेहतर है;

(च) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की अर्धाग्राम खान में कोयले का विशाल भंडार है; और

(छ) यदि हां, तो इसके बंद होने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोयला मंत्रालय अथवा कोल इंडिया लिमिटेड कोयला आयात नहीं करते। कोयला जो खुला सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अंतर्गत आता है, उसकी घरेलू बाजार में अपर्याप्त उपलब्धता अथवा लागत के कारणों से, उपभोक्ताओं द्वारा आयात किया जाता है।

(ग) और (घ) ई.सी.एल. में खनन प्रचालन उपयुक्त तकनीकों तथा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरूप किया जा रहा है।

(ङ) ई.सी.एल. के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में खनन किया गया कोयला विभिन्न श्रेणियों का होता है। देश के अधिकांश विद्युत केन्द्रों के बायलरों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि वे देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध निम्न श्रेणी के कोयले का उपयोग कर सकते हैं।

(च) और (छ) अर्धग्राम ओपनकास्ट परियोजना (ओ.सी.पी.) में 1.4.2001 की स्थिति के अनुसार खनन योग्य भंडार 1.40 मिलियन टन है। भूमि से वंचित होने वालों के द्वारा उन मांगों को लेकर जो कंपनी के मानदंडों से परे हैं, लगातार आन्दोलन के कारण अर्धग्राम ओ.सी.पी. में 1999-2000 से उत्पादन को आस्थगित रखना पड़ा था।

दिल्ली पुलिस

4244. श्री विजय गोयल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि दिल्ली पुलिस पर कार्य का अधिक भार है और यह अधिक थकान अनुभव करती है;

(ख) यदि हां, तो उनकी थकान और कार्य के अधिक भार को दूर करने के लिए उन्हें आवश्यक न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं और राहत प्रदान करने और पुलिस बल को आधुनिक बनाने हेतु सरकार की प्रस्तावित योजना क्या है; और

(ग) लोगों में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से उन्हें जनोन्मुखी बनाने तथा भ्रष्टाचार से अलग रखने के लिए पुलिस बलों को प्रेरित हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) पुलिस व्यवस्था अपने स्वरूप के कारण ही निरूत्साहित करने वाली है जिसके लिए सतत् मानसिक सावधानी, देर तक ड्यूटी करने और पूर्ण कर्त्तव्यपरायणता की जरूरत होती है। दिल्ली पुलिस के कार्मिक ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण करने और इसके कार्मिकों की सेवा शर्तों में सुधार लाने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। इनमें केन्द्रीय पुलिस नियंत्रण कक्ष और पी.सी.आर. वैनों के बीच परम्परागत वी.एच.एफ. आधारित संचार तंत्र के स्थान पर अत्याधुनिक यू.एच.एफ. डिजीटल ट्रंक्ड रेडियो सिस्टम लगाना, क्षेत्र में यातायात के आवागमन को सुगम बनाने के लिए 47 यातायात स्थानों को कवर करने हेतु प्रयोगात्मक आधार पर अत्याधुनिक ''एरिया ट्रेफिक कंट्रोल सिस्टम'' लगाना, पुलिस प्रशिक्षण कालेज में, फायरिंग सिम्यूलेटर, मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर और कम्प्यूटर प्रयोगशाला के जरिए, प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन, पुलिस व्यवस्था के कुछेक नाजुक क्षेत्रों में जनशक्ति में बढ़ोत्तरी, अराजपत्रित पुलिस कार्मिकों को राशन मनी भत्ता देना और कुछेक ग्रुप ''सी'' और ''डी'' संवर्गों में गतिरोध दूर करने के लिए स्व: स्थान पदोन्नति प्रदान करने की योजना शुरू करना शामिल है। दिल्ली पुलिस के आधिकारियों में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों में सम्मिलित हैं:- दोषी पाये गए अधिकारियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई और चूककर्त्ता पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए जनता को समर्थ बनाने के लिए आसान पहुंच सुविधाएं स्थापित करना।

आदिम जनजातियों का कल्याण

4245. श्री चिंतामन वनगा: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान आदिम जनजातियों के कल्याणार्थ राज्य-वार किए गए आवंटन और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): आदिम जनजातीय समूहों के विकास की केन्द्रीय योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को उनके विशेष प्रस्तावों के आधार पर धनराशि निर्मुक्त की जाती है। वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान राज्यवार निर्मुक्त निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान निर्मुक्तियां अभी की जानी हैं जिनके लिए राज्य से प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान आदिम जनजाति समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	के दौरान निर्मुक्त	
		1999-2000	2000-2001
1.	आंध्र प्रदेश	217.33	129.37
2.	छत्तीसगढ़	0.00	36.81
3.	गुजरात	16.80	0.00
4.	झारखंड	0.00	151.36
5.	कर्नाटक	4.02	27.00
6.	केरल	25.63	36.34
7.	मध्य प्रदेश	135.88	188.61
8.	महाराष्ट्र	15.00	83.71
9.	मणिपुर	9.74	35.74
10.	उड़ीसा	54.54	236.62
11.	त्रिपुरा	108.87	26.40
12.	पश्चिम बंगाल	0.00	119.50
13.	उत्तरांचल/उत्तर प्रदेश	74.80	0.00
	कुल	662.61	1071.46

दिल्ली में गैर-सरकारी सुरक्षा एजेंसियां

4246. श्री जे.एस. बराड़: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली में नागरिकों को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली पुलिस अथवा संबंधित नामोद्दिष्ट अधिकरण की अनुमति से और अनुमति के बिना दिल्ली में कितनी गैर-सरकारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं;

(ग) क्या सरकार के पास इस दिशा में कोई दिशानिर्देश हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उनके मालिकों और कर्मचारियों की प्रामाणिकता की पुलिस अथवा सरकार की आसूचना एजेंसियों द्वारा पुष्टि की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पंचायती राज संस्थाओं के तहत समितियां

4247. श्री गुनीपाटी रामैया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज संस्थाओं के तहत जिला योजना समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों में समितियों के शीघ्र गठन को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला आयोजना समितियां (डी पी सीज) गठित नहीं की गई हैं। हालांकि कुछ राज्यों ने यह उल्लेख किया है कि उन्होंने पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने के कारण डी पी सीज का गठन नहीं किया है, जबकि शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने यह बताया है कि वे मौजूदा जिला आयोजना बोर्डों को चालू रखना चाहते थे। जिला आयोजना समितियों की स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) राज्य मुख्यमंत्रियों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों से जल्द से जल्द जिला आयोजना समितियां गठित करने का अनुरोध किया गया है। 11 जुलाई, 2001 को नई दिल्ली में आयोजित पंचायती राज के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह प्रस्ताव किया गया था कि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 31 जुलाई, 2001 के अंत तक जिला आयोजना समितियां गठित कर लेंगे।

विवरण

जिला आयोजना समितियों की स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला आयोजना समितियों की स्थिति
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	गठित नहीं की गई
2.	अरुणाचल प्रदेश	गठित नहीं की गई
3.	असम	गठित नहीं की गई
4.	बिहार	जी हां, 20 सूत्री कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष हैं।
5.	गोवा	–
6.	गुजरात	गठित नहीं की गई
7.	हरियाणा	केवल 4 जिलों में। शेष पर विचार किया जा रहा है।
8.	हिमाचल प्रदेश	अभी नहीं लेकिन विचाराधीन है।
9.	जम्मू व कश्मीर	लागू नहीं

1	2	3
10.	कर्नाटक	जी हां। 20 में से 17 जिलों में। पुनर्गठन के बाद 27 जिले हैं। सभी में जि.आ.स. पुनर्गठित की जाएंगी।
11.	केरल	जी हां।
12.	मध्य प्रदेश	जी हां। जिला प्रभारी मंत्री अध्यक्ष हैं। राज्य सरकार की जिम्मेदारी जि.आ.स. को सौंपी गई है।
13.	महाराष्ट्र	गठित नहीं की गई
14.	मणिपुर	जी हां, 2 जिलों में, 4 अध्यक्षों में से डी.पी. अध्यक्ष है।
15.	मेघालय	लागू नहीं
16.	मिजोरम	लागू नहीं
17.	नागालैंड	लागू नहीं
18.	उड़ीसा	अभी गठित नहीं हुई है।
19.	पंजाब	अभी गठित नहीं हुई है लेकिन गठन करने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।
20.	राजस्थान	जी हां।
21.	सिक्किम	जी हां।
22.	तमिलनाडु	जी हां। तब कार्य कर सकेंगी जब पंचायतों और नगरपालिकाओं से सदस्यों का चुनाव हो जाएगा। डी.पी.के. अध्यक्ष इसके अध्यक्ष हैं।
23.	त्रिपुरा	जी हां। कैबिनेट स्तर के मंत्री अध्यक्ष हैं।
24.	उत्तर प्रदेश	जी हां। मंत्री अध्यक्ष हैं।
25.	पश्चिम बंगाल	जी, 17 जिलों में हां और कलकत्ता और दार्जिलिंग जिलों में नहीं हैं। डी.पी. के अध्यक्ष इसके अध्यक्ष हैं।
26.	अ. व नि. द्वीपसमूह	जी हां।
27.	चंडीगढ़	इस पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि 90% आबादी नगर पालिका में शामिल है।
28.	दादर नगर हवेली	–
29.	दमन व दीव	–
30.	रा.रा. क्षेत्र दिल्ली	राज्य पी.आर. अधिनियम निलंबित है।
31.	लक्षद्वीप	जी हां। मुख्य विकास आयुक्त इसके अध्यक्ष हैं।
32.	पांडिचेरी	चुनाव नहीं हुए।

दिल्ली में सुरक्षा/खुफिया व्यवस्था की समीक्षा

4248. श्री टी.एम. सेल्वागनपति: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुरक्षा और खुफिया व्यवस्था के पूरी तरह असफल होने जैसा कि 25.7.2001 को उजागर हुआ था, को देखते हुए नई दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनेक बम धमाके हाल ही में अति विशिष्ट और संवेदनशील क्षेत्रों में हुए हैं सुरक्षा/खुफिया व्यवस्था की समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) श्रीमती फूलन देवी को जुलाई 1994 में, सादे कपड़ों में तीन वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी उपलब्ध कराए गए थे जो 24 घंटे तीन शिफ्टों में कार्य करते थे। यह प्रबंध, उनकी सुरक्षा के खतरे को देखते हुए किए गए थे और अंत तक जारी रहे। वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को उनके साथ था, ने उन्हें हमलावरों से बचाने के भरसक प्रयास किए और इस कार्रवाई में वह बुरी तरह से जख्मी हो गया।

मामले में अब तक की गई जांच-पड़ताल से पता चलता है कि हत्यारों ने यह जघन्य कार्य कुछ समय से सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना के अनुसार किया है। मुख्य अभियुक्त ने बड़ी सफलतापूर्वक उनका विश्वास जीत लिया था और आसानी से उनके पास पहुंच जाता था जैसा कि इस तथ्य से पता चलता है कि यह वही आदमी था जिसने उनकी नृशंस हत्या के दिन उन्हें अपनी कार से उनके निवास स्थान से संसद भवन छोड़ा था। इसलिए, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि सुरक्षा की कमी की वजह से यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।

मई 2001 में नई दिल्ली क्षेत्र में हुई विस्फोट की तीन घटनाओं को दिल्ली पुलिस द्वारा 31 जुलाई को दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी के साथ सुलझा लिया गया है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की पुनरीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है चूंकि सुरक्षा प्रबंधों का निर्णय, खतरे की आशंका, जो समय-समय पर बदलती रहती है, के आधार पर किया जाता है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने सामान्य रूप से पूरी दिल्ली और विशेष रूप से नई दिल्ली जिले में सुरक्षा प्रबंधों को और सुदृढ़ किया है।

बांग्लादेश की इण्डियन एंक्लेवों में भारतीय नागरिक

4249. श्री अमर राय प्रधान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बांग्लादेश की इण्डियन एंक्लेवों में रहने वाले भारतीय नागरिकों के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के ध्यान में लाई गई विशिष्ट समस्याओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में कौन-कौन सी एजेंसियां जिम्मेदार हैं;

(ग) इस संबंध में ऐसी प्रत्येक एजेंसी द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(घ) क्या आयोग की सिफारिशें अभी तक विचाराधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो मामले का अंतिम परिणाम क्या निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) को, श्री अमर राय प्रधान, संसद सदस्य से बांग्लादेश के क्षेत्र में भारतीय एन्क्लेवों में रह रहे भारतीय नागरिकों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि ये एन्क्लेव राज्य पुलिस स्वास्थ्य केन्द्रों, विद्यालयों और महाविद्यालयों जैसी सुविधाओं और अन्य मूलभूत सुख-सुविधाओं से वंचित हैं।

(ख) से (ङ) बांग्लादेश में भारतीय एन्क्लेवों पर भारत का कोई प्रशासनिक नियंत्रण या पहुंच नहीं है। बांग्लादेश में 111 भारतीय एन्कलेव हैं और भारत में 51 बांग्लादेशी एन्कलेव हैं। भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता, 1974 के अनुसार इनकी अदला-बदली की जानी है। अदल-बदल करने योग्य एन्कलेवों की सूची को संयुक्त रूप से अन्तिम रूप दिया जा चुका है। एन्कलेवों की अदला-बदली का सीधा संबंध, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाकंन का कार्य मिल कर पूरा कर लेने से हैं। दोनों सरकारों ने सीमांकन कार्य इत्यादि पूरा करने के लिए दो संयुक्त सीमा कार्य ग्रुप गठित किए हैं।

आयोग ने मामले में एक रिपोर्ट पर विचार किया और अपनी दिनांक 24.1.2000 की कार्यवाहियों के तहत इस मामले को बंद कर दिया।

ग्रामीण विकास योजनाओं का मूल्यांकन

4250. श्री अनंत गुडे: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास योजनाओं का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्धारित और प्राप्त किए गए वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों के संबंध में कमियों तथा उपलब्धियों का योजनावार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्रामीण विकास क्षेत्र में नई योजनाओं को नया रूप देने/समाप्त करने/बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है और उसका औचित्य क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) दस लाख कुओं की योजना तथा इंदिरा आवास योजना का अखिल भारतीय मूल्यांकन सितम्बर 1998 से मई, 1999 के दौरान किया गया था तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सात कार्यक्रमों अर्थात जवाहर रोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना शामिल हैं), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा), ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम), वाटरशेड विकास कार्यक्रम (सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है), मरूभूमि विकास कार्यक्रम तथा समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना, ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति तथा सूचना, शिक्षा और संचार के बारे में त्वरित मूल्यांकन 1999-2000 के दौरान किया गया था।

पिछले पांच वर्षों (1996-97 से 2000-2001 तक) के दौरान केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों का योजनावार और वर्षवार वित्तीय और वास्तविक निष्पादन विवरण में दिया गया है।

(ग) 1.4.1999 से एक नया कार्यक्रम अर्थात् स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है जिसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम), ग्रामीण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डवाकरा), ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति, गंगा कल्याण योजना तथा दस लाख कुओं की योजना को बंद कर दिया गया है।

जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित करके 1.4.1999 से जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नामक एक अन्य योजना शुरू की गई। इसके अलावा, सुनिश्चित रोजगार योजना, त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, ग्रामीण आवास तथा केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को 1.4.1999 से पुनर्गठित किया गया है। 2000-2001 के दौरान नई योजनाओं अर्थात् अन्नपूर्णा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई हैं।

विवरण

1996-97 से 2000-2001 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का योजनावार वास्तविक निष्पादन

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	1996-97		1997-98		1998-99		1998-2000		2000-2001		इकाई
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	जेआरवाई/जेजीएसवाई	4141.37	3557.23	3867	3958	3966.57	3766.22	0	2683.08	0	2494.44	सृजित रोजगार (लाख श्रमदिवस
2.	इंदिरा आवास योजना	1123560	333628	718326	770936	987466	835407	1271619	925679	1244320	781549	आवासीय इकाईयां (सं.)
3.	एम डब्ल्यू एस	0	102675	0	103499	0	95146	0	0	0	0	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस)
4.	ई.ए.एस.	0	3591.61	0	4717.74	0	4279.36	4091.63	2786.17	2594.47	2055.48	- वही

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	आईआरडीपी/एसजीएसवाई	214220	144696.24	0	1706609	0	1677182	0	933868	0	939399	कल स्वरोजगारी (सं.)
6.	डवाकरा	30000	37701	30000	34445	102549	192537	0	0	0	0	निर्मित समूह (सं.)
7.	टाइसेम	290154	279635	304129	251387	286696	222431	0	0	0	0	प्रशिक्षणार्थी (सं.)
8.	सिटरा	222220	39188	194445	162412	327779	189267	0	0	0	0	आपूर्ति की गई टूलकिट (सं.)
9.	डीपीएपी	4995	0	6475	4362	6515	5956	0	0	0	0	वाटरशैड्स (सं.)
10.	डीडीपी	1663	0	0	1747	2202	2202	0	0	0	0	-वही-
11.	एआरडब्ल्यूएसपी	89909	41276	99613	116994	104902	112933	90061	74637	79468	64762	कवर की गई बसावटें (सं.)
12.	सीआरएसपी	709809	774332	1882851	1387080	1678322	1631272	1575453	1079476	1262400	583404	निर्मित स्वच्छ शौचालयों (सं.)
13.	एनओएपीएस	283400	253193	1794517	5093704	4879000	6214000	5087990	5017542	5580675	7413952	सहायता प्राप्त परिवार (सं.)
14.	एनएफबीएस	30500	3169	338546	218439	211900	266411	190110	215779	206810	185902	सहायता प्राप्त परिवार (सं.)
15.	एनएमबीएस	253400	46191	3388456	1557292	1781129	1562072	1781402	1300745	1816393	1287047	सहायता प्राप्त व्यक्ति (सं.)
16.	आईडब्ल्यूडीपी	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	वाटरशैड्स (सं.)

*योजना 1.4.1999 से बन्द कर दी गई है।

1996-97 से 2000-2001 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का योजनावार वित्तीय निष्पादन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम	1996-97		1997-98		1998-99		1999-2000		2000-2001	
		कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग	कुल उपलब्ध निधियां	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	जेआरवाई/जेजीएसवाई	256124.89	215693.04	287203.50	243938.18	303735.69	252548.29	279587.65	203527.13	249244.24	192923.29
2.	इंदिरा आवास योजना	167206.83	138389.59	176822.38	159147.85	219960.29	180388.45	241863.14	190763.26	259994.26	210996.36
3.	एम डब्ल्यू एस	67434.14	49909.96	68816.01	49561.45	67562.68	47434.49	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	ई.ए.एस.	338354.24	213834.88	342531.87	290496.89	335780.91	288218.49	291066.91	218260.46	243662.18	175790.92
5.	आईआरडीपी/एसजीएसवाई	139824.38	112689.09	130656.53	110954.01	142584.69	116227.66	190766.74	95986.44	152022.47	104868.64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	डबाकरा	10476.60	7742.94	9249.91	7683.73	16848.61	8380.09	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	ट्राइसेम	10523.30	9783.87	8895.36	8074.14	8674.88	7505.21	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	सिटरा	6290.96	3212.76	6286.77	3426.58	9111.20	3912.31	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	डीपीएपी	22632.91	6957.81	34493.75	17322.11	27929.42	18009.17	8944.23	8944.23	18977.99	0.00
10.	डीडीपी	6974.02	2650.57	14424.00	7403.00	14931.68	7172.73	4922.48	4922.48	13499.07	0.00
11.	एआरडब्ल्यूएसपी	116328.50	88500.40	134374.39	109291.74	166912.44	159413.38	175533.35	161534.39	222995.90	144797.93
12.	सीआरएसपी	6108.90	6171.21	11269.86	9688.66	10127.19	11755.55	14633.30	10823.20	17179.15	2694.08
13.	एनओ एपीएस	47111.55	25782.84	54465.82	36284.48	59463.97	46716.78	60700.43	45501.02	58429.30	42065.72
14.	एनएफबीएस	18302.63	6983.99	19779.73	13044.03	21835.78	18795.32	23953.53	19461.93	23449.39	18310.40
15.	एनएमबीएस	10089.31	4111.20	9632.30	5460.55	9724.29	7035.44	10131.33	7292.50	9905.67	7544.93
16.	आईडब्ल्यूडीपी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8307.86	0.00	38689.80	0.00
	कुल	1223783.16	892414.15	1308902.18	1071777.40	1415173.72	1173513.73	1310410.95	967017.65	1308049.42	899992.27

*योजना 1.4.1999 से बन्द कर दी गई।

भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र

4251. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मौसम विज्ञान विभाग के मुख्यालय में भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह केन्द्र सभी आंकड़ों का मूल्यांकन करेगा और भूकम्प के जोखिम की मात्रा का पता लगाएगा और स्थान विशिष्ट के जोखिम नक्शे तैयार करेगा;

(घ) यह केन्द्र कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा; और

(ङ) इस नई प्रणाली की अनुमानित लागत कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'): (क) से (ङ) महोदय, भूकम्प जोखिम मूल्यांकन केन्द्र (ई.आर.ई.सी.) स्थापित करने के प्रस्ताव को भारत सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित किया गया है। यह केन्द्र भारत मौसम विज्ञान विभाग में स्थापित किया जाएगा। इसका मुख्य कार्य विभिन्न डाटा सेटों का मिलान और उन्हें समेकित करना तथा बेहतर ढंग से पूर्व तैयारी की योजना बनाने के लिए स्थल विशिष्ट जोखिम मानचित्रों को तैयार करना है। केन्द्र को भूकंप प्रबंधन के लिए एकल विंडो सेवा उपलब्ध कराने के लिए बहुविषयात्मक जानकारी और विशेषज्ञता को समेकित करने हेतु एक संस्थानिक कार्यतंत्र उपलब्ध कराने का दायित्व भी सौंपा गया है। ई.आर.ई.सी. को वर्ष 2001 के अन्त तक प्रचालनात्मक बनाने एवं कार्य आरंभ करने हेतु कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। केन्द्र की अनुमोदित लागत 38.5 करोड़ रु. है जिसे 5 वर्षों की अवधि तक खर्च किया जाना है।

केरल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन हेतु लम्बित आवेदन पत्र

4252. श्री टी. गोविन्दन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम.एस.पी. विद्रोह के संबंध में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को पेंशन (एफ.एफ.पी.) प्रदान करने के लिए केरल सरकार के पास मंजूरी हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इन आवेदनों से संबंधित जेल अभिलेख उपलब्ध नहीं थे;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किसी और रूप में मदद करने का सुझाव देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए पात्र कोई भी ऐसा मामला लम्बित नहीं है जो हर तरह से पूर्ण हो और केरल सरकार द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित और संस्तुत हो।

(ख) किसी भी आवेदनकर्त्ता ने एम.एस.पी. विद्रोह में भाग लेने के कारण भोगी छः माह और इससे अधिक की जेल यातना का अभी तक दावा नहीं किया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए समिति

4253. श्री रामजीवन सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या समिति ने इस दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(घ) समिति द्वारा सरकार को कब तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पूर्वोत्तर और सिक्किम के विकास के लिए व्यपगत न होने वाले संसाधनों के केन्द्रीय पूल को संचालित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की संरचना निम्न प्रकार से है:-

(i) सचिव, योजना आयोग - अध्यक्ष

(ii) वित्त सचिव या उनका प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के रैंक से कम न हो - सदस्य

(iii) गृह सचिव या उनका प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के रैंक से कम न हो - सदस्य

(iv) संबंधित मंत्रालय/विभाग का सचिव - सदस्य

(v) सलाहकार (एफ.आर.) योजना आयोग - सदस्य

(vi) सलाहकार, (डी.पी.) योजना आयोग - सदस्य

(vii) योजना आयोग में पूर्वोत्तर राज्यों (और सिक्किम) के लिए प्रमुख सलाहकार/सलाहकार प्रभारी - सदस्य संयोजक

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। अभी तक समिति की बैठक 7 बार हो चुकी है, जब अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्वोत्तर और सिक्किम में चल रही/नई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय पूल से सहायता देने की संस्तुति की गयी। समिति, इस संबंध में अपनी रिपोर्टें सावधिक रूप से योजना आयोग के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करती है।

[अनुवाद]

स्व-सहायता समूह

4254. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का बैंक के साथ जोड़े जाने वाले प्रत्येक आबादी में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कम से कम एक स्व-सहायता समूह स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने स्व-सहायता समूह स्थापित करने के लिए नाबार्ड को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.), हैदराबाद में 23 और 24 जून, 2001 को सम्पन्न स्व-सहायता समूह आंदोलन और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्ष 2004 तक प्रत्येक बसावट में कम से कम एक स्व-सहायता समूह बनाने का प्रस्ताव किया गया था। इस समय देश में लगभग 14 लाख ग्रामीण बसावटें हैं।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को इस उद्देश्य हेतु अलग से कोई राशि प्रदान नहीं की है।

(ङ) एस.जी.एस.वाई. के कार्यान्वयन के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) कार्यक्रम के संबंध में बैंक शाखाओं और कार्यान्वयन एजेंसियों को नियमित सुग्राही बनाना।

(ii) गैर-सरकारी संगठनों को स्व-सहायता समूहों को बनाने तथा उनके क्षमता निर्माण में शामिल होने के लिए तथा बाद में परियोजना की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका तथा प्रोत्साहन प्रदान करना।

(iii) प्रशिक्षण लागत को बढ़ाना और स्व-रोजगारियों को मुफ्त में प्रशिक्षण देना।

(iv) आवश्यक ढांचागत सुविधाओं का सृजन करते हुए कार्यक्रम को विपणन सहायता मुहैया कराने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना।

(v) एस.जी.एस.वाई. की निगरानी समिति द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा तथा क्षेत्र दौरे।

(vi) निष्पादन समीक्षा समिति द्वारा अलग-अलग राज्यों में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा।

[हिन्दी]

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

4255. श्री ब्रज मोहन राम: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में खनन कार्य सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की खानों द्वारा कितना लाभार्जन किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा खनन कार्य के विस्तार और इसे और अधिक लाभार्जक बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) में खनन कार्य को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे फालतू श्रमशक्ति, पुरानी खानों में कोयला भंडारों का रिक्त होना, प्रतिकूल भू-खनन स्थितियां, वन्य भूमि को रिलीज न किया जाना और कानून व्यवस्था की समस्या इत्यादि।

(ख) कंपनी को वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान क्रमश: 85.67 करोड़ रु. 149.35 करोड़ रु. तथा 121.24 करोड़ रु. का घाटा हुआ है। वर्ष 2000-2001 के खातों की लेखा-परीक्षा की जा रही है।

(ग) सी.सी.एल. का 10वीं योजना अवधि के दौरान नौ नई परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। कंपनी मगध तथा आम्रपाली जैसी, प्रत्येक की 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष के परिकलित उत्पादन से, दो बड़ी ओपनकास्ट परियोजनाएं खोलने के लिए संयुक्त उद्यम व्यवस्था में प्रवेश करने पर भी विचार कर रही है।

[अनुवाद]

देश में शरणार्थी

4256. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शरणार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होगा;

(ग) वर्तमान में देश में राष्ट्रीयता, राज्य-वार कितने शरणार्थी है;

(घ) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) इस संबंध में अब तक कितनी उपलब्धि हासिल की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) भारत में लगभग 65,000 श्रीलंकाई और लगभग 1,08,000 तिब्बती शरणार्थी हैं। कुछ श्रीलंकाई और तिब्बतियों को छोड़कर जिन्हें भारत में शरण दी गई है और जिन्हें केन्द्र सरकार से कुछ सहायता दी जाती है, अन्य राष्ट्रीयता वाले विदेशी, शरणार्थियों की

हैसियत से नहीं रह रहे हैं। श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु और उड़ीसा में 116 शिविरों में ठहराए गए हैं। तिब्बती शरणार्थी हिमाचल और दिल्ली राज्यों में ठहराए गए हैं।

(घ) श्रीलंकाई शरणार्थियों की वजह से सुरक्षा परिदृश्य को पहुंचाने वाली संभावित क्षति से बचने के लिए उनके आते ही स्थानीय पुलिस द्वारा उनके पूर्ववृतों का सत्यापन किया जाता है। उसके बाद शरणार्थी विभिन्न शिविरों को भेजे जाते हैं। संदिग्ध व्यक्तियों को विशेष शिविरों में भेज दिया जाता है और उन्हें बाहर जाने की आज्ञा नहीं होती है। राज्य सरकारों को तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर अनुदेश दिए गए हैं। केन्द्र और राज्य एजेंसियां, दोनों शरणार्थी शिविरों में गतिविधियों पर नजर रखती हैं।

(ङ) जहां तक संभव होता है, शरणार्थियों की घुसपैठ को विभिन्न उपायों द्वारा हतोत्साहित किया जाता है। इन प्रयासों के फलस्वरूप, 1999 में 4,977 और 2000 में 1620 की तुलना में जुलाई, 2001, तक कुल 348 शरणार्थी आए।

बच्चों की तस्करी

4257. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3.8.2001 के हिन्दी दैनिक 'जनसत्ता' में प्रकाशित उदारीकरण के उपरान्त बढ़ते सेक्स पर्यटन की प्रवृत्ति से संबंधित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या देश में बच्चों की तस्करी खरीद-ओ-फरोख्त आदि को रोकने के लिए कोई कानून नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाल-वेश्यावृत्ति बच्चों की तस्करी और उनकी खरीद-ओ-फरोख्त को रोकने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वेश्यावृत्ति, तस्करी और खरीद-ओ-फरोख्त से राज्यवार और संघ शासित क्षेत्र-वार कितने बच्चों को बचाया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[हिन्दी]

भोपाल गैस त्रासदी

4258. श्री शिवराजसिंह चौहान: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भोपाल गैस त्रासदी के शिकार व्यक्तियों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) मुआवजा के मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में जारी मार्गनिर्देशों के विरुद्ध कोई आपत्तियां प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों पर कार्रवाई) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत गठित कल्याण आयुक्त का कार्यालय भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार मुआवजे के लिए 10,29,516 दावे दायर किए गए थे, जिनमें से 31.7.2001 तक 10,28,323 मामले निपटा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 3.98 लाख मामले पार्टियों के हाजिर न होने के कारण पहले निरस्त कर दिए गए थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 2.3.2001 के आदेश के तहत ऐसे दावेदारों के मामले बहाल करने के लिए उन्हें एक अन्तिम अवसर प्रदान करने के लिए ऐसे मामलों की एक सूची प्रकाशित करने का निर्देश दिया था। इसके परिणामस्वरूप 31.7.2001 तक 41,255 दावेदारों ने अपने मामलों की बहाली हेतु आवेदन किया है।

(घ) और (ङ) कल्याण आयुक्त के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इस संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के खिलाफ कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए शिक्षा संबंधी प्रोत्साहन

4259. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने का है जैसा कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के मामले में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार ने कोई मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के तहत पिछड़े वर्ग के छात्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है:-

(i) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां;

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्तियां;

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग के लड़कों व लड़कियों के लिए छात्रावास;

(iv) अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों को सहायता; और

(v) अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग।

(ख) और (ग) 1998-99 के दौरान, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्तियों और पिछड़ा वर्ग के लड़कों व लड़कियों के लिए छात्रावास की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश सरकार को क्रमश: 149.00 लाख रुपये, 64.00 लाख रुपये और 10.00 लाख रुपये की राशि दी गई थी। 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 (16.8.2001 तक) के दौरान राज्य सरकार से कोई और प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

4260. श्री महबूब जहेदी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी सिक्किम के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए चार नई परियोजनाओं हेतु 1.20 करोड़ रुपए के अनुदान को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में निर्गत किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों को कितनी मात्रा में ऐसी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निर्गत की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) मंत्रालय ने 2000-2001 के दौरान विशेष योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सिक्किम राज्य सरकार को अतिरिक्त अनुदान के रूप में 308.38 लाख रुपये की राशि निर्मुक्त की।

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान अन्य राज्यों को विशेष योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अतिरिक्त अनुदान इस प्रकार है:-

(रु. लाख में)

राज्य	अतिरिक्त अनुदान की राशि
गुजरात	900.00
हिमाचल प्रदेश	51.50
मणिपुर	112.00
उड़ीसा	1415.10
त्रिपुरा	100.00
अरूणाचल प्रदेश	256.55
मेघालय	144.00
नागालैंड	267.50
छत्तीसगढ़	277.48
उत्तरांचल	0.11

बी.सी.सी.एल. खानों में जल की मात्रा

4261. श्री वसुदेव आचार्य: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.सी.सी.एल. खानों में विशेषकर दस, नौ, तीन क्षेत्र में उपलब्ध जल की मात्रा के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) धर्मावेंद कोलियरी के जल का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए जलापूर्ति की योजना कौन सी हैं; और

(घ) उक्त लोगों की जलापूर्ति के साथ जलहीन खानों को जोड़ने वाली ऐसी योजनाओं की क्या संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) X, IX तथा III क्षेत्रों के लिए अनुमानित पानी की मात्रा निम्नवत है:

क्षेत्र	पानी की मात्रा
X	1873 मिलियन गैलन
IX	1314 मिलियन गैलन
III	1318 मिलियन गैलन

(ग) और (घ) कोई ऐसी योजना नहीं बनायी गयी है। ऐसी योजना का स्कोप तकनीकी-अर्थव्यवस्था पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

विशेष डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना

4262. श्री राजो सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में अब तक महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम सहायता के अंतर्गत विशेष डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना के लिए कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई है;

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान इन परियोजनाओं के लिए राज्यों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और निर्गत की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित किया जा रहा है और उक्त परियोजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान राज्य में और अधिक ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता स्कीम (स्टेप) के अंतर्गत बिहार में चार चरणों में महिला डेयरी सहकारी समितियां स्थापित करने के लिए बिहार राज्य निगम दुग्ध उत्पादन संघ लि. को एक परियोजना स्वीकृत की गई है।

(ख) तीन चरण कार्यान्वित किये जा चुके हैं। चौथे चरण में 496.32 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है। अब तक 103.48 लाख रुपये निर्मुक्त किये जा चुके हैं। इस राशि का पूरा उपयोग अभी किया जाना है, इसलिए वर्ष 2000-2001 में कोई राशि निर्मुक्त नहीं की गई है।

(ग) यह परियोजना वैशाली, पाटलिपुत्र, बरौनी, तिरहुत, मिथिला और शाहबाद में कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में महिला लाभार्थियों की कुल संख्या 8745 है।

(घ) और (ङ) डेयरी, कृषि और सब्जियां उगाने में महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए **नारी निधि** नामक एक स्वैच्छिक संगठन से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण विकास कार्यक्रम

4263. श्री किरीट सोमैया: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विश्व बैंक की सहायता द्वारा राज्यवार और योजनावार कितनी ग्रामीण विकास योजनाएं वित्त पोषित की गई हैं; और

(ख) इन योजनाओं में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इन योजनाओं को पूरा करने के लिए योजनावार और राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) और (ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

विश्व बैंक की सहायता से ग्रामीण विकास कार्यक्रम

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	दानकर्त्ता	हस्ताक्षर की तारीख	से प्रभावी	समाप्ति की तारीख	एल.एन./*** सी आर धनराशि	जून 2001 तक वितरित
1.	आंध्र प्रदेश जिला गरीबी पहल परियोजना	आंध्र प्रदेश	आईडीए*	12.5.2000	7.8.2000	31.12.2005	111	4.15
2.	मध्य प्रदेश जिला गरीबी पहल परियोजना	मध्य प्रदेश	आईडीए	5.12.2000	27.2.2001	30.6.2006	110.1	3.48
3.	राज. जिला गरीबी पहल परियोजना	राजस्थान	आईडीए	19.5.2000	7.8.2000	31.12.2005	100.5	3.63
4.	ग्रामीण महिला विकास और अधिकारिता परियोजना	बिहार झारखण्ड गुजरात कर्नाटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश	आईडीए आईएफएडी**	14.9.1998 27.3.1997	आईडीए 26.4.1999 आईएफएडी 19.5.99	31.12.2001	19.5 19.2	1.95
5.	केरल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	केरल	आईडीए	4.1.2001	12.2.2001	31.12.2006	65.5	2.5
						कुल (यू.एस. मिलियन डालर)	425.8	15.71

*अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए)
**अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आई एफ ए डी)
***ऋण उधार (एल एन/सी आर)

[हिन्दी]

बी.एड. और डी.एड. महाविद्यालय

4264. श्री जय प्रकाश: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बी.एड. एवं डी.एड. महाविद्यालय खोले जाने के कई प्रस्ताव गत तीन वर्षों से राष्ट्रीय शिक्षक परिषद् के पास मंजूरी के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) राष्ट्रीय शिक्षक परिषद् से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके पास ऐसे प्रस्ताव लंबित नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कोल इंडिया लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय को बंद किया जाना

4265. डा. एस. वेणुगोपाल: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कोयले के वितरण को किस तरीके से विनियमित किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) कोल इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों को लगाकर कोयले की सैम्पलिंग तथा विश्लेषण के लिए स्थापित कोयला नियंत्रक के क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्च, 2001 में बन्द कर दिया गया है। कोलकाता में कोयला नियंत्रक का प्रधान कार्यालय तथा धनबाद में इसका शाखा कार्यालय अभी भी कार्य कर रहे हैं।

(ग) 1.1.2000 से कोयले का वितरण विनियंत्रित कर दिया गया है। इसलिए, कोयला उत्पादक कंपनियां कोयले की मांग तथा विशेष श्रेणी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपनी स्वयं की नीति के अनुसार कोयले का वितरण/बिक्री कर रही है।

ब्रिटेन से खनन मशीनों की खरीद

4266. श्री सुबोध मोहिते: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड का विचार ब्रिटेन से कुछ ऐसी कोयला खनन मशीनों को खरीदने का है जो उनके कोयला खानों के लिए बेकार हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में इन मशीनों की उपयोगिता की जांच की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि सी.आई.एल. ने कुछ खानों में नयी तकनीक (शटल कारों तथा रूफ बोल्टरों के संयोग से सतत खनिजों को प्रयोग) की शुरूआत करने के लिए विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की। निविदाओं को अंतिम रूप देने के पश्चात् मेसर्स ज्वाय कीर तथा मेसर्स लांग एयरडाक्स के साथ क्रमश: एस.ई.सी.एल. की चिरीमिरी तथा विन्ध्या खानों हेतु दो संविदाएं निष्पादित की है। डब्ल्यू.सी.एल. की टाण्डसी खान और एस.ई.सी.एल. की पिनोरा खान हेतु दो और संविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, सी.आई.एल. की खानों में सतत खनिज तकनीक का प्रयोग नहीं हो रहा है यद्यपि वे आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से प्रयोग में लायी जा रही है। यह संविदा जोखिम/लाभ हिस्सेदारी पर आधारित है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

4267. श्री चन्द्रनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2000 में मृत कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति किए जाने के संबंध में उनकी पात्रता की जांच करने हेतु अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वे व्यक्ति कौन-कौन हैं जिन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई तथा इस संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए गए;

(घ) उन लोगों के नाम क्या हैं जिन्हें नौकरी नहीं दी गई और उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आवेदनकर्त्ताओं के चयन के संबंध में कोई भेदभाव किया गया है; और

(च) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी आयोग का गठन

4268. **श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उद्योग परिसंघ ने देश में तेजी से उभर रहे जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी आयोग और एक स्वतंत्र विनियामक गठित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिए गए सुझावों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (ग) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) द्वारा "बायोटेक्नोलाजी आन फास्ट ट्रैक: रिएलाइजिंग रेगुलेटरी रिफार्म" पर निकाले गए "श्वेत पत्र" में राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी आयोग के गठन का सुझाव नहीं है। तथापि, "श्वेत पत्र" में यह सिफारिश की गई है कि पूर्णकालिक जिम्मेवारी के साथ किसी सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में एकल खिड़की आवेदन प्रक्रमण कक्ष की स्थापना की जाए। अन्य सिफारिशों में एक समर्पित वेबसाइट की स्थापना, अंतिम उत्पाद लक्षण-वर्णन, विद्यमान प्रपत्र में कुछ परिवर्तन और प्रस्तावों का शीघ्र निपटान शामिल हैं। सरकार द्वारा आगे और कार्रवाई हेतु "श्वेत पत्र" पर वर्तमान में विचार-विमर्श चल रहा है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

4269. **श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयप्पन:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत छ: माह के दौरान प्राप्त किए गए और स्वीकृत किए गए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान रद्द किए गए स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मामलों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) 1.1.2001 से 30.6.2001 तक की अवधि के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के पेन्शन संबंधी प्राप्त मामलों और रद्द करते हुए या स्वीकृत करते हुए, निपटाए गए मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वतन्त्रता सेनानियों की पेन्शन रद्द किए जाने संबंधी ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

राज्यों का नाम		रद्द किए गए मामलों की संख्या
1.	बिहार	15
2.	मणिपुर	60
3.	उड़ीसा	2
4.	पंजाब	2
5.	तमिलनाडु	2
6.	उत्तर प्रदेश	1

यह पता लगने पर कि पेन्शन भ्रान्तिपूर्ण आधार पर झूठी सूचना, नकली दस्तावेजों और/या वास्तविक तथ्यों को छुपा कर, जैसा भी मामला हो, प्राप्त की गई है तो, उसे रद्द कर दिया जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	1.1.2001 से 30.6.2001 तक की अवधि के दौरान प्राप्त पेन्शन के मामले	1.1.2001 से 30.6.2001 तक की अवधि के दौरान निपटाए गए पेन्शन के मामले
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	31	31
2.	असम	13	13
3.	गुजरात	1	1
4.	हरियाणा	10	10
5.	हिमाचल प्रदेश	5	3
6.	जम्मू और कश्मीर	4	–
7.	कर्नाटक	12	12
8.	केरल	78	78
9.	मध्य प्रदेश	4	4

1	2	3	4
10.	महाराष्ट्र	3	3
11.	नागालैंड	11	11
12.	पंजाब	69	69
13.	राजस्थान	6	6
14.	तमिलनाडु	88	88
15.	उत्तर प्रदेश	56	47
16.	पश्चिम बंगाल	212	212
17.	पांडिचेरी	4	4
18.	दादर व नगर हवेली	1	1
19.	दिल्ली	3	3
	कुल	611	596

विश्वविद्यालय छात्र निकायों के चुनावों के लिए दिशा-निर्देश

4270. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास छात्र निकायों के चुनावों के संबंध में कोई आचार संहिता अथवा दिशा-निर्देश मौजूद हैं;

(ख) क्या यह सुनिश्चित किए जाने की कोई प्रणाली है कि विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वातावरण दूषित न हो; और

(ग) यदि हां, तो इससे संबंधित दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने ऐसी कोई आचार संहिता अथवा मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए हैं।

(ख) और (ग) यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कि विश्वविद्यालयों में शैक्षिक वातावरण दूषित न हो, संबंधित विश्वविद्यालयों का है जो स्वायत्त स्वरूप के हैं। विश्वविद्यालयों ने अनुशासन बनाए रखने, रैगिंग को रोकने, छात्र कल्याण इत्यादि के बारे में अपनी तत्संबंधी संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों इत्यादि में उपयुक्त प्रावधान किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी समय-समय पर रैगिंग जैसी बुराई को रोकने सहित इन मामलों से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त सभी विश्वविद्यालयों को जारी करता है ताकि परिसरों में उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

आई.डी.एस.एम.टी. योजना के तहत केन्द्रीय सहायता

4271. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार "इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स" नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को ऋण अथवा सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1996-97 के बाद से अभी तक महाराष्ट्र के कई नगरों के संबंध में अपेक्षित पूरी धनराशि जारी नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने शेष राशि को जारी करने हेतु केन्द्र सरकार को कई पत्र भेजे हैं; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार 5 लाख तक की आबादी वाले कस्बों के संबंध में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के जरिए राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित कस्बों के लिए "छोटे एवं मझोले कस्बों का एकीकृत विकास" (आईडीएसएमटी) नामक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के तहत केन्द्रीय सहायता मुहैया करती है। प्रारंभ से (1979-80) जारी केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सरकार को 1996-97 और उसके बाद शर्तें पूरी करने के अधीन, आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की यथोचित राशि जारी की गई है। महाराष्ट्र में स्कीम के अंतर्गत शामिल कस्बों और जुलाई, 2001 तक उन्हें जारी केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) विभिन्न कस्बों के बारे में केन्द्रीय सहायता की शेष किश्तें जारी करने के लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार के साथ पत्राचार करती है और उन्हें यथोचित उत्तर भेजा जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत शेष केन्द्रीय सहायता जारी करने का कोई पात्र प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित नहीं है।

विवरण-I

आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अंतर्गत संचयी रूप से जारी केन्द्रीय सहायता (1979-80 से अब तक)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	शामिल कस्बों की संख्या	जारी कुल केन्द्रीय सहायता	सूचित खर्च
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	90	47.30	68.61
2.	अरूणाचल प्रदेश	8	1.43	1.68
3.	असम	25	7.99	10.66
4.	बिहार	44	12.01	14.79
5.	गोवा	9	2.04	1.19
6.	गुजरात	62	32.10	52.11
7.	हरियाणा	16	8.30	12.52
8.	हिमाचल प्रदेश	15	4.46	6.31
9.	जम्मू एवं कश्मीर	8	3.78	6.48
10.	कर्नाटक	91	40.70	42.17
11.	केरल	38	18.30	35.29
12.	मध्य प्रदेश	83	34.75	39.82
13.	महाराष्ट्र	108	60.53	109.10
14.	मणिपुर	11	3.78	5.76
15.	मेघालय	8	2.88	4.48
16.	मिजोरम	8	3.07	6.20
17.	नागालैंड	9	3.35	5.00
18.	उड़ीसा	52	18.33	20.47
19.	पंजाब	33	13.55	24.83
20.	राजस्थान	48	23.82	45.33

1	2	3	4	5
21.	सिक्किम	9	1.91	2.72
22.	तमिलनाडु	111	39.09	54.62
23.	त्रिपुरा	13	4.02	4.32
24.	उत्तर प्रदेश	110	39.35	48.06
25.	पश्चिम बंगाल	77	31.30	45.89
26.	अंडमान एवं नि. द्वीप समूह	1	0.92	1.24
27.	दादर और नगर हवेली	2	1.12	0.16
28.	दमन और दीव	1	0.23	0.00
29.	लक्षद्वीप	1	0.25	0.00
30.	पांडिचेरी	7	2.41	1.60
	सकल योग	1098	463.08	671.42

टिप्पणी :

1. जारी राशियों में केन्द्रीय शहरी अवस्थापना सहायता स्कीम (सी.यू.आई.एस.एस.) शामिल नहीं हैं।
2. बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की स्थिति में क्रमश: झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल शामिल हैं।

विवरण-II

महाराष्ट्र राज्य को आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सहायता (1996-97 से 2001-2002 तक)

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	कस्बा/जारी करने का वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता
1	2	3
1996-97		
1.	खामगांव	13.01
2.	अमरावती	78.00
3.	शाहादा	26.00
4.	नावापुर	26.00
5.	कुरूंडवाड	23.00
6.	संगोला	26.00
7.	घाटनजी	14.00
	उप योग	206.01
1997-98		
8.	निलंगा	5.19
9.	इज्जतपुरी	20.00
10.	चन्द्रपुर	6.00
11.	गडचेरौली	12.00
12.	गोंदिया	24.00
13.	चोपड़ा	6.00
14.	नरखेड	12.00
15.	मल्कापुर	3.50

1	2	3
16.	नंदरूबार	3.50
17.	चालियागांव	13.97
18.	हिंगोली	11.00
19.	बुल्दाना	11.00
20.	नांदेड	26.00
21.	सावनेर	36.00
22.	अचलापुर	6.00
23.	जलगांव	19.57
24.	वानी	21.00
25.	अम्बा	26.00
26.	अहमदबाजार	66.50
27.	संगमनेर	20.00
28.	पछोरा	24.00
29.	वरोरा	24.00
30.	भुसावल	54.00
31.	देगलूर	24.00
32.	रस्तूर	24.00
33.	मनवात	8.00
34.	महाड	9.00
35.	सावंतवाडी	11.00
36.	अमरावती	12.00
37.	साहदा	4.00
38.	नवापुर	4.00
39.	कुरूंडवाड	3.00
40.	संगोला	4.00
41.	घाटनजी	2.00
	उप योग	556.23

1	2	3
1998-99		
42.	गोपरगांव	7.30
43.	फलतान	23.44
44.	सांगली	70.00
45.	धूला	60.00
46.	गांधीगलांज	23.20
47.	बासमतनगर	10.40
48.	वीटा	9.10
49.	सोगांव	13.50
50.	तुमार	30.21
51.	उमरोद	14.69
52.	इच्छलकरांजी	130.00
53.	गंगाखेड	25.00
54.	सिलोड	30.00
	उप योग	446.84
1999–2000		
55.	पछोरा	24.00
56.	वरोरा	24.00
57.	भुसावल	55.25
58.	देगलूर	24.00
59.	बसमतनगर	26.79
60.	वीटा	9.10
61.	मनवार	20.50
62.	महाड	9.00
63.	कागल	15.56
64.	औसा	12.00
65.	गेयोराइ	18.00
66.	सावंतवाडी	10.70

1	2	3
67.	मूर्तिजापुर	30.67
68.	सोगांव	13.45
69.	अलीबाग	14.00
70.	पुलगांव	29.00
71.	उमरेद	39.31
72.	वैजापुर	24.00
73.	वाई	30.00
74.	अंजनगांव-सुरजी	30.00
75.	नहकार	30.00
76.	कालम्ब	16.00
77.	दरियापुर	19.48
78.	शाहदा	30.00
79.	कुरूंडवार	32.00
80.	संगोला	30.00
81.	घाटनजी	16.00
82.	साटाना	22.00
83.	घमनगांव	22.00
84.	रोहा	16.00
85.	कोल्हापुर	30.00
	उप योग	722.81
2000-2001		
86.	बसमतनगर	13.81
87.	मनवाड	28.50
88.	औसा	11.20
89.	गेयोराई	18.00
90.	सावंतवाडी	28.80
91.	मूर्तिजापुर	7.00
92.	परोला	36.00
93.	अलीबाग	14.00
94.	पुलगांव	29.00
95.	उमरेड	4.00
96.	वैजापुर	34.00
97.	इच्छलकरांजी	10.00
98.	वाई	30.00
99.	अंजनगांव-सुरजी	30.00
100.	महकार	30.00
101.	कालम्ब	16.00
102.	दरियापुर	51.52
103.	अमरावती	90.00
104.	शाहदा	30.00
105.	नवापुर	30.00
106.	कुरूडवाड	32.00
107.	संगोला	30.00
108.	घाटनजी	16.00
109.	साटना	8.00
110.	दमनगांव	8.00
111.	कोल्हापुर	60.00
112.	उमरखेड	30.00
113.	फैजापुर	30.00
114.	रावेर	30.00
115.	जिन्तूर	30.00
	उप योग	815.83
2001-2002		
116.	देसाईगंज	16.00
117.	अकोला	135.00
	उप योग	151.00

[हिन्दी]

तिब्बती अध्ययन संस्थान

4272. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थित तिब्बती अध्ययन संस्थानों के बारे में ब्यौरा और इनके क्रियाकलापों के संबंध में स्थिति क्या है;

(ख) उक्त संस्थानों के उद्देश्य क्या हैं और इन्हें कितनी सहायता मिल रही है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित 'बौद्ध अनुसंधान प्रकाशन अकादमी' तथा संग्रहालयों के बारे में संस्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ, वाराणसी की स्थापना 1967 में पं. जवाहर लाल नेहरू और परमपावन दलाई लामा के प्रयास से गई थी। यह संस्था 1975 तक वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय (वर्तमान में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय) से संबद्ध रहा। इसे 1978 में स्वायत्तता प्रदान की गई। 1988 में इसे समविश्वविद्यालय घोषित किया गया जिसका प्रबंधन संस्कृति विभाग द्वारा की जा रही वित्तीय सहायता से किया जाता है।

केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन सहायता के लक्ष्य निम्नलिखित हैं:-

1. तिब्बती संस्कृति और परम्परा का संरक्षण।
2. तिब्बती भाषा में संरक्षित तथा मूल रूप में लुप्त प्राचीन भारतीय विज्ञानों और साहित्य का पुन:स्थापन।
3. भारतीय हिमालय सीमा के छात्रों को वैकल्पिक शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना, जिन्हें पहले तिब्बत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा था।
4. तिब्बती शिक्षण में डिग्री प्रदान करने के प्रावधानों के साथ आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से पारंपरिक विषयों में अध्यापन के लाभों का सदुपयोग एवं इन विषयों में अनुसंधान की गुंजाईश।

2001-2002 के दौरान भारत सरकार ने संस्थान को 125.00 लाख रु. (योजनागत) और 387.00 लाख रु. (योजनेतर) का अनुदान प्रदान किया। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्कृति विभाग ने किसी बौद्ध अनुसंधान प्रकाशन अकादमी और संग्रहालय की स्थापना नहीं की है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

4273. श्री ताराचंद साहू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार से किसी इंजीनियरिंग कालेज को क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज का दर्जा दिए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों का जीवन-स्तर

4274. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान, केन्द्र सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए "बुनियादी सेवाएं कार्यक्रम" के अंतर्गत आबंटित की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिन नगरों और शहरों में यह कार्य किया गया उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब लोगों की किन-किन बुनियादी समस्याओं का समाधान किया गया; और

(घ) मध्य प्रदेश के उन नगरों और शहरों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें अगले वित्त वर्ष में इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवा कार्यक्रम अब अस्तित्व में नहीं है और अन्य शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों के साथ-साथ दिनांक 1.12.1997 से शुरू की गई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक एकीकृत कार्यक्रम में सम्मिलित कर दिया गया है, जो देश में सभी शहरी कस्बों पर लागू है।

कम्प्यूटर को विकसित किया जाना

4275. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'भारतीय विज्ञान संस्थान' ने 'सिम्प्यूटर' नामक एक छोटे कम्प्यूटर को विकसित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस छोटे कम्प्यूटर की क्षमता कितनी है; और

(घ) 'सिम्प्यूटर' नामक यह कम्प्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कहां तक लाभप्रद सिद्ध होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां। यह एक हैंडहैल्ड कम्प्यूटिंग उपकरण है जिसका आकार करीब पाल्मटाप के बराबर है हालांकि यह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। फिलहाल सिम्प्यूटर कई भारतीय भाषाएं पढ़ता और बोलता है। उपयोग करने वालों को एक समान अनुभव कराने के लिये तथा किसी भी मंच पर हल के विकास में तेजी लाने के लिए इन्फॉर्मेशन मार्कअप लेंग्वेज का सृजन किया गया है।

(ग) इसमें 200 मैगाहार्ट्ज पर चलने वाला 32-बिट सी.पी.यू., ड्राम की 32 मैगाबाईट, स्थायी स्टोरेज के लिये 24 मैगाबाईट फ्लैश तथा आई/एफ 320 × 240 मोनोक्रोम एल.सी.डी. डिस्पले पैनल हैं।

(घ) अपनी स्मार्ट कार्ड विशेषता के जरिये सिम्प्यूटर असंख्य उपयोग करने वालों के लिए निजी स्तर पर निजी सूचना प्रबंध को सरल बनाता है। इस विशेषता के साथ ही साथ उच्च कनेक्टिविटी के प्रभाव से सिम्प्यूटर अत्यधिक प्रभावशाली हो सकता है।

अनधिकृत कालोनियों से गृह-कर लेना

4276. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में बने मकानों से गृह-कर लेने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गृह-कर के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त किये जाने का अनुमान है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रामाणिक आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) अनधिकृत कालोनियों में निर्मित मकानों पर दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 115 के तहत गृह कर पहले ही लागू है। तथापि, दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन (डिटरमिनेशन आफ रेटेबल वेल्यू) बाय-लाज, 1994 के उप नियम सं. 3 (1) (ङ) में प्रदत्त, मूल्यांकन की यूनिट क्षेत्र पद्धति अपनाकर दिल्ली नगर निगम द्वारा संगणना पद्धति को सरल बनाया जा रहा है।

(ग) दिल्ली नगर निगम को प्रति वर्ष करीब 50 करोड़ रु. की वसूली की संभावना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक समुदायों के दलितों/व्यक्तियों की हत्या

4277. श्री अवतार सिंह भडाना:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री जन्द्रनाथ सिंह:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री शिवाजी माने:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान आज तक, देश में अल्पसंख्यक समुदायों के राज्यवार कितने दलितों/व्यक्तियों की हत्या हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार/दण्डित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणान रहा है और सरकार ने हत्याओं के लिए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) केन्द्र सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की हत्याओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(च) इस संबंध में दी गई मुआवजा राशि यदि कोई है, का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2000 और 2001 के दौरान अनुसूचित जाति के सदस्यों की हत्या के ब्यौरे, राज्य वार विवरण के रूप में संलग्न हैं अल्पसंख्यकों के बारे में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा अलग से सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) सूचना, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) से (च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार लोक व्यवस्था और पुलिस राज्य के विषय हैं। अत: अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच-पड़ताल करने, पता लगाने और उसकी रोकथाम करने की जिम्मेवारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है। तथापि, केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध के संबंध में निवारक, दंडात्मक तथा पुनर्वास संबंधी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए राज्य सरकारों को समय-समय पर लिखती रही है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) उपर्युक्त अधिनियमों के कारगर ढंग से कार्यान्वयन के लिए जिसमें कानूनी सहायता सहित पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना, अभियोजन शुरू करना या उस पर पर्यवेक्षण रखना समितियों या विशेष न्यायालयों की स्थापना करना, आवधिक सर्वेक्षण करना, अत्याचार की संभावना वाले क्षेत्रों की पहचान करना, और अत्याचारों के पीड़ित/आश्रित व्यक्तियों को राहत प्रदान करना और उनके पुनर्वास सहित पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत, राज्य सरकारों को 50:50 आधार पर केन्द्र शासित क्षेत्र प्रशासनों को 100% आधार पर केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

(ii) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से संबंधित नीतियों/स्कीमों के क्रियान्वयन और मानिटरिंग को प्राथमिकता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

(iii) जहां लम्बित मामलों की संख्या अधिक है वहां राज्य सरकारों को केवल दर्ज मामलों के शीघ्र निपटान के लिए ही विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए अनुरोध किया गया है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देश में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत 40 विशेष न्यायालय और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत 78 विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2000		2001	
		हत्या	आंकड़े निम्न महीनों तक के हैं	हत्या	आंकड़े निम्न महीनों तक के हैं
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	29	दिसम्बर	10	मई
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	दिसम्बर	0	फरवरी
3.	असम	0	दिसम्बर	0	मई

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	4	दिसम्बर	1	मार्च
5.	गोवा	0	दिसम्बर	0	मई
6.	गुजरात	11	अगस्त	–	उ.न.
7.	हरियाणा	2	दिसम्बर	4	अप्रैल
8.	हिमाचल प्रदेश	0	दिसम्बर	0	मई
9.	जम्मू और कश्मीर	0	दिसम्बर	0	अप्रैल
10.	कर्नाटक	11	दिसम्बर	11	मई
11.	केरल	7	दिसम्बर	3	मई
12.	मध्य प्रदेश	45	दिसम्बर	35	जून (फरवरी)
13.	महाराष्ट्र	2	दिसम्बर	6	जून
14.	मणिपुर	0	दिसम्बर	0	जून
15.	मेघालय	0	दिसम्बर	0	मई
16.	मिजोरम	0	दिसम्बर	0	जून
17.	नागालैंड	0	दिसम्बर	0	मई
18.	उड़ीसा	14	जून	–	उ.न.
19.	पंजाब	0	दिसम्बर	1	जून
20.	राजस्थान	48	दिसम्बर	7	फरवरी
21.	सिक्किम	0	दिसम्बर	0	फरवरी
22.	तमिलनाडु	12	दिसम्बर	7	मई
23.	त्रिपुरा	0	दिसम्बर	0	मई (मार्च)
24.	उत्तर प्रदेश	302	नवम्बर	69	मार्च
25.	पश्चिम बंगाल	0	दिसम्बर	0	मई
	कुल (राज्य)	487		154	
26.	अ. और नि. द्वीपसमूह	0	दिसम्बर	0	जून
27.	चंडीगढ़	0	दिसम्बर	0	अप्रैल
28.	दा. और न. हवेली	0	दिसम्बर (अक्टूबर)	0	जून
29.	दमन और दीव	0	दिसम्बर	0	मई (अप्रैल)
30.	दिल्ली	0	दिसम्बर	0	जून
31.	लक्षद्वीप	0	दिसम्बर	0	जून (मार्च और अप्रैल)
32.	पांडिचेरी	0	दिसम्बर	0	जून
	कुल (संघ शासित)	0		0	
	कुल (अखिल भारत)	487		154	

दुबई में गैस-आधारित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र

4278. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "सदर्न" पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड 4 लाख टन यूरिया के उत्पादन के लिए 170 मिलियन-डालर की अनुमानित लागत से, संयुक्त अरब अमीरात स्थित दुबई में एक गैस-आधारित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संयंत्र और उपस्कर का प्रापण पहले ही किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इस संयंत्र को कब तक स्थापित किया जायेगा तथा इसका कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, हां।

(ख) इस परियोजना में अभी तक 57% समग्र प्रगति हुई है। हाल ही में दुबई सरकार ने इस परियोजना को एक पत्र जारी किया है जिसमें वर्ष 2002 की चतर्थ तिमाही से 15 वर्ष की प्रारम्भिक संविदा अवधि के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने की पुष्टि की गयी है। स्पीक का अगस्त/सितम्बर, 2001 में दुबई सरकार के साथ एक विस्तृत गैस विक्रय और क्रय अनुबंध करने का विचार है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस परियोजना का वित्तीय समापन वर्ष 2001 के अन्त तक होने और वर्ष 2002 के अंत तक यांत्रिक रूप से पूरा होने की आशा है। यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन वर्ष 2003 की प्रथम तिमाही तक सम्भावित है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन हेतु विशेष समिति

4279. श्रीमती श्यामा सिंह:
डा. रमेश चन्द तोमर:

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन की सिफारिश करने के विचार से कुछ वर्ष पूर्व एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) पिछले 10 वर्षों अर्थात् 1991-2001 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा गठित समितियां/नियुक्त किए गए विशेषज्ञ इस प्रकार है:-

(i) मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज: यह 12.6.1997 को नियुक्त की गई थी, इसका उद्देश्य दोहरी प्रविष्टि पर आधारित वाणिज्यिक एकाउंटिंग प्रणाली को अपनाकर मौजूदा प्रणाली को दुरूस्त करने की दृष्टि से जोनल एकाउंटिंग सिस्टम अर्थात् मौजूदा केन्द्रीयकृत लेखा यूनिट प्रणाली की समीक्षा करना है। मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपनी सिफारिशों में अन्य के साथ-साथ यह सिफारिश की है कि मौजूदा एकल प्रविष्टि प्रणाली से हटकर दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के उद्देश्य से अलग से अध्ययन कराया जाए।

(ii) दो सदस्यीय समिति: यह समिति 11.11.98 को गठित की गई थी। इसमें श्री एस.एच. मंघानी, सेवानिवृत्त अपर उपनियंत्रक महालेखा परीक्षक और श्री डब्ल्यू.डी. दण्डगे, सेवानिवृत्त निर्माण महानिदेशक केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग हैं। इस समिति का कार्य, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की सिफारिशों की जांच करने और मौजूदा प्रणाली को दुरूस्त करने के लिए उपायों का सुझाव देना था। समिति ने केन्द्रीयकृत लेखा यूनिट प्रणाली बनाए रखने की सिफारिश की और आगे लेखा की मौजूदा प्रणाली को दुरूस्त करने के लिए सुझाव दिया।

(iii) मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड क.: मैसर्स टाटा कंस्लटेंसी सर्विसेज और दो सदस्यीय समिति के सुझावों के अनुसार और दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रचालित एकल प्रविष्टि प्रणाली को दोहरी प्रविष्टि प्रणाली (अर्थात् दोहरी प्रविष्टि आधारित वाणिज्यिक एकाउंटिंग प्रणाली) में बदलने की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दी गई बचनबद्धता के भी अनुसरण में मैसर्स ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एण्ड कं. को परामर्शदाता के रूप में इस प्रयोजन के लिए 24.9.1999 को नियुक्त किया गया परामर्शदाता ने, लेखा विधि की मौजूदा प्रणाली के व्यापक अध्ययन के बाद और संबंधित विभागों के प्रमुखों तथा अनेक कार्यपालकों से व्यापक विचार विमर्श करने के पश्चात् दोहरी प्रविष्टि आधारित वाणिज्यिक एकाउंटिंग प्रणाली (सीएएसडीई) शुरू करने के लिए अध्याय/नियम पुस्तिका को अंतिम रूप दे दिया है। परामर्शदाता द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया गया। जून, 2001 और सितम्बर 2001 को समाप्त तिमाहियों के तिमाही लेखा लिए गए हैं। वर्ष

2001-2002 के लिए इन लेखों को लेखा की मौजूदा प्रणाली के साथ-साथ दोहरी प्रविष्टि आधारित वाणिज्यिक एकाउंटिंग प्रणाली (सीएएसडीई) में संकलित किया जाएगा। लेखा विधि के कंप्यूटरीकरण के लिए परामर्शदाता द्वारा विस्तृत अध्ययन भी किए गए हैं और 2002-2003 से लेखाओं के कंप्यूटरीकरण का कार्य करने का निर्णय लिया गया है।

'एनओआरएडी' योजना के अधीन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

4280. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नार्वे की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एनओआरएडी) योजना के अधीन स्वैच्छिक संगठनों के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं और उन ट्रेडों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) क्या इस योजना को पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को इस संबंध में कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुदानों को राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान जारी नहीं किए जाने के संबंध में सरकार को कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) महिला एवं बाल विकास विभाग महिला आर्थिक कार्यक्रम नामक एक स्कीम कार्यान्वित कर रहा है, जिसके लिए नार्वे की अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (नोराड) से आंशिक सहायता प्राप्त होती है। इस स्कीम के अंतर्गत विभिन्न पारंपरिक और गैर-पारंपरिक व्यवसायों में महिलाओं को प्रशिक्षण देने हेतु स्वैच्छिक और अन्य संगठनों को सहायता दी जाती है। प्रत्येक व्यवसाय हेतु मानदंडों के बारे में प्रत्येक मामले में तकनीकी मंत्रालयों के साथ परामर्श करके निर्णय लिया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार निधियों का आबंटन नहीं किया जाता है। परियोजना संबंधी प्रस्तावों पर उनकी पात्रता व गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। वर्ष 2000-2001 के लिए राज्य-वार अनुमोदित प्रस्तावों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) राज्य महिला विकास निगमों के माध्यम से अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अनुदानों को निर्मुक्त करने में विलंब के संबंध में कुछेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(च) परियोजना संस्वीकृति समिति की साप्ताहिक बैठकों के द्वारा संस्वीकृति की कार्यविधि को सरल बना दिया गया है। महिला विकास निगमों को कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है, जिसके लिए उन्हें परियोजना लागत के 3 प्रतिशत की दर से निगरानी प्रभार का भुगतान किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 2000-2001 के दौरान 'महिला आर्थिक कार्यक्रम' (नोराड) के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संस्वीकृत परियोजनाओं, निर्मुक्त की गई राशि तथा लाभान्वित हुई महिलाओं की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त राशि (रुपये लाख में)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	114	4225	176.04
2.	अरूणाचल प्रदेश	8	150	6.41
3.	असम	31	1485	48.94
4.	चण्डीगढ़	6	296	13.26
5.	बिहार	70	845	71.15
6.	दिल्ली	34	1100	75.97
7.	गुजरात	38	1940	100.04
8.	हरियाणा	23	940	41.9

1	2	3	4	5
9.	हिमाचल प्रदेश	25	340	15.83
10.	जम्मू व कश्मीर	35	1635	56.47
11.	कर्नाटक	48	4480	130.86
12.	केरल	42	1680	52.42
13.	मध्य प्रदेश	85	3490	105.33
14.	महाराष्ट्र	63	2940	83.06
15.	मणिपुर	30	1885	33.52
16.	मेघालय	5	300	7.36
17.	मिजोरम	14	625	21.9
18.	नागालैंड	3	160	4
19.	उड़ीसा	41	1650	54
20.	पांडिचेरी	10	355	16.98
21.	पंजाब	39	2940	142.48
22.	राजस्थान	13	610	16.42
23.	तमिलनाडु	75	2590	65.12
24.	त्रिपुरा	12	425	30.82
25.	उत्तर प्रदेश	176	6670	205.8
26.	पश्चिम बंगाल	36	1455	56.92
	कुल	1076	45211	1633

इस राज्य-वार वितरण में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा उन्हें नोराड स्कीम के अंतर्गत दिये गए अनुदान में से विभिन्न संगठनों को दिए गए अनुदान का ब्यौरा शामिल है। वर्ष 2000-2001 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को नोराड स्कीम के अंतर्गत केवल 4 करोड़ रुपये की राशि ही स्वीकृत की गई। लेकिन, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने चालू वर्ष में परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए पिछले वर्षों की लगभग 2.38 करोड़ रुपये की शेष बची राशि का भी इस्तेमाल किया है। तथापि, वर्ष 2000-2001 में नोराड स्कीम के अंतर्गत कुल राशि 13.95 करोड़ रुपये थी।

कोयला उद्योग संबंधी व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट

4281. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या व्यय सुधार आयोग की रिपोर्ट कोयला मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक स्वीकार तथा लागू किये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (घ) व्यय सुधार आयोग (ई.आर.सी.) की सिफारिशों की मंत्रालयों में जांच की जा चुकी है। मंत्रालय की टिप्पणियां उपयुक्त रूप में वित्त मंत्रालय को भेज दी गई है तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

समीक्षा समिति का गठन

4282. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषद् (एन.सी.टी.ई.) की कार्यकारिणी समिति ने अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को तैयार करने, अध्यापक छात्र अंत:क्रिया और अध्यापकों की भर्ती संबंधी अर्हता इत्यादि निर्धारित करने संबंधी मानदंडों की समीक्षा हेतु किसी समीक्षा समिति का गठन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा समिति की सिफारिशें का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने अध्यापक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों तथा मानदण्डों की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है। समिति ने चार उप-समितियां गठित की हैं। उप-समितियों ने निम्नलिखित छह कार्यक्रमों के संबंध में संशोधित मानदण्डों की सिफारिश की है: (i) प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (ii) माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (बी.एड.) (iii) शिक्षा-निष्णात (एम.एड.) (iv) शारीरिक शिक्षा में प्रमाणपत्र (सी.पी.एड.)

(v) शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड.) (vi) शारीरिक शिक्षा में निष्णात (एम.पी.एड.)। इसके अतिरिक्त, शिक्षा निष्णात (एम.एड.) पाठ्यक्रम (अंशकालिक) आरंभ करना, शैक्षिक तथा बुनियादी जरूरतों से संबंधित मानदण्डों को उदार बनाने संबंधी मामलों की भी सिफारिश की गई। समीक्षा समिति की सिफारिशों और राज्य सरकारों के विचारों तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, परिषद् ने उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदण्डों और स्तरों) विनियम, 2001 के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया है जिसे भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

[अनुवाद]

आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत बाल स्वास्थ्य परिचर्या

4283. श्री ए. रहमनैया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) का एक कार्य अथवा उद्देश्य सभी बच्चों का टीकाकरण करना है जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत टीकाकरण के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है;

(ग) क्या समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत बाल स्वास्थ्य परिचर्या के संबंध में ब्लाक-वार कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, नहीं। आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले सभी बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा दी जाती है।

[हिन्दी]

प्रौद्योगिकी दिवस

4284. श्री रामजीवन सिंह: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 11 मई, 2001 को देश में प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस अवसर पर सम्पन्न गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक आम आदमी के जीवन पर उक्त प्रौद्योगिकी दिवस का क्या प्रभाव पड़ेगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रौद्योगिकी दिवस भारत की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं और प्रगति के प्रदर्शन को स्मरण करने के लिए वर्ष 1998 से प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। यह समारोह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा 11 मई, 2001 को संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसकी मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित थी:-

(1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं और उपलब्धियों पर एक सार्वजनिक प्रदर्शनी।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा संस्थापित राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण।

(3) प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष और उत्कृष्टता पर आधारित नए उत्पादों को विमुक्त करना।

(4) पूरे देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) की विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा इस अवसर पर "मुक्त दिवस" मनाया गया।

(5) आई.आई.टी. चेन्नई के प्रो. अशोक झुनझुनवाला द्वारा वार्षिक प्रौद्योगिकी दिवस व्याख्यान दिया गया।

प्रौद्योगिकी दिवस समारोहों जैसे स्मरणोत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राष्ट्र की उपलब्धियों को दर्शाने और संचारित करने तथा हमारी राष्ट्रीय क्षमताओं के प्रति गौरव की भावना जागृत करने के महत्वपूर्ण साधन है।

झारखंड में आदिवासियों की जनसंख्या

4285. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड में प्रत्येक जनजातीय की जिलेवार जनसंख्या कितनी है;

(ख) गत बीस वर्षों के दौरान किन-किन जनजातियों की जनसंख्या में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन जनजातियों के विकास हेतु लागू की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) झारखंड में प्रत्येक जनजाति की जिलेवार जनसंख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार (झारखंड सहित) की किसी भी जनजाति की जनसंख्या 20 प्रतिशत तक नहीं घटी है।

विवरण

झारखंड में जनजातिवार, जिलेवार जनसंख्या (1991 की जनगणना)

क्र.सं.	जनजातीय समुदायों के नाम	जिले												
		देवघर	बोकारो सहित धनबाद	दुम्का	गिरिडीह	गोड्डा	गुमला	चत्रा और कोडरमा सहित हजारीबाग	लोहारदगा	गढ़वा सहित पालमू	रांची	पाकुर सहित साहिब गंज	पूर्वी सिंह भूम	पश्चिमी सिंहभूम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	असर	-	126	31	87	10	7400	72	879	246	73	-	167	31
2.	बेगा	31	235	137	06	356	421	511	30	1518	209	48	71	242
3.	बंजारा	-	14	22	13	36	90	47	28	104	20	-	58	--
4.	भथुड़ी	-	78	285	11	10	324	140	01	73	27	57	1414	225
5.	बेडिंया	01	515	106	1385	38	812	36938	21	50	25821	05	941	5086
6.	भुमिज	106	505	05	62	-	268	433	66	189	335	-	81002	72990
7.	बिंझिया	-	03	567	10	19	9797	498	33	62	1760	20	150	71
8.	बिरहोर	20	177	2150	544	-	321	3455	02	2527	374	99	361	535
9.	ब्रिजिया	-	118	-	58	10	772	318	426	-	83	-	203	14
10.	चिरो	-	55	92	33	-	117	95	-	58923	178	43	-	580
11.	चिक बैरक	07	162	12	39	-	27935	421	159	958	14132	62	129	1629
12.	गोंड	171	1909	101	2470	308	19158	800	47	3536	1208	586	2166	11545
13.	गोरेट	25	76	78	79	65	425	118	348	44	1977	52	203	443
14.	हो	13	1316	18	106	-	283	610	65	299	555	57	37947	589109
15.	करमाली	08	104	237	8335	71	291	28925	52	78	8109	112	136	642
16.	खरिया	141	601	196	381	86	122812	1151	268	2398	5848	202	11305	1846
17.	खरवार	654	1310	132	4457	179	6342	2408	7141	131035	579	14950	3572	549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18.	खोंड	1051	674	331	425	30	82	121	–	74	47	309	212	517
19.	किसान	11	103	13	374	23	6460	567	3827	14921	1515	392	97	493
20.	कोरा	795	8264	3326	1520	1288	486	183	30	480	579	992	1386	2067
21.	कोर्वा	142	780	97	149	91	2629	52	125	17844	291	339	484	1123
22.	लोहारा	2842	4726	8108	1231	7855	42875	3186	7799	14426	57267	5925	9882	7846
23.	महली	4336	8523	14685	5881	2043	10777	7310	5376	1159	21494	5167	9494	9116
24.	माल पहाड़िया	7075	298	21821	861	8631	4120	2092	1502	1707	3985	26026	326	710
25.	मुंडा	169	10599	897	10780	432	156995	52254	5905	19225	461002	6352	41423	133129
26.	उरांव	224	9000	1029	3564	5615	387940	45839	127130	157271	351694	7118	9749	31483
27.	पड़हायी	285	85	3519	216	4536	839	878	661	12739	387	5395	105	111
28.	संताल	100180	174020	555192	228433	177806	5171	60633	87893	1105	3639	405459	249731	104777
29.	सौरिया पहाड़िया	588	689	8266	315	6440	1318	480	127	199	704	27504	329	867
30.	सावरं	–	133	10	63	–	89	23	10	68	15	28	3509	255
31.	अवर्गीकृत	210	84	21	40	69	139	28	13	08	515	22	20	38
	कुल	119085	225282	621484	271924	216047	816988	250586	162694	443266	964422	507321	466572	978069

मानद विश्वविद्यालयों और स्वायत्तशासी संस्थानों का कार्यकरण

4286. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास मानद विश्वविद्यालयों और स्वायत्तशासी संस्थानों के कार्यकरण की निगरानी के लिए कोई निगरानी एजेंसी अथवा प्रणाली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जिन संस्थानों को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है उनका अभिशासन सामान्यत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग माडल संगम ज्ञापन/नियमों पर आधारित उनके संगम ज्ञापन/नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग माडल संगम ज्ञापन/नियमों में केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्थान की समीक्षा तथा निरीक्षण का प्रावधान है।

सम विश्वविद्यालयों/संस्थानों के कार्यकरण की मानीटरी उनके विभिन्न निकायों, अर्थात् प्रबंधन बोर्ड, वित्त समिति, आदि में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से भी की जाती है।

कतिपय राज्यों में वेश्यावृत्ति

4287. श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में रह रहे कुछ आदिवासी समुदाय की लड़कियां और महिलाएं वेश्यावृत्ति में संलिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक गैर-सरकारी संगठन ने इस संबंध में अध्ययन किया है और अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा वेश्यावृत्ति में संलिप्त आदिवासी महिलाओं के कल्याण हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

शिक्षा यात्रा

4288. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शिक्षा यात्रा के नाम से सम्पूर्ण भारत में चलाये गये शिक्षा अधिकार अभियान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इनकी मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां।

(ख) शिक्षा यात्रा में भाग लेने वालों ने अपने ज्ञापन में निम्नलिखित मांगें की:

* 83वें संविधान संशोधन विधेयक को तत्काल पारित किया जाना चाहिए और शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 8 प्रतिशत का आबंटन जिसमें से प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 प्रतिशत अलग से रखा जाना चाहिए।
* घर के आसपास अच्छे स्कूल होने चाहिएं जहां विभिन्न वर्गों और समुदायों के बच्चों को नि:शुल्क अनिवार्य, सार्थक और समान शिक्षा प्रदान की जाए। बालिकाओं की शिक्षा पर बल हो।
* नि:शुल्क शिक्षा—नि:शुल्क की अवधारणा को स्पष्ट किया जाना चाहिए। शुल्क समाप्त कर देने चाहिएं। 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए स्कूल की वर्दी, पुस्तकें, परिवहन, पोषक आहार नि:शुल्क होना चाहिए।
* अनिवार्य शिक्षा-शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए स्थानीय स्कूलों, प्रशासनिक इकाइयों, अभिभावकों की जिम्मेदारी और भागीदारी की व्यवस्था बननी चाहिए।
* सार्थक शिक्षा—शिक्षा सार्थक, रूचिकर और व्यक्ति को आत्म-यथार्थ की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए।
* समान शिक्षा—अमीर और गरीब के मध्य अन्तर को समाप्त करने के लिए बिना किसी भेद-भाव के शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
* शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाना केन्द्र और राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
* प्राथमिक शिक्षा के निजीकरण और संप्रदायीकरण पर प्रतिबंध।

(ग) 6-14 आयु-वर्ग के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान (83वां संशोधन) विधेयक, 1997 28 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था।

संसदीय स्थायी समिति द्वारा जांच करने और भारतीय विधि आयोग की 165वीं रिपोर्ट के सुझाव प्राप्त होने के पश्चात् एक संशोधित प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सम्मुख विचार हेतु प्रस्तुत किया गया। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंत्रियों के समूह को भेज दिया जहां इस पर विचार किया जा रहा है।

जहां तक अन्य मांगों का संबंध है, सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसलभ बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान नामक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों का उल्लेख है।

[हिन्दी]

दिल्ली में लाल डोरा क्षेत्र का विस्तार

4289. श्री शिवराजसिंह चौहान: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाहरी दिल्ली विशेषकर तुगलकाबाद में कई गांवों के लाल डोरा क्षेत्र का वर्ष 1908 से विस्तार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा बाहरी दिल्ली के सभी गांवों में लाल डोरा क्षेत्र का समान रूप से विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) सूचना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

दिल्ली विश्वविद्यालय में हड़ताल

4290. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राय: होने वाली हड़तालें विश्वविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों को प्रभावित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी हड़तालें हुई और इन हड़तालों की वर्षवार अवधि कितनी थी;

(ग) इन हड़तालों के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा दिल्ली और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हड़तालों से बचने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय के कर्मचारी सामान्यतया शैक्षिक सत्र की शुरूआत में विशेष तौर पर दाखिलों के समय और परीक्षाएं शुरू होने के पहले हड़ताल पर चले जाते हैं। ऐसी हड़तालों की अवधि एक सप्ताह से दो सप्ताह की और गंभीर मामलों में तीन सप्ताह तक की होती है। उनकी मांगें भी विभिन्न अवसरों पर अलग-अलग होती हैं। इनमें रिक्त पदों को भरना, निर्धारित कोटे के अलावा अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करना, दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करना तथा उनके वेतनमानों में वृद्धि करना, आदि शामिल हैं। ऐसी हड़तालों से निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का सामान्य कार्यकरण प्रभावित होता है और विश्वविद्यालय ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करता है। आन्दोलन कर रहे कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों को वार्ताओं द्वारा निपटाने के प्रयास किए जाते हैं और जब भी उनकी मांगें पूर्णतया अनुचित पाई जाती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।

सीमा त्रुटियां

4291. श्री महबूब जहेदी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश राइफल्स की अचानक सशस्त्र घुसपैठ के लिए सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों पर सीमा पर त्रुटियों का उत्तरदायित्व तय करने के लिए जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी नहीं, श्रीमान्। अप्रैल, 2001 में भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ पूर्वी खासी पर्वतीय जिला, मेघालय के पिरदिवाह गांव में बांग्लादेश राईफल्स बलों द्वारा अकारण और अनुचित रूप से घुसपैठ करने के बावजूद सीमा सुरक्षा बल बहादुरी से डटे रहे और अपने पूर्ण विवेक के अनुसार कार्रवाई की। इसलिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल प्राधिकारियों की जिम्मेवारी तय करने के लिए 'जांच' बिठाने का कोई प्रश्न नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

बी.सी.सी.एल. में अनुकम्पा आधार पर रोजगार के लंबित मामले

4292. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 31 मार्च, 2001 की तिथि के अनुसार बी.सी.सी.एल. मुख्यालय में एन.सी.डब्ल्यू.ए. के अंतर्गत मृत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार के कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) ये मामले कब से लंबित पड़े हैं;

(ग) इनके लंबित होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक निपटा लिया जायेगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) दिनांक 31 मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार 347 मामले बकाया थे।

(ख) रोजगार के प्रत्येक मामले पर मृतक कर्मचारी के आश्रित द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् कार्यवाही की जाती है तथा सामान्य औपचारिकताओं का पालन करने के बाद मामले निपटाए जाते हैं। तथापि यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें पुराने मामले निपटाए जाते हैं और नए मामले उसमें आते रहते हैं।

(ग) मुख्यालयों में लंबित पड़े रहने का कारण मुख्य रूप से आश्रित द्वारा अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करना है जिसके कारण अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता/क्षेत्रों से पत्राचार करना पड़ता है तथा विभिन्न जिला प्राधिकारियों से सत्यापन भी कराना पड़ता है, जिसमें समय लग जाता है।

(घ) जैसे ही आश्रितों द्वारा पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, मामलों पर कार्यवाही की जाएगी तथा उनका निपटान कर दिया जाएगा।

डी.आर.डी.ए. के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों को प्रशिक्षण

4293. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास डी.आर.डी.ए. के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का विशेष कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2000-2001 के दौरान कितने परियोजना अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उन पर कितना धन व्यय किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार संस्थागत वित्त जुटाने में होने वाले गत्यवरोधों को दूर करने के लिए इन अधिकारियों के अधिकारों में वृद्धि करने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है। तथापि, विभिन्न जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा आयोजित किये जा रहे अनेक सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

(ख) और (ग) चूंकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम नहीं है इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी

4294. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एजेंसी स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस एजेंसी को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) सरकार का जल्द ही राष्ट्रीय ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी गठित करने का विचार है ताकि तकनीकी विशिष्टताओं, परियोजना मूल्यांकन, अंश-कालिक गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक की नियुक्ति, निरीक्षण प्रणाली का प्रबंधन और ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्तुत आवधिक रिपोर्टों पर विचार विमर्श के जरिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सहायता दी जा सके। यह एजेंसी सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाईटी हो जाएगी।

[हिन्दी]

कोयले की रायल्टी दर संबंधी समिति

4295. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी:

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयले की रॉयल्टी दरों की समीक्षा करने/वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई समिति गठित की गयी है;

(घ) क्या समिति ने अपनी सिफारिशें दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (च) भारत सरकार को कोयला उत्पादक विभिन्न राज्य सरकारों से कोयले की रायल्टी दरों में संशोधन करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि कोयले की रायल्टी दरें पिछली बार 11.10.1994 को संशोधित की गई थी, कोयले पर रायल्टी को निश्चित करने के लिए मूल्यानुसार आधार को अपनाने के प्रश्न की जांच करने के लिए अपर सचिव (कोयला) की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इस मामले में कोई निर्णय समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही लिया जा सकता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला कोष

4296. डा. जसवंतसिंह यादव:
श्री वरकला राधाकृष्णन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय महिला कोष का पुनर्गठन और उसे सुदृढ़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना से इसकी क्रेडिट संबंधी क्रियाकलापों का दायरा किस सीमा तक बढ़ेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राष्ट्रीय महिला कोष के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कोष की ऋण संबंधी गतिविधियों का विस्तार करने के लिए इसकी संचित निधि में वृद्धि का प्रस्ताव है।

नागालैण्ड में युद्ध विराम

4297. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी.एस. बसवराज:
श्री रामजीवन सिंह:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जय प्रकाश:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) युद्धविराम संबंधी समझौते से "विदाउट टेरीटो रियल यूनिट्स" शब्द को हटा लिए जाने के सरकार के निर्णय के बाद पूर्वोत्तर राज्यों और एन.एस.सी.एन. के नागरिकों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों, विशेषकर नागालैंड में शांति बहाल करने के लिए सरकार के भावी योजना क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) एन.एस.सी.एन. के साथ हुए संघर्ष विराम समझौते से तीन शब्दों "विदाउट टेरीटोरियल लिमिट्स" को हटाने का मणिपुर, असम और अरूणाचल प्रदेश में व्यापक स्वागत हुआ है। तथापि, नागालैंड और मणिपुर के पहाड़ी जिलों में कतिपय नागा आबादी वाले क्षेत्रों में इन शब्दों को हटाने का विरोध हुआ है।

(ख) सरकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति बहाली के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने भाई-चारे के रास्ते में भटक गए उन सभी आतंकवादी ग्रुपों से हिंसा का मार्ग त्यागने और संविधान के दायरे के भीतर वार्ता के लिए आगे आने का निमंत्रण दिया है।

[हिन्दी]

इस्पात का उत्पादन

4298. श्री राजो सिंह: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख में भारतीय इस्पात आयोग का वार्षिक वित्तीय कारोबार और इनका उत्पादन कितना है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों से भारत का इस्पात क्षेत्र किस सीमा तक सुदृढ़ हुआ है;

(ग) भारतीय इस्पात उद्योगों से प्रति वर्ष कुल कितने राजस्व की प्राप्ति होती है; और

(घ) आज की तारीख में इस्पात की मांग और इसके उत्पादन के बीच के अन्तराल को किस सीमा तक कम किया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) वर्ष 2000-2001 के लिए भारतीय इस्पात उद्योगों का परिसज्जित इस्पात का उत्पादन और अनुमानित वित्तीय कारोबार क्रमश: 297.00 लाख टन और 60,000 करोड़ रुपए (लगभग) है। वित्तीय कारोबार का अनुमान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के परिसज्जित इस्पात के उत्पादन और वित्तीय कारोबार के आधार पर लगाया गया है।

(ख) देश में परिसज्जित इस्पात के कुल उत्पादन में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का योगदान 32 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त इन संयंत्रों ने परिसज्जित इस्पात की लगभग सभी किस्मों, आकारों और ग्रेडों के उत्पादन में स्टेट-आफ-द-आर्ट प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करके देश में इस्पात क्षेत्र को सुदृढ़ किया है, जिसकी गुणवत्ता और लागत प्रतिस्पर्धात्मकता की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना की जा सकती है।

(ग) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की वसूली से भारतीय इस्पात उद्योग से वर्ष 2000-2001 के दौरान कुल अर्जित राजस्व लगभग 7,480.65 करोड़ रुपए हैं।

(घ) देश में इस्पात का उत्पादन मांग से अधिक हैं और इस्पात उद्योग इस्पात की मांग को पूरा करने में सक्षम है। अत: इस समय देश में इस्पात की कोई कमी नहीं है।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी केन्द्र

4299. श्री ए. ब्रह्ममैया: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं;

(ख) ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्रों की भूमिका क्या है और इनका क्या प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम की कोई समीक्षा कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पूरक पोषण, स्कूल-पूर्व शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाओं जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों में छ: वर्ष से कम आयु के बच्चे, गर्भवती और शिशुवती माताएं तथा किशोरियां शामिल हैं।

विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम का शिशु मृत्यु-दर प्रसवोपरान्त देखभाल, बच्चों के पोषण दर्जे, टीकाकरण तथा स्कूलों में नामांकन पर निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ा है।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्यक्रम में हुई प्रगति की उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जाती है और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ियों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	32215
2.	अरूणाचल प्रदेश	1426
3.	असम	14846
4.	बिहार एवं झारखण्ड	33327
5.	छत्तीसगढ़	19485
6.	गोवा	1021
7.	गुजरात	30158
8.	हरियाणा	13544
9.	हिमाचल प्रदेश	7122
10.	जम्मू व कश्मीर	6261
11.	कर्नाटक	40066
12.	केरल	20389
13.	मध्य प्रदेश	35052
14.	महाराष्ट्र	44987
15.	मणिपुर	4308
16.	मेघालय	2148
17.	मिजोरम	1239
18.	नागालैंड	2556
19.	उड़ीसा	31855
20.	पंजाब	12872
21.	राजस्थान	26477
22.	सिक्किम	480
23.	तमिलनाडु	31618

1	2	3
24.	त्रिपुरा	3459
25.	उत्तर प्रदेश	52243
26.	उत्तरांचल	3807
27.	पश्चिम बंगाल	41408
28.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	425
29.	चण्डीगढ़	300
30.	दिल्ली	3842
31.	दादर व नगर हवेली	125
32.	दमन व द्वीव	77
33.	लक्षद्वीप	74
34.	पांडिचेरी	677
	कुल	519889

कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी

4300. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी सरकारी क्षेत्र का शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी और लाभार्जन करने वाला उपक्रम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कम्पनी ने कितना लाभ अर्जित किया;

(ग) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी ने 25 जुलाई, 2001 से अपना खनन कार्य बन्द कर रखा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा अर्जित निवल लाभ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कर-पश्चात् निवल लाभ
2000-2001	58.50
1999-2000	58.51
1998-1999	18.53

(ग) के.आई.ओ.सी.एल. ने 25 जुलाई, 2001 से 3 अगस्त, 2001 तक अपने खनन कार्यकलाप रोक दिए थे।

(घ) के.आई.ओ.सी.एल. को 30 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा दिया गया था, जो जुलाई, 1998 में समाप्त हो गया है। उसके बाद के.आई.ओ.सी.एल. को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए जो अस्थाई कार्य-परमिट दिए गए थे। इस परमिट के अनुसार खनन प्रचालन किए जा रहे थे। तथापि दूसरे कार्य-परमिट की वैधता अवधि 24 जुलाई, 2001 को समाप्त हो गई। चूंकि कम्पनी के पास अपने खनन पट्टे का दीर्घकालीन नवीकरण नहीं है और कार्य परमिट की अवधि आगे नहीं बढ़ाए जाने के कारण भी, के.आई.ओ.सी.एल. को 25.7.2001 को अपना खनन प्रचालन बन्द करना पड़ा था। खनन प्रचालन जारी रखने के लिए भारत सरकार/कर्नाटक सरकार ने तीन और माह की अवधि के लिए कार्य करने की अनुमति दे दी है। इससे 4 अगस्त, 2001 से पुन: खनन प्रचालन शुरू हो गया है।

असम में हत्याएं

4301. श्री किरीट सोमैया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त 2001 के दौरान आतंकवादियों ने गुवाहाटी में 10 लोगों की हत्याएं की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001 के दौरान और आज तक पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादियों द्वारा राज्य-वार कितने लोगों की हत्याएं की गई; और

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड के कार्यकर्त्ताओं द्वारा 5.8.2001 को अबादीपारा,

पुलिस स्टेशन बिजनी (बोंगाईगांव) में किए गए एक शक्तिशाली इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आई.ई.डी.) विस्फोटक के कारण केन्द्रीय रिजर्व बल के 8 कर्मी और 2 सिविलियन मारे गए थे।

(ग) चालू वर्ष 2001 (31 जुलाई, 2001 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादियों द्वारा 107 सुरक्षा बल कर्मियों और 395 सिविलियनों की हत्या की गई। राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

राज्य	आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की संख्या	
	मारे गए सुरक्षा बलों के कर्मियों की संख्या	मारे गए सिविलियनों की संख्या
असम	44	168
मेघालय	09	15
मणिपुर	15	54
नागालैंड	–	5
मिजोरम	–	–
अरूणाचल प्रदेश	8	–
त्रिपुरा	31	153

(घ) पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में अर्द्ध सैनिक बलों और सेना की तैनाती, विद्रोह विरोधी अभियानों के लिए सेना, अर्द्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस द्वारा समन्वित कार्रवाई करना, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारक) अधिनियम, 1967 के अधीन मुख्य विद्रोही ग्रुपों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित करना, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अधीन विद्रोह प्रभावित राज्यों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करना, राज्य सरकारों को सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना और राज्य पुलिस बल का आधुनिकीकरण/उन्नयन करना शामिल है। राज्य और केन्द्रीय सरकार, दोनों स्तर पर, स्थिति का पुनरीक्षा की जा रही है।

जेल सुधारों सम्बन्धी रिपोर्ट

4302. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जेल सुधारों सम्बन्धी न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर समिति की रिपोर्ट को सरकार द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई विचार-विमर्श किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रासायनिक उर्वरकों की उत्पादन लागत

4303. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर रासायनिक उर्वरकों की उत्पादन लागत की तुलना में देश में रासायनिक उर्वरकों की उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) क्या देश में रासायनिक उर्वरकों की लागत बहुत अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) देश में रसायन उर्वरकों की उत्पादन लागत अलग-अलग एककों में अलग-अलग हैं जो प्रौद्योगिकी उपयोग में लाये गये फीड-स्टाक, संयंत्र के पुरानेपन और कच्चे मालों के स्रोत से दूरी आदि पर निर्भर करती है। वर्तमान में देश में रसायन उर्वरकों की उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक है। उच्च लागत मुख्यत: भारत के फीट-स्टाक/कच्चे माल की उच्च लागत के कारण हैं। नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के मामले में निर्यातक देशों में संयंत्र सामान्यत: प्राकृतिक गैस पर आधारित हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, उन देशों में प्राकृतिक गैस की लागत लगभग 1 अमेरिकी डालर प्रति मिलियन बी टी यू या इससे कम है जबकि भारत में लैंड फाल प्वाइंट पर स्थित गैस आधारित संयंत्रों के लिए सुपुर्दगी लागत 2 अमेरिकी डालर और एचबीजे पाइपलाइन पर स्थित गैस आधारित संयंत्रों के लिए 2.5 से 2.6 अमेरिकी डालर है। नेफ्था और ईंधन तेल पर आधारित संयंत्रों की फीडस्टाक लागत अभी भी उच्च है। कारखाना द्वार पर नेफ्था की सुपुर्दगी लागत 7 अमेरिकी डालर से अधिक है और ईंधन तेल की सुपुर्दगी

लागत 6 अमेरिकी डालर प्रति मिलियन बी टी यू के आस-पास हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में देश में यूरिया की उच्च उत्पादन लागत प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में बाधाओं के कारण है जो कि यूरिया उत्पादन के लिए एक वरीय फीडस्टाक है। यूरिया के निर्माण के लिए एल एन जी का आयात करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं जिसकी यूरिया निर्माण के लिए नेफ्था से सस्ते होने की आशा है।

फास्फेटिक उर्वरकों के संबंध में आयातित मध्यवर्तियों से भारत में निर्मित डीएपी की लागत डीएपी की ही अवतरित लागत से अधिक बैठती है।

किशोरियों की शिक्षा

4304. श्री महबूब जहेदी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न संगठनों ने भारत सरकार के साथ किये गये एक संयुक्त अध्ययन में अनौपचारिक प्रणालियों के माध्यम से किशोरियों को शिक्षित करने पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हां। भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के संयुक्त शिक्षा कार्यक्रम (जनशाला) के तत्वावधान में अनौपचारिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से किशोरियों को शिक्षित करने संबंधी अनुभवों को सुव्यवस्थित करने के लिए 'एज्युकेटिंग एडोलिसैंट गर्ल्स-ओपनिंग विंडोज' शीर्षक के तहत एक अध्ययन किया गया है।

(ख) सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने तथा महिला सशक्तीकरण के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, लोक जुम्बिश, जनशाला और महिला समाख्या के माध्यम से किशोरियों की शिक्षा के लिए अनेक प्रयास किये हैं। इन कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य हेतु पाठ्यक्रमों, कैम्प स्कूलों आदि के माध्यम से किशोरियों को औपचारिक स्कूल पद्धति की मुख्यधारा में लाने संबंधी नीतियां तैयार करना है। सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा की नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में किशोरियों की शिक्षा का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ-साथ समेकित बाल विकास योजना के तहत किशोरी शक्ति योजना का लक्ष्य अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से किशोरियों को साक्षरता तथा अंकगणितीय कौशल प्रदान करना है।

बी.सी.सी.एल. के सम्मुख भूमि विवाद के लंबित मामले

4305. श्री बसुदेव आचार्य: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2001 की तिथि के अनुसार बी.सी.सी.एल. के सम्मुख भूमि विवाद के लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) भूमि विवाद में कितना क्षेत्र शामिल है और इसके अंतर्गत कोयला भंडार की मात्रा कितनी है;

(ग) उनके लंबित होने के क्या कारण हैं और इसमें संलिप्त रोजगार और मुआवजा मुद्दों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिये क्या कदम उठाये गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार बी.सी.सी.एल. में भूमि-विवाद के 30 मामले लंबित पड़े हैं।

(ख) इसमें 886.93 एकड़ क्षेत्र अन्तरग्रस्त है तथा इस भूमि के भीतर अनुमानत: 102.56 मिलियन टन का कोयला भंडार है।

(ग) इनके लंबित पड़े होने के कारण मुख्यतया निम्नानुसार है:-

1. रोजगार की अत्यधिक मांग होना।
2. भू-मालिकों/भू-वंचितों के मध्य अपने आश्रित को रोजगार हेतु नामांकित करने के संबंध में आपस में विवाद होना।
3. सिविल अदालतों में लंबित मामले जिनमें न्यायिक संवीक्षा तथा आदेश अन्तरग्रस्त हैं।
4. भू-मालिकों द्वारा सी.आई.एल. का मुआवजा/पुनर्वास पैकेज स्वीकार न किया जाना।

(घ) मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए जहां तक व्यवहार्य होता है जिला प्रशासन तथा जनता के प्रतिनिधियों के सहयोग से विरोधी पक्षों से बातचीत की जा रही है।

यूरिया परियोजनाओं का कार्य पूरा किया जाना

4306. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन आवेसी:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यूरिया के आयात के बारे में 27.2.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 986 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इण्डो-ओमान उर्वरक परियोजना, इण्डो-ईरान संयुक्त उद्यम परियोजना और एस.पी.आई.सी. फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, यू.ए.ई. का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन संयुक्त उद्यमों की कंपनियों द्वारा प्रतिवर्ष कुल कितनी यूरिया के उत्पादन की संभावना है और इन परियोजनाओं में कुल कितनी धनराशि अन्तर्लिप्त है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ग) इंडो-ओमान फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट, इंडो-ईरान उद्यम परियोजना एवं स्पीक फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, यू.ए.ई. के अपेक्षित विवरण प्रत्येक परियोजना के समक्ष दिए गए हैं:-

क्र.सं.	परियोजना/देश का नाम	परियोजना का अनुमानित लागत (मिलियन अमेरिकी डालर)	क्षमता लाख मी. टन में (प्रतिवर्ष)	अवस्थिति
1.	स्पीक फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, यूएई	170	4.0	परियोजना ने जून, 2001 के अन्त तक 57% की समग्र प्रगति की है। वर्ष 2002 की अन्तिम तिमाही तक परियोजना के प्रारम्भण की सम्भावना है।
2.	ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी एसएओसी, ओमान	969	16.52 यूरिया 2.48 मर्चेंट अमोनिया	यूरिया उठान समझौता बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास विचाराधीन है। परियोजना को वित्तीय समाप्ति के 35 महीने के अन्दर पूर्ण करने का लक्ष्य है।
3.	इंडो-ईरान संयुक्त उद्यम परियोजना, ईरान	470	7.26 यूरिया	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। परियोजना विचार के अत्यन्त प्रारम्भिक चरण में है एवं सरकार के पास अब तक निवेश अनुमोदन के लिए नहीं भेजी गयी है।

विश्वविद्यालयों में पुनर्मूल्यांकन परिणाम

4307. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा परिणामों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पुनर्मूल्यांकन परीक्षा परिणामों की घोषणा में चार-पांच महीने का समय लगने के क्या कारण हैं जबकि सामान्यतया किसी परीक्षा के परिणामों को घोषित करने में दो महीने का समय लगता है;

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या अंकों में 5% तक की वृद्धि की अनदेखी कर दी जाती है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस मामले में कौन से सुधारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (च) विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय है और परीक्षा परिणामों के पुनर्मूल्यांकन सहित सभी शैक्षिक मामले विश्वविद्यालयों की शैक्षिक परिषद्/कार्यकारी परिषदों के अंतर्गत आते हैं। पुनर्मूल्यांकन पद्धति में सुधार लाने के लिए विश्वविद्यालयों के संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हों, करने अपेक्षित होते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया मूल मूल्यांकन की तुलना में एक लम्बी प्रक्रिया है। तथापि, विश्वविद्यालय ने एक प्रश्न-पत्र के पुनर्मूल्यांकन परिणामों को 45 दिनों के अन्दर घोषित करने संबंधी कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

खनन पट्टा बढ़ाया जाना

4308. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड का खनन पट्टा 20 साल और बढ़ाये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एम.ओ.ई.एफ. ने पट्टा अवधि को कम करके पांच साल कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पांच साल बाद कुद्रेमुख के श्रमिकों के पुनर्वास के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1999 में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत कर्नाटक सरकार ने चिकमंगलूर जिले में मैसर्स के.आई.ओ.सी.एल. के पक्ष में 4605 हेक्टेयर क्षेत्र जिसमें 3203.55 हेक्टेयर वन भूमि है, के संबंध में खनन पट्टा 909 के नवीकरण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सर्वोच्च न्यायालय में चल रही जनहित याचिका के कारण इस प्रस्ताव के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) फिलहाल इस प्रकार की कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती।

शैक्षिक स्तर में सुधार

4309. श्री महबूब जहेदी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और यूनीसेफ ने दिल्ली में शैक्षिक स्तर और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कोई समझौता किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने यूनीसेफ, एन.सी.ई.आर.टी. और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से खराब प्रदर्शन करने वाले 50 स्कूलों के शैक्षणिक कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने की पहल की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यूनीसेफ द्वारा ऐसे स्कूलों को चलाने के लिये कौन से आदान उपलब्ध कराये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार शिक्षा विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा यूनिसेफ ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शैक्षिक स्तर में सुधार के लिए एक समझौता किया है। यूनिसेफ और राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् अध्यापकों को प्रशिक्षण देकर और उन्हें प्रेरित करके गुणवत्ता में सुधार के लिए सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

बी.सी.सी.एल. द्वारा मशीनों की खरीद

4310. श्री वसुदेव आचार्य: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 2000 तक बी.सी.सी.एल. द्वारा कोयला काटने वाली मशीनों और अर्थ मूविंग उपकरणों की खरीद में कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) चालू, बेकार पड़ी और खराब पड़ी मशीनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी मशीनों में कितनी धनराशि फंसी है और कितनी धनराशि मूल्य-ह्रास के रूप में व्यर्थ हो गई है तथा उस पर

2000-2001 के दौरान कितनी ब्याज राशि का भुगतान किया जा रहा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) बी.सी.सी.एल. द्वारा पिछले 9 वर्षों में अर्थ मूविंग मशीनरी के खरीदने के लिए किया गया व्यय 393 करोड़ रुपए है। बी.सी.सी.एल. ने गत 9 वर्षों में कोयला कटिंग की कोई मशीन नहीं खरीदी है।

(ख) प्रचालनशील, बेकार पड़ी तथा खराब अवस्था में पड़ी हुई मशीनों की संख्या निम्नानुसार है:-

हैम	प्रचालनशील	बेकार	खराब
	642	शून्य	73

सभी कोयला कटिंग मशीनें अप्रचलित है। तथापि चार मशीनें प्रचालन में हैं।

(ग) 2000-2001 के दौरान ऐसी मशीनों में अवरूद्ध पूंजी तथा मूल्यह्रास के तौर पर अपक्षय राशि, उस पर दिया जा रहा है ब्याज निम्नानुसार है:-

(1) हैम (करोड़ रुपये में)

	निवेश	मूल्यह्रास 2000-2001	ब्याज 2000-2001
बेकरा पड़े हैम	शून्य	शून्य	शून्य
खराब पड़े हैम	40.0	4.54	2.61

इन हैमों को मरम्मत के बाद पुन: प्रयोग में लाया जाएगा।

(2) सी.सी.एम.

अवरुद्ध पूंजी	-	शून्य
2000-2001 के मूल्यह्रास तथा ब्याज	-	शून्य

शिक्षा नीति की समीक्षा

4311. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में कुरान जलाए जाने की घटना

4312. **श्री के. येरनायडू**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मार्च, 2001 में दिल्ली पुलिस से दिल्ली में कुरान जलाए जाने की घटना की जांच करने को कहा था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह जांच पूरी हो चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने मर्कांजी जमात अहलेहादीस हिंद के सेक्रेटरी जनरल, श्री अब्दुल वहाब खिल्जी द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर तुगलक रोड पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153-क, 153-ख, 259-क और 34 के अंतर्गत 13 मार्च, 2001 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, आरोप लगाया गया था कि बामियान, अफगानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने के विरुद्ध विरोध जाहिर करने हेतु 5 मार्च, 2001 को आयोजित एक प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शनकारियों ने पवित्र कुरान की एक प्रति जलाई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिन्हें बाद में न्यायालय द्वारा प्रदान की गई जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस मामले में जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है और स्थानीय पुलिस ने मामले की कानूनी दृष्टि से छानबीन करने हेतु, इसे अभियोजन शाखा को भेज दिया है।

'बंगलादेश राइफल्स' की तरफ से उत्पन्न नया खतरा

4313. **श्री अनन्त नायक**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'बंगलादेश राइफल्स' की तरफ से पुन: नया खतरा उत्पन्न हुआ है और उसके द्वारा देश के पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र पर हमला करने का प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बंगलादेश राइफल्स द्वारा त्रिपुरा-कचार-मिजोरम क्षेत्र में भारत-बंगलादेश सीमा स्थित कुछ बाहरी चौकियों पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त बल के कुप्रयास को विफल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) पूर्वी खासी जिला, मेघालय में परिदिवाह के गांव में अनुचित और अकारण घुसपैठ तथा अप्रैल, 2001 में भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ बोराईबाड़ी में 16 सीमा सुरक्षा बल कर्मियों की नृशंस हत्या के पश्चात् भारत-बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेश राइफल्स बलों द्वारा ताजा हमलों की कोई रिपोर्टें नहीं हैं।

(ङ) सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा सड़कों का निर्माण, सीमा पर बाड़ लगाना, सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना, भूमि और नदी तटीय सीमा, दोनों पर गश्त गहन करना, निगरानी मचानों की संख्या बढ़ाना, नाईट विजिन डिवाइसिस सहित निगरानी उपकरण उपलब्ध कराना आदि शामिल है। इस मामले को समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर बांग्लादेश सरकार के साथ भी उठाया गया है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभा

4214. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्यमान भारतीय प्रतिभा भारत को एक अधिक विकसित देश बनाने में योगदान कर सकती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.बी.सी.) ने प्रतिभा सम्पन्न युवाओं को एक सृजनात्मक वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय विज्ञान निकाय बनाने की मांग की है, जिसका एक-एक केन्द्र प्रत्येक तहसील तथा प्रमुख ग्रामों में रहे; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) और (ख) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भारतीय प्रतिभाओं में देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की अपार क्षमता विद्यमान है। भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों की श्रेणियों में मौलिक विज्ञान से लेकर रणनीति के क्षेत्रों जैसे परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष अनुसन्धान, रक्षा, कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि तथा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे दूसरे क्षेत्रों में अपवाद स्वरूप काफी सशक्त प्रतिभाएं मौजूद हैं जो निकट भविष्य में भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। इसे मान्यता प्रदान करते हुए सरकार ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विजन 2020 तैयार किया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त श्री एन. विट्ठल ने 11.05.2001 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर व्यक्तिगत तौर पर "भारत तथा प्रौद्योगिकी" विषय पर एक व्याख्यान दिया था जिसमें प्रौद्योगिकी के विकास एवं सुधार के लिए विशेषरूप से प्रत्येक तालुका तथा प्रमुख गांवों में सबसे निचले स्तर पर राष्ट्रीय व्यापक सामुदायिक विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करने का एक सुझाव दिया गया था। सरकार ने इसे नोट कर लिया है।

एन.आई.एस.सी.ओ.एम. में कार्यरत वैज्ञानिकों की स्थिति

4315. **डा. बलिराम:**
श्री एस. अजय कुमार:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (सी.एस.आई.आर. के एक संघटक प्रतिष्ठान) में कार्यरत कर्मचारी वहां दस वर्षों से अधिक समय से अस्थायी/ठेके पर काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो जून 2001 की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सक्षम प्राधिकारी का विचार इन कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हां।

(ख) सी.एस.आई.आर. की एक घटक इकाई राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (एन.आई.एस.सी.ओ.एम.) में दस वर्ष से अधिक समय से ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों का जून, 2001 की स्थिति के अनुसार ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	समूह/ग्रेड	वेतनमान	कर्मचारियों की संख्या
1.	II (1)	रु. 3050-4590	11
2.	I (1)	रु. 2550-3200	13

(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के आधार पर एन.आई.एस.सी.ओ.एम. में कार्यरत अनियत कर्मचारियों सहित सी.एस.आई.आर. में ऐसे कर्मचारियों के आमेलन हेतु "अनियत कर्मचारी आमेलन योजना 1990" नामक एक योजना तैयार की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शिक्षा का विस्तार

4316. श्री पी.आर. खुंटे: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों को विशेषकर छत्तीसगढ़ को शिक्षा के विस्तार के लिए राज्यवार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा किए गए कार्य की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) शिक्षा का विस्तार करने हेतु विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहित विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्रीय प्रभारी-अधिकारियों के रूप में पदनामित किया है जो राज्यों/संघ शासित राज्यों में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को मानीटर करने के लिए नियमित दौरे करते हैं। राज्यों द्वारा भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिए गए अनुदानों से संबंधित व्यय के लेखे भेजने होते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से बजट दस्तावेज प्राप्त किए जाते हैं तथा इसके विश्लेषण किया जाता है ताकि शिक्षा संबंधी आयोजना को सुकर बनाया जा सके तथा योजनागत व्यय का समयबद्ध अनुवीक्षण किया जा सके।

विवरण

1999-2000 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी की गई निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	32709.71
2.	अरूणाचल प्रदेश	178.84
3.	असम	7550.52
4.	बिहार*	4734.84
5.	गोवा	57.35
6.	गुजरात	3498.85
7.	हरियाणा	2538.59
8.	हिमाचल प्रदेश	2198.46
9.	जम्मू एवं कश्मीर	89.38
10.	कर्नाटक	14901.34
11.	केरल	2439.03
12.	मध्य प्रदेश*	19267.44
13.	महाराष्ट्र	5627.13
14.	मणिपुर	340.10

1	2	3
15.	मेघालय	19.05
16.	मिजोरम	535.77
17.	नागालैंड	153.55
18.	उड़ीसा	5779.53
19.	पंजाब	1542.79
20.	राजस्थान	11212.14
21.	सिक्किम	111.26
22.	तमिलनाडु	4334.31
23.	त्रिपुरा	285.99
24.	उत्तर प्रदेश*	15995.21
25.	पश्चिम बंगाल	4470.23
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	16.62
27.	चंडीगढ़	18.46
28.	दादर व नगर हवेली	6.52
29.	दमन व दीव	1.31
30.	दिल्ली	529.92
31.	लक्षद्वीप	3.73
32.	पांडिचेरी	80.55
	कुल	141228.52

*बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में नवगठित राज्यों क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल के क्षेत्र शामिल हैं।

[अनुवाद]

डी.डी.ए. द्वारा एम.आई.जी. फ्लैटों का निर्माण

4317. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण पश्चिम विहार, दिल्ली में उस भूमि पर एम.आई.जी. फ्लैटों का निर्माण कर रहा है जिसे प्रारम्भ में डिस्ट्रिक्ट पार्क दिखाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मास्टर प्लान का उल्लंघन नहीं है;

(ग) यदि नहीं, तो पश्चिम विहार आवासीय कालोनी में मास्टर प्लान 1962 और मास्टर प्लान 2001 के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित हरित क्षेत्रों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में अन्य कौन-कौन सी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्होंने आऊटर रिंग रोड पर डी.टी.सी. डिपो तथा ग्रुप हाउसिंग पाकेट सं.-1 (जी.एच.-1), पश्चिम विहार के बीच अवस्थित 2.30 हेक्टेयर जमीन पर 304 एम.आई.जी. फ्लैटों का निर्माण शुरू किया है। "जी" जोन के ड्राफ्ट जोनल प्लान के अनुसार भूमि के कथित प्लॉट का भू-उपयोग आवासीय है।

(ग) 1063 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र वाली पश्चिम विहार स्कीम की योजना 2.01 लाख आबादी के लिए बनायी गई है। क्षेत्रीय योजना (जोनल प्लान) के अनुसार जी-17 जोन (पश्चिम विहार) में 197 हेक्टेयर क्षेत्र हरित क्षेत्र के लिए निर्धारित है। एम.पी.डी., 1962 तथा एम.पी.डी. 2001 के अनुसार इस क्षेत्र के लिए क्रमशः 123 हेक्टेयर तथा 100 हेक्टेयर हरित क्षेत्र की आवश्यकता है।

(घ) डी.डी.ए. द्वारा सूचित किया गया है कि इस क्षेत्र में 1 पालीटेक्निक, 3 अस्पताल, 1 महाविद्यालय, 11 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 31 प्राथमिक विद्यालय तथा 63 नर्सरी विद्यालय उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा 1 डिस्ट्रिक सेंटर 3 सामुदायिक केन्द्र तथा 16 लोकल शापिंग सेंटर उपलब्ध कराने की भी प्रस्ताव है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल योजना

4318. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल मुहैया कराने हेतु राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं की निगरानी करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी किस प्रकार निगरानी की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) ग्रामीण चल आपूर्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन

संबंधी प्रगति की निगरानी राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई आवधिक रिपोर्टों के जरिए की जाती है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य पेयजल आपूर्ति विभाग के क्षेत्र अधिकारियों के जरिए भी शुरू किया गया है। ये क्षेत्र अधिकारी अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्यों का आवधिक दौरा करते हैं और अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई की जानकारी देते हैं जिन्हें राज्य सरकारों को कार्रवाई करने के लिए बताया जाता है। इसके अलावा, ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की निधियां दो किस्तों में जारी की जाती हैं। दूसरी किस्त जारी करते समय निधियों के इस्तेमाल संबंधी प्रमाण-पत्र, लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र और कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की जांच की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

बुनियादी सुविधाओं हेतु आंध्र प्रदेश को निधियां

4319. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के आंध्र प्रदेश सरकार से लगभग 47 हजार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने तथा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं की प्राइमरी शिक्षा के प्रावधान हेतु वित्तीय सहायता मांगते हुए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने इस योजना में अपने हिस्से की धनराशि खर्च करने की अपनी इच्छा से भी सरकार को अवगत कराया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दो प्रस्ताव भेजे थे जो इस प्रकार है: (I) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास विभाग की तकनीकी सहयोग निधियों को प्रयुक्त कर आंध्र प्रदेश के स्कूलों में जल तथा स्वच्छता की समेकित परियोजना नामक एक योजना के माध्यम से वर्षा के पानी के संग्रह तथा स्कूलों में स्वच्छता संबंधी प्रस्ताव (II) सर्व शिक्षा अभियान योजना जिसमें लड़कियों की शिक्षा के कार्यक्रमों को भी शामिल किया है, के तहत्, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा तथा हैदराबाद नामक आंध्र प्रदेश के चार जिलों जिनमें जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू नहीं किए गए हैं, के लिए जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं के अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव।

उपर्युक्त प्रस्ताव (I) के संबंध में यह पाया गया कि जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना के क्षेत्र में नहीं आता और यह बात आंध्र प्रदेश सरकार को पहले ही सूचित की जा चुकी है। जहां तक (II) में उल्लिखित प्रस्ताव का संबंध है, जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है और इस योजना के मानदंडों के अनुसार अनुमोदन के पश्चात् आवश्यक राशि जारी की जाएगी।

सर्व शिक्षा अभियान की योजना के अन्तर्गत यह सहायता केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच नौवीं योजना के दौरान 85:15, दसवीं योजना के दौरान 75:25 और उसके पश्चात् 50:50 की भागीदारी के आधार पर होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष के दौरान 15 प्रतिशत के अपने हिस्से को वहन करने की अपनी सहमति पहले ही दे दी है।

स्थानीय निकायों द्वारा अवैध निर्माणों को नष्ट किये जाने पर आने वाली लागत की वसूली

4320. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थानीय निकायों/प्राधिकारियों ने गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में गिराये गये गैर कानूनी/अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों के मालिकों से इस कार्य पर आई लागत वसूल कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक स्थानीय निकाय/प्राधिकारी द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इस संदर्भ में उसके द्वारा वसूल की गई राशि का वर्ष-वार विवरण इस प्रकार है:-

(i) 1999-2000	2,40,840/- रु.
(ii) 2000-2001	2,65,525/- रु.
(iii) 2001 से अब तक	1,61,175/- रु.

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उसने ऐसे निर्माणों को गिराए जाने पर आने वाली लागत की वसूली अभी तक मालिकों से नहीं की है। तथापि, उसने अवैध निर्माणों को गिराए जाने की लागत की रूपरेखा तैयार करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 2001 से विकास क्षेत्र में तथा डीडीए फ्लैटों से इस प्रकार की लागत वसूल करने का निर्णय लिया है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, (एन.डी.एम.सी.) ने सूचित किया है कि वह अवैध निर्माणों को गिराए जाने पर आने वाली लागत की वसूली मालिकों से नहीं करती है। तथापि, वह दोषी व्यक्तियों से अवैध निर्माणों को गिराए जाने पर आने वाली लागत की वसूली के लिए एक तंत्र तैयार करने का काम कर रही है।

हरित पट्टी पर अतिक्रमण और गैर-वानिकी गतिविधियां

4321. श्री शीशराम सिंह रवि: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 अगस्त, 2001 के "द इंडियन एक्सप्रेस" में "एनक्राचमेन्ट, नान-फारेस्ट एक्टीविटीज टेक टाल आन साउथ दिल्ली ग्रीन बेल्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामलों के तथ्य क्या है;

(ग) उक्त वन की बहाली के लिए सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण का क्या प्रस्ताव है और इस उद्देश्य के लिए कितना धन आबंटित किया गया है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा घोषित 'हरित पट्टी' वाले सभी क्षेत्र इस स्थिति का सामना कर रहे हैं और दिल्ली विकास प्राधिकरण 'हरित पट्टी' क्षेत्रों की देखरेख उचित ढंग से नहीं कर रहा है और इस क्षेत्र से अतिक्रमण नहीं हटा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) दिल्ली में हरित पट्टी क्षेत्र/वन क्षेत्र कितना है और इसमें से कितना क्षेत्र उपेक्षित रहा है तथा अतिक्रमण और वृक्षों की कटाई का शिकार हुआ है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि कथित शहरी वन-क्षेत्र में दो बहुत पुराने अतिक्रमण हैं, वे हैं:

(i) मंदिर तथा गैराज (रविदास मंदिर के नाम से ज्ञात) ; और

(ii) एक टैक्सी स्टैंड,

दोनों मामलों में वाद चल रहे हैं।

इसके अलावा, चहारदीवारी के कुछ हिस्से अतिक्रामकों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिये जाते हैं। उनकी नियमित रूप से मरम्मत की जाती है।

(ग) हर साल नए वृक्ष लगाना हरित क्षेत्र के रख-रखाव के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 90 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया है।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के तहत आने वाले हरित क्षेत्रों का उचित रख-रखाव किया जा रहा है। हरित क्षेत्र पर कोई नया अतिक्रमण नहीं होने दिया जाता है प्राधिकरण हरित क्षेत्र से अतिक्रमणों को हटाने तथा झुग्गी-समूहों के अन्यत्र बसाने के लिए भी कदम उठा रहा है।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकार-क्षेत्र में कुल हरित क्षेत्र/वन क्षेत्र 11166.02 एकड़ है। अतिक्रमित के अन्तर्गत करीब 309 एकड़ हैं।

बड़ी उर्वरक परियोजनाएं

4322. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1999 में चार बड़ी उर्वरक परियोजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने अभी तक इन परियोजनाओं को अंतिम स्वीकृति प्रदान नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो अभी तक अंतिम स्वीकृति प्रदान नहीं किए जाने के पीछे क्या औचित्य है; और

(ङ) इस संबंध में एक अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) से (ङ) देश में सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले निम्नांकित चार यूरिया परियोजनाओं को

''सिद्धान्तत:'' अनुमोदन सरकार द्वारा अप्रैल 1999 में सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा निवेश मूल्यांकन की शर्त के साथ किया गया था।

(i) गुजरात में कृभको के हजीरा संयंत्र का विस्तार।

(ii) उत्तर प्रदेश में एफ.सी.आई. के गोरखपुर संयंत्र के मौजूदा स्थल पर कृभको द्वारा एक नये यूरिया संयंत्र की स्थापना।

(iii) महाराष्ट्र में आर.सी.एफ. के थाल संयंत्र का विस्तार।

(iv) आन्ध्र प्रदेश में नेल्लोर में इफको द्वारा एक आधारभूत यूरिया संयंत्र की स्थापना।

जुलाई 1999 में पी.आई.बी. द्वारा इन सभी चार यूरिया परियोजनाओं का निवेश मूल्यांकन किया गया। जून 2000 में इन परियोजनाओं पर अन्तिम निर्णय लेने के लिए एक प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया गया और आस्थगित कर दिया गया। यह प्रस्ताव परियोजना की व्यवहार्यता से संबंधित पी.आई.पी. की अनुशंसाओं, राजसहायता कम करने के लिए फीडस्टाक के रूप में तरलीकृत प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करने की वांछनीयता एवं सीमित मांग-आपूर्ति अन्तर भविष्यवाणियों के कारण प्रस्तावित परियोजनाओं का क्रियान्वयन धीमा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

जम्मू कश्मीर में एक मस्जिद से आतंकवादियों को पकड़ा जाना

4323. श्री नरेश पुगलिया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 2001 के अंतिम सप्ताह में दक्षिण कश्मीर में सोपियां में एक मस्जिद में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए भयंकर गोलीबारी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त गोलीबारी में कितने सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मारे गए/घायल हुए;

(घ) क्या यह सच है कि मस्जिद में छिपे आतंकवादियों को बाद में सुरक्षित जाने दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) किस कारणवश आतंकवादियों को सुरक्षित जाने दिया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जैसी कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट दी गई है 30 मई 2001 को आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर में खरवारा शोपियां जिला पुलवामा में एक मस्जिद पर कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र को सुरक्षा बलों द्वारा घेर लिया गया और आतंकवादियों से आत्मसर्पण करने के लिए कहा गया, परन्तु उन्होंने आत्मसर्पण करने से इन्कार कर दिया और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी आरम्भ कर दी।

दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में सुरक्षा बल का एक जवान और एक विशेष पुलिस अधिकारी मारे गए। किसी भी आतंकवादी के मारे जाने की सूचना नहीं है।

(घ) से (च) धार्मिक स्थलों में शरण लेने के लिए आतंकवादियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपनाई जा रही रणनीति के मुख्य उद्देश्य सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाकर और तब तथाकथित ''जेहाद'' के प्रति आम लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का कर सुरक्षा बलों के विरुद्ध नफरत पैदा करना है। ऐसे सभी अभियानों में सुरक्षा बलों ने धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए संयम से काम लिया है।

सुरक्षा बलों को प्रत्येक विशिष्ट मामले में, जमीनी स्तरीय आवश्यकताओं के आधार पर, उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थितियों से इस ढंग से निपटने और अपने अभियानों को, अभियान के उद्देश्य से समझौता किए बिना, इस प्रकार से संचालित करने की छूट है कि धार्मिक ढाचों को न्यूनतम क्षति पहुंचे।

आंतकवाद से निपटने हेतु रणनीति

4324. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बढ़ते आतंकवाद की समस्या से निपटने हेतु रणनीति का ब्लू प्रिंट तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने भी उन विभिन्न कारणों का उल्लेख किया है जिनके लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होते हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में आतंकवाद का सामना करने के लिए किन ठोस कदमों पर विचार किया जा रहा है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) गुमराह युवकों को फंसाकर और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों का अनुचित लाभ उठाकर और धार्मिक भावनाओं को भड़का कर देश में, आतंकवाद को प्रायोजित करने हेतु सीमा पार से किए जा रहे प्रयासों की सरकार को जानकारी है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों से तालमेल बनाते हुए प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को तेज करने और लोगों की वास्तविक शिकायतों को दूर करने के लिए कदम उठा रही है। सरकार ने आतंकवादियों की गतिविधियों का सामना करने के लिए सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा पार से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सीमा प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना-केन्द्र एवं राज्य सरकारों की विभिन्न एजेन्सियों के बीच परस्पर गहन विचार-विनिमय, आतंकवादियों एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों को समन्वित कार्रवाई द्वारा निष्क्रिय करना, आधुनिकतम हथियारों और संचार प्रणाली आदि के द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल है। समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप अनेक आतंकवादी माडयूल्स निष्क्रिय किए जा चुके हैं।

आतंकवादी ग्रुपों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए उनकी मदद हासिल करने हेतु विभिन्न देशों के साथ कूटनीतिक कदम भी उठाए गए हैं।

सुरक्षा सम्बन्धी व्यय की प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत, राज्यों द्वारा आतंकवादी/उग्रवादी/अतिवादी गतिविधियों का मुकाबला करने पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति भी की जाती है।

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के लिए आमान

4325. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आमान का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके क्या लाभ हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली एम.आर.टी.एस. प्रोजेक्ट ने अपने रालिंग स्टाक के लिए गेज हेतु ''ब्राड गेज'' को अपनाया है।

(ख) रेल मंत्रालय द्वारा बताए गए ब्राड गेज के लाभ निम्नलिखित हैं:-

(i) ब्रॉड गेज में स्टैंडर्ड गेज से 15 प्रतिशत अधिक यात्री ढोने की क्षमता है।

(ii) शहरी तथा उपनगरीय परिवहन प्रणाली के एकीकरण से शहरी तथा उपनगरीय रेल सेवाओं द्वारा उपलब्ध ट्रैकों तथा अन्य महंगी अवस्थापनाओं का इष्टतम उपयोग होता है।

(iii) ब्रॉड गेज उपकरण तथा रॉलिंग स्टॉक के देशी उत्पादन को जारी रखने से स्केलगत कम खर्च होगा।

(iv) शहरी तथा उपनगरीय रेल सेवाओं के एकीकरण से यात्रियों को सुविधा, क्योंकि शहरी तथा उपनगरीय रेल ट्रांजिट प्रणाली सेवाओं के बीच बिना गतिरोध के यात्रा सेवाओं दी जा सकेंगी।

(v) उत्पादन यूनिटों से रालिंग स्टाक की ढुलाई आसान होगी।

महिलाओं के लिए स्वधार योजना

4326. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ''स्वाधार'' नामक उस विशेष योजना को तैयार करने का है जो कि महिलाओं को आश्रय तथा अन्य विभिन्न मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर केन्द्रित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित योजना के वित्तपोषण की क्या व्यवस्था है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, हां। स्कीम को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की निगरानी

4327. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन और उचित निगरानी करने हेतु राज्य सरकारों को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न प्रभाव आंकलन और समवर्ती मूल्यांकनों के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य विशेषकर राजस्थान को इन नए दिशा निर्देशों का निष्पादन करने में कठिनाइयां आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को अद्यतन दिशा-निर्देश अप्रैल, 2001 में जारी किए गए जिनमें ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चहुंमुखी कार्यनीति बतलाई गई हैं और इनमें निम्नलिखित शामिल है:-

1. योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना।
2. पारदर्शिता।
3. लोगों की सहभागिता।
4. पारदर्शिता-सामाजिक लेखा परीक्षा।

(ग) अभी तक इन दिशा-निर्देशों का प्रभाव आंकलन अथवा संगामी मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ) किसी भी राज्य से इन दिशा निर्देशों के अनुपालन करने में होने वाली कठिनाई की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

बंजर भूमि का विकास

4328. राजकुमारी रत्ना सिंह:
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के लिए कितना बजट आबंटित किया गया है;

(ख) यह राशि राज्यवार किस तरीके से व्यय की गई है;

(ग) इससे राज्यवार क्या लाभ प्राप्त हुए है;

(घ) क्या सरकार के पास भूमिहीन श्रमिकों को कृषि भूमि का आबंटन करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे आबंटन का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को कार्यान्वित कर रहा है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत आबंटित बजट निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1.	1998-99	82.10
2.	1999-2000	82.00
3.	2000-2001	130.00
4.	2001-2002	210.00

(ख) और (ग) समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) एक मांग आधारित कार्यक्रम है तथा निधियां परियोजना-दर-परियोजना आधार पर जारी की जाती हैं। इस कार्यक्रम के तहत वाटरशेड विकास परियोजनाएं वाटरशेड संघों तथा वाटरशेड समितियों के जरिए स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ 4 से 5 वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाती हैं। इन परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप भूमि कटाव को रोकने से भूमि की उत्पादकता बढ़ने तथा भू-जल के स्तर में वृद्धि होने, रोजगार के अवसर पैदा होने, परियोजना क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने, आदि जैसे लाभ प्राप्त होते हैं। किसी एक वर्ष में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित निधियां, कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं तथा नई परियोजनाओं के लिए जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी का जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में 31.07.2001 तक समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत (राज्य-वार) जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) चूंकि भूमि राज्य का विषय है अत: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बंजरभूमि का वितरण ऐसी भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए किया जाता है। मार्च, 2000 तक समग्र देश में वितरित की गई बंजरभूमि का कुल क्षेत्र 147.47 लाख एकड़ है। राज्य-वार वितरण का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में

दिया गया है। भूमि वितरित करते समय सरकार गरीब भूमिहीन कृषि श्रमिकों के हित को हमेशा ही ध्यान में रखती है।

विवरण-I

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002 (31.7. 2001 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	981.21	949.08	2181.93	70.00
2.	छत्तीसगढ़	48.10	79.98	322.01	91.98
3.	गुजरात	546.17	491.73	758.14	4.87
4.	हिमाचल प्रदेश	188.42	684.16	818.65	70.00
5.	हरियाणा	90.52	43.78	51.23	0.00
6.	जम्मू और कश्मीर	136.40	100.00	272.06	44.88
7.	झारखंड	0.00	37.63	74.21	0.00
8.	कर्नाटक	513.41	707.33	432.11	0.00
9.	केरल	78.55	0.00	120.39	76.83
10.	महाराष्ट्र	242.53	347.93	345.45	248.49
11.	मध्य प्रदेश	210.53	931.14	763.48	864.50
12.	उड़ीसा	263.19	536.39	573.00	64.84
13.	पंजाब	6.60	7.70	74.61	69.62
14.	राजस्थान	292.55	487.17	971.86	85.67
15.	तमिलनाडु	176.26	484.93	769.87	81.15
16.	उत्तर प्रदेश	1464.51	1462.15	1483.77	154.01
17.	उत्तरांचल	0.00	0.00	327.03	0.00
18.	अरूणाचल प्रदेश	9.00	0.00	0.00	0.00
19.	असम	24.52	197.69	520.01	252.56
20.	मेघालय	0.00	65.09	142.28	0.00
21.	मणिपुर	285.52	167.56	329.56	50.00
22.	मिजोरम	0.00	0.00	451.32	0.00
23.	नागालैंड	465.81	264.42	992.00	47.48
24.	सिक्किम	176.10	261.56	203.00	0.00
	कुल योग-जारी निधियां	6199.90	8307.42	12977.97	2276.86

विवरण-II

मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार सरकारी बंजरभूमि का वितरण

(लाख एकड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वितरित किया गया क्षेत्र
1.	आंध्र प्रदेश	42.02
2.	असम	5.89
3.	बिहार	13.21
4.	गुजरात	13.81
5.	हरियाणा	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	0.17
7.	कर्नाटक	13.72
8.	केरल	4.57
9.	मध्य प्रदेश	0.79
10.	महाराष्ट्र	10.23
11.	मणिपुर	0.32
12.	पंजाब	1.10
13.	उड़ीसा	7.26
14.	तमिलनाडु	2.07
15.	त्रिपुरा	1.32
16.	उत्तर प्रदेश	24.89
17.	पश्चिम बंगाल	4.32
18.	गोवा	0.05
19.	मिजोरम	0.74
20.	राजस्थान	0.93
21.	दिल्ली	0.06
	योग	147.47

[अनुवाद]

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के स्थान पर नये कानून का अधिनियमन

4329. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन आवेसी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1976 भारत में कुछ गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी निधियों के उन्मुक्त प्रवाह को रोक पाने में पूर्णत: असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम को निरसन करने और उसके स्थान पर विदेशी निधियों के उन्मुक्त प्रवाह को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नए कानून को कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) सरकार, वर्तमान कानून में पाई गई कमियों को दूर करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोगिता को शासित करने वाले कानून में कुछेक परिवर्तन करने पर विचार कर रही है।

(ङ) इस समय, कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

मारे गए आतंकवादियों के आश्रितों को मुआवजा

4330. श्री नरेश पुगलिया:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जुलाई, 2001 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित समाचार आतंकवादियों के आश्रितों को सहायता देने से संबंधित खबर की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र ने इस संबंध में पंजाब सरकार को कोई अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) पंजाब सरकार को, पंजाब में उग्रवाद के समय मारे गए सिविलियनों/पुलिसकर्मियों/आतंकवादियों के निकट संबंधी को राहत प्रदान करने हेतु सरकार के विचारार्थ एक प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी गई थी। तथापि, पंजाब सरकार से रिपोर्ट अभी आनी है।

तकनीकी संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रवेश

4331. श्री अशोक प्रधान: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह आयोजन समिति ने वर्ष 1993 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों का नामांकन इस समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के पूर्णतया कोटे के अनुसार किए जाने को सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तकनीकी संस्थानों और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों के सभी वैशिष्ट्यपूर्ण/अति वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ्यक्रमों में विभिन्न संकायों/शाखाओं में स्वीकृत सीटों की वर्षवार संख्या कितनी है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न संकायों/पाठ्यक्रमों के उक्त पाठ्यक्रमों में दाखिला प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या कितनी थी और कुल सीटों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना था; और

(ङ) यदि उक्त सिफारिशों को संतोषजनक रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क)

से (ङ) जी, हां। डा. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह आयोजन समिति ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित कोटा के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के छात्रों के दाखिलें की सिफारिश की है। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेजों सहित केन्द्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थाएं भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करती है। इन संस्थाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अर्हता परीक्षा के अंकों तथा आयु के मामले में भी छूट प्रदान की जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का वास्तविक दाखिले का प्रतिशत संस्था दर संस्था, पाठ्यक्रमों और विभिन्न वर्षों में अलग-अलग होता है। संस्थानों में दाखिलों के सूक्ष्म ब्यौरे केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

महाराष्ट्र की लंबित जलापूर्ति योजनाएं

4332. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 20,000 से कम आबादी वाले छोटे कस्बों में जलापूर्ति योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र राज्य से संबंधित करीब 20 योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ी हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने उक्त योजनाओं की स्वीकृति हेतु निर्धारित मानदंडों में कुछ संशोधन करने के लिए केन्द्र सरकार से निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) जी नहीं। तथापि जुलाई, 1996 में महाराष्ट्र के तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था कि त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के बजाय 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल आपूर्ति मुहैया करने के लिए मानदंड में ढील देने पर विचार करें। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय राशियों की सीमित उपलब्धता के कारण अनुरोध पर विचार करने में अपनी असमर्थता सूचित कर दी थी।

तकनीकी शिक्षा हेतु सहायता

4333. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्य-वार कितनी वित्तीय प्रावधान किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) राज्यों में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर कोई वित्तीय सहयता नहीं दी जाती है। सामान्यत: राज्य सरकारों को अपने तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने बजट में ही प्रावधान करना होता है। तथापि, राज्यों में डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन को लागू करने हेतु विशेष उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता आदि के लिए मंत्रालय कभी-कभी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, जो इस मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय है, कई योजनाओं जैसे आधुनिकीकरण तथा पुराने उपस्करों को हटाना; शोध एवं विकास; तकनीकी शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसके अंतर्गत राज्यों में स्थित तकनीकी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, आदि का संचालन करती है। ऐसी सहायता के लिए कोई राज्यवार बजट का प्रावधान नहीं किया गया है।

"कपार्ट" द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

4334. श्री रामदास आठवले: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "कपार्ट" द्वारा अपनी स्थापना के समय से अभी तक जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार, विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) "कपार्ट" द्वारा राज्यवार, संघ राज्य क्षेत्रवार, स्थानवार और परियोजनावार जिन एजेंसियों को वित्तीय सहायता दी गई है, उनका ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फ्लाइंग शिप

4335. श्री रामनायडू दग्गुबाटि: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमालय और पूर्वोत्तर में यात्रियों को लाने और ले जाने के लिए आई.आई.टी., पवई ने "फ्लाईंग शिप" का विकास किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदराज के मैदानी क्षेत्रों में इसके अधिकाधिक प्रयोग के लिये इस शिप के डिजाइन को कब तक विकसित और पुख्ता कर लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) उत्तरांचल राज्य में सामान तथा यात्रियों को लाने-ले जाने के लिए हवाई जहाजों के डिजाइन तथा विकास हेतु व्यावहारिकता संबंधी अध्ययन आई.आई.टी., मुम्बई में किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी सूचना भविष्यवाणी तथा मूल्यांकन परिषद्, जो विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्थान है, इस व्यावहारिकता अध्ययन की मदद कर रही है। इस अध्ययन से निकाले गए विस्तृत निष्कर्ष अन्य क्षेत्रों हेतु उपलब्ध विकल्पों पर आगे विचार करने और हवाई जहाजों के विकास हेतु विचार करने का आधार बनेगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति में जन सहभागिता

4336. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गांवों में पेय जल उपलब्ध कराने में कोई जन सहभागिता की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कलेक्टरों को दिए गए और उनके पास उपलब्ध उस धन के प्रयोग के लिए विकल्प के रूप में सरकार द्वारा कौन से कदमों को उठाने पर विचार किया जा रहा है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) जी हां।

(ख) अप्रैल, 1999 से ग्रामीण जल आपूर्ति गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर सुधार शुरू किए गए हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण जल आपूर्ति प्रणालियों और स्रोतों का दीर्घकालीन स्थायित्व सुनिश्चित करना है। क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा देश के 26 राज्यों के 63 जिलों का चयन किया गया है। इनमें से 61 परियोजनाओं को अनुमोदित तथा मंजूरी प्रदान की गई है। इसकी अवधारणा में ग्रामीण लोगों को ग्रामीण जल आपूर्ति प्रौद्योगिकी को प्रासंगिक बनाने, अपनी इच्छानुसार ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, मंजूरी, पूंजीगत कार्यों का आंशिक वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रबंध, संचलन एवं रख-रखाव हेतु सुसज्जित करने की परिकल्पना की गई है।

(ग) क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सरकारी निधियां केवल जिला परिषद (जेड पी) अथवा जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी डब्ल्यू एस एम) के नाम पर अलग से खोले गए खातों में सीधे जारी की जाती हैं। योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समुदाय से प्राप्त योगदान को ग्राम जल और स्वच्छता समिति के खाते में रखना होता है। प्राप्त सामुदायिक योगदान, यदि कोई हों, तथा कलक्टरों के पास पड़ा हो, तो इसे ग्राम जल और स्वच्छता समिति के खाते में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

4337. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और महाराष्ट्र में विद्यालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं जहां कम्प्यूटर शुल्क लिया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) दिल्ली और महाराष्ट्र के सभी केन्द्रीय विद्यालयों, जहां शुल्क लिये जा रहे हैं, में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं। कम्प्यूटर के रख-रखाव के लिए प्रति विद्यार्थी 20 रुपये प्रतिमाह की दर से शुल्क लिये जाते हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

4338. श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1.4 लाख ग्रामों को सड़क द्वारा जोड़ने की योजना को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी;

(घ) पहले और दूसरे भाग में ग्रामों को सड़क द्वारा जोड़ने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या पर्वतीय राज्यों और रेगिस्तानी आबादी वाले क्षेत्रों के मामले में किसी रियायत पर विचार किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सभी आबादी वाले क्षेत्रों को सड़क द्वारा कब तक जोड़े जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (छ) जी, हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से न जुड़ी बसावटों को बारह-मासी सड़कों से जोड़कर इस तरह सड़क संपर्क मुहैया कराना है ताकि 1000 व्यक्तियों या उससे अधिक की आबादी वाले संपर्कहीन बसावटों को तीन वर्षों में और 500 व्यक्तियों या उससे अधिक की आबादी वाली संपर्कहीन बसावटों को 10वीं योजना अवधि (2007) के अंत तक सड़क संपर्कता मुहैया कराई जा सके। ऐसा अनुमान है कि कार्यक्रम की कुल लागत लगभग 60000 करोड़ रु. हो सकती है।

पहाड़ी राज्यों (पूर्वोत्तर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल) और मरूभूमि क्षेत्रों के संदर्भ में, इसका उद्देश्य 250 व्यक्तियों या उससे अधिक की आबादी वाली बसावटों को सड़कों से जोड़ना होगा।

कालेजों को स्वायत्तता देना

4339. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज तक राज्य-वार कितने कालेजों को स्वायत्ता दी गई है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में कालेजों को स्वायत्तता देने के प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चलायी जा रही स्वायत्त कालेज योजना के तहत अब तक आठ राज्यों में स्थित 29 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले 131 कालेजों को स्वायतत्ता प्रदान की गयी है। इन कालेजों का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों में स्थित कालेजों को स्वायतत्ता प्रदान करने के संबंध में 42 प्रस्ताव इस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास लम्बित हैं। इन कालेजों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व संबंधित राज्य सरकार की सहमति आवश्यक है। अत: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वो संबंधित कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा देने के संबंध में अपनी सहमति से अवगत करायें।

विवरण-I

स्वायत्त कालेजों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	कालेजों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	गुजरात	01
3.	हिमाचल प्रदेश	05
4.	मध्य प्रदेश	40
5.	महाराष्ट्र	03
6.	उड़ीसा	11
7.	तमिलनाडु	48
8.	उत्तर प्रदेश	04

विवरण-II

कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा प्रदान करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	कालेजों की संख्या
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	01
2.	आंध्र प्रदेश	04
3.	बिहार	01
4.	कर्नाटक	19
5.	महाराष्ट्र	02
6.	मध्य प्रदेश	01
7.	उड़ीसा	02
8.	तमिलनाडु	11
9.	नागालैंड	01

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.01 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.01 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, हर रोज सदन की बैठक स्थगित हो रही है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह शून्यकाल नहीं है। आप यह मुद्दा आज नहीं कल उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने आप को पहले ही बता दिया है आप आज नहीं कल इस मामले को उठा सकते हैं? कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अपील करता हूं कि आप कल शून्य काल में इस मामले को उठा सकते हैं। आपको अभी नहीं कल मौका दिया जाएगा। कृपया प्रत्येक समय को शून्यकाल में तबदली मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.¼ बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं डा. मुरली मनोहर जोशी जी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) (एक) भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अंतर्गत, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4008/2001]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत विदेशी अभिदाय (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2001, जो 26 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 557 (अ) में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4009/2001]

(2) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 34 की उप-धारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्ष 1998-99 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 4010/2001]

अपराह्न 2.01$^{1}/_{2}$ बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री राम सजीवन (बांदा): महोदय, मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की 20 मार्च, 2001 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.01$^{3}/_{4}$ बजे

मणिपुर बजट

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): महोदय, मैं वर्ष 2001-2002 के लिए मणिपुर राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के बारे में विवरण प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4011/2001]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मंत्री जी का वक्तव्य होगा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.02 बजे

(इस समय श्री चन्द्रनाथ सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी जगह पर जाइए। आपको कल जीरो आवर में चांस मिलेगा। यह जीरो आवर नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश, आपको अपनी सीट पर जाना होगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं। यह संभा में व्यवहार करने का तरीका नहीं है। आपका व्यवहार अनुचित है और मैं इसे गम्भीरता से लेता हूं। कृपया अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप कल इसे उठा सकते हैं। यह शून्य काल नहीं है। कृपया सदन में पत्येक चर्चा को शून्य काल में तबदील मत कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अखिलेश, कृपया अपनी सीट पर जाइए। मैं श्री चन्द्रशेखर को अनुरोध रखने के लिए बुला रहा हूं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.03 बजे

(इस समय श्री चन्द्रनाथ सिंह तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए)

अपराह्न 2.04 बजे

भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निधियों के कुप्रबंधन के बारे में

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सवाल इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि सारे देश में चर्चा है कि एक औद्योगिक घराना सारी राज व्यवस्था पर काबिज हो गया है। चाहे वह हमारी व्यवस्थापिका हो या हमारी कार्य-पालिका हो, हर जगह पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। उसके बारे में एक बार नकवी जी ने चर्चा उठाई और एक बार प्रियरंजन दासमुंशी जी ने उठाई, लेकिन उस चर्चा के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कई दिनों तक अखबारों में खबरें छपती रहीं कि उस घराने ने 390 रुपये पर जो शेयर भारत सरकार को बेचा था, उस शेयर को 60 रुपए पर खरीदा। इस प्रकार 1070 करोड़ रुपया यूटीआई से उनको दिया गया है। उस पैसे को उन्होंने जाली कम्पनियों के नाम बेच दिया है। जो आडिटर-जनरल की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि उनको जो इनकम टैक्स देना था, उसका भी सही हिसाब नहीं दिया गया है।

इस तरह की एक नहीं, अनेक बातें आती हैं। प्रधान मंत्री जी के हवाले से यह बात कही गई कि इन्होंने यूटीआई और उस घराने के बारे में सीबीआई की इंक्वायरी का आदेश दिया है। मैं नहीं जानता कि उसमें सच्चाई क्या है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अगर यह आदेश दिया हो तो देश में जो भ्रम फैल रहा है कि वह घराना किसी भी बात को कर सकता है और सरकार उसे नजरअंदाज कर सकती है, ऐसा न करके, अगर सरकार ने कोई कदम उठाया है तो प्रधान मंत्री जी उस बात को सदन और देश के सामने रखें। अगर नहीं उठाया है तो मैं उनसे आपके जरिए निवेदन करूंगा कि इन सवालों की जांच होनी चाहिए। मैंने उन्हें आज से एक-डेढ़ महीने पहले पत्र लिखा था। अभी हमारे पास उस पत्र की प्राप्ति की सूचनी नहीं आई है। मैं कोई विषद् विवेचन में नहीं जाना चाहता, लेकिन चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए और देश में भ्रम नहीं रहना चाहिए कि सारी संसद इस मामले में चुप की जा सकती है, सारी कार्यपालिका निष्क्रिय की जा सकती है, सरकार की सारी मशीनरी इसके अंदर ध्वस्त हो सकती है।

महोदय, आज यूटीआई का मामला है, कल आईडीबीआई का और परसों आईसीआईसीआई का हो सकता है। आज ये सारी वित्तीय संस्थाएं संदेह के घेरे में पड़ी हुई हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि उस व्यक्ति के या घराने के कहने पर कैसे वित्त विभाग का एक बड़ा अधिकारी तुरंत स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहां वित्त मंत्री जी बैठे हैं, उन्हें सूचना तक नहीं होती और यह काम हो जाता है। जिसे चाहे जहां नियुक्त करा दें, स्थानांतरित करा दें - यह भ्रम सारे देश में फैला हुआ है। मैं इस सवाल को नहीं उठाता, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं मुझ से लोग कहते हैं कि संसद इस सवाल पर मौन क्यों है। अगर नकवी साहब और मुंशी जी ने सवाल उठाया तो उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई। हमसे लोग कहते हैं किर आप चुप क्यों हैं। इसलिए मैं इस सवाल को उठा रहा हूं। अगर यह प्रभाव लोगों के मन पर पड़ेगा कि यह घराना मनमानी कर सकता है और सरकार निष्क्रिय बनी रहेगी, यह संसद मौन रहेगी तो इससे अशुभ लक्षण और कोई नहीं होगा।

महोदय, किसी को धमकी, चेतावनी देने के लिए नहीं, अगर सरकार इस बारे में कोई कदम नहीं उठाएगी तो मुझे मजबूर होकर उस घराने की कुकृतियों का एक दस्तावेज बना कर सारे देश में वितरित करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी बुरा मत मानिएगा। मैं यह बात किसी पार्टी या व्यक्ति के हिसाब से नहीं, वित्त मंत्री जी को इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि वह बेचारे मजबूर हैं। वह हमारे मित्र हैं। उनके बारे में तरह-तरह की बातें कही जाती हैं, जो अनायास ही सारे आरोप अपने ऊपर लेने को मजबूर हो रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि मजबूरी उनकी उनके लिए और देश के लिए अच्छी नहीं है। जो लोग उस घराने का विरोध नहीं कर सकते, वे वित्त मंत्री जी या सरकार के किसी एक व्यक्ति का विरोध करते हैं। यह संसदीय परम्परा के लिए स्वस्थ चिह्न नहीं है। केवल इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा): उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो विषय चन्द्रशेखर जी ने सदन के समक्ष रखा है, मैं उस पर सरकार की प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन्होंने मुम्बई के बड़े औद्योगिक घराने की बात की है। इन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन मैं समझता हूं और सारा सदन समझ रहा है कि किस औद्योगिक घराने और परिवार की तरफ इनका इशारा था।

[अनुवाद]

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): हम यह समझ नहीं सके। उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री यशवन्त सिन्हा: उन्होंने जो कहा है उसे मैं किस प्रकार स्पष्ट कर सकता हूं।

[हिन्दी]

महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बड़े घराने के साथ जो यूटीआई का सौदा 1994 में हुआ था, उसके बारे में सीबीआई

[श्री यशवन्त सिन्हा]

की जांच हुई थी। उसने जांच करने के पश्चात् वित्त मंत्रालय से आग्रह किया था कि उस पर एक केस रजिस्टर करने की उन्हें अनुमति दी जाए। यह उस जमाने की बात है जब सीबीआई को इस बात की अनुमति सरकार से लेनी होती थी। दिसम्बर, 1996 में वित्त मंत्रालय ने सीबीआई को जवाब भेजा। उनके अनुसार इसमें केस रजिस्टर करने के लिये कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, इसलिये यह इजाजत सी.बी.आई. को नहीं दी गई थी। अभी हाल ही की बात है कि इस देश के एक बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री गुरुस्वामी ने मुझे एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने ऐसी कई प्रकार की बातें कहीं जिनका जिक्र श्री चन्द्रशेखर जी ने आज इस सदन के सामने किया कि यू.टी.आई. को लेकर इस डील में घाटा हुआ है। चूंकि यह बात अखबारों में छपी तो उस औद्योगिक घराने की तरफ से मेरे पास एक पत्र आया जिसमें उन्होंने उन बातों को चुनौती दी है कि जो आंकड़े दिये गये हैं, वे सही नहीं है। इन सब बातों को देखते और समझते हुये जैसे ही सदन के संज्ञान में यह बात आई, मैंने यू.टी.आई. के बारे में पिछले दस सालों के दौरान जितने सौदे हुये हैं, वित्त मंत्रालय की तरफ से एक तीन सदस्य समिति बनाई। इस समिति में रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गर्वनर श्री तारापोर, बैंक के रिटायर्ड चेयरमैन श्री भिड़े और सी.बी.आई. के पूर्व निदेशक श्री राघवन सदस्य हैं। इन लोगों को तीन महीने का समय दिया गया है। वे उन सब बातों की जांच कर रहे हैं जिन्हें हमारी सरकार के ध्यान में लाया गया है कि यू.टी.आई. के किस सौदे में पिछले दस सालों में खामियां किस प्रकार की रही हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद सरकार को जो कार्यवाही करनी होगी, वह करेगी।

उपाध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि यह सरकार किसी भी प्रकार से किसी औद्योगिक घराने के दबाव में नहीं है और न किसी और के दबाव में काम कर रही है। जो सच्चाई है, यह सरकार उसे निश्चित रूप से इस देश की जनता और इस सदन के सामने रखेगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र): अमरीका यह काम कर रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कुंवर अखिलेश सिंह, कृपया अब व्यवधान मत डालिए। बहुत हो गया।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं। क्या आप उनकी बात सुनना चाहते हैं?

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: स्थगन प्रस्ताव हेतु आपकी सूचना को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा नामंजूर कर दिया गया हैं। अब आप मंत्री जी की बात भी सुनना नहीं चाहते हैं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहा हूं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: इन्होंने सुबह मामला उठाया था और प्रश्न काल भी नहीं हुआ। अब यह पुन: वही मुद्दा उठा रहे हैं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप यह भी नहीं चाहते कि पीठासीन अधिकारी अपनी बात कहे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप मंत्री जी की बात सुनना चाहते हैं कि नहीं। मैं अब उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): उपाध्यक्ष जी, बासमती चावल के बारे में आज प्रात: काल समाचार-पत्रों में एक खबर छपी। इसके कारण माननीय सदस्यों में उत्तेजना है और उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक है क्योंकि इन सब बातों से अपने किसानों या किसान जो किस्म बनाते हैं, उनका संरक्षण करना अपना काम है। इसलिये मैं इस सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि इस निर्णय से हिन्दुस्तान के किसानों पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आ सकती।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष जी, फिर भी माननीय सदस्यों ने अपना मुद्दा उठाया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर बैठे हुए बात कर रहे हैं। आपको बोलने से पहले अध्यक्षपीठ से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि मैं प्राथमिक रूप से कह रहा हूं, फिर भी सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं वाणिज्य मंत्री से यह कहूंगा कि वह कल शून्यकाल में सदन में आकर इस संबंध में अपना वक्तव्य रखें। उसके बाद अगर कुछ प्रश्न हों तो उनका सीधा उत्तर वाणिज्य मंत्री तुरंत दे सकते हैं, यह बात मैं अभी कह सकता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब विदेश मंत्री वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): इसकी गारन्टी कहां है कि कल शून्यकाल चलेगा...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उसकी गारन्टी आप लोगों को देनी है कि यहां क्वश्चन आवर चलेगा या जीरा आवर चलेगा।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, हमें विदेश मंत्री से वक्तव्य की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। इसे सदस्यों को परिचालित नहीं किया गया है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: किसी इश्यु को उठाने का यहां टाइम नहीं होता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह शून्य काल नहीं है। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आपको शून्य काल में समय मिलेगा। मैं आपको गारन्टी नहीं दे सकता क्योंकि आज आप लोग देख चुके हैं कि क्या हुआ है। मुद्दा चाहे जो भी हो

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सर, इसकी गारन्टी क्या है कि जीरो आवर होगा, क्या ये हाउस चलने देंगे...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अलवी, मैं बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन: हम गारन्टी दे रहे हैं, हो जाएगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप सभी अनुमति दें तो कल हम शून्य काल में चर्चा करेंगे। तब आप अपने मामले उठा सकते हैं। अब माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता, दक्षिण): महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं। हम इस सदन के विनम्र सदस्य हैं और इसीलिए हम महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने में समर्थ नहीं हैं। महोदय, पश्चिम बंगाल में कल क्या हुआ? 20 विधायक मुख्य मंत्री से मिलने गए थे...*(व्यवधान)* उन्हें पुलिस द्वारा खदेड़ा गया। वहां मौलिक अधिकार नही हैं प्रजातान्त्रिक अधिकार नहीं हैं कोई मानव अधिकार नहीं है...*(व्यवधान)* हर जगह पुलिस ज्यादतियां हो रही हैं, कत्ल किये जा रहे हैं। अपहरण किये जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुदीप बंद्योपाध्याय, क्या आप एक मिनट के लिए अपनी सीट पर जाएंगे?

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय: महोदय, हमारे दल के 20 विधायकों को उठाकर फेंका गया है, उन्हें पुलिस द्वारा उठाया गया और बाहर फेंका गया...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: ममता जी, आप कल सूचना दे सकती हैं और इस पर कल चर्चा की जाएगी।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी: महोदय, क्या आप आश्वासन देंगे कि आप कल हमें अनुमति देंगे?...*(व्यवधान)* ठीक है महोदय, कृपया कल हमें अनुमति देना।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, आज जन्तर-मन्तर पर एक महाधरना चल रहा है। श्री चन्द्रशेखर जी और कांग्रेस के सभी नेताओं ने घोटालों के खिलाफ इस सरकार को हटाने के लिए उसका समर्थन किया है। राष्ट्रीय जनता दल का तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन किया है, सब लोगों ने समर्थन किया है। इस सरकार को हटाने के लिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए हम किसान, मजदूर, नौजवानों के साथ हैं, इस अन्यायी सरकार को हटाने के लिए हम सभी एकजुट हुए हैं और वहां महाधरना हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, जन्तर-मन्तर पर जो धरना हो रहा है, सारे भ्रष्टाचारी वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दे रहे हैं, हम निवेदन करेंगे कि इसकी जांच कराई जाए।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इस सरकार में यू.टी.आई. का घोटाला हुआ और बहुत से घोटाले हुए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय विदेश मंत्री से वक्तव्य देने को कह दिया है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, आज बिहार बंद है। सूचना मिली है कि पटना में गोली भी चली है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ये क्या हो रहा है हाउस में? बिहार में कुछ हो जाता है तो दोनों तरफ से सदस्य खड़े हो जाते हैं, तमिलनाडु में कुछ हो जाता है तो दोनों तरफ से सदस्य खड़े हो जाते हैं। हाउस को चलाना है या नहीं? जो भी करें नियम के साथ होना चाहिए।

[अनुवाद]

कुछ मानदण्डों का पालन किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री प्रियरंजन दासमुंशी, आपको मंत्री महोदय के वक्तव्य की प्रतियां दी जाएंगी।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): मंत्री महोदय, तो इसे हल्के रूप से नहीं लेना चाहिए। ये पुरानी संसदीय परम्पराएं हैं कि वक्तव्य की हिन्दी और अंग्रेजी प्रतियां परिचालित की जाती हैं। संसदीय कार्य मंत्री इसे हल्के रूप से ले रहे हैं। यह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि लोक सभा में किसी भी समय प्रतियां परिचालित नहीं की जाती हैं। इन्हें सचिवालय को ही दिया जाता है न कि सदस्यों को ...*(व्यवधान)* आप महासचिव से पूछिए। वह इसका निर्णय करेंगे। मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता हूं। अन्यथा मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मैंने सदस्यों को प्रतियां परिचालित कर दी होती। भूतपूर्व अध्यक्ष महोदय श्री शिवराज पाटील जी यहां मौजूद हैं...*(व्यवधान)* आप उनसे पूछ सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): जहां तक मैं समझता हूं, मंत्री महोदय से आने वाले किसी भी वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों को प्रदान की जाती हैं ताकि वे उनका अध्ययन कर लें यह केवल अंग्रेजी में ही नहीं होती बल्कि हिन्दी में भी होती है...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: श्री प्रमोद महाजन को इस बात की जानकारी नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: मैं आपके जितना अनुभवी नहीं हूं। मैंने सचिवालय से पता लगाया था और मुझे पता चला कि ये प्रतियां सदस्यों को कभी भी नहीं दी जाती हैं। आप क्या कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: जब यह बताया गया कि मंत्री महोदय को इसे हल्के रूप से नहीं लेना चाहिए? वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं...*(व्यवधान)* इस तरह धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अध्यक्षपीठ भी धैर्य खो रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया स्थिति स्पष्ट करें।...*(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि सभापति भविष्य के लिए स्थिति को स्पष्ट करें।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं अब स्थिति स्पष्ट करूंगा। क्या आप कृपया अपने स्थान पर बैठेंगे?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन: माननीय उपाध्यक्ष महोदय को परम्परा को स्पष्ट करने दें। फिर, आपको पता लगेगा कि कौन लड़का है और कौन वृद्ध व्यक्ति है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नियम यह है कि मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद प्रतियां दी जानी होती हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: क्या यह विनिर्णय केवल इसी मामले पर लागू होता है?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, यह एक सामान्य नियम है।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: तब तो यह ठीक नहीं है। आपने विनिर्णय दे दिया है और हम इसे स्वीकार करेंगे। पर यह बात नहीं है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं विनिर्णय दे चुका हूं कि मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद प्रतियां परिचालित की जाएंगी।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, आपको प्रतियां दे दी जाएंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): कब?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: सरकार के लिए वक्तव्य देने से पहले प्रतियां परिचालित करना संभव होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जो यू.टी.आई. का घोटाला है, यह बहुत बड़ा घोटाला है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आठवले जी, आपको एक प्रति दे दी जाएगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: कॉपी भी चाहिए और इस्तीफा भी चाहिए। हमें वित्त मंत्री जी का इस्तीफा चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: जहां तक इस मामले का संबंध है मुझे आपका विनिर्णय स्वीकार है। मैं इसे चुनौती नहीं दे रहा हूं। परन्तु रिकार्ड को सही तरह से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: इसे सही तरह से प्रस्तुत किया जाएगा। मैं इसका सत्यापन करवा रहा हूं। इस मामले में मैं विनिर्णय दे रहा हूं कि उनके द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद प्रतियां परिचालित की जाएंगी।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह विनिर्णय केवल इसी मामले तक ही सीमित नहीं है।

यह विनिर्णय अन्य मामलों में भी उपयोग किया जाएगा। इसी लिए हमें इस बात पर स्पष्ट होना चाहिए। प्रतियां माननीय सदस्यों को क्यों दी जानी चाहिए इसका कारण यह है कि दूसरे सदन में सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं - न केवल एक सदस्य द्वारा परन्तु सभी सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। इसीलिए जब मैं अध्यक्ष था तब यह सभा इसलिए स्थगित हुई थी क्योंकि प्रतियां परिचालित नहीं की गई थी...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया: महोदय, कृपया उनकी बात सुनें। हम आपके विनिर्णय को वैसे ही स्वीकार कर लेंगे जैसा है। परन्तु वे यह न समझें कि जो संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं वह सही है। हम आपका विनिर्णय स्वीकार करेंगे। इस संबंध में कोई समस्या नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: मेरा विनिर्णय यह है कि उनके वक्तव्य के बाद प्रतियां दी जाएंगी।

श्री माधवराव सिंधिया: श्री शिवराज पाटील ने स्वयं सभा में यह स्पष्ट किया है कि यह सभा एक बार प्रतियां उपलब्ध न होने की वजह से स्थगित की गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि श्री शिवराज पाटील की बात सही है तो मैं अपनी बात में सुधार करता हूं।

अपराह्न 2.26 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्री द्वारा हाल ही में की गई नेपाल की सद्भावना यात्रा

[अनुवाद]

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मैंने 17 से 19 अगस्त तक नेपाल की सद्भावना यात्रा की।

मेरी यात्रा का उद्देश्य महामहिम नरेश ज्ञानेन्द्र बीर बिक्रम शाह देव को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार और लोगों की ओर से जून में नेपाल में हुई दुखद घटना के प्रति व्यक्तिगत रूप से अपनी गहरी संवेदना संप्रेषित करना था। मैंने महामहिम को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं भी दीं।

मेरी यह यात्रा नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री महामान्य श्री शेर बहादुर देउबा को भारत और नेपाल के बीच विद्यमान मैत्री और सहयोग को और बढ़ाने के प्रति भारत की वचनबद्धता की पुन: पुष्टि को संप्रेषित करने के लिए भी थी।

इस अवसर पर मैंने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री गिरजा प्रसाद कोइराला, विपक्ष के नेता श्री माधव कुमार नेपाल, नेपाल सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष श्री गजेन्द्र नारायण सिंह, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अध्यक्ष श्री सूर्य बहादुर थापा तथा वरिष्ठ राजनेता श्री कृष्ण प्रसाद भट्टाराई से भी मुलाकात की।

हालांकि मेरी यात्रा अनिवार्य रूप से सद्भावना और मैत्री तथा सहयोग के हमारे पारंपरिक संबंधों के प्रति भारत की वचनबद्धता संप्रेषित करने के लिए थी, हमारे दोनों देशों की हित-चिंता के मसलों पर भी चर्चा की गयी। हमारे दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार संधि के नवीकरण के संबंध में नेपाल की मीडिया में कुछ शंकाएं व्यक्त की गयी थीं। मैंने उन्हें बताया कि भारत नेपाल में उद्योग के विकास, दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने और नेपाल में रोजगार के विकास के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। तथापि, पिछले पांच वर्षों से इस संधि के क्रियान्वयन के दौरान कुछ मुद्दे उभरे थे जिनका अब समाधान निकालने, उसके बाद दोनों देशों के बीच चर्चा करने और आवश्यक सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है। मैंने विश्वास व्यक्त किया है कि दोनों पक्षों के तकनीकी शिष्टमंडलों के बीच आगामी चर्चा से यह मामला परस्पर संतोषजनक ढंग से हल कर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में निर्मित किए जा रहे छोटे बाढ़ नियंत्रण तट-बंध से नेपाल में प्रतिकूल परिणामों की सम्भावना के बारे में चिंता व्यक्त की गई थी। मैंने बताया है कि हालांकि इस तटबंध में 12 रेगूलेटरों के जरिए जल प्रवाह के लिए तकनीकी प्रावधान किया गया है और इससे कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, फिर भी जैसे ही हमें नेपाल की शाही सरकार से चिंता की जानकारी प्राप्त हुई, हमने शीघ्र निर्माण कार्य रोक दिया। उसके बाद तकनीकी अधिकारियों ने स्थल पर मुलाकात की और दुबारा मुलाकात करेंगे। इन आशंकाओं के बारे में कि इस तटबंध से लुम्बिनी को क्षति हो सकती है, मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं कि ये पूर्णत: आधारहीन हैं, लुम्बिनी भारत के लिए उतनी ही पवित्र है जितनी नेपाल के लिए।

मैंने नेपाल के जल संसाधनों को संयुक्त रूप से विकसित करने की हमारी रुचि को दोहराया ताकि नेपाल एक ऊर्जा निर्यात देश बन सके। नेपाल के नेतृत्व ने इस संबंध में प्रगति करने की भी अपनी इच्छा का मुझे आश्वासन दिया है।

मैंने माओवादी प्रश्न के संबंध में वार्ता करने की दिशा में कार्य करने के संबंध में भारत सरकार की प्रशंसा से अवगत कराया तथा आशा करता हूं कि यह एक सफल निष्कर्ष तक पहुंचेगा।

पाकिस्तानी आई.एस.आई. द्वारा नेपाली प्रदेश का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए गुप्त रूप से उपयोग करने के संबंध में हमारी सतत् चिंताओं से भी हमने अवगत करा दिया है। मुझे शाही सरकार से यह दृढ़ आश्वासन मिला है कि भारत के विरुद्ध ऐसी किसी कार्रवाई को सहन नहीं किया जाएगा और इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

नेपाल के नेताओं के साथ मेरी बातचीत अत्यधिक लाभकारी और रचनात्मक और आशाजनक रही। इस संबंध में हम सबकी यही राय थी कि हमारे दोनों देशों के बीच मैत्री एवं सहयोग के संबंधों को निरंतर भारत और नेपाल के लोगों की भलाई एवं मैत्री की भावना से आगे बढ़ाना चाहिए।

मुझे यह बताते हुए प्रसन्ता हो रही है कि भारत और नेपाल के बीच संबंध निरंतर आपसी विश्वास और मैत्री के रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये संबंध सदैव मैत्रीपूर्ण एवं सौहार्द रहेंगे।

अपराह्न 2.32 बजे

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 6 पर चर्चा करेगी।

श्री प्रमोद महाजन।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, कल गणेश चतुर्थी है। महाराष्ट्र में लाखों लोगों के घरों में गणपति का पूजन होता है, इसलिए हमने कल हाउस की छुट्टी मांगी थी। यह इतना बड़ा त्यौहार है जो विश्व भर में मनाया जाता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कल की छुट्टी के लिए नोटिस दे दो।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप कल के लिए नोटिस दे दो।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन, अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं संसद सदस्यों के वेतन में वृद्धि करने वाले इस विधेयक का विरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

जब देश भूख से मर रहा है ऐसे समय हम इस विषय पर कोई कानून बनाने में असमर्थ हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में लाखों लोग गणेण चतुर्थी मनाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रमोद महाजन: वे पुर:स्थापन के समय कोई भाषण नहीं दे सकते।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: राधाकृष्णन जी, आपको नियमों के बारे में अच्छी तरह से पता है। इस स्तर पर इस उपाय का विधायी क्षमता का विरोध करना है न कि विधेयक की अच्छाइयों का।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: जब देश में भुखमरी का दौर है हम ऐसा कानून बनाने में असक्षम हैं। उच्चतम न्यायालय ने पहले ही सरकार को ग्रामीण लोगों को चावल देने का निदेश दिया है। जब ऐसा दृष्टान्त है तो हमें मजदूरी में वृद्धि करने का कोई अधिकार नहीं है। यह अनैतिक, गलत और अत्यधिक आपत्तिजनक है। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।...*(व्यवधान)*

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-2, खंड-II, दिनांक 21.8.2001 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, क्या आप माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर देना चाहते हैं?

श्री प्रमोद महाजन: मुझे कुछ नहीं कहना है। इस अधिनियम में 24 बार संशोधन किया गया है। संसद ने विधायी क्षमता के अंदर ही इस नियम को अधिनियमित किया है।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा की गई टिप्पणियों का संबंध है मैं इस संबंध में इस स्तर पर इसका उल्लेख नहीं करना चाहता क्योंकि वे मेरे द्वारा इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने से संबंधित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रमोद महाजन: मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): उपाध्यक्ष महोदय, कल गणेश चतुर्थी है, लाखों लोग इस त्यौहार को मनाते हैं इसलिए कल संसदीय अवकाश होना चाहिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, आप इस पर कल चर्चा कर सकते हैं। आप कल 'शून्य कल' में इस मामले को उठाने के लिए नोटिस दें। अब कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 2.35 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्य प्रदेश के नीमच में जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन कर रही अल्कालाईड फैक्टरी की क्षमता बढ़ाए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मन्दसौर): उपाध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के "नीमच" में स्थित एक आधुनिकतम तथा भारी लाभ अर्जित करने वाली अल्कालाईड फैक्टरी जो जीवन-रक्षक दवाइयों का उत्पादन कर, भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन करती है। औषधियों की घरेलू खपत और विदेश में मांग होने के कारण उसका विस्तार किए जाने की महती आवश्यकता है। इसके विस्तार से न केवल औषधियों का निर्माण होकर विदेशी मुद्रा का अर्जन होगा अपितु मुद्रा की बचत भी होगी, साथ ही बेरोजगार ऐसे युवाओं को जो एतदर्थ सक्षम हैं, उन्हें रोजगार भी प्राप्त होगा। उक्त कारखाने में बनने वाली औषधियों के मूल पदार्थ के रूप में कार्य में ली जाने वाली "अफीम" जिसके उत्पादन में लाखों कृषक परिवार लगे हैं, उनकी आय में भी वृद्धि होकर वे भी अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।

अत: मेरा वित्त मंत्री महोदय से निवदेन है कि उक्त अल्कालाईड कारखाने की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर दोगुना किया जाए तथा एतदर्थ फैक्ट्री का समुचित विस्तार किया जाए। इससे जहां लाखों कृषक परिवार लाभान्वित होंगे, वहीं बड़ी संख्या में बेरोजगारों को भी रोजगार प्राप्त होगा, साथ ही करोड़ों रुपयों की विदेशी मुद्रा का भी अर्जन हो सकेगा।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): उपाध्यक्ष महोदय, कल गणेश चतुर्थी का त्यौहार है। यह लाखों-करोड़ों हिन्दुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। कल संसदीय अवकाश घोषित नहीं किए जाने के विरोध में हम लोग सदन से वाकआउट करते हैं।

अपराह्न 2.37 बजे

(तत्पश्चात् श्री सुबोध मोहिते तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।)

(दो) महाराष्ट्र के जलगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.जी. महाजन (जलगांव): मेरे ससंदीय क्षेत्र (महाराष्ट्र) में इस समय 96 टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं। उनमें 42 एक्सचेंज ओ.एफ.सी. से जुड़े हैं। बाकी 54 एक्सचेंज अभी तक ओपन वायर सिस्टम से चल रहे हैं। इन सभी 54 एक्सचेंजों के कार्यप्रणाली में काफ़ी अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। कई एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले गांवों में टेलीफोन सेवा गत तीन महीने से पूरी तरह बंद हो चुकी है। इससे इस क्षेत्र में स्थित लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी 54 एक्सचेंजों को आप्टीकल फायबर केबल (ओ.एफ.सी.) सिस्टम से जोड़ने के लिए लगभग 357 किलोमीटर लम्बाई की ओ.एफ.सी. की जरूरत है।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अत: मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि जलगांव संसदीय क्षेत्र के लिए आवश्यक आप्टीकल फायबर (ओ.एफ.सी.) तुरंत आबंटित करने हेतु आदेश पारित करने का कष्ट करें।

(तीन) राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य को एक विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): मैं जोधपुर लोक सभा क्षेत्र से सांसद हूं जो एक मरुस्थलीय जिला है। राजस्थान में ऐसे 14 जिलें हैं जो मरुस्थल क्षेत्र में आए हुए हैं। इन जिलों के विकास हेतु वे सभी सुविधाएं मुहैया कराना आवश्यक है जो पहाड़ी क्षेत्रों को दी जा रही है। जब तक मरुस्थलीय जिलों को विशेष सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, तब तक इन जिलों में उद्योग नहीं लगेंगे, न ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का मूलभूत विकास हो सकेगा। आज भी मरुस्थलीय जिलों के खासकर जोधपुर में ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें, पानी, विद्युत, दूरसंचार, स्कूल, डाक, अस्पताल आदि पूर्ण सुविधाएं नहीं हैं।

अत: मैं प्रधान मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मरुस्थलीय जिलों को विशेष पैकेज दिया जाए।

(चार) तेल कम्पनियों की लंबित विपणन योजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): इस समय देश के दूरदराज इलाकों में ईंधन सामग्री का बड़ा अभाव है। सरकार ने पेट्रोलियम एवम् एल.पी.जी. एजेंसी आबंटन से संबंधित करीब 11 "डीलर सिलेक्शन बोर्डों" का कार्य निलम्बित कर दिया है, जिस कारण देश के गरीब 100 से अधिक राजस्व जिले प्रभावित हो गए हैं। निलम्बन को करीब चार माह हो गए हैं और निलम्बन के कारणों को सरकार ने इतने समय में सुलझा लिया होगा, मेरा ऐसा मानना है। महोदय, इस निलम्बन के पीछे कारण जो भी बताए जा रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार पैट्रोलियम उत्पादन से संबंधित अपने अधीन कम्पनियों जैसे आई.ओ.सी., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., एवम् आई.बी.पी. के मार्केटिंग प्लान को सुस्ताने का प्रयास कर रही है। महोदय, सरकारी तेल कम्पनियों के मार्केटिंग प्लान वर्षों से पेंडिंग हैं।

महोदय, मेरा आग्रह है कि सरकार द्वारा शीघ्र ही सारे देश के मार्केटिंग प्लान को, जो अपने अधीन कम्पनियों के पेंडिंग हैं, पूर्ण कराए।

(पांच) पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के चहुंमुखी विकास के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मेरे निर्वाचन क्षेत्र रायगंज में मालदा जिले के तहत चंचल में एक नया उपमंडल मुख्यालय स्थापित किया गया है। जिसके लिए हृदय, गुर्दा, बाल रोग चिकित्सा के विशेष निदान से युक्त 250 बिस्तर वाले एक आधुनिक अस्पताल की स्थापना के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के तहत तत्काल सहायता की आवश्यकता है। यह उपमंडल पश्चिम बंगाल के सर्वाधिक अल्प विकसित क्षेत्रों में से एक है। नौवीं योजना के अंतिम चरण अथवा दसवीं योजना के दस्तावेज में एक डिग्री इंजीनियरिंग कालेज का प्रावधान होना चाहिए और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस उपमंडल में नूरंगज से हरीशचन्द्रपुर तक महानन्दा के किनारे पूरे मार्ग पर पक्की सड़क का प्रावधान भी होना चाहिए। नौवीं योजना के अंत तक हरीशचन्द्रपुर में एक कालेज और सभी कालेजों में विज्ञान संकाय की व्यवस्था करना अत्यधिक आवश्यक है। केन्द्र सरकार के तहत योजना मंत्रालय राज्य सरकार से मिलकर 15 अगस्त, 2001 को लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण के जवाब में योजना प्रस्तावों में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पहल कर सकता है।

(छह) पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्थित यूरिया विनिर्माण इकाइयों का पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): महोदय, पश्चिम बंगाल में एल.एन.जी. की उपलब्धता के बारे में, डब्ल्यू.बी.आई.डी.सी. (पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम) ने एक बैठक आयोजित की जहां कि क्ववाली आयल और गैस प्रा. लि., भारत, अल मनहाल इंटरनेशनल कंपनी, यू.ए.ई. से पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अनुरोध किया कि गोपालपुर से इलाहाबाद की उनकी प्रस्तावित गैस लाईन को दुर्गापुर से होकर निकालें। जैसा कि आप जानते हैं कि दुर्गापुर संयंत्र जून 1997 से बन्द पड़ा है। इसका कारण इस एकक में फीड स्टाक के रूप में उपयोग किए जा रहे नेफ्था का अधिक मूल्य होने के कारण अधिक उत्पादन लागत होना है। हाल ही में प्रति वर्ष 3 लाख मीट्रिक टन उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए 399 करोड़ रुपए का पुनरुद्धार प्रस्ताव जिसे एकक प्रबन्धन, अधिकारी संघ और सी.आई.टी.यू. ने मिलकर तैयार किया, भेजा गया जिसमें दोहरे फीड विकल्प के प्रावधान पर भी समुचित प्रकाश डाला गया है। यह परियोजना अभी नई है और सरकार के विचाराधीन है इसके अलावा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) जनवरी 2004 तक एच.एफ.सी.एल. दुर्गापुर एकक संयत्र में ही उपलब्ध हो जाएगी। यह उचित समय है कि पुराने एकक का पुनरुद्धार करने के साथ-साथ कम से कम प्रति वर्ष 7.26 लाख मीट्रिक टन यूरिया

उत्पादन करने वाले संयंत्र से युक्त एक ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट स्थापित किया जाए। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस एकक का पुनरुद्धार तुरंत किया जाये ताकि पश्चिम बंगाल राज्य की 10 लाख टन से अधिक यूरिया की मांग की आपूर्ति कुछ हद तक हो सके और इस एकक के कर्मचारी लाभांवित हो सकें।

(सात) उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन पर और अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) कांच उद्योग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। बड़े पैमाने पर व्यापार की दृष्टि से यहां लोगों का आना-जाना रहता है लेकिन रेल सेवाओं की सुविधा के अभाव में लोगों को अत्यधिक पेरशानी का सामना करना पड़ता है। रेलवे स्टेशन पर कम्प्यूटराइज्ड आरक्षण की व्यवस्था न होने के कारण यात्रियों को होने वाली असुविधा का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों के स्टोपेज भी फिरोजोबाद में नहीं हैं, 2308 जोधपुर-हावड़ा, 8475 एवं 8476 नीलांचल जो नई दिल्ली से पुरी तक जाती है, जिसका स्टोपेज अलीगढ़ एवं इटावा में है, यही हाल 2815 एवं 2816 नीलांचल का है - फिरोजाबाद में स्टोपेज न होने के कारण आम जनता एवं व्यापारियों को कष्ट झेलना पड़ता है।

फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन पर जो गाड़ियां रुकती भी हैं, उनमें आरक्षण का कोटा भी नहीं के बराबर है। 3484 डाउन गंगा जमुना-2 बर्थ, 5708 डाउन बरौनी एक्सप्रैस में - 4 बर्थ, 4517 ऊंचाहार में - 2 बर्थ, 5707 अप बरौनी एक्सप्रैस में - 2 बर्थ, 3111 अप स्यालदाह एक्सप्रैस में - 4 बर्थ, 2312 डाउन कालका मेल में द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित - 2 बर्थ, 2419 अप गोमती एक्सप्रैस में - 2 चेयर कार एवं 2312 डाउन कालका में - 3 सामान्य सीट, 3008 डाउन संगम एक्सप्रैस में सिर्फ - 4 बर्थ और 5064 डाउन अवध एक्सप्रैस में - 34 बर्थ, जबकि पहले इसमें 40 बर्थ का कोटा था जिसे घटा दिया गया है।

मैं, रेल मंत्री जी से फिरोजाबाद में महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का स्टोपेज करने एवं आरक्षण का कोटा बढ़ाने की मांग करता हूं।

(आठ) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप आवंटित करने में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिए जाने की आवश्यकता

श्री बालकृष्ण चौहान (घोसी): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश में पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरशिप के आवंटन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पैट्रोलियम उत्पादों के डीलरशिप हेतु काफी संख्या में पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन आवंटन में पिछड़े वर्गों को आरक्षण नहीं होने से उन्हें निराश होना पड़ रहा है।

पिछड़े वर्गों की जनता एवं अभ्यार्थियों की मांग है कि पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरशिप आवंटन में पिछड़े वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरशिप आवंटन में पिछड़े वर्गों लिए भी कोट आरक्षित करें।

(नौ) तमिलनाडु में अर्कोनम स्थित रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशाप के उन्नयन तथा वहां एक नया उप-नगरीय रेल टर्मिनल खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. एस. जगतरक्षकन (अराकोनम): महोदय, इस समय अराकोनम स्थित रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशाप को कार्य करने संबंधी अधिक आदेश प्राप्त नहीं होते और इस वर्कशाप की अधिकतम क्षमता का उपयोग नहीं होता। इस वर्कशाप का उन्नयन करने और इसे अधिक कार्य आदेश दिलाने के लिए इसमें परिवर्तन किया जाए ताकि मशीनों से संबंधित कार्य भी शामिल किए जा सकें। वर्कशाप में कामगारों को इस परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इससे न केवल रेलवे को वर्कशाप की पूर्ण क्षमता उपयोग में सहायता मिलेगी वरन् इससे और आर्थिक गतिविधियां सृजित होगीं और कुशल कामगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

दैनिक यात्री, जो कि हजारों की संख्या में चलते हैं, की सुविधा के लिए अराकोनम बस अड्डे के निकट उपनगरीय रेलवे टर्मिनल शुरू करने की अत्यधिक आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान अराकोनम जंक्शन, एकमात्र रेलवे टर्मिनल है. जो कि शहर से काफी दूर है।

इसलिए, मैं रेल मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि अराकोनम स्थित रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशाप का उन्नयन किया जाए और यहां पर एक नया उपनगरीय रेल टर्मिनल स्थापित किया जाए। मेरे क्षेत्र के लोगों की ये दोनों आवश्यकताएं काफी समय से लंबित हैं।

(दस) ड्यूटी इन्टायटलमेंट पास बुक स्कीम के अंतर्गत रेशम निर्यातकों को रियायत दिए जाने संबंधी निर्णय को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इदुक्की): महोदय, शुल्क पात्रता पासबकु योजना एकमात्र विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप प्रोत्साहन है जो अभी भी निर्यातकों के लिए उपलब्ध है। यह योजना विदेशी व्यापार संबंधी महानिदेशक द्वारा 1997 में शुरू की गई थी और भारतीय निर्यातकों में यह अत्यधिक लोकप्रिय हुई और इसके कारण विशेष रूप से रेशम निर्यात में भारत ने काफी बढ़ोत्तरी की।

6 नवम्बर, 2000 को राजस्व विभाग ने अचानक परिपत्र अधिसूचित करते हुए कहा कि "सामान्यत: सरकार का कभी भी यह अभिप्राय नहीं था कि कढ़ाई युक्त रेशम वस्त्रों और रेशम के कपड़े और परिधान के मामले में डी.ई.पी.बी. की अनुमति दी जाए।" इस प्रकार रेशम को दिया गया डी.ई.पी.बी. का 15 प्रतिशत अचानक वापस ले लिया गया और रेशम निर्यातकों को 1997 के बाद 3 वर्ष की अवधि के दौरान प्रदत्त डी.ई.पी.बी. की वसूली की धमकी का सामना करना पड़ा। एक उच्च स्तरीय समिति ने निर्णय लिया कि सरकार एक बार छूट की अनुमति देगी और डी.ई.पी.बी. की वसूली नहीं होगी। यह भी निर्णय लिया गया कि 6 नवम्बर, 2001 के बाद सभी लंबित डी.ई.पी.बी. वितरण प्रति मद 750 रुपये की मूल्य सीमा लागू करते हुए किया जाएगा। लेकिन राजस्व विभाग ने अभी तक इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय से देश में विभिन्न हवाई अड्डों पर तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों को औपचारिक परिपत्र जारी नहीं किया है और रेशम निर्यातक अभी भी इससे पीड़ित हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गौर करे।

(ग्यारह) महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन को जबलपुर (मध्य प्रदेश) तथा जम्मू-तवी के बीच चलाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयश्री बैनर्जी (जबलपुर): महोदय, महाकौशल एक्सप्रैस ट्रेन जो जबलपुर से निजामुद्दीन के बीच चलती है, को जबलपुर से जम्मू तक चलाने की महति आवश्यकता है। मां-वैष्णो देवी तक जबलपुर से आने-जाने का कोई अन्य साधन नहीं है। जनता व जनप्रतिनिधि लम्बे समय से उक्त मांग कर रहे हैं।

अत: सरकार से अनुरोध है कि महाकौशल एक्सप्रैस ट्रेन को जबलपुर-जम्मूतवी के बीच चलाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(बारह) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता

श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन): उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती हुई बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण हम लोग अत्यधिक प्रभावित हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंक एक सहायक के रूप में काम करते हैं जबकि निजी क्षेत्र के तहत बैंकिंग इन समस्याओं को और बढ़ायेंगी। देश में सरकारी क्षेत्र के तहत बैंकिंग का कोई विकल्प नहीं हो सकता। हम इसके बगैर अर्थव्यवस्था की उन्नति के बारे में नहीं सोच सकते।

तीन दशक पूर्व, इनमें से अधिकांश बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देश की समृद्धि के लिये किया गया। किन्तु अब सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण गति प्राप्त करता जा रहा है।

वास्तव में, राज्य के तहत नियंत्रित सरकारी क्षेत्र के बैंकों को ही हमारे लोगों विशेषकर मध्यम वर्ग और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के कल्याण का ध्यान रखना होगा।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि संबंधित विधेयक को समाप्त करें और सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने की बजाए इन्हें सुदृढ़ करने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठायें।

(तेरह) हिमाचल प्रदेश में कुनिहार होकर परवानू और दाड़लाघाट के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम शांडिल्य (शिमला): महोदय, यह सर्वविदित है कि एशिया में सबसे बड़ा सीमेंट संयंत्र मैसर्स गुजरात अम्बूजा द्वारा दाड़लाघाट (जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश) में स्थापित किया गया है। चूंकि दाड़लाघाट किसी रेलवे लाईन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए सीमेंट संयंत्र द्वारा उत्पादित कलिंकर शिमला मंडी राजमार्ग के माध्यम से ट्रकों द्वारा नालागढ़/रोपड़ पहुंचाया जाता है। इस काम पर लगे सैंकड़ों ट्रक न केवल यातायात के सुचारू संचालन में बाधा पहुंचाते हैं बल्कि प्रदूषण उत्पन्न करने का एक साधन भी बन गए हैं। राज्य मार्ग, नदी नालों पर बने पुल-पुलिया भी बड़ी संख्या में कलिंकर या सीमेंट से लदे ट्रकों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं तथा कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं।

परवानू-दाड़लाघाट रेलवे लाईन बिछने से न केवल प्रदूषण मुक्त वातावरण ही सुनिश्चित होगा, बल्कि सीमेंट कलिंकर और कृषिजन्य उत्पादों के परिवहन का एक आसान साधन भी उपलब्ध हो जाएगा और साथ ही साथ राज्य में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

महोदय, मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वह परवानू से दाड़वाघाट के बीच बद्दी, कुनिहार, अर्की आदि जैसे मुख्य स्थानों को जोड़ते हुए इस नई रेलवे लाईन का शीघ्रातिशीघ्र सर्वेक्षण करवाने की कृपा करें।

अपराह्न 2.53 बजे

सरकारी विधेयक - *पारित*

(एक) पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन (निरसन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम आज की कार्यसूची की मद संख्या 8 पर विचार करेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 1952 का निरसन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 1952 का निरसन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, यह विधेयक उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हम इस पर चर्चा करते हैं। यह मात्र निरसन विधेयक है तथा हम सभी इसका समर्थन करते हैं।

मैं माननीय मंत्री जी को सिर्फ बताना चाहता हूं कि यद्यपि कि यह विधेयक अब सांविधि पुस्तक का हिस्सा नहीं है, इसकी प्रासंगिकता हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में है। दुर्भाग्यवश भारत के सिर्फ दो राज्य विभाजन और पासपोर्ट वीसा पद्धति से प्रभावित हुए। ये दो राज्य पंजाब और पश्चिम बंगाल हैं। उनका बलिदान सर्वोच्च है। साम्प्रदायिक दंगों में उन्होंने न सिर्फ जान गंवाई अपितु उन्होंने तत्कालीन पाकिस्तान में 1947 से 1949 और बाद में 1951 के बाद अपनी संपत्ति भी छोड़कर आए।

मेरा जन्म अविभाजित भारत में स्वतंत्रता के दो वर्ष पूर्व अभी के बांग्लादेश में हुआ था मैं अपने माता-पिता की परेशानियों और दु:ख को जानता हूं। मध्यरात्रि में 12 बजे हम सभी सो रहे थे और अचानक मेरी मां ने सभी सामान बांध दिया तथा हम एक अज्ञात गंतव्य की ओर चल पड़े तथा हम भारत की सीमा पर पहुंचे जहां हमें आश्रय और सब कुछ मिला।

महोदय, उस संकट की घड़ी में भारत के इस हिस्से में पंजाब और पश्चिम बंगाल के हजारों लाखों लोग आए तथा उन्हें 'शरणार्थी' कहा जाने लगा। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था...*(व्यवधान)*

डा. गीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): बंगाल के मामले में उन्हें 'शरणार्थी' नहीं कहा गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मुझे अपने पैतृक घर की याद है जहां हम वंदे मातरम् का नारा लगाते थे। एक दिन बारासत में अंग्रेजों ने 180 लोगों को मार दिया। मुझे याद है कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री अश्विनी दत्त और अन्य स्वतंत्रता सेनानी जो खादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, को पीटा गया तथा उनमें से कई जेल भी गए। उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था और वे विभाजन के दौरान वापस आए तथा विभिन्न स्थानों पर बस गए। लाहौर, पंजाब, लुधियाना, ढाका और चटगांव के लोग सब कुछ छोड़ कर यहां आए। जब वे भारत आए, मैं तत्कालीन भारत सरकार का आभारी हूं कि उसने उन्हें तत्काल आश्रय, शिक्षा, सहायता और अन्य चीजें प्रदान कीं। शरणार्थियों के लिए बसाई गई कालोनियों की समस्याएं, मेरे प्रिय सहकर्मी श्री तपन सिकदर भी सहमत होंगे, अभी तक भी नहीं सुलझाई गई हैं। अंडमान, दण्डकारण्य, रायपुर में माना कैम्प, पश्चिम बंगाल में कूपर्स कैम्प और पीलीभीत जहां से श्रीमती मेनका गांधी आती हैं, के मामलों को लीजिए। इन स्थानों पर लोग अभी भी यह महसूस नहीं कर सके हैं कि वे स्वतंत्र भारत में हैं। आज भी, जब हम बांग्लादेशी के नाम में कुछ एजेन्टों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो आप मिला देते हैं तथा उनको भी परेशान करते हैं जो दशकों से यहां रह रहे हैं।

इसलिए, माननीय मंत्री जी से मेरी अपील है कि इस विधेयक का निरसन हो जाने दीजिए किंतु कृपया दो बातों पर ध्यान दीजिए- (क) दण्डकारण्य, माना और अन्य विभिन्न कैम्पों में लोगों की दशा के बारे में पता लगाइये क्या उन्हें उनकी सम्पत्ति, जोतों और जो सहायता उन्हें मिली उस पर मालिकाना हक मिल गया है, और (ख) क्या कालोनियों में पहले से ही बस चुके लोगों को पट्टा दिया जाना सुनिश्चित कर दिया गया है, क्या विकास की प्रक्रिया धीमी है। अथवा नहीं और वे किस तरह से चल रहे हैं। महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के प्रति यह विनम्र अपील है।

अंतत: बांग्लादेश की मुक्ति की लड़ाई 1971 में शुरू हुई थी। सौ मिलियन लोग भारत आए थे और तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती गांधी ने अपनी सरकार और संसद के माध्यम से उन्हें पर्याप्त सहायता दिलाई थी। आज तक, जिन जिलों ने संकट की घड़ी में इसका बोझ उठाया तथा इन लोगों को आश्रय प्रदान किया, को उनके विकास की प्रक्रिया में मदद देकर उनकी क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं की गई है। मेरे जिले में जहां एक मिलियन लोगों को

आश्रय और घर दिया गया था। उनमें से कुछ वापस नहीं जा सके और महोदय, आप कारण जानते हैं। उनमें से अधिकांश हिन्दु हैं। अभी भी वे सड़क पर हैं। मैं कुछ परिवारों के बारे में जानता हूं जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे पर पर्याप्त विचार करना चाहिए था। महोदय, अनेक स्वतंत्रता सेनानी जो विभाजन के बाद भारत आए अपने साथ दस्तावेज नहीं ला सके। उन्होंने सिर्फ जेल का हवाला दिया जिसमें वे बंद थे। जेल में साथ में बंद लोगों से प्रमाण के आधार पर उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मिला। मैं आपको दो परिवारों के बारे में बता सकता हूं। चिटगांव (चाटगांव) में महान शहीद सूर्य सेन तथा अन्य देश के इस भाग में आए। उन्होंने जेल रिकार्डों का हवाला दिया किंतु उन्हें अभी तक स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नहीं मिला। अतएव, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन तथ्यों को कुछ महत्व दें, इस विषय का संज्ञान लें और जो संयुक्त भारत में रहते थे जिन्होंने देश को ब्रिटिश राज से स्वतंत्र कराने के लिए सब कुछ किया तथा विभाजन के शिकार हुए और पंजाब, पश्चिम बंगाल एवं अन्य स्थानों में और जो विशेषकर अंडमान में बस गये उनको न्याय दिलाएं।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन तथ्यों तथा देश की इन कालोनियों, आपके मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र दमदम समेत, में बसे शरणार्थियों की समस्याओं के मामले में कटु वास्तविकता का संज्ञान लें, जिनका आज तक समाधान नहीं हो सका है।

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन, विधेयक 1952 मंत्री जी लाये हैं और उसके संबंध में माननीय प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जिस पीड़ा और व्यथा का वर्णन किया कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाले लोगों के लिए नियम 1949 में बना था। उसको निरसन करके फिर सन् 1952 में यह कानून बना था। अब इनका कहना यह है कि 1952 के कानून को सन् 1974 में जो इंडिया-पाक वीजा वाला कानून बना था, और जो उससे पहले 1952 वाला कानून था, उसका अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जो इंडो-पाक वीजा वाला कानून बनाया, वह भले आदमियों के लिए है। जो भले आदमी पाकिस्तान से इधर आना-जाना चाहें, उनके लिए कानून बनाया, लेकिन जो आतंकवादी बिना वीजा के अंदर घुस आते हैं, उनके लिए उनके पास क्या उपाय है। मेरा कहने का मतलब है कि सारे कानून, रोक-टोक सभी भले आदमियों के लिए हैं और जो आतंकवादी और एन्टी-नेशनलिस्ट तत्व हैं, उनके लिए दरवाजे कैसे खुले हैं। मंत्री जी यह बतायें कि अब तक पाकिस्तान से बिना वीजा लिये कितने लोग आये। कहते हैं कि इंडो-पाक वीजा 1974 के बाद, अभी 1952 वाले कानून को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन तत्काल जो देश की जरूरत है उसके लिए इनके पास क्या उपाय है।

उपाध्यक्ष महोदय, हम 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की संस्कृति के लोग हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी छानबीन करे। डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत सामान का आवाजाही फ्री है, उस पर कोई रोक-टोक नहीं है। उसके कारण आज हमारा बासमती चावल भी गायब हो गया है, लेकिन लोगों के आने-जाने पर रोक लगे। हम चाहते हैं कि यह पासपोर्ट और वीजा प्राथा खत्म हो, ताकि दुनिया के लोग आयें और हमारे हिंदुस्तान के लोग दुनिया में कहीं भी अपना जीवन जी लेंगे। इसके लिए सरकार जवाब दे और छानबीन करे कि उसकी क्या सोच है। हम चाहते हैं कि वीजा और पासपोर्ट प्रथा खत्म हो। डब्ल्यू.टी.ओ. के अंतर्गत व्यापार के लिए सामान की आवाजाही फ्री, आदमियों की आवाजाही पर रोक और आतंकवादियों और अपराधी तत्वों की आवाजाही फ्री यह कौन सा कानून चल रहा है, इसलिए कृपया पहले यह कानून खत्म करें, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन इंडो-पाक वीजा वाला जो कानून है, उसमें भले आदमियों की आवाजाही पर रोक क्यों होनी चाहिए। किसी कारण से देश बंट गया, लेकिन हमारा रहन-सहन सब एक है। हमारे हाड़-मांस का टुकड़ा पाकिस्तान है। हम चाहते हैं कि दुनियां के मुल्कों से पासपोर्ट और वीजा प्रथा खत्म होनी चाहिए और सब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा होनी चाहिए। जैसे हिन्दुस्तान में सबको विचरण करने की आजादी है उसी तरह से सबको सब देशों में विचरण की आजादी होनी चाहिए। हमारे पास आदमी ज्यादा हैं, हमारे आदमी ज्यादा हैं, हमारे आदमी दूसरे देशों में जाकर वास करें, कमायें, मानवता की सेवा करें और हमारी संस्कृति का प्रचार करें। हम क्यों घर में ही संस्कृति-संस्कृति रट रहे हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी से कहना है कि हमारी आंतरिक सुरक्षा को जो खतरा पैदा हो जाता है, बाहर से आतंकवादी देश में चले आते हैं, उनके लिए आपने कौन सा कानून बनाया है। भले आदमियों के लिए वीजा और पासपोर्ट कानून है लेकिन उपद्रवियों के लिए आपके पास कौन सा कानून है, उन पर आपका क्या नियंत्रण है। वे लोग आई.एस.आई. के माध्यम से यहां आकर देश में उथल-पुथल मचाते हैं तथा कश्मीर में मार-काट और सीमावर्ती इलाकों में तनाव पैदा किये हुए हैं। इसलिए इस बारे में सरकार स्थिति स्पष्ट करे तब हम लोग बतायेंगे कि यह कानून आप ठीक ला रहे हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे दो-चार बातें कहने का मौका दिया। महोदय, यह बात सच है कि सरकार पाकिस्तान से

[कुमारी ममता बनर्जी]

आगमन (नियंत्रण) निरसन विधेयक, 1952 लाई है। उस समय पाकिस्तान और बंग्लादेश से जो रिफ्यूजी आये थे, सरकार उस बिल को रिपील करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं विनती करती हूं कि अभी भी जो डिसप्लेस्ड परसन्स हैं, पाकिस्तान और बंग्लादेश से आये हुए हैं, उनके लिए जो कुछ करना चाहिए था वह आज तक पूरा नहीं हुआ है। 1971 में जब श्रीमती इन्दिरा गाधी और शेख मुजीबुर्रहमान के बीच एक समझौता हुआ था और उसके पहले श्री जवाहर लाल नेहरू और श्री लियाकत अली खां के बीच जो पैक्ट हुआ था। उस पैक्ट में जो डिसप्लेस्ट परसन्स 1971 के बाद भारत में आये थे, उन्हें रीहैबिलीटेशन देने के लिए उस पैक्ट में एक एग्रीमैन्ट हुआ था।

लेकिन उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जैसे पंजाब है, वैस्ट बंगाल है, अंडमान और निकोबार है और बहुत सारे दूसरे राज्यों में पाकिस्तान और बंग्लादेश से बहुत लोग आए थे। पहले हमारा देश एक ही था - हिन्दुस्तान - लेकिन पार्टीशन के बाद बहुत सारी स्टेट्स में रिफ्यूजी रीहैबिलिटेशन का काम करने के लिए आर.आर. डिपार्टमेंट भी खुले थे, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स ने इस डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया है। इसमें जो आर.आई.सी. थे, रीहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज भी थीं, इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन भी थे, इकोनामिक रीहैबिलिटेशन देने के लिए, उनको भी उठा दिया। जो सरकार का प्लान था कि इन्हें रीहैबिलिटेट करना है, रिकॉग्नाइज करना है, कलोनीज को रेगुलराइज करना है, वह भी आज तक नहीं हुआ है। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जितना रुपया भेजा है स्टेट्स को, उनमें भी कई सारी समस्याएं हैं। मेरे स्टेट में भी है लेकिन वह सारा रुपया रिफ्यूजी रीहैबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत सारी जगह हैं जैसे पंजाब में, जम्मू-कश्मीर में और हमारे स्टेट में भी प्राबलम है कि रीहैबिलिटेशन नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगी कि आप रिपील तो कर सकते हैं लेकिन रिपील करने से पहले आप देख लीजिए कि जो बात भारत सरकार ने कही थी, वह विभाजन से पहले नेहरू-लियाकत पैक्ट और विभाजन के बाद जो इंदिरा गांधी-मुजीबुर्रहमान पैक्ट हुआ था, वह लागू हुआ या नहीं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो मैंने इश्यू रेज किया था। हम उनके आभारी हैं कि रिफ्यूजी रीहैबिलिटेशन के लिए उन्होंने फ्री होल्ड राइट्स अप्रवू किये थे। उसके बाद क्योंकि रिफ्यूजी रीहैबिलिटेशन स्टेट सब्जैक्ट है इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स की ओर से कुछ दिया गया था। मुझे पता है कि यह सरकार रिफ्यूजीज के बारे में पाजिटिव स्टैण्ड लेना चाहती है। आपने पाजिटिव स्टैन्ड लिये हैं। बीजेपी का भी स्टैन्ड है कि रिफ्यूजियों को रीहैबिलिटेशन करने की जरूरत है लेकिन आप देखें कि उनको रीहैबिलिटेट करने के लिए कितनी कलोनीज रजिस्टर हुई और कितनी नहीं हुई। अगर अभी रिपील करके उनको बंद कर दिया जाए तो हमारा उनसे सेन्टीमेन्टल रिलेशन भी है। कभी कोई अवसर होता है तो पाकिस्तान और बंग्लादेश बार्डर से लोग हमारे यहां आते हैं। हमारे राज्य में तो नादिया जैसा बार्डर है, नार्थ 24 परगना जैसा बार्डर है। बंग्लादेश से बहुत सारे आदमी उधर नाश्ता करके आते हैं, इधर नार्थ बंगाल में लंच करते हैं और डिनर बंग्लादेश में करते हैं। ऐसा इमोशनल रिलेशन भी है। भारत सरकार ने इस पर भी ध्यान दिया है। जैसे दिल्ली-लाहौर बस सेवा शुरू की है, बंग्लादेश के लिए बस और रेल सर्विस शुरू की है, ऐसे बहुत सारे काम किये गए हैं। मैं यह नहीं कहती कि कुछ नहीं किया लेकिन इसके लिए मानीटरिंग होना बहुत जरूरी है। वह आज तक नहीं हुई कि जो भी रुपया हम स्टेट गवर्नमेंट को भेजते हैं उसका इस्तेमाल ठीक से होता है या नहीं।

बहुत सारे आदमी हैं जिनको एजुकेशन और इंप्लायमेंट नहीं मिलता है। पहले आई.आई.सी. से उनको इकोनामिक रीहैबिलिटेशन मिलता था, अभी कुछ नहीं मिलता है। इसके लिए मैं चाहूंगी कि रिपील करने से पहले मंत्री जी ध्यान से देखें और जो डिसट्रैस्ड परसन हैं, आफिशियल हैं,

[अनुवाद]

मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं किंतु साथ ही माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं क्योंकि असम और अन्य स्थानों में अल्पसंख्यकों के साथ यही समस्याएं हैं। कभी-कभी वे मतदाता सूची इत्यादि से नाम हटाने की बात करते हैं। उन्हें यह देखना है कि असली व्यक्ति कौन हैं तथा सरकार को उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौते के अनुरूप उनका ध्यान रखना है। मैं यह नहीं कह रही कि यह सिर्फ असम, पश्चिम बंगाल अथवा पंजाब की समस्या है अपितु पूरे देश में इसकी समस्या है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि जो भारत-बांग्लादेश समझौता के तहत भारत आए उनको राजनीतिक, धार्मिक या किसी अन्य कारण से परेशानी नहीं झेलना चाहिए। उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदय, यह विधेयक 50 वर्ष से भी अधिक पहले अधिनियमित किया गया था और तब से अब तक कई परिवर्तन हो चुके हैं।

लेकिन मुझे उन अभागे लोगों के बारे में कहते हुए अत्यन्त खेद हो रहा है जो देश के विभाजन के शिकार हुए हैं। उनका पुनर्वास न केवल धीमा है बल्कि कई जगहों पर यह अधूरा भी पड़ा है। यहां तक कि वे लोग जो तत्कालीन संघ सरकार के अनुरोध पर मध्य प्रदेश दण्डकारण्य, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह और ऐसे अन्य स्थानों पर चले गए थे, अभी भी कई प्रकार की कठिनाइयों को झेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक करोड़ लोग हैं

जो विभिन्न चरणों में देश के उस भाग में आए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश संघ सरकार - तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अपने आप से विमुक्त करने का प्रयास किया। विभाजन से पीड़ित इन लोगों का पुनर्वास करने की अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का प्रयास किया था मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। इतिहास को प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि किस प्रकार देश का विभाजन हुआ था ब्रिटिश राज का षडयंत्र क्या था और कई अन्य घटनाएं घटित हुई थी। मैं उनकी विस्तार में चर्चा नहीं कर रहा हूं। सभी जानते हैं कि विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार है।

डा. नीतिश सेनगुप्ता: आपके दल सी.पी.आई. (एम) ही वह दल था जिसने उसका समर्थन किया था।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: कृपया इन पुरानी और गलत विचारधारा की चर्चा मत कीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इतिहास का अध्ययन कीजिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल, हमने इस विधेयक के लिए मात्र आधे घंटे का समय निर्धारित किया है।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, मैं आपको सम्बोधित कर रहा हूं। माननीय सदस्य मेरा ध्यान इस विषय से हटा रहे हैं।

शरणार्थी समितियों की संयुक्त परिषद् व्यापक संगठन है जिसमें भारत सरकार जो तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी को ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें पश्चिम बंगाल में आए लगभग एक करोड़ शरणार्थियों के पुनर्वास कार्य के लिए 1726 करोड़ रुपये की न्यूनतम राहत उपलब्ध कराये जाने की मांग की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश कांग्रेस सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और बल्कि उन्होंने पुनर्वास मंत्रालय को ही समाप्त कर दिया।

अब भा.ज. दल के नेतृत्व वाली रा.ज.ग. सरकार उसमें भी एक कदम आगे चल रही है वे इस जिम्मेदारी से ही नहीं बच रही है बल्कि और भी कुछ कह रही है। दिल्ली में जो शरणार्थी आए हैं वे गरीब लोग हैं और वह दिन भर कठिन परिश्रम करके अपनी जीविका कमा रहे हैं उन्हें वह घुसपैठिये की संज्ञा दे रहे हैं और दिल्ली पुलिस अधिकारी उन्हें दण्ड दे रहे हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रही है और परेशान कर रही है। ऐसा ही महाराष्ट्र में भी हो रहा है। कई बार इस सदन में भी हमने सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के उन गरीब शरणार्थियों की ओर आकर्षित किया है जो पूर्व पाकिस्तान से, जो अब बंगलादेश बन गया है वहां आए हैं, उन्हें तंग किया जा रहा है और यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उनकी रक्षा करे। आर.सी.आई. को समाप्त किया जा रहा है जैसाकि कई अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समाप्त किया गया था। यह समाप्त किया गया।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। यद्यपि, यह एक साधारण निरसन विधेयक है सरकार को विचार करना चाहिए कि विभाजन के शिकार लोग जो अभी भी वहां हैं और उनमें से कई अभी भी भुगत रहे हैं पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। उनकी सरकार से एक मांग है कि उनके पुनर्वास के लिए उन्हें पर्याप्त सहायता दी जाए।

मैं पुन: इस मांग को दोहराता हूं। इस सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का मौका प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: रामजीलाल सुमन जी, आपको पहले भी बोलने के लिए बुलाया गया था, लेकिन आप सदन में मौजूद नहीं थे। कृपया बहुत संक्षेप में बोलिए। केवल एक या दो मिनट में अपनी बात कहें, क्योंकि इस संपूर्ण बिल के लिए सिर्फ आधे घंटे का समय निश्चित किया गया है, जो समाप्त होने वाला है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन कृत्रिम विभाजन था। जो शरणार्थी हैं, उनका पुनर्वास हो, इसके लिए सरकार को निश्चित रूप से अथक प्रयास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन (निरसन) विधेयक, 2001 के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में लोग आते-जाते हैं। इसलिए उनके आवागमन को हम लोगों को सरल बनाना चाहिए।

आज के प्रधानमंत्री जब 1977 में विदेश मंत्री थे, उस समय भी यह माना गया था कि वीजा एवं पासपोर्ट और पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान में आने-जाने में हम लोगों को उदारता बरतनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से हमारा जज्बाती रिश्ता है। हिन्दुस्तान के अधिकांश लोग वहां के रिश्तेदार हैं, परिवार के सदस्य हैं। एक दूसरे के बहुत करीब हैं, एक दूसरे के मित्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों की जनता दोस्ती चाहती है, मित्रता चाहती है। पाकिस्तान के शासक भले ही घृणा का वातावरण तैयार करते हों, लेकिन वहां की जनता तनाव के पक्ष में नहीं है, इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जो लोग वहां से आते हैं, उनके आने के बाद कुछ समय के लिए और जब उनको यहां रहना पड़ता है तो समयावधि बढ़ाने में दिक्कत होती है। उग्रवाद के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे, लेकिन पाकिस्तान का जो आम आदमी है, उसके साथ हमारा व्यवहार अच्छा रहे, यही निवेदन करना था।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन विधेयक के विषय में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 1965 में पाकिस्तान वार के समय ईस्ट पाकिस्तान से काफी बड़ी मात्रा में रिफ्यूजी बंगलादेशी चन्द्रपुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में आये हैं। चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में मेरी कांस्टीट्वेंसी है। अभी माननीय रूपचन्द पाल जी ने कहा कि महाराष्ट्र में हमारे रिफ्यूजी भाईयों के साथ काफी हरैसमेंट किया जाता है, यह चीज गलत है। उनका हरैसमेंट नहीं हो रहा है, उन्हें उस समय की सरकार ने और श्रीमती गांधी ने जमीन दी, मकान दिया, खेती करने के लिए सुविधा दी। लेकिन आज की हालत में उनके साथ एक बड़ी समस्या है। 70 हजार फैमिलीज अकेले हमारे डिस्ट्रिक्ट में रिहैबिलिटेट हुई हैं, उनमें से 65 परसेंट शैड्यूल कास्ट के लोग हैं, उन्हें नामशूद्र कहा जाता है। वैस्ट बंगाल में उन्हें शैड्यूल्ड कास्ट की फैसिलिटीज मिलती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में उन्हें आज भी नामशूद्र की फैसिलिटी नहीं मिलने से वे शिक्षा और नौकरी के क्षेत्र में वंचित हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि राज्य ने कई बार आपसे सम्पर्क किया है। केन्द्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दे कि वहां के नामशूद्र जो रिहैबिलिटेट हुए हैं, उनको शैड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दिया जाये और उन्हें सारी सहूलियतें दी जायें। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, 1952 के कानून में संशोधन करने का बिल यहां लाया गया है। जो रिफ्यूजी लोग हैं, जैसा अभी हमारे नरेश पुगलिया जी ने बताया कि नामशूद्र समाज के शैड्यूल्ड कास्ट के काफी लोग वैस्ट बंगाल में और महाराष्ट्र में, मुम्बई में भी आये हुए हैं। उनकी मांग यह है कि अब तो हम कई सालों से इंडिया में रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं। उन्हें अभी तक वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया है। जब भारत सरकार ने अपनी रिफ्यूजी को अपने देश में सहारा दे दिया है तो सरकार से हमारी मांग यह है कि उनको यहां का नागरिक बहाल करना चाहिए और उसके बारे में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान से भी कुछ लोग यहां आते हैं, मगर जो अच्छे लोग आते हैं, उनको आने के लिए मौका नहीं दिया जाता है, मगर जो अतिरेकी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, वे रोज अपने देश में आ रहे हैं, उसके बारे में कड़ा कानून बनाने की आवश्यकता है। भारत और पाकिस्तान की दोस्ती बनाने के बारे में तो हम विचार कर रहे हैं, मगर मुशर्रफ जी हमारे साथ दोस्ती नहीं करना चाहते हैं तो मेरा सरकार से निवेदन है कि भारत और पाकिस्तान में दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी को अपना टूर कैंसिल करना चाहिए। पाकिस्तान में जाने के बारे *में भारत सरकार को दोबारा सोचने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का टूर रद्द करने वाले हैं, या नहीं और अगर आप उनका टूर रद्द नहीं करेंगे तो फिर आपका नुकसान हो सकता है। इतना ही मेरा निवेदन है।*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अत्यन्त साधारण विधेयक है पाकिस्तान में आगमन (नियंत्रण) निरसन अधिनियम 1952 प्रभावहीन बन गया है और यह आवश्यक नहीं है कि यह संविधि संग्रह में बना रहे।

माननीय सदस्यगण श्री दासमुंशी, कुमारी ममता बनर्जी, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री रूपचन्द पाल और नई अन्य माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने शरणार्थियों जो पाकिस्तान और बंगलादेश से आए हैं और यहां इस देश में कई जगह बस गए हैं की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उन्हें अभी भी कई सुविधाएं दी जानी बाकी हैं। उन्होंने सभी समस्याओं पर प्रकाश डाला है और मैं उनका आभारी हूं। तथापि, मैं यहां बताना चाहता हूं कि इसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इस विधेयक का तात्पर्य केवल निरसन अधिनियम को निरस्त करना है। वर्ष 1949 के पुराने अधिनियम में प्रावधान है कि पाकिस्तान से आने वाले नागरिकों को हमारे देश में आने का परमिट प्रदान किया जाए। यह अधिनियम वर्ष 1952 में निरस्त किया गया था। खण्ड 3 में रक्षक प्रावधान के अनुसार जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया है देश में कहीं भी रह सकता है। अत: जब हमने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों से सूचना मांगी तो हमें जवाब यह मिला कि इस परमिट का धारक पाकिस्तान से आया हुआ ऐसा कोई व्यक्ति उनके राज्यों अथवा संघ शासित प्रदेशों में भी रह रहा था इसीलिए यह निरसित किया जाना है।

जहां तक बंगलादेशी शरणार्थियों, जो दण्डकारण्य, अण्डमान और निकोबार और अन्य स्थानों पर बस गए हैं की समस्या का सम्बन्ध है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): विभाजन के कारण काफी लोग भारत आए थे। उन लोगों, जो पाकिस्तान और बंगलादेश से आए हैं की अपने मूल देश में स्वयं की सम्पत्ति है। क्या आपने उनकी सम्पत्ति उनको लौटाने के लिए कोई कदम उठाए है? क्या आप यह देखने के लिए कोई कदम उठायेंगे कि उनकी सम्पत्ति उन लोगों को लौटाई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, यह मुद्दा वर्तमान विधेयक से सम्बन्धित नहीं है। आप किसी अन्य विषय के संबंध में कह रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह उन्हें नुकसान है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह मुद्दा इस विधेयक में जुड़ा नहीं है। मंत्री जी ने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई समस्याओं को नोट कर लिया है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं नहीं कहता हूं कि इसका सम्बन्ध विद्यमान विधेयक के साथ है। मेरा कहना है कि उनके आने पर उनकी सम्पत्तियां वहां रह गई थी और उन्हें लौटाई जानी चाहिए।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: वर्ष 1974 के भारत-पाक वीजा समझौते के पश्चात् पाकिस्तानी नागरिकों की आवाजाही वीजा और पासपोर्ट प्रणाली द्वारा विनियमित की जाती है।

जहां तक बंगलादेशी शरणार्थियों का सम्बन्ध है जैसाकि कुमारी ममता जी और अन्य सदस्यों ने कहा है इन शरणार्थियों की समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से कानूनी तौर पर किया जाएगा। जहां तक स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदनों सम्बन्धी समस्याओं का सम्बन्ध है मैंने उनको नोट कर लिया है।

जहां तक डा. रघुवंश प्रसाद सिंह के तर्क का सम्बन्ध है हम निश्चित रूप से इन पाकिस्तानी आतंकवादियों का सामना कर रहे हैं जो हमारे देश में रह रहे हैं। हमारे सशस्त्र बल और हमारी सेना उनको नियन्त्रित कर रहे हैं। हम निम्नवत रूप से उन्हें निर्धारित करेंगे और इसमें कोई समस्या नहीं है। निश्चय ही अन्य मुद्दे नोट किए गए हैं और उनको कानून के अनुरूप निपटाया जाएगा।

अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि पाकिस्तान से आगमन (नियंत्रण) निरसन अधिनियम, 1952 राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री सीएच. विद्यासागर राव: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.25 बजे

(दो) प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग का निवारण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने हेतु विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, यह विधेयक अत्यल्प संशोधन करने हेतु है। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि इस अधिनियम के अंतर्गत लोक सभा और राज्य सभा में से किसी सभा के सदस्य, जो केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के सदस्य हैं, अध्यक्ष, लोक सभा अथवा उपाध्यक्ष, लोक सभा, उप मंत्री अथवा राज्य मंत्री अथवा कैबिनेट मंत्री अथवा उप सभापति अथवा सभापति, राज्य सभा के पद पर आसीन होने की स्थिति में इस बोर्ड के सदस्य नहीं रहेंगे। इस सभा द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और पीजीआई, चंडीगढ़ के शासकीय

[डा. सी.पी. ठाकुर]

निकाय में इसी प्रकार के संशोधन किए गए हैं। अत: यह एक अत्यंत लघु और सामान्य विधेयक है जिसका उद्देश्य उन सभी सदस्यों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है जो उच्चतर पदों पर आसीन नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का विस्तार अत्यधिक सीमित है। इस विधेयक हेतु 30 मिनट का समय आबंटित है।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, विधेयक का शीर्षक "प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और निवारण) संशोधन विधेयक है।"

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): उपाध्यक्ष जी, इसको ऐसे ही पास हो जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* यह कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा वाला बिल ले लिया जाए।...*(व्यवधान)* इसमें कुछ भी नहीं है, दूसरा बिल ले लिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): नहीं, ऐसे कैसे दूसरा बिल ले लिया जाएगा?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इतना छोटा बिल है, उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी: महोदय, इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है। मैं माननीय मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि इस विधेयक का विस्तार कम है लेकिन जहां तक विशेषरूप से हमारे समाज और आम रूप से हमारे देश का संबंध है इसका अत्यधिक महत्व है। इस संशोधन विधेयक में, केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड जो इस अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत गठित की जाती है और जिसमें तीन महिला संसद सदस्य होती हैं, की सदस्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें कहा गया है कि किसी सदस्य के राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री अथवा सभा के उपाध्यक्ष अथवा अध्यक्ष अथवा उप सभापति बनने की स्थिति में उनकी सदस्यता बोर्ड से समाप्त हो जायेगी। मेरे पास इस विधेयक का विरोध करने का कोई कारण नहीं है।

महोदय, मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान कतिपय प्रासंगिक मुद्दों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इसका कारण यह है कि यह हमारी जनसंख्या और भारत में लिंग भेदभाव से संबंधित है। हम जाते हैं कि जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है और यह हम सबों के लिए चिंता की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चौधरी, आप जनसंख्या के संबंध में संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं। इसी कारण बीएसी ने इस विधेयक हेतु केवल 30 मिनट दिए हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, डा. सी.पी. ठाकुर के माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होते हुए मैं अपनी उत्सुकता नहीं रोक पा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी उत्सुकता अगले विधेयक तक रोक सकते हैं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, मैं कुछ ही समय लूंगा। इस विधेयक में प्रसव पूर्व निदान तकनीकों के विनियमन और दुरुपयोग के निवारण की व्यवस्था की गई है। लेकिन सरकार अल्ट्रा-सोनोग्राफी, एम्निओसेंटेसीस और क्लोरिफीक डिवाइसेज पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। ये जीन संबंधी विकारों से संबधित है। यदि इन विकारों का जल्द पता चल जाता है तो इनका निवारण किया जा सकता है। भारत में 10 मिलियन से अधिक लोग जीन संबंधी विभिन्न विकारों से ग्रसित हैं और अब तक जीन संबंधी 5000 रोगों का पता चला है। अत: यह निरंतर प्रक्रिया है। मैं जानना चाहूंगा कि प्री-इम्प्लांटेशन जैनेटिक डायग्नोसिस को कैसे रोका जा सकता है। इसे संक्षेप में पी.जी.डी. कहा जाता है। प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण किसी महिला द्वारा गर्भधारण करने के पश्चात् किया जाता है लेकिन 'प्री-इम्प्लांटेशन' की प्रक्रिया भिन्न है। यह भ्रूणधारण के चरण से संबंधित है।

प्रश्न यह है कि आप उन व्यक्तियों को कैसे रोकेंगे जो "क्लोरोसेंट ईन सिटू हाइब्रिडाईजेशन" के द्वारा लिंग निर्धारण करते हैं।

यह विधेयक 1949 में पारित किया गया था और यह 1996 में लागू हुआ। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के पास लिंग निर्धारण विशेषकर 'प्री-इम्प्लांटेशन जेनेटिक डिसआर्डर' की तकनीक का दुरुपयोग रोकने हेतु कोई तंत्र है। हम इस प्रक्रिया द्वारा लिंग निर्धारण करने वाले लोगों को कैसे रोकेंगे? भारत में, जहां तक जनसंख्या का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मानव भ्रूण के क्लोन किए जाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।

श्री अधीर चौधरी: यह नवीनतम शोध है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, यह एक संक्षिप्त विधेयक है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मानव भ्रूण के क्लोन का मामला एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप माननीय सदस्य के समय पर अतिक्रमण कर रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: इसमें उनकी स्वीकारोक्ति है।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। यदि उन्होंने स्वीकार किया होता तो वे आपको बोलने देते।

श्री अधीर चौधरी: भारत के पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से 5 से 8 प्रतिशत तक अधिक है। विकसित देशों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से 3 से 5 प्रतिशत तक अधिक है। मुझे मेरी आत्मा ने सोचने को बाध्य कर दिया है कि क्या विज्ञान हमारे लिए अभिशाप है या वरदान। आप इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि मात्र कानून बनाकर ही आप इस बुराई को नहीं रोक सकते। इसके लिए एक सामाजिक आन्दोलन की आवश्यकता है। गर्भ से लेकर कफन तक एक बालिका अत्यन्त कष्ट भोगती है। लिंग असामान्यता इतनी अधिक प्रचलित है कि बाल्यकाल बालिका और बालक में विभाजित हो जाता है।

एक बच्चे को जन्म लेने का अधिकार है। किन्तु एक बालिका के जीवन को जन्म पर ही समाप्त कर दिया जाता है? यदि लिंग भेद इस प्रकार जारी रहा तो एक दिन आएगा जबकि हमारे समाज में बहु-पत्नी प्रथा फिर आरम्भ हो जायेगी। यदि यह जारी रहा तो हमारे समाज में सैक्स अपराधों में वृद्धि हो जाएगी।

इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, हमें इस सम्बन्ध में एक उचित दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह हमारे समाज तथा देश के लिए आवश्यक है। हमारे देशवासियों की आत्मा को जागृत करके बालिका के प्रति पक्षपात को समाप्त करना होगा।

डा. वी. सरोजा (रासीपुरम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आपत्तियों के साथ विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं।

जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा है (1) क्रोनिक विल्ली बायोप्सी (2) एमनिमोसेंटेसिस (3) अल्ट्रासोनोग्राफ, और (4) यूकल स्मीयर टैस्ट से क्रामोसोमल सैक्स निर्धारण के माध्यम से लिंग निर्धारण किया जा सकता है। यह विधेयक दो भागों में है। पहला भाग है प्रसव पूर्व निदान तकनीक (नियमन और दुरुपयोग को रोकना) अधिनियम, 1994 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम जिन्हें कि 1 जनवरी, 1996 से लागू किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूं।

यद्यपि अधिनियम 1996 में बना, फिर भी बालिका भ्रूण हत्या के मामले बढ़ रहे हैं। इसके लिए लिंग निर्धारण परीक्षण को दोष दिया जाता है।

बाल लिंग अनुपात 1961 में 946 से लगातार कम होकर 2001 में 927 हो गया है।

बालिका भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण लिंग परीक्षण है। गर्भधारण के प्रथम तीन माह में जैनेटिक अथवा मैटाबोलिक विकारों की पहचान करने क्रोमोसोमल असमान्यता, लिंग संबंधी अव्यवस्था के कुछ कोनजोनिटल मैलफोर्मेशन और इस प्रकार की तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रावधान हैं। इस उद्देश्य के लिए हम अल्ट्रा सोनोग्राफ और अन्य नैदानिक तकनीक की अनदेखी नहीं कर सकते।

महोदय, यद्यपि बालिका भ्रूण हत्या को 1996 के अधिनियम के अन्तर्गत जो कि 1996 के नव वर्ष में लागू किया गया, प्रतिबन्धित किया जा चुका है। मैं उस गैर-सरकारी संगठन को बधाई देना चाहूंगा जिसने माननीय उच्चतम न्यायालय में इस बारे में पी.आई.एल. फाईल की और 4 अप्रैल 2001 को, माननीय उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को एक आदेश दिया। मुझे इसे उद्धृत करने की अनुमति दी जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय के कथनानुसार:

> "मैडिकल काउंसिल आफ इंडिया (एम.सी.आई.) को एक व्यावसायिक निगरानी रखने वाले के रूप में स्वत: आना चाहिए। काफी देर नहीं हुई है। एम.सी.आई. को कार्य आरंभ करना चाहिए।

मात्र कानून, सामाजिक अपराधों यथा बालिका भ्रूण हत्या जैसे अपराधों से नहीं निपट सकता। जैसा कि अनुभव बताता है कि कानून मात्र एक शस्त्र है। जरूरत है तो लोगों के नजरिये को बदलने के लिए एक अभियान की। गैर-सरकारी संगठन न कि सरकार इस कार्य के लिए उपयुक्त है।" इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, हमें भी इस बिल पर बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अगले बिल पर बोलिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं इस पर क्यों बोलना चाहता हूं, यह बता दूं।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप उस बिल में भी बता सकते हैं। अगला बिल भी मेडिकल काउंसिल का है, उसमें भी आप सारी बातें बोल सकते हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, वह अलग है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, केवल दो मिनट बोलिए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण विधेयक है, हालांकि एक क्लाज का संशोधन है, लेकिन लोग बिना बहस के क्यों पास करवाना चाहते हैं। आप लोग भ्रूण हत्या के पक्ष में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दर्जनों बार कहा है कि इसका सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इस बिल पर बहस होनी चाहिए। देश और दुनिया के लोग जानते हैं कि इस कानून में आपने क्या लिखा, यह लागू हो रहा है या नहीं।...*(व्यवधान)* क्या इससे सरकार गिर जाएगी?

महोदय, यह इतना महत्वपूर्ण बिल है - क्रोमोजोम्स, जेनेटिक मेटाबोलिक त्रुटि की जांच के लिए जो कानून बना, उसके अंतर्गत ही सैक्स की जांच हो जाती। गर्भ में बच्चे-बच्चियों का रेश्यो सन् 2001 में घट गया - ड्रास्टिकली पंजाब, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और दिल्ली में। यह क्या कानून बना हुआ है कि इन सब बीमारियों की जांच और जेनेटिक आदि त्रुटि है या नहीं, इसकी जांच के लिए कानून बना और जांच सैक्स की हो रही है। आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में पहले से ही लोगों की यह धारणा बनी हुई है कि बेटा होता है तो ठीक और अगर बेटी होती है तो खराब है। पहले से ही लोगों के दिमाग में यह मानसिक और सामाजिक बीमारी है।

कहीं-कहीं बच्चे को छठी के दिन ही देखते हैं और अगर बेटी है तो मार देते हैं। इस तरह की सोसायटी में कुप्रवृत्ति व्याप्त है। इसलिये विभिन्न कानून बनाकर इस सामाजिक बीमारी को रोकने का उपाय हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह ठीक से लागू नहीं हो रहा है।

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय ने सेंटर फार इन्क्वायरी इन्टू हैल्थ एण्ड एलाइड थीम्स (सी ई एच ए टी) और अन्य द्वारा केन्द्रीय सरकार और अन्य के विरुद्ध दायर एक जनहित याचिका में दिनांक 4 मई 2001 को केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और समुचित प्राधिकारियों से इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने के निदेश जारी किए थे।

[हिन्दी]

इसका इफैक्टिव इंपलीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सरकार यह क्लाज लेकर आई है लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसे इंपलीमेंट करने के लिये कौन सी कार्यवाही की गई है, यह मालूम नहीं। इस बात की जांच-पड़ताल करने पर पाया गया है कि प्रैक्टीशनर्स धंधा कर रहे हैं। आप उनको क्या सजा दे रहे हैं? मुझे शंका है कि उनकी यह प्रैक्टिस चालू है लेकिन सरकार इस मामले पर बहस नहीं होने देना चाहती है:

[अनुवाद]

"पीएनटीडी" अधिनियम का संशोधन करने की संभावना की जांच करने के लिए एक केन्द्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड के अंतर्गत एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है...."

[हिन्दी]

आपने इस एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिये और सब-कमेट बहाल करने के लिये कहा है।

[अनुवाद]

"...नई प्रौद्योगिकियों और इस अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने को देखते हुए...."

[हिन्दी]

सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। यह भी पता चला है कि बेटी का रेशो कम हो रहा है, उस पर आपने क्या सजेस्ट किया है और इसमें क्या सुधार हो रहा है? इसलिये मैं कहता हूं कि इस कानून को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। क्या सरकार इस छोटी सी बात पर गिर जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर बहस चालू रखी जानी चाहिये। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन माना जाना चाहिये, लोगों में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये। पहले लोग टैस्ट कराते हैं कि बेटा है या बेटी। यह पता लगने पर कि बेटी है, भ्रूण हत्या होती है यानी गर्भपात कराया जाता है। इस प्रकार भारी अनर्थ हो रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस कानून का ठीक ढंग से इंपीमेंटेशन होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास दर्जनों उदाहरण हैं, इसलिये ऐसे विषय पर ज्यादा समय दिया जाना चाहिये। मेरे पास फिगर्स हैं, आप कैसे इसका इंपलीमेंटेशन कर सकेंगे। सैक्स रेशो क्यो कम हो रहा है? इस कानून में अमेंडमेंट करके आप क्या करने वाले हैं? मंत्री जी स्वयं डाक्टर हैं। मैंने इनका कई जगह भाषण सुना है और मैं चाहता हूं कि सदन के लोग भी इन बातों से अवगत हों। इसलिये, मैं सरकार को खबरदार करता हूं कि इस प्रकार की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिये, यदि यह बात गजट में छप गई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिन बिन्दुओं को उठाया है, माननीय मंत्री जी उनका दें।

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण बहस में भाग लेने के लिए मुझे मौका देने के लिए आपको धन्यवाद देती हूं।

महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं वर्ष 1994 का पी एन डी टी अधिनियम वर्ष 1996 में लागू हुआ था। परंतु उच्चतम न्यायालय के आदेश में यह कहा गया है:

> ''ऐसा प्रतीत होता है कि संसद द्वारा पांच वर्ष पूर्व पी एन डी टी अधिनियम को अधिनियमित किए जाने के बावजूद न तो राज्य सरकार ने और न ही केन्द्र सरकार ने कोई समुचित कार्रवाई की है।''

महोदय, आप जानते हैं कि हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार स्त्री-पुरुष अनुपात में मामूली सी वृद्धि हुई है, यह पहलू हमें सावधान करता है, चेताता है कि 6 वर्ष से कम उम्र वाले लड़के-लड़कियों के लिंग अनुपात में कमी आई है। ऐसी स्थिति पंजाब, दिल्ली और गुजरात जैसे समृद्ध राज्यों में भी है। उदाहरण के लिए पंजाब में, 1000 आदमियों पर 777 महिलाएं हैं, दिल्ली में यह 965 है और गुजरात में 875 है।

मैं जानता हूं कि इस बुराई के विरुद्ध एक सामाजिक आंदोलन चलाए जाने की आवश्यकता है और सरकार की नीतियों में काफी परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

मादा भ्रूण की हत्या इसीलिए संभव है क्योंकि चिकित्सा समुदाय के एक वर्ग की इसमें भूमिका है जो भ्रूण के लिंग की पहचान करने के लिए लिंग पहचान के परीक्षणों को विज्ञापनों द्वारा बढ़ावा दे रहे हैं तथा महिला भ्रूण की हत्या कर रहे हैं।

मेरा प्रस्ताव यह है कि अपराधी पर शीघ्र मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालय का गठन किया जाना चाहिए और ऐसे दम्पत्तियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने ऐसी जांच करवाई है। दूसरे, महिला बाल हत्या की बुराई के संबंध में कालेज स्तर से ही व्यापक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरणीय समस्याओं और महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार के मामले को महिला बाल हत्या के विरुद्ध जागृति के साथ मिला कर चलाया जाना चाहिए। अल्ट्रासाउन्ड और रूमनियोसेंटेसिस केन्द्रों के रोगियों के रजिस्टर की नियमित रूप से स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई विसंगति तो नहीं है। अन्यथा, लिंग पहचान की प्रथा अनवरत जारी रहेगी और इससे महिला भ्रूण की हत्या होती रहेगी तथा डाक्टर यह कहकर बचते रहेंगे कि गर्भपात का कारण गर्भ निरोधक की असफलता है जो वैद्य है।

*महोदय, इस वर्ष को महिला अधिकारिता वर्ष घोषित किया गया है। परन्तु यह दुख की बात है कि सरकार विधान सभाओं और संसद में एक तिहाई सीटें आरक्षित करने में असफल रही है। यह वास्तव में दु:ख की बात है कि सरकार इस सभा में इस विधेयक को पुर:स्थापित करने में असफल रही है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं के कल्याण के लिए कई विधेयक पारित किए गये हैं। परंतु मुझे यह कहते हुए दु:ख हो रहा है कि सरकार के रवैये और राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण स्वतंत्रता के 54 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन अधिनियमों को लागू नहीं किया गया है। महिलाओं की दशा दिन-प्रतिदिन राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर और उनके अपने पारिवारिक जीवन में गिरती जा रही है। उन्हें उनके सांवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया है और वे प्रत्येक क्षेत्र में हमेशा पीछे रही हैं। अब तक 20 लाख से अधिक बालिका भ्रूणों की हत्या की जा चुकी है। मेरी पार्टी और मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करते हैं और आशा करती हूं कि इस विधेयक को लागू करने से महिलाओं की काफी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी और उन्हें अपने जीवन में गरिमा और सम्मान के साथ जीने में मदद मिलेगी।

मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका देने के लिए मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूं।*

डा. सी.पी. ठाकुर: महोदय, सबसे पहले मैं इस विधेयक में गहरी रुचि लेने के लिए माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। यह बहुत ही छोटा विधेयक है। श्री अधीर चौधरी, डा. वी.

*....*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*....*मूलत: बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[डा. सी.पी. ठाकुर]

सरोजा, डा. रघुवंश प्रसाद सिंह और श्रीमती मिनाती सेन ने कुछ बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं।

महोदय, वास्तव में जब से यह विधेयक अधिनियमित हुआ है, जैसा कि श्री चौधरी ने उल्लेख किया है, कई नई तकनीकें प्रचलित हुई हैं। माननीय सदस्य ने गर्भावस्था को चिकित्सा द्वारा खत्म करने का उल्लेख किया है। उस प्रकार इस अधिनियम के संबंध में नई तकनीक और गर्भावस्था की चिकित्सा द्वारा समाप्ति के बीच कुछ विवाद है। अत: हम संसद के अगले सत्र में एक बहुत ही व्यापक विधेयक लाएंगे जिसमें ये सभी पहलू शामिल होंगे। सरकार इस बारे में काफी सक्रिय है। सरकार राज्य सरकारों तथा धार्मिक नेताओं की मदद ले रही है। अकाल तख्त ने इस संबंध में उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने सभी गुरुद्वारों को अनुदेश जारी किए हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम में सहायता करनी चाहिए। कई धार्मिक नेताओं ने इसमें भाग लिया। इसलिए हम बहुत सक्रिय हैं। यह एक सामाजिक बुराई है और हम सभी को इससे लड़ना होगा।

इसलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग का निवारण) अधिनियम, 1994 में संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

डा. सी.पी. ठाकुर: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.51 बजे

(तीन) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

वास्तव में, पूर्व सोवियत संघ के कई देशों में विभाजन होने के कारण इस विधेयक की आवश्यकता हुई। उन देशों में स्थित कई मेडिकल कालेजों ने भारतीय विद्यार्थियों को आकर्षित किया है। वे वहां अध्ययन के लिए जाते हैं। उनका स्तर भिन्न-भिन्न है। भारतीय चिकित्सा परिषद् के लिए हर बार वहां जाकर उनकी डिग्रियों की जांच करना संभव नहीं है। जैसा, कि अमेरिका, इंगलैंड और अन्य देशों ने किया है अब हम एक परीक्षा करवाने का प्रस्ताव करने जा रहे हैं। अत: जो कोई भी वहां चिकित्सा शिक्षा के लिए जा रहा है। उसे यह बताना होगा कि उसके पास मौलिक चिकित्सा पूर्व योग्यता है जिसकी इस देश में आवश्यकता है। अगर वे इस परीक्षा को पास करते हैं तो उनका नाम भारतीय चिकित्सा परिषद् के रजिस्टर में शामिल किया जाएगा।

यह इस विधेयक का सार है।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक के लिए आवंटित समय भी तीस मिनट है। इसका फैसला कार्य मंत्रणा समिति ने किया है। अब, श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन जी बोलेंगे।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): उपाध्यक्ष महोदय, हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं। इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम उस दोस्ती का सम्मान करना चाहिए जो हमारी पूर्ववर्ती यू.एस.एस.आर. के साथ थी। वे पिछले पचास वर्षों से हमारी हर तरह से मदद कर रहे थे। अब उनका विभाजन हो

गया है। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, अनुसूची-तीन भाग 2 में कहा गया है कि चिकित्सा विज्ञान, यू.एस.एस.आर. से डिग्रियां प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों तथा यू.एस.एस.आर. के इंस्टीट्यूट आफ थेरेपी आफ द अकादमी आफ मेडीकल साइन्सेस से चिकित्सा की डिग्रियां दी जाती हैं।

इसके अलावा, पश्चिम जर्मनी की संस्थाओं का उल्लेख भी किया गया है। इसी प्रकार, पूर्व जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के विलय के बाद भी कार्ल मार्क्स यूनीवर्सिटी और पूर्वी जर्मनी की मार्टिन लूथर यूनीवर्सिटी के बारे में अलग से बताया गया है। इसी प्रकार अब चेकोस्लोवाकिया दो देशों में बंट गया है। उनके मामले में भी प्राग चार्ल्स यूनीवर्सिटी के एमडी का नाम भी अनुसूची में रखा गया है।

यहां मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि ये सभी देश हमारे साथ पिछले पचास वर्षों से थे। उन्होंने हमारी काफी मदद भी की थी। अब अधिकांश ग्रामीण छात्र अपना अध्ययन करने के लिए पूर्ववर्ती रूसी देशों में जा रहे हैं क्योंकि वहां वार्षिक खर्च बहुत कम है। अगर आप 2 लाख रुपये का भुगतान करते हैं तो यह पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त है। परन्तु यहां आपको 6 से 8 लाख रुपये तक देने होते हैं वह भी तुरंत। जब वे वहां जाते हैं और अपना अध्ययन पूरा करते हैं तो उन्हें वहां से मिले हुए सर्टिफिकेटों को यहां स्वीकार नहीं किया जाता। इस कारण अधिकांश लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने इस तथ्य को समझा है। इस मुद्दे को तुरंत उठाया जाना चाहिए। जहां कहीं भी ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो पिछले पचास वर्षों से हमारे साथ हैं, उन्हें हमारा मित्र समझा जाए। हम इसकी दुबारा जांच नहीं करेंगे। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में हमारी जांच की जाती है। परन्तु हमें अपने ही छात्रों द्वारा रूसी विश्वविद्यालयों से डिग्रियां प्राप्त करने की छानबीन क्यों करनी चाहिए? वे हमारे साथ थे, वे हमारे साथ हैं। ये देश हमारे मित्र हैं और हमेशा मित्र बने रहेंगे। अत: ऐसे रवैये पर विचार किया जाना चाहिए। जांच परीक्षण करने जैसा कोई कड़ा रवैया नहीं होना चाहिए जो उनकी शिक्षा के स्तर में स्वीकार्य नहीं है। मैं इससे मना नहीं करता कि हमें अपना स्तर बनाकर रखना चाहिए परन्तु साथ ही हमें मित्र देशों के साथ कुछ उदारता दिखानी चाहिए। दूसरी तरफ हमने पश्चिमी देशों को पूरी तरह से मान्यता नहीं दी है। जब हमारे स्नातकोत्तर डिग्रीधारी यू.के. और अन्य देशों में अपनी मौलिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो वे इसको आरम्भ से करते हैं। उस समय हम स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ताकि हम अन्य देशों के बराबर हो सकते हैं। अत:, मेरा सुझाव है कि उन भारतीय नागरिकों के प्रति कुछ सौहार्दपूर्ण रवैया होना चाहिए जो रूसी छात्र हैं।

इसे अनुसूची में मुख्यत: सरकारी नौकरियों के लिए शामिल किया गया है। सरकार को चाहिए कि रूसी और अन्य पूर्वी देशों के विश्वविद्यालयों के डिग्रीधारियों को नौकरियां देने के लिए आगे आए। धारा 25 में प्रावधान किया गया है कि विदेशी अध्ययन को मान्यता दी जा सकती है। परंतु यहां हम और संशोधन करने वाले हैं और यह कह रहे हैं कि अगर आपके पास भारतीय विश्वविद्यालय की किसी मूल डिग्री के साथ कोई अन्य डिग्री भी है तो कोई जांच नहीं की जाएगी। यह अब प्रस्तावित अद्यतन संशोधन के अनुसार है। परंतु मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि धारा 25 को रूसी छात्रों के लिए लागू किया जाना चाहिए।

हम डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा शासित हैं। ट्रिप्स समझौता हुआ है और अन्य सेवाक्षेत्र भी हैं। बहुत सारे लोग यहां आ रहे हैं और हमारे देश के बहुत सारे लोग विदेशों में चिकित्सा विज्ञान में निजी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरियां लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। हमें उनमें बराबरी लानी चाहिए। 136 देश पहले ही गैट समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। हम ऐसा ही काम यहां क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी देश की सरकार किसी विश्वविद्यालय को मान्यता देती है तो उसी प्रकार उनके द्वारा हमारे विश्वविद्यालय की डिग्री को भी मान्यता दी जानी चाहिए।

तीसरे, ऐसी परिस्थिति में मैं अन्य डिग्रियों के विनियमन की बात करूंगा, चाहे यह चिकित्सा परिषद् अधिनियम के अंतर्गत न आता हो। यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आपको होम्योपैथी (लंदन) एमएस, सर्जन कहलाते हैं और अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। परंतु कोई भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर रहा। अब गरीब लोग केवल लंदन को देखकर अच्छे इलाज के लिए उनके पास चले जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि उनका अच्छा इलाज नहीं हो रहा है परंतु इस प्रकार के लोगों की कुछ तो जांच होनी चाहिए। ऐसे लोग भी हैं जो स्नातक करने के बाद अपनी ही डिग्री का लाभ उठाते हैं। वे विशेषकर जर्मनी से होम्योपैथी डिग्री ले रहे हैं और इन लोगों को आम लोग स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वे काफी सस्ती और जल्दी इलाज करते हैं। पहले, ऐसा माना जाता था कि बेयर फुट डाक्टरों को अनुमति दी जानी चाहिए। इस बारे में सोचना चाहिए ताकि वे लोग जो नियमों और विनियमों के अंतर्गत आते हैं उनकी जांच की जानी चाहिए जिसके द्वारा उन्हें भी नियंत्रित किया जा सकता है। उन्हें कभी भी डरना नहीं चाहिए कि उनको दण्ड दिया जाना चाहिए या उनके विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा और अन्य लोगों द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को याचिका

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

देकर कार्रवाई की जाए। अंत में, रूस और चेकोस्लोवाकिया या जैसे पूर्व मित्र देशों के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए और साथ ही हमें अपनी शिक्षा के स्तर को बनाए रखना होगा। मैं इस पहलू का स्वागत करता हूं परन्तु इसके साथ ही जहां तक नियम बनाने का संबंध है विभिन्न देशों के लिए भिन्न-भिन्न होना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, यह बात सही है कि यू.एस.एस.आर. में भारत के बहुत बच्चे बढ़ने जाते थे और जिस समय यू.एस.एस.आर. एक था उस समय ऐसा भी हुआ कि वहां के बहुत से कालेजों को मैडीकल काउंसिल आफ इंडिया ने रिकागनाइज किया और यहां उसने एक स्क्रीनिंग टैस्ट शुरू किया,

अपराह्न 4.00 बजे

जहां पर उनका एडमीशन हो सकता था। बहुत से हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र हैं, जिनके बच्चे उस जमाने में जाया करते थे और वहां से पढ़कर मेडीकल और इंजीनियरिंग की डिग्री लाया करते थे और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाया करता था, जब यू.एस.एस.आर. बिखर गया और वहां पर कुछ ऐसी संस्थाएं आ गई, जिन्हें डालर की आवश्यकता थी, उन्हें डालर चाहिए। डालर दीजिए और एडमीशन ले लीजिए। उसके लिए ऐसा हो गया कि लड़के मैट्रीकुलेशन पास किये हुए का भी वहां नामांकन हो गया और वहां मैडीकल कालेज में एडमीशन हो गया। कुछ लोग ऐसे थे कि जो एम.बी.बी.एस. की डिग्री पढ़ने के लिए 10 प्लस 2 पास होना चाहिए, वह भी साइंस सबजैक्ट से, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कामर्स पढ़े थे, कुछ लोग आर्ट्स पढ़े थे, उनका भी नामांकन वहां डालर देने के बाद हो गया। यहां पर इस तरह की कुछ संस्थाएं पैदा हो गई, जिन्होंने उसे व्यापार बना दिया और व्यापार बनाकर वहां के मैडीकल कालेज के साथ अपने को सम्बद्ध कर दिया और अखबारों में इसका प्रचार किया। अखबारों में इसका प्रचार किया। अखबारों में प्रचार करके लोगों से मांगा कि यदि आप विदेश में जाकर डाक्टरी पढ़ना चाहते हैं तो जाइये। इस तरह से प्रचार करके उन लोगों ने उनका नामांकन करा दिया। नामांकन कराने के बाद ऐसे-ऐसे लोग वहां से पास करके चले आये, जिनके लिए यहां रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ रही है। जो आदमी इण्टरमीडिएट की परीक्षा, 10 प्लस 2 की परीक्षा पास नहीं किया हो, वह वहां से एम.डी. या एम.बी.बी.एस. की डिग्री लेकर आता था, उसके लिए रजिस्ट्रेशन यहां करना आवश्यक हो गया। वैसी इंस्टीट्यूशन को, मैडीकल कौंसिल आफ इंडिया जिनको रिकगनाइज नहीं करती थी और इस बिल का मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि यह स्क्रीनिंग टैस्ट केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं है, यदि कोई अमेरिकन सिटीजन है और यदि वह भारत से मैडीकल कालेज से पढ़कर जाता है तो अमेरिका में उसको यू.एस. असेम्बली की एक परीक्षा देनी पड़ेगी। यदि ब्रिटिश नागरिक है और भारत के किसी मैडीकल कालेज से यदि एम.बी.बी.एस. की डिग्री लेता है तो उसको वहां जाकर उसके प्लैग की परीक्षा देनी पड़ेगी। हालांकि वह ब्रिटिश नागरिक है, तब भी उसको करना पड़ेगा, तब उसका वहां रजिस्ट्रेशन होगा। यहां कुछ समय के लिए ऐसा हो गया कि बगैर कोई प्रिलिमिनरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के एम.बी.बी.एस. के लिए है, वह बिना लिए हुए लोग चले गये और डिग्री लेकर चले आये। इसी की वजह से यह जो स्क्रीनिंग टैस्ट है, हम तो कहते हैं कि हम लोगों ने बहुत देर कर दी। हमसे पहले बंगलादेश और श्रीलंका ने स्क्रीनिंग टैस्ट शुरू कर दिया। वहां से जो वैसे विद्यार्थी एम.बी.बी.एस. के पढ़कर आये, लेकिन आज यह मसला यहां आया है। हमारे सी.पी. ठाकुर यहां बैठे हैं, हम दोनों एक ही मैडीकल कालेज के विद्यार्थी थे। हम भी उसी जीसस मैडीकल कालेज में थे, ये हमसे सीनियर थे। जिस समय ये स्टूडेंट थे, हम भी स्टूडेंट थे, लेकिन मेरे सीनियर थे।

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): डाक्टर सी.पी. ठाकुर तो 'भारत रत्न' की उपाधि लिए हैं, आप भी 'भारत रत्न' की उपाधि लिए हैं?

डा. मदन प्रसाद जायसवाल: नहीं, पद्मश्री मिला है। ...*(व्यवधान)* हम दोनों लोग वहां थे। मैडीकल कालेज में आजकल क्या हो रहा है कि एडमीशन के लिए 17 वर्ष से कम की उम्र में होता नहीं है और पांच वर्ष की पढ़ाई है। उसके बाद उसको एक साल इंटर्नशिप करनी है, छः साल हो गये। उसके बाद उसको यदि एम.डी. एम.एस. करना है तो उसके लिए फिर कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन दीजिए, तब उसके बाद एम.डी. एम.एस. की डिग्री मिलेगी। इस तरह से मैडीकल कालेज की पढ़ाई आजकल यह हो गया है कि कोई भी लड़का सैटल करने के बाद, जो एम.बी.बी.एस. या डाक्टरी करना चाहता है, 30-32 साल की उम्र से पहले कोई डाक्टर सैटल नहीं कर पा रहा है। यह जीवन का सबसे प्राइम टाइम है, जो कि पढ़ने में ही गुजर जाता है। इसीलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा, यहां हमारे मंत्री जी से विशेषकर कि इसके बारे में भी सोचें और जो लोग रूस जा रहे हैं, वे एक साल वहां जाकर रशियन लैंग्वेज पढ़ते हैं। एक साल के बाद फिर छः साल का कोर्स करते हैं, फिर एक साल वहां इंटर्नशिप करते हैं। उसके बाद फिर भारत में आकर एक साल इंटर्नशिप करते हैं। उसके बाद यह स्क्रीनिंग टैस्ट होगा। इसमें यह प्रावधान किया गया है। स्क्रीनिंग टैस्ट आप साल में कितनी बार कीजिएगा, एक बार कीजिएगा या दो बार कीजिएगा। मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि कम से कम

इसकी परीक्षा दो बार स्क्रीनिंग टैस्ट की होनी चाहिए। उसका स्टैंडर्ड ऐसा न हो, वे रशियन भाषा में पढ़कर आते हैं, दूसरी भाषाओं में पढ़कर आते हैं, ऐसा न हो कि हम एम्स के स्तर की परीक्षा उससे लेने लगें। अगर ऐसा हुआ तो शायद 40 साल की उम्र तक भी वे डाक्टर की डिग्री नहीं ले पाएंगे। जब हम मेडिकल कालेज में पढ़ते थे तो जो लड़का पांच वर्ष में पास नहीं होता था, उसको हम लोग लार्ड की संज्ञा देते थे। जब हम चलते थे तो उसकी सवारी निकलती थी। उसको अकेले रहना पड़ता था, कोई रूममेट नहीं मिलता था। ऐसे कई विद्यार्थी छः-सात साल तक मेडिकल कालेज में रहते थे। इसलिए इनके साथ भी वैसा हो जाए, यह नहीं होना चाहिए।

मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया के बारे में मेरा अनुरोध है कि यह जिन मेडिकल कालेजेज को रिकोग्नाइज कर रही है, उसका क्या स्तर है, क्या व्यवस्था है, यह देखना चाहिए। जो इंस्पेक्टर वहां जाते हैं, वे क्या वास्तव में वहां इंस्पेक्शन करते हैं या नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। कर्नाटक में एक जगह जब ये लोग इंस्पेक्शन करने गए तो एक बस में अस्पताल से मरीज लाए गए। वहां लोकल डाक्टर साथ थे, उनको टीचर बनाकर दिखा दिया गया, जबकि वे प्राइवेट प्रेक्टिस करते थे। मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया ऐसे कालेजों को भी रिकोग्नाइज कर देती है, जहां कुल चार कमरे का कालेज होता है। इसलिए इसके बारे में भी कोई व्यवस्था और स्तर होना चाहिए। भारत सरकार को यह देखना चाहिए कि किस व्यवस्था के तहत किस मेडिकल कालेज को रिकोग्नाइज किया जाए। हम स्क्रीनिंग करने की बात कर रहे हैं। बाहर के कालेजों में एक डाक्टर को पढ़ाने के लिए 30-35 लाख रुपए तक केपिटेशन फीस ली जा रही है।

मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया का अध्यक्ष अगर कोई बन जाता है तो फिर वह जीवनपर्यंत अध्यक्ष ही रहता है। उसके लिए कौन सी व्यवस्था है, क्या चुनाव की व्यवस्था है, क्या दूसरे लोग नहीं चुने जा सकते, यह भी देखना चाहिए। मैं यहां किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे बहुत से लोग इसके अध्यक्ष रहे हैं, जिनके सी.बी.आई. की रेड हुई है और करोड़ों रुपए की सम्पत्ति और फिक्स्ड डिपाजिट मिले हैं। यह पैसा कहां से आया, यह समझा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि मेडिकल कालेजों को रिकोग्नाइज करने में भारी धांधली होती है, भारी घूस ली जाती है। एक मेडिकल कालेज के बारे में तो यहां तक सुना गया कि वहां सिर्फ 100 विद्यार्थी ही पढ़ते थे। उनको एम.बी.बी.एस. के फर्स्ट ईयर के लिए डिग्री लेने के लिए दो लाख रुपए देने पड़ते थे। उसके बाद सेकंट ईयर की डिग्री के लिए भी पैसा और फिर एम.बी.बी.एस. के फाइनल ईयर की डिग्री रिकोग्नाइजेशन के लिए भी पैसा लिया जाता था। यह जांच का विषय है।

मंत्री जी स्वयं बहुत बड़े डाक्टर हैं। इस विषय को लेकर उनको भी चिंता होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि ये जो व्यवस्थाएं मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया में चल रही हीं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि जो एक बार इसका अध्यक्ष बन गया, कैसे वह जीवन भर अध्यक्ष ही रहता है।

यहां जो बिल स्क्रीनिंग टैस्ट का पेश किया गया है, उनका मैं समर्थन करता हूं। मेरा अनुरोध है कि ऐसी परीक्षा लेनी चाहिए, जिससे जो लड़के रशियन भाषा में पढ़े हैं, पास कर सकें। ऐसा न हो कि उनको भी लार्ड की संज्ञा दी जाए। वे विदेश से पांच-छः साल तक पढ़ाई करके आए हैं और उनका रिकोग्निशन न हो तो यह उचित नहीं है। आशा है मंत्री जी इन बातों पर ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): माननीय महोदय, कछ आपत्तियों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं जिसका प्रयोजन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम में संशोधन करना है।

जैसाकि माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि इसका प्रयोजन सीमित है इसमें उन लोगों का स्क्रीनिंग टैस्ट करने के लिए है जो विदेशों से डिग्री प्राप्त करते हैं और चिकित्सा क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान और हुनर प्राप्त करते हैं लेकिन यह तत्कालीन रूस में स्थित विश्वविद्यालय तक ही सीमित है। यह नितान्त आवश्यक है कि हमें डाक्टरी के चिकित्सा सम्बंधी मानदण्डों को सुनिश्चित करना चाहिए जो वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेवार हैं।

इस संशोधन के द्वारा मैं नहीं समझती कि इसमें जो मन्त्री महोदय देख रहे हैं उस उद्देश्य को सुनिश्चित किया जा सकता है लेकिन जब हम चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में सम्पूर्ण स्थिति का सर्वेक्षण करते हैं तो हमें यह देखने को मिलता है कि देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य देखभाल प्रभावी लाभ कमाने वाले व्यवसायिक केन्द्र अथवा उद्योग बनते जा रहे हैं। मैं किसी राज्य का नाम नहीं ले रही हूं क्योंकि इससे उस राज्य के मा. सदस्य को चोट पहुंचेगी। लेकिन यह अत्यन्त स्पष्ट है और हम सभी को पता है कुछ स्थानों में बड़ी मात्रा में निजी मेडिकल कालेज पनप रहे हैं।

हालांकि उच्चतम न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय ने मेडिकल विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए प्रबन्धन द्वारा ली जा रही 20 लाख, 25 लाख या 40 लाख रुपये तक किसी भी रूप में ली जाने वाली कैपिटेशन फीस पर रोक लगा दी है। इन परिस्थितियों के अधीन मैं मा. मंत्री जो स्वयं इसी व्यवस्था में है से अनुरोध करूंगी कि उन्हें बदतर स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक

[प्रो. ए.के. प्रेमाजम]

विधेयक लाना चाहिए। प्राइमरी स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं अत्यन्त खराब हैं। हालांकि वे डाक्टर जो भारतीय विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करते हैं और जो वास्तव में डाक्टरी पेशे की शपथ लेते हैं लेकिन वे अपने व्यवसाय में चिकित्सक तो बनते हैं लेकिन डाक्टरी पेशे की शपथ का वास्तव में अनुसरण नहीं करते। इस क्षेत्र में चल रही कदाचारों को नियन्त्रित करने के लिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह इसका गहन अध्ययन करवाएं और उस अध्ययन के अवसर पर निकट भविष्य में स्थिति को बदलने के लिए व्यापक विधेयक लाए।

इस सम्बन्ध में, मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगी। देश में केरल, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जाना जाता है और कई अन्य चिकित्साओं जो केरल में प्रगति पर रहे हैं, में केरल सहित भिन्न भागों में मानवों के साथ गिनी पिग जैसा बर्ताव किया जाता है और औषधियों के परीक्षण जो विदेशों से लाभ के उद्देश्य से आ रहे हैं, के परीक्षण लोगों पर किये जा रहे हैं और उन पर अजमाये जा रहे हैं। इन सभी बातों पर भी विचार किया जाए।

आपके माध्यम से मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह इसमें कुछ संशोधन करने के बजाय व्यापक विधेयक लायें।

डा. रंजीत कुमार पांजा (बारासाट): महोदय, मैं कतिपय टिप्पणियों के साथ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक 2001 का समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, संख्या दो पर 'प्राइमरी मेडिकल योग्यता' को स्पष्ट नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। इसे और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसे भारतीय मेडिकल कालेजों की एम.बी.बी.एस. डिग्री के बराबर होना चाहिए, जब तक इसे स्पष्ट नहीं किया जाता है तब तक विदेशी मेडिकल योग्यता की कुछ डिग्रियां बेकार समझी जाएंगी।

दूसरा, इसका पाठ्यक्रम भी समान होना चाहिए। उसके बाद मैं समझता हूं कि विदेशों से प्राप्त की गई मेडिकल डिग्री को मान्यता देने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य होना चाहिए। परीक्षा कठिन नहीं होनी चाहिए लेकिन आवेदन की व्यवसायिक निपुणता को आंका जाना चाहिए। उसमें भारत में एम.बी.बी.एस. करने वाले डाक्टर के समान मौलिक योग्यताएं होनी चाहिए तब विदेशी चिकित्सा योग्यता को मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त मान्य योग्यता समझा जाना चाहिए। हमें किसी विशेष देश का इसलिए पक्ष नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह हमारा मित्र है। मेडिकल व्यवसाय के स्तर को बनाए रखने के लिए मैं समझता हूं कि विदेशी मेडिकल शिक्षा ऐसे मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा होनी चाहिए जिसे कि भारतीय मेडिकल काउंसिल द्वारा सूचीबद्ध किया गया हो।

तत्पश्चात् कुछ माननीय सदस्यों ने भारतीय चिकित्सा परिषद् के कार्यकरण के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि सरकार को भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ बैठना चाहिए और उन्हें विश्वविद्यालयों की डिग्रियों को मान्यता देने के लिए नियमों और मानदण्डों की समीक्षा करनी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसमें संशोधन भी करने चाहिए।

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक में माननीय मंत्री जी द्वारा सुझाये गये संशोधनों का स्वागत करता हूं लेकिन मैं एक-दो सुझाव देना चाहूंगा। आधुनिक युग में विशेष रूप में डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात् हमारे पास विश्व के सभी विश्वविद्यालयों की सूची है। यहां कहा गया है कि पूर्व के सोवियत संघ और अन्य देशों में अधिक मेडिकल विश्वविद्यालय हैं। उदाहरण के लिए हमें नहीं मालूम कि चार्ल्स यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित योग्यताएं क्या हैं। इसी प्रकार कनाडा और संयुक्त अरब अमरीका के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। हम नहीं जानते कि उनकी चिकित्सा शिक्षा हमारी चिकित्सा शिक्षा से बेहतर है अथवा कम श्रेणी की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिन्होंने कनाडा और अमरीका में अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को भी स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना होगा। यदि ऐसा मामला है तो विश्व की सभी यूनिवर्सिटियों को सूची में रखा जाए और हमें देखना चाहिए क्या उनकी योग्यता हमारी योग्यता के समान है। अन्यथा उन विद्यार्थियों को कठिनाईयों का सामना करना होगा जिसकी डिग्री का मानदण्ड हमारी डिग्री के समान है अथवा हमारे से कुछ भिन्न है। अत: भारतीय चिकित्सा परिषद् अथवा किसी अन्य प्राधिकरण जिसका मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा नियत किया जाता है को विश्व की सभी डिग्रियों का मूल्यांकन करना होगा। अनुसूची में केवल कुछ ही विश्वविद्यालयों को सूचीबद्ध किया गया है। विश्व तेजी से बदल रहा है। हमारे विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा के लिए विदेशों में जा रहे हैं क्योंकि हमारे यहां यह शिक्षा बहुत महंगी है। अत: हमें सभी विश्वविद्यालयों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए।

दूसरे खण्ड 25 मेडिकल योग्यता रखने वाले भारतीय नागरिकों के बारे में है। जब भारत के नागरिक को देश के बाहर की यूनिवर्सिटी द्वारा मान्यता दी जा रही है तो वह यहां भी प्रैक्टिस कर सकता है। अत: उसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसाकि मेरे मित्र श्री सुदर्शन नाच्चीयपन ने यहां कहा है सभी विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाये और सरकार को काफी प्रचार करना चाहिए कि कौन से विश्वविद्यालय में विद्यार्थी को जाना चाहिए, कौन से विश्वविद्यालय में उसे नहीं जाना चाहिए।

अत: मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा हूं कि वह हर रोज पनपने वाले मेडिकल कालेजों को नियमित करने के

सम्बन्ध में कठोर संशोधन लाए क्योंकि वे उन्हें प्रवेश देने के लिए उनसे 20 लाख अथवा 30 लाख रुपये ले रहे हैं। अब गरीब लोग मेडिकल शिक्षा का व्यय वहन करने में असमर्थ हैं।

बाहरी देशों से प्राप्त की जा रही डिग्रियों का मूल्यांकन करने के स्थान पर क्या आपने कभी हमारी डिग्रियों और मेडिकल कालेजों का मूल्यांकन कराया है? जैसाकि मेरे मित्र ने यहां बताया है कि मेडिकल काउंसिल बिना गंभीर विचार किये मेडिकल कालेजों को अनुमति दे रहे हैं। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन कई मेडिकल संस्थान आ रहे है। किसी को मालूम नहीं कि मानदण्ड बनाए रखे जा रहे हैं या नहीं। पहले वहां निरीक्षण किया गया है। कालेज की स्थापना करते हुए यदि उनमें 300 बिस्तरे हैं और 25 एकड़ भूमि है तो कोई भी कालेज स्थापित कर सकता है। इसके बाद कालेज की स्थिति क्या है कोई भी उसके बारे में नहीं जानता। क्या आप ऐसी स्थिति की कल्पना कर सकते हैं जहां आप कुछ प्रतिबन्ध लगा सकते हैं और मूल्यांकन भी कर सकते हैं? अब बोली की जा रही है। कोई 20 लाख रुपये दे रहा है और कोई 22 लाख रुपये दे रहा है। ऐसी बातें हो रही हैं। इसलिए सीटों पर कुछ नियन्त्रण होना चाहिए। मेरा अनुरोध यह है कि सभी विश्वविद्यालयों का समान मानदंडों के आधार पर श्रेणीकरण होना चाहिए। इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि भारत ने बाहर कौन से कालेज व विश्वविद्यालय हैं। अब विद्यार्थी देश से बाहर जा रहे हैं। किसी प्राधिकरण द्वारा विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

अन्तिम बात होमियोपैथी, आयुर्वेद आदि में डिग्री के बारे में है। मैं केरल राज्य से सम्बन्ध रखता हूं जहां आयुर्वेद की प्रधानता है। इसमें प्राकृतिक चिकित्सा सिद्ध और कई अन्य चीजे हैं। आपको मूल्यांकन के लिए कुछ पद्धति तैयार करनी पड़ेगी। अन्यथा लंदन, अथवा ऐडिनबर्ग से तथाकथित होमियोपैथी डिग्री देखने को मिलेगी। जिसमें कई शब्द होंगे जिन्हें हम समझ नहीं सकेंगे। अत: आपको भारतीय पद्धति के बारे में एक व्यापक विधान लेकर आना चाहिए। उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि लोगों को धोखा न दिया जा सके। भारतीय चिकित्सा शिक्षा को उस स्तर का बनाया जाए जो कि आम लोगों की पहुंच में हो। इस देश के लिए यही अत्यन्त आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, मुझे भी इस बिल पर बोलना है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें आपका नाम नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: इसमें हमें बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह आधे घंटे का बिल है और इस पर एक घंटा होने वाला है। अब आप अगले बिल पर बोलिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: बिना बहस के कोई बिल पास करना अन्याय है, संसदीय प्रणाली के साथ धोखाधड़ी है। बिना बहस के कैसे बिल पास हो जाएगा। हम लोग किस लिए बैठे रहते हैं। मदन प्रसाद जायसवाल जी कह रहे थे कि बिना बहस के पास करिए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बिजनेस एडवायजरी कमेटी ने आधे घंटे का टाइम अलाट किया है। आप हर बिल पर बोलेंगे तो ठीक नहीं है। आप केवल दो मिनट बोलिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. मास्टर मथान (नीलगिरि): महोदय, आपको कम नम्बर प्राप्त करने वाले भी मान्यता देना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आपका नाम आपके सचेतक द्वारा रखा गया होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक लाया गया है, उसमें बताया गया है कि विदेशी संस्थानों से जो लड़के पास होकर आयेंगे, उनका फिर से स्क्रीनिंग टैस्ट होगा। पुराने जमाने में विदेश से पढ़े हुये लोगों को महत्व दिया जाता था। पता चला है कि लोग रूस में डोनेशन देकर नाम लिखवा रहे हैं लेकिन यहां भी लाखों रुपया देकर नाम लिखवाये जा रहे हैं। क्या सरकार की नजर में यह बात है? बिहार में तो नहीं लेकिन देश के अन्य राज्यों में 15-16 लाख रुपया लेकर नाम लिखवाये जा रहे हैं और कुछ लोग यहां बैठे हुये हैं जिनके कालेज चल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्वास्थ्य मंत्री पटना मैडिकल कालेज के पढ़े हुए हैं। वे सब बातें जानते हैं। माननीय मंत्री जी क्लाज में जो संशोधन लेकर आये हैं, उससे पता चलता है कि विदेश से जो लड़के डिग्री लेकर आयें, उन्हें फिर से स्क्रीनिंग टैस्ट देना पड़ेगा। यहां रूस का नाम बार-बार आ रहा है। क्या सरकार के पास इस तरह की जानकारी है कि जब इस तरह की डिग्री लेकर

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कोई आयेगा, उसमें कोई कमजोरी या त्रुटि रहेगी, उसके लिये फिर से स्क्रीनिंग टैस्ट की जरूरत होगी। जहां तक योग्यता और क्षमता की बात है यहां बहुत से डाक्टर्स डिग्री लेकर घूम रहे हैं। सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिये। हिन्दू अखबार में छपा है:

[अनुवाद]

''रूस से चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे भारतीय खटाई में''

[हिन्दी]

उन लोगों की तबाही हुई जो बाहर से आये हैं। इस प्रश्न के जवाब में कहा गया है

[अनुवाद]

रूस में और अन्य सी आई एस देशों में 29 संस्थानों की मेडिकल योग्यता मान्यता प्राप्त योग्ताएं हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित 29 संस्थानों की सूची अनुबंध-एक में दी है। उन संस्थाओं नामत: दागेस्तान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट रूस और अजरबैजान मेडिकल इंस्टीट्यूट, अजरबैजान द्वारा प्रदान की गई चिकित्सा योग्यता एम डी (फिजीशीयन) की मान्यता 31 दिसम्बर, 2005 तक सीमित है। कुछ भारतीय विद्यार्थियों, जिन्होंने रूस, संस्थाओं में मेडिकल योग्यता ग्रहण की है भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा पंजीकृत नहीं किये जा सकते है क्योंकि जिन मेडिकल पाठ्यक्रमों में उन्होंने दाखिला लिया है उसमें प्रदेश के मानदंडों के संबंध में कतिपय अनियमितताएं पाई गई हैं और मान्यताप्राप्त संस्थाओं से गैर-मान्यताप्राप्त संस्थाओं में विद्यार्थियों का माइग्रेशन किया गया है तथा प्रशिक्षु प्रशिक्षण का अनुपात नहीं किया गया है। प्रभावित विद्यार्थियों ने उच्च न्यायालय में दायर याचिका में एन.सी.आई. के निर्णय को चुनौती दी है और मामला न्यायाधीन है।

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी यह बतायें कि जो मामला हाईकोर्ट में है, फैसले का क्या होगा? जब मैटर सब-जुडिस है, तब मंत्री जी कानून में संशोधन लेकर कैसे आये हैं? क्या सरकार बाहर से आये लड़कों को तबाह करने के लिये जिम्मेदार नहीं है? यहां से सरकार की सहमति और मंजूरी के साथ लड़के बाहर पढ़ने के लिये जाते हैं। फिर आने पर उन्हें जलील करने के लिये यह नया कानून क्यों लाया जा रहा है? यदि कामर्शियल ढंग से डिग्री हासिल हुई है या डोनेशन के जरिये डिग्री हासिल हो रही है, इस बात को रोकने के लिये आपने क्या इंतजाम किये हैं? यह जानकारी भी मिली है कि 25 लाख रुपया लेकर नाम लिखवाये जा रहे हैं। कम नम्बर वाले लड़कों के लिये मैडिकल कालेज की क्षमता के मुताबिक इक्विपमेंट, ट्रेनिंग और पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिये, योग्य शिक्षक होने चाहिए, लेकिन इन सब चीजों का इंतजाम नहीं है, फिर भी जैसे-तैसे उसे मंजूरी दी जाती है और लोग डिग्री में नाम लिखा रहे हैं। यह धड़ल्ले से जारी है। इसके लिए इन्होंने कौन सा उपाय किया है। जो लड़के बाहर से पढ़कर आ रहे हैं उनका स्क्रीनिंग टैस्ट करेंगे, बाकी लोगों का क्या होगा, इसके बारे में भी बतायें। श्री एम.पी. जायसवाल भी डाक्टर हैं। मैडिकल कालेज में रैगिंग होती है। वह सीनियर थे और यह जूनियर थे, इनकी ज्यादा रैगिंग हुई होगी और इनके साथ गड़बड़ी और धक्का-मुक्की हुई होगी, जो इन्हें याद है। सीनियर को सलाम करने के लिए रैगिंग होती है। जूनियर लोग सीनियर्स को सलाम नहीं करते, इसलिए मैडिकल कालेज और इंजीनियरिंग कालेज में गड़बड़ी कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग का कानून बनाने का रूलिंग दिया है। यह सवाल हम ही नहीं उठा रहे हैं, न्यायालय भी इसे ठीक करेगा। इसलिए ऐसा कानून बनाने में योग्यता में मिलावट और गिरावट न हो, यह ठीक बात है। लेकिन हमारे लड़के विदेशों में पढ़कर मेहनत करके यहां आयें तो उन्हें असुविधा में डालने वाला कोई काम नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, आधे घंटे में आपकी पार्टी के दो मिनट भी नहीं बनते हैं।

...(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह (जालौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): सर, मैं इस पर बहुत थोड़ा सा बोलना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह: महोदय, कृपया मुझे आरक्षण पर बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप अगले विधेयक पर बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

डा. वी. सरोजा: महोदय, कृपया मुझे दो मिनट का समय दें...*(व्यवधान)*

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): उपाध्यक्ष महोदय, डा. वी. सरोजा इस विधेयक पर बोलना चाहती हैं। कृपया उन्हें दो

मिनट बोलने की अनुमति दें। वे चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह: सर, मैं इस पर दो लाइन बोलना चाहता हूं, इसमें एडमीशन की जो बात हो रही है...*(व्यवधान)*

श्री भान सिंह भौरा: सर, हमें क्यों एलाठ नहीं किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री भौरा, आप कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्रत्येक विधेयक पर नहीं बोल सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भान सिंह भौरा: सर, यह जानबूझकर हो रहा है, इसलिए पैसा लेकर रजिस्ट्रेशन दिये जा रहे हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह जानबूझकर नहीं हो रहा है। सारी पार्टियों ने आधा घंटे का टाइम डिसाइड किया था और आधा घंटा में हर एक पार्टी ने अपना-अपना हिस्सा लिया है।

...(व्यवधान)

श्री भान सिंह भौरा: एम.सी.ए. वाले पैसा लेकर रजिस्ट्रेशन देते रहे। उसके बाद सोवियत यूनियन टूट गया तो उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया कि हम नहीं देंगे। वे लोग हाई कोर्ट में गये...*(व्यवधान)* उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गये और अब यह केस सुप्रीम कोर्ट में है...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: सर, रघुवंश जी ने कहा है कि एस.एस., एस.टी. का रिजर्वेशन खत्म करके सिर्फ चंद डालरों के लिए एन.आर.आईज. को रिजर्वेशन दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री भान सिंह भौरा: आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं इसके विरोध में मैं सदन से वाक-आउट कर रहा हूं।

अपराह्न 4.33 बजे

(तत्पश्चात् श्री भान सिंह भौरा सभा-भवन से बाहर चले गये।)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या सरकार चाहती है कि बिनी किसी के बोले ही बिल पास हो जाए...*(व्यवधान)* जो बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। इस पर डा. सरोजा बोलना चाहती हैं, यदि सरकार बिना किसी के बोले ही बिलों को पास कराना चाहती है तो सभी बिलों को एक साथ लाकर पास करा लीजिए, आपका बहुमत है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: रघुवंश जी, आपने ही डिसाइड किया है, बिजनेस एडवायजरी कमेटी में इस बिल के लिए आपने आधा घंटा क्यों रखा। यह आप ही लोगों ने डिसाइड किया है। इस तरह से हम कैसे मैनेज करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: बी.ए.सी. में सभी दलों के बीच यह सहमति हुई थी कि इस विधेयक पर केवल आधे घंटे का समय आवंटित किया जाये।

[हिन्दी]

आपकी पार्टी को दो मिनट नहीं मिलते, लेकिन आपने कितने मिनट यहां बात की।

...(व्यवधान)

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जो सदन में रुचि रखने वाले लोग हैं, जो इस पर बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने का मौका दिया जाए। हम लोग मांग करते हैं कि किसी को सदन में बोलने से नहीं रोका जा सकता है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप हर एक बिल पर बात करते हैं। हमारे पास बहुत सा लैजिस्लेटिव बिजनेस हैं जिसे हमें पास करना है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: संसद में बोलने से किसी को नहीं रोका जा सकता।

संसदीय प्रणाली की मर्यादा है कि उस पर बहस होगी, संसद को जानकारी होगी, देश को जानकारी होगी।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको तो कोई शिकायत होनी ही नहीं चाहिए। हर बिल पर आप बात करते हैं। आप ज्यादा बोलते हैं और दूसरों को बोलने के लिए समय नहीं देते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. सी.पी. ठाकुर: महोदय, मैं इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। वास्तव में जैसाकि मैंने पहले भी उल्लेख किया है, इसमें संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अनेक छात्र विभिन्न देशों में जा रहे हैं और इनमें से कुछ चिकित्सा संस्थानों का स्तर आवश्यकता के अनुरूप नहीं था। भारतीय चिकित्सा परिषद् के लिए सभी विश्वविद्यालयों की सभी डिग्रियों की जांच करना संभव नहीं था। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

सरदार बूटा सिंह: महोदय, मैं केवल एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं। मेरा स्पष्टीकरण उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सरदार बूटा सिंह, क्या आप एक प्रश्न पूछना चाहते हैं? ठीक है, आप एक प्रश्न पूछ लीजिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

सरदार बूटा सिंह: महोदय, मेरा प्रश्न उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए अद्यतन निर्णय के परिप्रेक्ष्य में है जिसमें यह कहा गया है कि चिकित्सा संस्थानों तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में उच्चतर अध्ययन हेतु प्रवेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लड़के-लड़कियों के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। अब मंत्री महोदय, ने अनिवासी भारतीयों को कुछ ही डालर का भुगतान करके अपने लिए सीटें आरक्षित कराने की अनुमति दे दी है। हम जानना चाहते हैं कि यह किस श्रेणी की है। किस संविधान से इसे मंजूरी प्राप्त है। आपने इस नई श्रेणी को बनाये जाने की अनुमति क्यों दी है?

उपाध्यक्ष महोदय: डा. सरोजा, आप कृपया एक प्रश्न पूछ लें। बस इतना ही।

डा. वी. सरोजा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं क्योंकि चिकित्सा शिक्षा में संस्था से अधिक इसकी गुणवत्ता का महत्व है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगी। हमने एक शिष्टमंडल के रूप में रूस की यात्री की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय भी इस शिष्टमंडल में शामिल थे। हमने वहां के छात्रों से भेंट की। उन्होंने निम्नलिखित समस्याएं बतायी।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. सरोजा, आप इतना लम्बा भाषण नहीं दे सकती हैं। आप केवल एक प्रश्न पूछें, बस इतना ही।

डा. वी. सरोजा: मैं केवल समस्या बताने के लिए ही बोल रही हूं...*(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): जब बिहार को अवसर मिल सकता है तो तमिलनाडु को क्यों नहीं!

डा. वी. सरोजा: हमारे छात्र वहां हैं। यह इस विधेयक का मूल सार है। हम इसीलिए यह विधेयक लाये हैं। क्या हुआ है? रूस में हम छात्रों से मिले थे? माननीय अध्यक्ष महोदय इसके सभापति थे। रूस में छात्रों द्वारा यह कठिनाई बताई गई कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि प्रत्येक राज्य में सामान्य प्रवेश परीक्षा करायी जा रही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से सामान्य प्रवेश परीक्षा के बारे में माता-पिता और छात्रों को अवगत कराने हेतु शिक्षा विभागों को एक परिपत्र भेजने का आग्रह करती हूं। यह मेरी पहली बात थी।

दूसरी माननीय उच्चतम न्यायालय ने शुल्क ढांचों के संबंध में निदेश दिए हैं। रूस में रहने वाले अधिकांश छात्रों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निदेशित शुल्क ढांचे की जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से माता-पिता, छात्रों और स्वैच्छिक संगठनों को इससे अवगत कराने हेतु सभी संबंधित राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को परिपत्र भेजने का अनुरोध करती हूं...*(व्यवधान)* दोनों देशों के दूतावासों को छात्रों और उनके द्वारा जिन संस्थानों में दाखिला लिया जा रहा है उनके स्तर के बारे में जानकारी नहीं है। उनको इसकी जानकारी नहीं है। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से संस्थानों और छात्रों की जानकारी रखने का अनुरोध करती हूं। उन्हें भारत से जाने वाले छात्रों, विदेश में उनके द्वारा प्राप्त की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता और क्या ये संस्थान एम सी आई द्वारा मान्यताप्राप्त हैं, की जानकारी रखनी चाहिए। विधेयक में स्क्रीनिंग परीक्षा का उपबंध है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि चिकित्सा पाठ्यक्रम में साढ़े छ: वर्ष व्यतीत करने के पश्चात् यह किस प्रकार की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। माननीय मंत्री महोदय को इन परीक्षाओं की गुणवत्ता के संबंध में इस सभा को अवगत कराना होगा।

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में केवल एक सुझाव देना चाहता हूं। मैं इस विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करता हूं लेकिन मेरे भारतीय चिकित्सा परिषद् और इसके हाल के कार्यकरण के संबंध में एक-दो सुझाव हैं।

भारतीय चिकित्सा परिषद् के कार्यकरण के संबंध में हाल में, कई समाचार प्रकाशित हुए हैं। वहां भ्रष्टाचार संबंधी कार्य चल रह हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछ कर अपनी बात समाप्त करें।

डा. राम चन्द्र डोम: मैं 'द टाइम्स आफ इंडिया' के दिनांक 7 दिसम्बर, 2000 के एक समाचार का उल्लेख करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछना चाहते हैं अथवा नहीं?

डा. राम चन्द्र डोम: जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय: फिर, अपना प्रश्न पूछें।

डा. राम चन्द्र डोम: मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, ने वहां भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए अब तक क्या उपाय किए हैं? भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष के आवास पर आयकर विभाग का छापा पड़ा और करोड़ों रुपए बरामद किए गए। उन्होंने क्या कार्यवाही की?

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

डा. राम चन्द्र डोम: यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या माननीय मंत्री महोदय द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् ने भ्रष्टाचार दूर करने हेतु कोई कार्यवाही की है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य को छोड़कर कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

डा. सी.पी. ठाकुर: महोदय, मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

वास्तव में, सोवियत संघ का विभिन्न राज्यों में विखंडन होने के कारण वहां कई संस्थान खुल गए। भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा हर बार प्रत्येक संस्थान को यह प्रमाण-पत्र देना कठिन था कि वे योग्य हैं अथवा नहीं।

अमरीका और इंग्लैंड जैसे अन्य देशों में उन्होंने भी एक सामान्य प्रवेश परीक्षा शुरू की है। अतः हम उसी के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

सोवियत संघ के बारे में, जैसाकि मेरे एक पुराने मित्र ने उल्लेख किया है, हमें उनके प्रति कुछ सहानुभूति होनी चाहिए। एक राजनयिक समस्या भी है। यदि हम यह कहें कि हम एक राज्य द्वारा दी जा रही डिग्री को मान्यता देंगे और दूसरे राज्य की डिग्री को मान्यता नहीं देंगे, तो हमें यह बताने के लिए कहा जा सकता है कि हम दो राज्यों के बीच भेद-भाव क्यों कर रहे हैं।

कतिपय माननीय सदस्यों ने भारतीय चिकित्सा परिषद् में व्याप्त कुव्यवस्था का मामला उठाया है। हम इस पर भी ध्यान देंगे। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भारत में चिकित्सा शिक्षा स्तरीय हो और चिकित्सा महाविद्यालयों में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: आरक्षण के बारे में क्या स्थित है।

डा. सी.पी. ठाकुर: यह विधेयक केवल एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित है स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों से नहीं।

सरदार बूटा सिंह: हम यह जानना चाहते हैं कि आपने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में आरक्षण क्यों समाप्त कर दिया है?

डा. सी.पी. ठाकुर: इसे समाप्त नहीं किया गया है?

सरदार बूटा सिंह: शायद माननीय मंत्री महोदय को इसकी सूचना नहीं है।

डा. सी.पी. ठाकुर: ऐसा केवल अति विशिष्टता वाले पाठ्यक्रम के संबंध में है। अति विशिष्टता वाले पाठ्यक्रमों में भी हमने इसके प्रतिशत में कमी कर दी है।

सरदार बूटा सिंह: अब आपने डालर लेकर प्रवेश देने की नई श्रेणी शुरू की है।

डा. सी.पी. ठाकुर: यह केवल एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के मामले में है।

डा. राम चन्द्र डोम: भारत के कई विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम चन्द्र डोम, क्या अध्यक्षपीठ की अनुमति लिए बिना खड़े होकर बोलने का यही तरीका है?

...(व्यवधान)

डा. सी.पी. ठाकुर: यह विधेयक मूल रूप से उन 400-500 छात्रों की सहायता करने हेतु है जो डिग्री प्राप्त करने हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[डा. सी.पी. ठाकुर]

मैंने भारतीय चिकित्सा परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय सदस्यों की भावनाओं को नोट कर लिया है। मैं इस पर ध्यान दूंगा।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा यथापरित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

डा. सी.पी. ठाकुर: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.46 बजे

उपाध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

मंत्रियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों की प्रतियों का परिचालन

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आज जब श्री जसवंत सिंह, माननीय विदेश मंत्री अपनी हाल ही की नेपाल यात्रा दौरे के संबंध में वक्तव्य देने के लिए खड़े हुए तो माननीय सदस्य श्री प्रियरंजन दासमुंशी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने मांग की कि वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों को पहले ही परिचालित कर दी जानी चाहिए थीं। इस पर मैंने टिप्पणी की थी कि वक्तव्य की प्रतियां माननीय मंत्री जी के वक्तव्य देने के बाद परिचालित की जाएंगी। सर्वश्री प्रियरंजन दासमुंशी, माधवराव सिंधिया और शिवराज वि. पाटील ने निवेदन किया कि परम्परा के अनुसार वक्तव्य की प्रतियां पहले परिचालित की जानी चाहिए थीं।

मैंने इस संबंध में विगत में अपनाई गई व्यवहार और प्रक्रिया का अध्ययन किया। मंत्रालय से प्राप्त वक्तव्य की प्रतियां सभा में वास्तव में वक्तव्य दिए जाने तक गोपनीय मानी जाती हैं। माननीय मंत्री सभा में वास्तव में वक्तव्य देने से पूर्व वक्तव्य के पाठ में परिवर्तन भी कर सकते हैं। लोक सभा में मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकरण प्रश्न पूछे जाने की भी अनुमति नहीं दी जाती है।

अतएव, मंत्री द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों को पहले परिचालित नहीं की जाती हैं। इन्हें बाद में प्रकाशन फलक से सदस्यों को दिया जाता है। यह इस सभा की सुस्थापित परम्परा रही है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, वे हमेशा इसी तरह करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब यह स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

अपराह्न 4.48 बजे

(चार) संविधान (इक्यानवेवां) संशोधन विधेयक (अनुच्छेद 55, 81, 82, 170, 330 और 332 का संशोधन)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम लोग मद सं. 11 पर विचार शुरू करेंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह संविधान (संशोधन) विधेयक है। क्या यह इस सभा में पारित हो सकता है? इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है? यह कोई साधारण विधेयक नहीं है यह संविधान में संशोधन सम्बन्धी विधेयक है। आपको यहां इस तरह से नहीं करना चाहिए...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, अभी हमें प्रक्रिया देखना है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: हम इसे साधारण ढंग से नहीं ले सकते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। इसे पूरी गंभीरता से लेना चाहिए तथा संविधान के संशोधन से पूर्व जिस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए उसका पालन करना चाहिए। सिर्फ प्रस्ताव रखना एवं पारित करना ही पर्याप्त नहीं है और यह उचित भी नहीं है। माननीय विधि और न्याय मंत्री यहां हैं। वह इन सारी बातों की जानकारी रखते हैं। वह इन बातों को मुझसे बेहतर ढंग से जानते हैं। मैं उनसे इसके बारे में क्यों कहूं? वह बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें इसे साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए। मैं यहां इतना ही कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, संविधान के बयालीसवें संशोधन के भाग के रूप में, संविधान के कतिपय उपबंधों में संशोधन किए गए थे जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दी गई थी सीटों की संख्या उतनी ही रही तथा चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन 1971 की जनगणना के आधार पर है। इन उपबंधों, जिनमें संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था, में यह प्रावधान भी था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख था कि उक्त परिसीमन प्रक्रिया और जनसंख्या संबंधी वे आंकड़े 1971 के आंकड़ों के संदर्भ समझे जाएंगे जब तक कि वर्ष 2000 के बाद किए गए पहली जनगणना के संगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं। इसलिए वर्ष 2000 तक 1971 की जनगणना के आंकड़ों को संदर्भ में रख कर विचार किया गया। अब हम वर्ष 2000 को पार कर गए हैं और हम वर्ष 2001 में हैं। इसलिए संसद की दोनों सभाओं का संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वे इस संबंध में आगे प्रावधान करें।

अपराह्न 4.51 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

महोदय, इसलिए इस विशेष विधेयक द्वारा संविधान के छः विभिन्न उपबंधों में संशोधन करने का प्रस्ताव है और इस संशोधन की भावना, इन छः उपबंधों जिनमें संशोधन किया गया है, यह है कि इस समय यथा विद्यमान चुनाव क्षेत्रों की संख्या जो 1971 के आंकड़ों के आधार पर है को स्थिर कर दिया जाए। चुनाव क्षेत्रों की संख्या स्थिर करने तथा इस सभा और राज्य विधान सभाओं के लिए भी चुनाव के लिए सीटों का निर्धारण करते समय जनसंख्या में बाद में हुई वृद्धि पर विचार नहीं करने के पीछे मुख्य तर्क यह रहा है कि कुछ राज्यों ने अत्यन्त ही प्रभावी ढंग से परिवार नियोजन कार्यक्रम को कार्यान्वित किया है जबकि कुछ राज्यों में इसे प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में भी वर्ष 2026 की परिकल्पना ऐसे वर्ष के रूप में की गई है जिसमें देश की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। इसलिए, जो 2000 तक सत्य था उसे वर्ष 2026 तक स्थिर कर दिया जाए जब हम आशा करते हैं कि देश की जनसंख्या संबंधी आंकड़े स्थिर हो जाएंगे। इस संशोधन का परिणाम यह होगा कि प्रत्येक राज्य में चुनाव क्षेत्रों की संख्या और पूरे देश में कुल मिलाकर उसी प्रकार रहेगी जिस प्रकार इस समय है।

हालांकि, यह पाया गया है कि कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या में विषम वृद्धि हुई है और उन राज्यों में चुनाव क्षेत्रों का आकार असमान हो गया है। इसलिए जहां पर राज्य में चुनाव क्षेत्रों की संख्या उतनी ही रहेगी, उनका आकार जो कि अत्यन्त ही विषम हो गया है, परिसीमन किया जाएगा तथा जहां तक व्यावहारिक होगा प्रत्येक चुनाव क्षेत्र को लगभग समान आधार का बनाया जाएगा। उदाहरण के लिए 1998 के चुनाव में दिल्ली में एक चुनाव क्षेत्र बाहरी दिल्ली में मतदाताओं की संख्या 29.3 लाख थी जबकि एक अन्य चुनाव क्षेत्र चांदनी चौक में मात्र 3.7 लाख मतदाता थे। इसलिए दो चुनाव क्षेत्रों के आकार में अंतर इतना था कि एक चुनाव क्षेत्र दूसरे से लगभग आठ या नौ गुना बड़ा था। इसलिए पहले दो सिद्धान्त हैं कि जहां तक लोक सभा सीटों का संबंध है सीटों की संख्या वर्तमान आंकड़ों तक स्थिर रहे तथा राज्य विधान सभाओं की सीटों की संख्या वर्तमान आंकड़े तक स्थिर रहे। किंतु राज्यों के अंतर्गत परिसीमन होगा जो इस संविधान (संशोधन) विधेयक के पारित हो जाने के बाद एक विशेष विधान, परिसीमन कानून बनाया जाएगा जिसके अंतर्गत परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि सभी चुनाव क्षेत्रों को कमोबेश एक आकार दिया जा सके।

संशोधन जिसे करने की मांग की गई है, का अंतिम भाग अनुच्छेद 330 और 332 से संबंधित है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में है। उस आरक्षण के संबंध में है। उस आरक्षण का भी अद्यतनीकरण किया जाएगा जो कि इन दो विशेष समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा, आरक्षण को भी 1991 की जनगणना के आधार पर अद्यतन किया जाएगा इसलिए एक अत्यन्त ही स्पष्ट अंतर किया गया है। और यह है कि सीटों की संख्या को 1971 की जनगणना के आधार पर स्थिर कर दिया गया है किंतु चुनाव क्षेत्रों का समायोजन और अ.जा. एवं अ.ज.जा चुनाव क्षेत्रों की संख्या में

[श्री अरुण जेटली]

परिवर्तन 1991 की जनगणना के आधार पर होगा। 1991 की जनगणना को लेने और 2001 की जनगणना को नहीं लेना का कारण यह अनुमान था कि 2001 के आंकड़े बिल्कुल सही रूप में 2002 के अंत तक ही उपलब्ध होंगे।

यदि हम इन परिवर्तनों को लाने से पहले उस दिन तक प्रतीक्षा करते और यदि परिसीमन की प्रक्रिया उसके बाद शुरू होती है तो इसमें समय लगेगा क्योंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है। इस बार यह उम्मीद है कि काफी कम समय लगेगा। उदाहरण के लिए पिछले समय यह 1971 के बाद किया गया था इसकी अधिसूचना 1972 में जारी की गई थी और यह 1976 में पूरा हुआ किंतु इस बार यह कार्य कुछ कम होगा क्योंकि सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। सिर्फ सीटों का बंटवारा ही किया जाना है। यह प्रक्रिया इसलिए भी और तेज होगी क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक उपकरण— कम्प्यूटर आदि इस समय उपलब्ध हैं। इसलिए, कुछ कम समय लगेगा। यह आशा है कि यदि हम इस संशोधन को और उसके पश्चात् परिसीमन विधेयक को अनुमोदित कर देते हैं, तो संभवत: अगला संभावित चुनाव, जहां तक संभव है को 1991 के जनगणना के अंतिम पुष्ट आंकड़ा के आधार पर कराने के प्रयास किए जा सकते हैं।

ये विभिन्न घटक हैं। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में प्रत्येक राज्य के भामफल से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोक सभा के चुनाव से संबंधित हैं। अनुच्छेद 82 चुनाव क्षेत्रों के पुन: समायोजन से संबंधित है जो उन्हें बराबर आकार प्रदान करेगा। अनुच्छेद 170 राज्य विधान सभाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रश्न से संबंधित है और इसी प्रकार अनुच्छेद 332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रश्न से संबंधित है। ये इस संविधान संशोधन की भावना के परिणामी परिवर्तन हैं।

मैं, माननीय सभा के सम्मुख प्रस्ताव करता हूं कि इस संविधान संशोधन विधेयक पर विचार किया जाए तथा इसे माननीय सभा द्वारा अनुमोदित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

चर्चा के लिए 3 घंटे का समय आवंटित किया गया है। श्री शिवराज वि. पाटील आपकी पार्टी को 38 मिनट का समय दिया गया है।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, इस विधेयक के माध्यम से तीन उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया है और माननीय मंत्री ने इसकी अत्यन्त ही विशद् व्याख्या की है।

पहला उद्देश्य लोक सभा और विधान सभाओं में सदस्यों की संख्या को स्थिर करना है। यह 1976 में किया गया था और इसे पुन: अगले 25 वर्षों के लिए करने का प्रयास किया जा रहा है।

मेरी पार्टी को इस तरह के उपबंध पर कोई आपत्ति नहीं है। वास्तव में कांग्रेस पार्टी ने मोटे तौर पर इस विधेयक का समर्थन करने का निर्णय किया है। किंतु मैं इस महान सभा के सामने कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये मेरे अपने विचार हैं तथा मेरी पार्टी से इनका कोई लेना-देना नहीं है। पार्टी के अनुशासित सदस्य की भांति मैं कांग्रेस पार्टी के दिशा-निदेशों का पालन करूंगा।

मैं नहीं समझता हूं कि इस विधेयक को बनाने के पीछे जो तर्क हैं वह पूरी तरह से गलत है। किंतु मेरे अपने विचार हैं तथा मैं इस सभा के सम्मुख ये विचार प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्हें यदि संभव हो तो इस विधेयक में संशोधन करने के लिए इस समय और यदि संभव नहीं है तो बाद में, यदि संभव हो तो उपयोग किया जाए।

पहला उद्देश्य चुनाव क्षेत्रों को पुन: समायोजित करना है। यह ठीक ही कहा गया कि कुछ चुनाव क्षेत्र काफी बड़े हैं, कुछ काफी छोटे हैं और चुनाव क्षेत्रों का पुन: समायोजना आवश्यक है और इसे किया जाना है। इस पर और टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा उद्देश्य सदस्यों की संख्या को स्थिर करना है। इस संबंध में मुझे अपनी ओर से कुछ टिप्पणी करनी है। वर्ष 1975 में जनसंख्या कितनी थी? यह लगभग 70 करोड़ था वर्ष 2001 में हम 100 करोड़ हैं और 2026 में हमारी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो जाएगी। माननीय मंत्री कहते हैं कि 2026 में जनसंख्या स्थिर हो जाएगी।

अपराह्न 5.00 बजे

महोदय, मेरे लिए इस आशावाद को स्वीकार कर पाना अत्यन्त कठिन है। वर्ष 1976 में यह सोचा गया था कि इस उपबंध के कारण जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। किंतु जनसंख्या में वृद्धि हुए तथा यह 100 करोड़ या उससे अधिक तक पहुंच गया है। इस बात की क्या गारंटी है कि जनसंख्या आज के बराबर ही रहेगी? मेरे लिए इस तर्क को स्वीकार कर पाना अत्यन्त ही कठिन है। यह सोचना कि चूंकि संख्या स्थिर कर दी गई है जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी, सही नहीं है।

महोदय, राजस्थान राज्य ने कानून पारित किया है जिसमें प्रावधान किया गया है कि यदि एक नागरिक की दो से अधिक संतान हैं तो उसे जिला निकाय, तालुका और ग्राम पंचायतों के चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): इस तरह के प्रावधान आन्ध्र प्रदेश में भी हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: हां, यह आंध्र प्रदेश में भी है। इसलिए, यदि आप जनसंख्या पर नियंत्रण चाहते हैं तो उस तरह का कानून इस तरह के कानून से अधिक प्रभावी होगा मैं सरकार द्वारा अपनाई गई युक्ति को नहीं समझ पाता हूं। अब इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति रणनीति के भाग के रूप में हाल ही में यह निर्णय किया गया कि उत्साह बढ़ाने वाले उपाय के रूप में नए परिसीमन पर इस समय लगे रोक को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया जाए। किस प्रकार का उत्साहवर्द्धक उपाय? यह तर्क स्वीकार्य नहीं है। हम किसकी आंख में धूल झोंकने का प्रयास कर रहे हैं। यह सही नहीं है। कुछ और किए जाने की आवश्यकता है। यदि जनसंख्या नियंत्रण में सहायक किसी कानून की जरूरत है तो इस कानून की अपेक्षा दो या अधिक सन्तान वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देने का कानून अधिक उपयोगी होगा। सरकार उस तर्क के आधार पर कानून का प्रस्ताव कर रही है जो स्वीकार्य नहीं है तथा सही भी नहीं है। यह वैज्ञानिक नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सरकार द्वारा यह विधेयक बनाने में स्वीकार किया गया तर्क स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

महोदय, लोक सभा में सदस्यों की संख्या 1976 में 545 थी। वर्ष 2001 में लोक सभा में सदस्यों की संख्या 545 है और 2026 में भी लोक सभा में सदस्यों की संख्या 545 रहने जा रही है। आज इस लोक सभा का प्रत्येक सदस्य दस लाख से अधिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वर्ष 2026 में लोक सभा का प्रत्येक सदस्य 15 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करेगा। आज भी ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां सदस्य 15 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं सोचता हूं कि दो चुनाव क्षेत्रों-बाहरी दिल्ली संसदीय चुनाव क्षेत्र और थाणे संसदीय चुनाव क्षेत्र में लगभग 30 लाख मतदाता हैं। आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि लोक सभा का एक सदस्य अपने मतदाताओं की मदद कर पायेगा तथा उसे बता पाएगा कि सरकार क्या कर रही है? क्या होगा यदि सच्चे संसदीय और प्रतिनिधि प्रजातंत्र में लोक सभा के एक सदस्य से उतने लोगों का प्रतिनिधित्व करने को कहा जाए जितनी कुछ अन्य देशों की कुल जनसंख्या है? कुछ देश हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख है और वहां की संसद में साठ से सत्तर सदस्य तक हैं। किंतु यहां एक संसद सदस्य से लगभग 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने की आशा की जाती है। क्या यह सही है?

क्या यह तर्क सही है? मैं दोहराता हूं कि मेरी पार्टी इस कदम का समर्थन करेगी। मैं इस विधान के पक्ष में मतदान करने जा रहा हूं। हालांकि, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री और इस सभा के सदस्य इस पर विचार करें कि क्या संसद सदस्यों की संख्या स्थिर करने में कोई तर्क हैं, यदि हम वास्तव में प्रतिनिधि प्रजातंत्र चाहते है जिसमें देश में रह रहे लोगों की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। क्या इसमें कोई तर्क हैं? युनाइटेड किंगडम में हाउस आफ कामन्स का सदस्य मात्र सत्तर हजार मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में लोक सभा का एक सदस्य औसतन लगभग सात लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस पर क्यों विचार नहीं किया जाए तथा इसमें परिवर्तन क्यों नहीं किया जाए?

इस तरह के प्रस्ताव पर आपत्तियां हैं तथा मैं इसे समझता हूं। संपूर्ण देश का ध्यान रखने वाले जन प्रतिनिधि के रूप में हमें कुछ राज्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विचार करना होगा यह आपत्ति यह है कि राज्य जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को भलीभांति कार्यान्वित किया और जनसंख्या वृद्धि पर पाबंदी लगाई, वे तब घाटे की स्थिति में रहेंगे यदि राज्य की जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी जाती है। इसका मतलब यह होगा कि वे राज्य जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रमों को ठीक से लागू किया वे नुकसान में रहेंगे। यह अत्यन्त ही उपयुक्त आपत्ति है। हम इसे दरकिनार नहीं कर सकते। किंतु यह मानवीय अतिसूक्ष्मता के परे नहीं कि इस प्रकार के अन्याय, इस प्रकार की असमानता, इस प्रकार की असुविधा को हटाने के लिए एक ऐसा सूत्र निकाला जाए जिससे उपयुक्त ढंग से परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू करने वाले राज्यों को नुकसान न हो। हमारे लिए एक ऐसा फार्मूला निकालना संभव हो सकता है जिसके अनुसार एक राज्य जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम को उचित ढंग से कार्यान्वित किया है की जनसंख्या में वृद्धि के आधार पर अन्य राज्यों में सीटों में वृद्धि की अनुमति देनी चाहिए जिससे कि किसी भी राज्य को उन राज्यों, जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम को उपयुक्त ढंग से लागू किया है, की तुलना में लाभ की स्थिति में नहीं रहें। यह संभव हो सकता है। किंतु, मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। यदि इस पर विचार किया गया होता तो यह उचित होता।

कभी-कभी यह आपत्ति भी की गई—यदि आप लोक सभा में सदस्यों की संख्या बढ़ाते हैं तो बढ़ी हुई संख्या अत्यधिक होगी और हमारे लिए यह संभव नहीं होगा कि सभा में सदस्यों को बैठने के लिए स्थान दिया जा सके। मैं कहना चाहता हूं कि भारत

[श्री शिवराज वि. पाटील]

में लोक सभा के सदस्यों की संख्या 545 है। इस संबंध में चीन एक देश है जिसकी तुलना भारत के साथ की जा सकती है। चीन की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के लगभग बराबर है। सिर्फ इन्हीं दो देशों की, जहां तक जनसंख्या का संबंध है, एक दूसरे के साथ तुलना की जा सकती है। चीन के पीपुल्स नेशनल कांग्रेस में सदस्यों की संख्या कितनी है? यह तीन हजार है। उनके यहां क्या संसदीय व्यवस्था है?...*(व्यवधान)* हमें इस पर हंसना नहीं चाहिए। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति कर सकता है। किंतु हमें इस पर हंसना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इसलिए इसे दर-किनार नहीं करना चाहिए कि ऐसा चीन में किया गया। यह उचित दृष्टिकोण नहीं होगा। जहां तक जनसंख्या का संबंध है, भारत की तुलना सिर्फ चीन के साथ और विश्व के किसी अन्य देश के साथ नहीं की जा सकती।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): उनकी सभा की बैठक एक वर्ष में सिर्फ दो दिन होती है।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, माननीय सदस्य यदि चाहते हैं तो प्रश्न उठा सकते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। मैं सदस्यों के विचार हेतु एक मुद्दा रख रहा हूं। सदस्यों को मैं यहां जो कह रहा हूं उसका खंडन करने के लिए अधीर होने की जरूरत नहीं है।

मैं कह रहा हूं कि चीन में सर्वोच्च निकाय में तीन हजार सदस्य हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत में लोक सभा में भी तीन हजार सदस्य होने चाहिए। मैं यह कह रहा हूं कि हमें इस सभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि से डरना नहीं चाहिए।

कभी-कभी, जनता और अन्य भी पूछते हैं, "उनके बैठने के लिए जगह कहां है। ठीक है, भारत के लिए सदस्यों के लिए बैठने की जगह खोजना कठिन नहीं है। यह केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। एक पैसा खर्च किए गए बिना भी हमारा यह भवन सदस्यों की बढ़ी हुई संख्या के लिए पर्याप्त है। यह सभा केन्द्रीय कक्ष में तथा राज्य सभा इस सभा में आ सकती है। यह आसान समाधान है। और केन्द्रीय कक्ष की कार्यवाही सभागार तथा ग्रन्थालय में जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: श्री शिवराज वि. पाटील, तब पीठ की स्थिति का क्या होगा?

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): वहां 'वेल' में अधिक जगह होगा...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: फिर, वे कहते हैं "सदस्यों को बोलने के लिए समय कहां होगा?" ठीक है, मेरा विचार यह है कि भारत के लिए यह उचित नहीं है कि एक वर्ष की अवधि में सिर्फ 90 या 110 दिनों के लिए कार्य हो। यहां तक कि छोटे देश जैसे जर्मनी में भी पूरे वर्ष कार्य होता है। भारत में जितना हो रहा है उससे अधिक जर्मनी में निजी उपक्रम जनता को सुविधाएं देने का उत्तरदायित्व निभा रही हैं और हमारी देश की जनसंख्या तथा स्थिति में हम लगभग 90 दिन कार्य कर रहे हैं। यह सही नहीं है। यदि हम अधिक दिनों तक काम करें तो हमारे लिए यह संभव होगा कि हम बेहतर ढंग से कार्य करेंगे। पुन: यह कहा गया: "आप इस सभा में शिष्टाचार कैसे बनाए रखेंगे?" ठीक है, महोदय, छोटे से परिवर्तन से इस सभा को सच्चे तौर पर मदद होगी आगे पीठासीन अधिकारी शिष्टाचार बनाए रखेंगे।

यूरोपीय देशों में लगभग सभी संसदों में सदस्य अपने सीट पर से नहीं बोलते हैं। वे मंच से बोलते हैं। इस साधारण परिवर्तन कि सदस्यों से अपने सीट पर से बोलने के बजाय मंच पर से बोलने के लिए कहा जाए, निश्चित तौर पर सभा में बेहतर शिष्टाचार बहाल रखने में मदद करेगा। इन चीजों का प्रबंधन हमारे प्रयास और क्षमता से परे नहीं है। अत: इसके लिए आपत्तियां नहीं उठायी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदय, ये मेरे विचार हैं। मेरे नेता और मेरी पार्टी के विचार इस विधेयक के प्रति समान हैं और हम इसका समर्थन करने जा रहे हैं। मैं इन विचारों को सभा द्वारा अभी और भविष्य में विचार करने हेतु व्यक्त कर रहा हूं।

महोदय, तीसरा उद्देश्य जो यह विधेयक प्राप्त करना चाहता है वह है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों में फेरबदल किए जाने का प्रयास और हम इसका समर्थन करते हैं। हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। हम इसका पूरी तरह समर्थन करते हैं। इसे संविधान के अनुच्छेद 330 के उपबंधों के अनुसार किया जाना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं।

लेकिन मेरे दिमाग में दो शंकायें हैं और मैं इन दोनों शंकाओं को माननीय मंत्री महोदय और इस सभा के समक्ष उनके विचार हेतु रखता हूं। एक शंका यह है कि अनुसूचित जातियों के सीटों की संख्या में वृद्धि होगी लेकिन अनुसूचित जनजातियों के सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं की जायेगी। अत: जहां तक अनुसूचित जातियों की सीटों का प्रश्न है, कोई समस्या नहीं होगी। इसमें वृद्धि होगी। यह कहा गया है कि लगभग सात सीटों की वृद्धि होगी। हम इसका स्वागत करते हैं। हम यह चाहते हैं। लेकिन इससे हमारे देश के लोगों के बीच कोई भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। क्या हमारे लिए यह करना संभव नहीं होगा कि हम सामान्य सीटों की संख्या

में भी इसके अनुरूप वृद्धि करें। मेरा विनम्र सुझाव है कि यदि सात सीटें बढ़ाई जाती हैं तो सात सामान्य सीटें भी बढ़ाई जानी चाहिए। इससे समस्या समाप्त हो जायेगी। इससे हमें समस्या से निपटने में सहायता मिलेगी। यह तभी संभव हो सकेगा। यदि यह मेरे नेता, मेरे दल, उनके नेता, उनके दल और सभा के सभी नेताओं को स्वीकार्य हो।

मेरे दिमाग में दूसरी शंका यह है कि हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों में वृद्धि करने की अनुमति दे रहे हैं। हम इस संख्या पर कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। अत: इसकी अनुमति दी जायेगी। जहां तक अनुसूचित जनजातियों की सीटों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अनुसूचित जातियों की सीटों के मामले में परिवर्तन होगा? लेकिन हम सामान्य सीटों की संख्या बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। मुझे आशंका है कि इस विसंगति को भेदभाव के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मैं नहीं जानता कि न्यायालय का क्या फैसला होगा। जनसंख्या में वृद्धि जैसे कतिपय अन्य मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। आप जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों का प्रश्न है, इसमें वृद्धि करने जा रहे हैं लेकिन आप ऐसा सामान्य सीटों के मामले में नहीं कर रहे हैं। इसे चुनौती दी जा सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो आप इससे कैसे निपटेंगे। प्रश्न यही है। मैं जानता हूं कि अदालतों द्वारा निर्णय दिया गया है कि समाज के जिन वर्गों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें सहायता देने के लिए कोई फार्मूला अपनाया जा सकता है, और इसीलिए इस सिद्धांत को अपनाया नहीं जा सकता है। लेकिन यहां आपने उन लोगों की सहायता की है और आप अन्य लोगों की सहायता नहीं कर रहे हैं।

मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध अथवा सुझाव यह है कि हमें कानून में ही एक ऐसा उपबंध करना होगा जिससे इस कानून को किसी कानूनी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप इससे भयभीत हों, मैं यह कह रहा हूं कि हमें कुछ तरीके निकालने होंगे जिससे इस कानून को किसी कानूनी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके और यदि चुनौती भी दी जाए तो यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध न जाये।

मुझे इस विधेयक पर और कोई सुझाव नहीं देना है। मैंने पहले ही कहा है कि यह विधेयक हमारे दल को स्वीकार्य है और हम इसका समर्थन करने जा रहे हैं और इसी प्रकार विधि मंत्री जी का कार्य इस दृष्टि से आसान हो गया है।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 का समर्थन करता हूं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल है। कभी यह उद्देश्यहीन हो जाता है और कभी यह लक्ष्य से भटक जाता है। अब यह गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है और यह यहां इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं।

विधेयक के उपबंधों पर बोलने से पूर्व मैं यह कहूंगा कि श्री शिवराज पाटिल ने अत्यधिक वाकपटुता से कतिपय तथ्यों को सामने रखा है। उक्त तथ्यों में से कुछ में मैं कुछ त्रुटियां पाता हूं।

विधेयक पर आने से पूर्व मैं पिंजर द्वारा रचित एक ग्रीक ओड (कविता) की पंक्ति उद्धृत करना चाहूंगा, जो इस प्रकार है:

> ''स्ट्राइव नाट माय सोल, फाल इन इम्योर्टल लाइफ बट मेक द मोस्ट आफ व्हाट इज पासिबल''।

इस समय जो कुछ भी संभव है उस पर चर्चा की जानी चाहिए। चुनाव संबंधी सुधार एक सतत प्रक्रिया है और हम इसमें फेरबदल करने जा रहे हैं जो एक सतत प्रक्रिया है। हमें इस सतत प्रक्रिया पर समझ कर कार्य करते रहना होगा ताकि हम लोक सभा, विधान सभाओं में निश्चित संख्या में सीटें और प्रत्यक्ष चुनाव जहां मत के महत्व की गणना होती है सुनिश्चित कर सकें। अत: जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा है, इस संविधान संशोधन विधेयक में छ: संशोधन प्रस्तावित हैं ताकि सीटों की संख्या बढ़ाई न जाए। जब हम सीटों की संख्या न बढ़ाए जाने के संबंध में निर्णय लेते हैं तो स्वभाविक रूप से हमें जनसंख्या की समस्या पर विचार करना होगा। जिसका सामना देश गत पचास वर्षों से कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2000 में एनडीए सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उल्लेख करना चाहता हूं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में यह कहा गया है कि कुल प्रजनन दर में कमी की जाए।

जैसाकि श्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि यह स्तर 2.1 होनी चाहिए। यदि यह स्तर 2.1 हो जाती है तो वर्ष 2026 तक जनसंख्या वृद्धि स्तर को प्राप्त करना संभव हो जायेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि इस देश में जनसंख्या और अधिक न बढ़े। इसीलिए इस संशोधन विधेयक में ही वर्ष 2026 का उल्लेख किया गया है। यह सच है कि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या भिन्न-भिन्न है। मैं श्री संतोष मोहन देव जी का ध्यान उनके निर्वाचन क्षेत्र सिलचर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जहां मतदाताओं की कुल संख्या आठ लाख है जबकि दिल्ली के एक निर्वाचन क्षेत्र में यह संख्या 30 से 35 लाख है।

[श्री अनादि साहू]

अत: मतदाताओं की संख्या में भिन्नता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं। आप कृपया यू.एन.डी.पी. के आंकड़ों को देखें, जो 1975 के हैं, भारत की शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या की 21.3 प्रतिशत थी जबकि 1999 में यह बढ़कर 28.1 प्रतिशत हो गई है। लगभग 7 प्रतिशत वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आने के कारण हुई है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 1971-72 में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 5.4 प्रतिशत थी वर्ष 2000 में यह कम होकर 3.3 प्रतिशत रह गई। लेकिन 3.3 प्रतिशत भी आदर्श नहीं है। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है इसे 2.1 प्रतिशत होना चाहिए। अब तक भारत के लगभग नौ राज्यों में प्रजनन दर 2.1 प्रतिशत हुई है जो परिवर्तित दर की आदर्श स्थिति है। चौदह राज्यों में प्रजनन दर 3 प्रतिशत है। मेरे राज्य सहित पांच राज्य पिछड़े हुए हैं। ये हैं-राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा यह अच्छी बात है कि राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण हेतु कतिपय कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये पांच राज्य पिछड़े हुए हैं जो पूरे देश के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे हैं। इन पांच राज्यों की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 44 प्रतिशत है। इन पांच राज्यों में वृद्धि दर टीएफआर का 44 प्रतिशत है। यदि यह स्थिति है तो यह हमारे लिए समस्या उत्पन्न करेगी। इसे ध्यान में रखते हुए यह संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है।

अब जब हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, तो एनडीए सरकार द्वारा लायी गई जनसंख्या नीति में तीन उद्देश्य निहित हैं। पहला तात्कालिक उद्देश्य है, दूसरा मध्यावधि उद्देश्य है और तीसरा दीर्घावधि उद्देश्य है। मैं इन उद्देश्यों पर विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। पहला उद्देश्य यह है कि जनसंख्या नियंत्रित की जाए। जब आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो हमें महिलाओं के प्रजनन स्तर, शिक्षा, कुपोषण, पोषण और कई अन्य कारकों जिसका उल्लेख राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में ही किया गया है, पर विचार करना होगा?

मुझे संविधान (संशोधन) विधेयक में उल्लिखित बातों का विस्तार से चर्चा किए जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उद्देश्यों और कारणों के कथन से, जैसाकि श्री पाटिल ने स्पष्टरूप से कहा है, भ्रांतियां उत्पन्न होंगी। यह मामला परिक्रमण मामले के संबंध में आयेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 327 में परिक्रमण किए जाने की व्यवस्था की गई है। यह 1972 में किया गया था। इसमें लगभग चार वर्ष लगे। इस संविधान (संशोधन) विधेयक के पारित होने के पश्चात् परिक्रमण संबंधी आयोग गठित किया जायेगा और वह इस मामले पर विचार करेगा। इस मामले पर विचार करते हुए परिक्रमण आयोग की कतिपय कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि एक कठिनाई अनुच्छेद 81(2)(क) के संबंध में होगी जो निम्नवत है:

(क) प्रत्येक राज्य को लोक सभा में स्थानों का आबंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो।

मैं नहीं जानता कि यह सभी राज्यों के लिए समान कैसे होगा जबकि किसी एक राज्य में जनसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है जबकि अन्य राज्य जैसे केरल में इसमें कमी आयी है। अत: यह अत्यधिक कठिन होगा लेकिन यह परिक्रमण आयोग द्वारा विचार-विमर्श के दौरान उठेगा। चूंकि यह एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना है अत: मैंने इसका अभी उल्लेख करना उचित समझा ताकि बाद में इस संबंध में कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं हो।

जहां तक उद्देश्यों और कारणों का संबंध है, जैसा कि श्री शिवराज पाटिल ने कहा है, अनुसूचित जातियों के आरक्षण के लिए - न कि अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों के मामले में कोई कठिनाई नहीं है - से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कुछ राज्यों में - मैं उनका नाम नहीं लूंगा - अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों की संख्या में कमी आई है। कुछ अन्य राज्यों में इसमें वृद्धि आई है। परन्तु चूंकि आप कुछ राज्यों में सीटों की संख्या में कमी कर रहे हो, मैं नहीं जानता कि इन समस्याओं का किस तरीके से समाधान किया जा सकता है।

मैं वर्ष 1971 और वर्ष 1991 में अ.जा. और अ.ज.जा. का ही उदाहरण देता हूं। वर्ष 1971 की कुल 548 मिलियन जनसंख्या की तुलना में अ.जा. जनसंख्या 80 मिलियन थी जो कुल जनसंख्या का 14.50 प्रतिशत है। अ.जा. की संख्या 39 मिलियन थी जो कुल जनसंख्या का 6.9 प्रतिशत था। वर्ष 1991 में भारत की कुल जनसंख्या 846 मिलियन थी जिसमें से 138 मिलियन अ.जा. वर्ग के थे जो 16.33 प्रतिशत थी। अत: 1971 में जो 14.50 प्रतिशत थी वह 1991 में 16.33 प्रतिशत हो गई। अ.ज.जा. वर्ग में 1971 में 39 मिलियन लोगों की तुलना में उनकी संख्या बढ़कर 68 मिलियन हो गई और यह प्रतिशत 8.08 था।

अत: मैं नहीं जानता कि इन समस्याओं पर विचार करना किस प्रकार संभव होगा। जैसा कि हम कहते हैं अ.ज.जा. के मामले में जब आरक्षण किया जाता है तो केवल अधिकतम पर ही विचार किया जाता है। परन्तु जहां तक अ.जा. का संबंध है अधिकतम लोगों पर विचार किया जाना चाहिए। इससे निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन में समस्याएं होंगी।

दूसरी बात यह है कि परिक्रमण के बारे में सोचा जाए। दिनेश गोस्वामी समिति ने परिक्रमण भाग के बारे में 1991 में

विचार किया। किन्तु यह 91वां संविधान (संशोधन) विधेयक 71वें संशोधन विधेयक के इस पहलू पर विचार नहीं कर रहा है। यदि हम यह मान ले कि किसी एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में अ. जातियों के लोग अधिक हैं तो परिक्रमण आवश्यक हैं। यदि अनुसूचित जातियों तथा सामान्य जाति के लोगों के जनसंख्या ढांचे में कोई परिवर्तन आता है तो स्वाभाविक रूप से परिक्रमण के बारे में सोचना होगा। इस समय इस बारे में समुचित रूप से नहीं सोचा गया है। जब हम इस विधेयक पर विचार करेंगे तो इस बारे में थोड़ा सोचना होगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मुझे यह कहना है कि हमें सम्मिलित रूप से यह देखना है कि जनसंख्या वृद्धि न हो, 2026 तक जैसा कि इस विधेयक को लाते समय हम बड़े आशावादी थे कि प्रतिस्थापन स्तर वही रहेगा और वर्ष 2026 में जैसा कि आज सोचा गया है पालन पोषण के लिए और अधिक लोग नहीं होंगे। इसके लिए वृद्धि दर को जनसंख्या के 2% तक सीमित रखना होगा। हम इसे उस स्तर तक सीमित कर सकते हैं क्योंकि हमारी जीवन संभाव्यता बढ़ी है और मृत्यु दर में गिरावट आई है इसका कारण रहा है जनसंख्या नीति, स्वास्थ्य क्षेत्र आदि में हमारी प्रगति और विकास। बाल मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। हमने लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अनेकों परियोजनाएं आरम्भ की हैं। इस प्रकार के स्वस्थ जीवन और कम मृत्यु दर से लोगों की प्रजनन स्थिति अच्छी होगी अत: हमें इस सदन को और भारत के लोगों को एक आश्वासन, एक वायदा करना होगा। वायदा यह करना है कि हम सभी को स्वैच्छिक सूचना प्राप्त चयन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सम्मति तथा परिवार नियोजन को स्वीकार करना होगा।

मात्र तब ही सीटों की संख्या को स्थिर करना संभव होगा और यह सुनिश्चित किया जा सकना संभव हो सकेगा कि समय-समय पर अपेक्षित संविधान संशोधनों को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हम शहरी क्षेत्रों को और अधिक सीटें दें। यदि विकास प्रक्रिया इसी दर से जारी रहे तो ऐसा हो सकता है कि अगले 20 वर्षों में शहरी क्षेत्रों से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में आ जाएं। बेशक उस समय जो नौजवान पीढ़ी संसद में आएगी, उस प्रक्रिया को बदलने पर विचार करेगी जो आज हम स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को और अधिक सीटें दी जाए और समुचित पुनर्व्यवस्था की जाए।

अब मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं तो मैं यह अनुरोध करूंगा कि भारत की जनसंख्या जो कि विश्व की जनसंख्या की तीन गुणा वृद्धि दर की तुलना में पांच गुणा बढ़ी है पर नियंत्रण किया जाए इस पर कैसे नियंत्रण किया जाए। हमें अपने प्रणाली पर खुद नियंत्रण करना होगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय अपनाने होंगे कि जनसंख्या वृद्धि न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: सूची के अनुसार बोलने वाले सदस्यों के दस नाम और है मतदान शाम 7.30 बजे होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): मैं समझता हूं कि हमें अपने भाषण को भी जनसंख्या की भांति कम करना चाहिए...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं समझता हूं कि यह सभी दलों के निर्णय का तर्कपूर्ण विस्तार प्रतीत होता है। समिति के प्रतिवेदन से यह लगता है कि यथास्थिति जारी रहेगी। श्री शिवराज पाटिल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि जितने ज्यादा सदस्य होंगे उतना अच्छा होगा। परंतु मैं लोक सभा के अध्यक्ष और 3000 सदस्यों से ईर्ष्या नहीं करता। हमें अधिक बड़े गृह की आवश्यकता होगी और अधिक नियमों का कड़ाई से पालन कराने वाले की आवश्यकता है।

सबसे अधिक आवश्यकता है लोगों का सही प्रतिनिधित्व करने की, इसमें सभी की भागीदारी है। सभा में हमारा सही प्रतिनिधित्व होना चाहिए। परंतु संसद का कार्य सदस्यों की संख्या पर नहीं बल्कि उनकी भागीदारी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इस मामले पर संभवत: हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं समझ सकता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय उस स्थिति का सामना करने की बजाए, जो हमारे सामने हैं, अपने कक्ष में जा रहे हैं। दुर्भाग्यवश, इन दिनों बहुत अधिक आशंका नहीं दिखाई देती और संभवत: बहुत सारे विधेयकों को पारित करने की बजाय हमें इस मामले पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

संविधान (42वां संशोधन) विधेयक द्वारा 1976 में स्थिरता आई थी। उस समय मैं यहां था। उस संबंध में मुश्किल से कोई चर्चा हुई होगी। तब से लेकर मुझे नहीं लगता कि स्थिति का कोई वास्तविक अध्ययन किया गया है। अब 2000 की जनगणना का उल्लेख किया गया है। क्या इसे प्रभावी नहीं किया जा सकता। जनगणना के आंकड़े इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध होंगे। अगले वर्ष मैं नहीं जानता, कितने चुनाव होने वाले हैं। अब कुछ नहीं किया जाएगा। केवल निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किए जाने की बात है। अब कुछ नहीं किया जाएगा। वर्ष 1991 की जनगणना की बात करने की क्या आवश्यकता है। परिसीमन के लिए काफी समय लगता है। कुछ अवधि के लिए मैं परिसीमन आयोग में अपने दल का प्रतिनिधि था जिसमें इन राज्यों के लिए गए उन क्षेत्रों के गैर सरकारी अधिकारी और संसद सदस्य भी शामिल थे।

वहां मुझे कुछ अनुभव हुआ कि यह काम किस तरह होता है। वास्तव में वे यथा संभव कार्य को सही तरीके से करने की

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

कोशिश करते हैं। अब इसमें तेजी लाने का कोई कारण नहीं था। यह वर्ष 2000 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता था। फिर भी, मैं इसे विवाद के किसी मुद्दे के रूप में नहीं उठा रहा हूं। हमें यह संदेश देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि इस विधेयक के माध्यम से हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकने में सक्षम होंगे। आखिर, कोई भी इस आधार पर बच्चे नहीं पैदा करता कि संसद में उसके बेटे का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। मैं नहीं जानता कि इसे यहां दोहराया क्यों जा रहा है। कोई भी इस प्रकार के औचित्य को समझ सकता है। उद्देश्यों और कारणों का कथन में यह कहा गया है कि यह परिवार नियोजन के मानदंडों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। वास्तव में परिवार नियोजन इस देश के लिए आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति यह स्वीकार करता है परंतु कोई भी सरकार उसका अनुपालन नहीं करती। डा. सी.पी. ठाकुर इसके प्रभारी हैं परंतु उन्होंने इस उद्देश्य के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं एक ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को जानता हूं जो परिवार नियोजन का काम देख रहा था और उसका पद तो इसी कारण चला गया कि उसके बारह बच्चे थे। और यह ठीक भी था। उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि:

> ''नए परिसीमन का कार्य करने के पक्ष और विपक्ष में लगातार मांगें की जाती रही हैं।''

यह श्री अरूण जेटली का एक बहुत बड़ा योगदान है। इसमें आगे कहा गया है:

> ''देश के विभिन्न भागों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की रणनीति के एक भाग के रूप में सरकार ने हाल ही में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए कार्यसूची का अनुसरण करने के लिए राज्य सरकारों को सक्षम बनाने हेतु एक प्रेरणात्मक उपाय के रूप में नए परिसीमन शुरू करने के लिए वर्तमान रोक को वर्ष 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।''

यह क्या है? वह लोगों से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे उन्हें जनसंख्या को कम करने में मदद मिलेगी। इससे किस प्रकार मदद मिलेगी? डा. ठाकुर, कृपया हमें बताएं। क्या विधि मंत्री ने डा. ठाकुर के साथ इस पर चर्चा की है?

क्या हो रहा है? इस सम्बन्ध में प्रेरणात्मक उपाय क्या है? कृपया हमें बताएं। दक्षिणी राज्यों ने इसे अधिक सफलतापूर्वक किया है। अब तुलनात्मक रूप से अगर यह हो जाता है तो उन्हें कुछ सीटें खोनी पड़ेंगी। फिर, यह एक हतोत्साह करने वाली उपाय होगा। क्या अधिक संख्या में सीटें प्राप्त करना एक प्रेरणात्मक उपाय है या नहीं? कोई भी इस सभा में अधिक व्यक्ति नहीं चाहता है क्योंकि इससे जगह, चुनाव इत्यादि की समस्या होगी, तथा इस सभा की विन्यास ही बदल जाएगा इसलिए, सरकार तदर्थ उपाय कर रही है तथा यथा स्थिति बनाए रखने का प्रयास करती है। बयालीसवां संशोधन विधेयक उनके लिए पूर्व उदाहरण है। इसलिए वे इसका अनुसरण कर रहे हैं। सिर्फ एक अंतर आया है और वह यह है कि वर्ष 2000 से बदलकर 2026 हो गया है। इस विधेयक में मैं एक अच्छी बात यह पाता हूं कि 2021 में जनगणना होगी और इसके परिणाम 2026 तक आ जाएंगे। खुशी होगी कि उस समय मैं दूसरों के लिए समस्या पैदा करने हेतु वहां नहीं होऊंगा। इसलिए, अगले 25 वर्षों के लिए यह जारी रहेगा। यह यथास्थिति बनाए रखने का ही अभ्यास है।

मैं सुझाव देता हूं कि सरकार को इस संबंध में गंभीर होना चाहिए। मेरे द्वारा यह आशा की गई थी कि विधि मंत्री को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए थी कि यह कानून कैसे अपने उद्देश्यों और कारणों को पूरा करेगा। मैं नहीं जानता कि इस ओर क्या कदम उठाए जा रहे हैं, मैं नहीं जानता कि यह कैसे हमारे लिए सहायक होगा, और मैं नहीं जानता कि सदस्यों की संख्या और इस देश के प्रजनन दर में क्या संबंध है। यह सिर्फ तदर्थवाद है और यह वर्तमान स्थिति को ही आगे बढ़ाता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को इस संबंध में परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ पुनर्व्यवस्था, सौभाग्यवश की जा रही है। मैं आशा करता हूं कि कुछ होने जा रहा है। श्री विजय गोयल दु:खी होंगे। उनके चांदनी चौक चुनाव क्षेत्र में कुछ और लोग हो जाएंगे। मैं डा. विजय कुमार मल्होत्रा के बारे में नहीं जानता हूं। किंतु बाहरी दिल्ली के लोग खुश होंगे। संभवत: वे अपने सदस्यों को कम करके खुश होंगे। ये तो केवल कम महत्वपूर्ण चीज हैं जो हो रही हैं। किंतु हम यहां पर समस्या पैदा नहीं करना चाहते। सरकार इसे पारित करा ले। किंतु उन्हें यहां पर घोषणा भी करने दें। माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी उत्तर दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, इसे केवल उन पर नहीं टालिए। मैं नहीं जानता कि वे अभी तक परिवार नियोजन अपना रहे हैं अथवा नहीं...*(व्यवधान)* वह जवान आदमी हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री को इस संबंध में एकदम सकारात्मक उत्तर देना चाहिए मैं इस मामले पर अत्यन्त गंभीर हूं।

महोदय, हमने भारत की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयन्ती समारोह पर चर्चा की...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सोचता हूं कि काफी समय के बाद इस सभा में हम कम से कम हास्य-विनोद देख रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी: धन्यवाद। आप याद कर सकते हैं कि क्या हुआ। जब उस विषय पर चर्चा हो रही थी तो हम भी यहां

उपस्थित थे। हमने अपनी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयन्ती समारोह के लिए विशेष सत्र आयोजित किया था। हमारी यह विशिष्टता रही थी कि जब हम बोले थे तो हम पार्टी के प्रतिबंधों से मुक्त थे। हम सहमत थे कि कोई भी माननीय सदस्य दलगत भावना पर विचार किए बिना जैसा चाहते थे वैसा बोल सकते थे। पहले सामान्य विषय जिस पर सबने विचार व्यक्त किया। वह जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता था। सभी माननीय सदस्यों, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया ने इसके बारे में बात की। देश के विकास के अलावा जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता आम बात थी। हमने अत्यन्त की पावन भाव से सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया था। यह अध्यक्ष पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उस समय श्री संगमा माननीय अध्यक्ष थे। महोदय, मुझे विश्वास है कि आप भी सभा में थे। किंतु तब क्या हुआ? यह कहने का तरीका है कि यह राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। किंतु, यह सिर्फ संकल्प में है। क्या हमें यह चिंता नहीं है कि अब इस देश में और अधिक गरीब तथा निरक्षर लोग हो गये हैं?

कोई माननीय सदस्य मीडिया की कमी की बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वे कहां है। मीडिया की कमी में किसकी रुचि है? जब महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जाती है तो वह हट क्यों जाते हैं। क्या हो रहा है? मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में हमें बताए। डा. ठाकुर, कितने लोगों को इस देश में समुचित उपचार मिलता है? कितने लोगों को नौकरी मिल रही है? आप इस पर नहीं सोचते हैं, सरकार लोगों से रोजगार छीनने में संकोच नहीं करती। यह सरकार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर समृद्ध हो रही है। इसलिए, इन विषयों पर विचार नहीं किया गया है। मंत्री महोदय, आप सिर्फ आम जनता को बताने के लिए यहां जनसंख्या का जिक्र कर रहे हैं मानों यह सरकार हमेशा ही जनसंख्या उपायों के बारे में चिंतित रही है। आप एक ऐसी धारणा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप जनसंख्या के प्रति अत्यधिक चिंतित हैं कि यह परिवार नियोजन को बढ़ावा देगा और इसलिए संविधान संशोधन विधेयक ला रहे हैं। संविधान के प्रति आपकी अत्यधिक चिंता है। नि:संदेह, आपने कल डा. मुरली मनोहर जोशी के भाषण के बाद पहले ही बुनियादी ढांचा को पूरा कर दिया है। *...(व्यवधान)*

आज जैसा कि हम देखते हैं आर.एस.एस. ने उन्हें आशीर्वाद दिया...*(व्यवधान)* डा. विजय कुमार मल्होत्रा क्या आपको आर एस एस नाम पसंद नहीं हैं? मैं वह नाम ले रहा हूं जिसे आपके लिए मंत्र होना चाहिए। क्या आप डा. मुरली मनोहर जोशी को आर एस एस द्वारा दिए गए आशीर्वाद पर आपत्ति करते हैं जिन्होंने अत्यन्त ही विश्वासपूर्वक भगवाकरण की मुख्य नीति को कार्यान्वित किया। श्री येरननायडू, ने ऐसा आपकी आपत्तियों के बाद किया आपकी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया। डी एम के कहां है? इसकी आपत्तियों को भी दरकिनार कर दिया गया। आपकी आपत्ति का एक भी हवाला नहीं दिया गया। यह राजनीतिक जीवन में शुद्धता का विषय है।

विषय यह है। इसे राजनीतिक सिद्धांत और नैतिकता कहते हैं जिसकी इस सरकार में कमी है। जनसंख्या नियंत्रण के महत्व के प्रति उनमें ईमानदारी की कमी है। आप सिर्फ बातें बना रहे हैं। यह विधेयक पारित हो जाएगा। हम भी इसका समर्थन करेंगे। किंतु इस सरकार का सत्ता से बाहर होना हमें राहत प्रदान करेगा।

श्री के. येरननायडू: महोदय, मैं संविधान (इक्यानवेंवां संशोधन) विधेयक, 2000 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक में छ: संशोधन प्रस्तावित हैं। 13 मई, 2000 को राजनीतिक दलों की बैठक में सर्वसम्मति थी कि प्रत्येक राज्य में चुनाव क्षेत्र की संख्या पर रोक लगाई जाए तथा निरस्त कर दिया जाए। हम लोगों ने सबसे पहले केंद्र सरकार के पास इस मामले को रखा आन्ध्र प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री श्री चन्द्रबाबू नायडू ने कई बार यह बात रखी कि यथा स्थिति को बनाये रखा जाए।

वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चुनाव क्षेत्र की संख्या स्थिर करने के लिए राष्ट्रीय परिवार नियोजन नीति में संशोधन लाने के लिए संविधान में संशोधन किया था। यह सरकार भी उसी बात को जारी रख रही है। अतएव, हम इस संशोधन का समर्थन करते हैं।

दूसरा संशोधन जनसंख्या के असमान वृद्धि के संबंध में है। प्रवास के कारण, कुछ चुनाव क्षेत्रों की जनसंख्या 15 लाख अथवा 20 लाख अथवा 30 लाख से भी अधिक है, कुछ चुनाव क्षेत्रों की जनसंख्या दो लाख अथवा तीन लाख है। इसलिए, हमें यथाशीघ्र चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य शुरू कर देना चाहिए। न सिर्फ जनता द्वारा अपितु चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा भी इसकी काफी मांग की गई है। इस संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद हमें पुन: परिसीमन अधिनियम में संशोधन करना होगा। परिसीमन आयोग को जनसंख्या के असमान वृद्धि तथा जनसंख्या के प्रवास पर विचार करना होगा ताकि इन चुनाव क्षेत्रों को बराबर किया जा सके।

1991 की जनगणना के अनुसार, हमें अ.जा. और अ.ज.जा. चुनाव क्षेत्रों को बढ़ाना होगा। मेरी पार्टी इसका समर्थन करेगी यदि यह सीटों की संख्या बिना बढ़ाए हुए किया जाता है। यदि हम उस संख्या से आगे सीमा लगा देते हैं तो हम अ.जा. और अ.ज.जा. के लिए सीट नहीं बढ़ा सकेंगे। सामाजिक न्याय जनसंख्या पर निर्भर है। हम भारत के संविधान के अंतर्गत आरक्षण प्रदान करते हैं। यदि उन्हें आरक्षित कोटा से दो या तीन अधिक सीटें मिल जाती हैं, तो इसमें कोई समस्या नही है। हम जनसंख्या के

[श्री के. येरननायडू]

अनुरूप अ.जा. और अ.ज.जा. को अधिक सीटें देकर अत्यन्त खुश होंगे।

हम जनसंख्या में संतुलन की बात कर रहे हैं। किंतु यह अत्यन्त कठिन है। यद्यपि यह एक उपाय है फिर भी कुछ राज्यों ने कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं। उदाहरणस्वरूप, यदि आपके दो से अधिक बच्चे हैं, तो आप स्थानीय निकायों के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार हम संसद सदस्यों और विधायकों के संबंध में प्रावधान कर सकते हैं...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: क्या यह पूर्व प्रभाव से है?

श्री के. येरननायडू: नहीं, यह भावी प्रभाव से होगा। कुछ राज्य सरकारों ने इसे भावी प्रभाव से क्रियान्वित करने हेतु विधान बनाया है। जब कतिपय राज्य इस व्यवस्था को अपना सकते हैं तो हम इसे संसद सदस्यों और राज्य के विधायकों के लिए क्यों नहीं अपना सकते हैं? यदि ऐसा संभव हो सके तो मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री को एक ऐसा विधान लाने का सुझाव देते हुए अनुरोध करता हूं जिससे जनसंख्या में कमी किए जाने में सहायता मिलेगी।

इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस सरकार ने राज्य सरकारों के विचारों को अच्छी तरह समझा है। हम इन सभी प्रस्तावित संविधान संशोधनों का पूरी तरह समर्थन करते हैं।

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल (बुलढ़ाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (ईक्यानवेवां संशोधन) विधेयक का अपनी तथा अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से समर्थन करता हूं। विधेयक का समर्थन करते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से निम्नलिखित स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अब हम निर्वाचन क्षेत्रों को मतदाता की संख्या के अनुसार नियत कर रहे हैं और हम इसे औचित्यपूर्ण बनाने जा रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने कहा है, 1971 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 70 करोड़ थी और सरकार के अनुमान के अनुसार यह वर्ष 2026 में लगभग 144 करोड़ हो जायेगी। लेकिन हम इस सभा के सदस्यों और विधान सभा सदस्यों की संख्या अपरिवर्तित ही रख रहे हैं। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूं। अत: मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं।

दूसरे जब हम निर्वाचन क्षेत्रों का नियतन मतदाताओं की जनसंख्या के अनुसार करेंगे तो मैं समझता हूं कि कतिपय प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। उदाहरणस्वरूप, किसी निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार तीन अथवा चार जिलों तक हो सकता है। कोई माननीय सदस्य अभी एक जिले की जिला विकास समिति का सदस्य होगा लेकिन इस विधेयक के द्वारा संविधान में संशोधन किए जाने के पश्चात् उक्त माननीय सदस्य तीन अथवा चार जिलों के जिला विकास समितियों के सदस्य हो जायेंगे। इससे एमपीएलएडी योजना के माध्यम से धनराशि के वितरण में भी समस्या होगी। राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं और इस दृष्टि से हमें कतिपय प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तव में हम कतिपय स्थानों पर ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं।

तीसरे अभी यह व्यवस्था है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य किसी विशेष जिले से ही हों। लेकिन भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी और किसी सदस्य को जिले के नाम के अतिरिक्त कोई आम स्थान का नाम भी बताना पड़ सकता है। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं भी इस विधेयक का अपने दल की ओर से समर्थन करता हूं।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरूम्बुदुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का अपने दल डीएमके की ओर से समर्थन करता हूं। लोक सभा हेतु सीटों का आबंटन वर्ष 1971 में की गई जनगणना के आधार पर किया गया था। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आयी है। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आने के कारण हमारे राज्य में लोक सभा संसदीय सीटों की संख्या में कमी किए जाने का प्रस्ताव था। इसलिए तमिलनाडु के लोग सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे थे हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री डा. कालांगनार करुणानिधि इस नीति के विरुद्ध थे।

उन्होंने भी रोष प्रकट करते हुए माननीय प्रधान मंत्री से सीटों की संख्या कम करने के प्रस्ताव को स्थगित करने और इसकी पूर्व संख्या ही बहाल रखने का अनुरोध किया।

टी डी पी के हमारे नेता, श्री येरननायडू ने काफी अच्छा भाषण दिया है। मैं उनके भाषण की प्रशंसा करता हूं। जब हम सीटों के बारे में निर्णय करेंगे तो हमें परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाने संबंधी नीति बनानी होगी। परिवार नियोजन संबंधी सरकारी नीति के क्रियान्वयन में तमिलनाडु सबसे अग्रणी राज्य है। इसके लिए उक्त राज्य को पुरस्कृत किए जाने के स्थान पर हम सीटों में कमी करके उसे दंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह अन्याय है। मैं माननीय मंत्री महोदय से परिवार नियोजन संबंधी नीति को

समुदायों और धर्मों के मामले में अनिवार्य रूप से क्रियान्वित कराने का अनुरोध करता हूं। यह एक अच्छा कदम है, मंत्री महोदय को इसे लाना चाहिए। अन्यथा किसी एक धर्म के व्यक्तियों की जनसंख्या अत्यधिक हो जायेगी और किसी अन्य धर्म की जनसंख्या अत्यधिक कम। देश के किसी एक भाग में अत्यधिक जनसंख्या होगी जबकि किसी अन्य भाग में अत्यधिक कम। हम नहीं जानते हैं कि सरकार इन तथ्यों के औचित्य को किस प्रकार सिद्ध करेगी।

आप सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर बढ़ा रहे हैं। जब आप 1971 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की तुलना आज की जनसंख्या से करते हैं तो उनकी जनसंख्या अधिक थी। अब मैं आपसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के अनुसार आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाने का अनुरोध करता हूं कि वर्ष 2026 तक इन सीटों की संख्या में कमी न की जाए। इसे घटाने के स्थान पर बढ़ाया जाना चाहिए। यह मेरा और मेरे दल का भी अनुरोध है।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति (सेलम): महोदय, इस महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर बोलने हेतु दूसरी बार आमंत्रित करने हेतु मैं आपका आभारी हूं। मैं वर्तमान सरकार द्वारा परिसीमन के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को समाप्त करने हेतु की गई पहल का पूरी तरह समर्थन करता हूं। इसके साथ-साथ मैं वर्तमान संशोधन से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दों को उठाने तक ही अपने आपको सीमित रखता हूं। आखिरकाल इस विधेयक को सर्वोच्च सभा के सामने क्यों लाया गया है? यह निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से 2001 तक जनसंख्या की गणना प्रकाशित होने, जो अब संभव नहीं है, परिसीमन किए जाने पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में है। अत: यह संशोधन लाया गया है। इस प्रकार इससे लोक सभा और विधानसभा के सीटों की संख्या 2026 तक वर्तमान स्तर पर ही विद्यमान रहेगी। इसका निहित उद्देश्य हम इसे विधेयक के उद्देश्य में भी पाते हैं, जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उपायों को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुरूप परिवार नियोजन संबंधी उपायों को प्रभावी ढंग से चलाने का है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है।

लेकिन वर्ष 1976 में क्या हुआ था। इसी प्रकार का संशोधन किया गया था। उस वक्त भी यही उद्देश्य बताया गया था। इसमें लगभग 25 वर्ष लगे। इन 25 वर्षों की समाप्ति के पश्चात् अब 2001 में भी हम इसे प्राप्त नहीं कर पाये हैं।

सायं 6.00 बजे

अब हम इसे और 25 वर्षों अर्थात् वर्ष 2026 तक कर रहे हैं। इसी प्रकार का प्रतिबंध संविधान (बयालीसवां) संशोधन अधिनियम के द्वारा लगाया था। 25 वर्षों के बाद भी हम पूरे देश से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपाय को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं कर सके।

भारत की अर्थव्यवस्था तब तक सुदृढ़ नहीं की जा सकती जबतक कि हमारे पास एक प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण उपाय न हो। इसकी मांग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही की जा रही है। लेकिन अब तक एक और संशोधन लेकर आये हैं कि हम वर्ष 2026 तक परिसीमन नहीं कर पायेंगे जिसका अर्थ यह हुआ कि हम जनसंख्या के आंकड़े को वर्ष 2026 तक नियंत्रित नहीं कर पायेंगे।

जहां हमारा विगत का अनुभव यह है कि हमने इसे प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं किया। यद्यपि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जैसे कुछ दक्षिण राज्यों के लोग इस विधेयक से लाभान्वित हुए हैं।

यदि यह विधेयक पारित नहीं होता है तो हम लोक सभा के साथ-साथ विधानसभाओं की कई सीटों को खोने की अत्यन्त अनिश्चित स्थिति में होंगे। यदि यह विधेयक दक्षिण राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पारित नहीं होता है तो उन्हें लोक सभा में कई सीटों को खोना पायेगा। जहां कि उत्तर प्रदेश को अधिक सीटों का लाभ होगा। उनकी सीटे 204 से बढ़कर 219 हो जाएगी जबकि हमें लगभग 16 सीटों से हाथ धोना पड़ेगा यदि यह विद्यमान स्थिति 2026 तक चलती है और यदि यह विधेयक पारित नहीं होता है।

मैं बताना चाहूंगा कि श्री शिवराज वि. पाटील द्वारा दिया गया सुझाव संभ्रान्ति उत्पन्न करता है और यह मामला अधिक खराब स्थिति में पहुंच जाएगा। जब श्री शिवराज पाटील जी जैसे विद्वान व्यक्ति ने सीटो को बढ़ाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संसद के विस्तार करने के तरीकों को सुझाया था तो कारण यह दिया गया है लेकिन वह उन राज्यों की लोक सभा में सीटों को बढ़ाने के तरीकों को बताने में असमर्थ थे जो जनसंख्या नियंत्रण का पालन प्रभावी रूप से कर रही है। वह इस संबंध में कोई सुझाव नहीं दे सके। उसका कोई समाधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: वह मात्र सुझाव है। उस पर विचार किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता।

श्री टी.एम. सेल्वागनपति: अत: इस समस्या का समाधान करने के लिए आप किस प्रकार का उपाय अथवा सुझाव दे सकते है।

दक्षिण क्षेत्र के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण उपायों का निष्ठापूर्वक और तहेदिल में अनुपालन किया है। इस राज्यों ने कई प्रशंसनीय कार्य किये है। क्या उन्हें केवल इसलिए दंडित किया जाए कि

[श्री टी.एम. सेल्वागनपति]

उन्होंने सरकार की नीति का अनुपालन किया है? क्या उन्हें दण्ड दिया जाए? यही प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में कौंधता है।

जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम हर पहल का जोरदार विरोध करेंगे जिससे लोक सभा में हमारा प्रतिनिधित्व कम होगा। हम हर उस तरीके का जोरदार विरोध करेंगे जिससे लोक सभा में हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। अत: जब तक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पर सरकार अपना सही दृष्टिकोण नहीं अपनाती, जब तक सरकार प्रभावी रूप से इसको कार्यान्वित नहीं करती इस समस्या को हल नहीं किया जा सकता है।

संविधान (बयालीसवां) संशोधन अधिनियम जिसे पहले ही पारित किया जा चुका है और 2001 में इस संशोधन के पश्चात् पूरी चीज एक बार फिर वही की वहीं आ जाएगी। वर्ष 2026 में वही स्थिति विद्यमान हो जाएगी। और यथापूर्व स्थिति जारी रहेगी। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी यहां उपस्थित है। उन्हें उन उपायों के बारे में बताना चाहिए जिन्हें उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए किया है। वे जनसंख्या नीति का प्रभावीरूप से अनुपालन करने वाले राज्यों को किस प्रकार के प्रोत्साहन देने जा रहे हैं।

अब पत्रों में हम कहते हैं कि यह उपाय है जिससे जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। महोदय यह बात मात्र पत्र में है। कोई भी राज्य जनसंख्या नियंत्रण करने के बारे में गम्भीरता से नहीं सोच रहा है। उनके पास कई अन्य चीजे हैं। जनसांख्यिकीय परिकलन के अलावा वहां राजनीतिक अनुबंधन है। हमें किसी को दंडित नहीं करना चाहिए। यह एक बात है।

दूसरा एक समान नीति, एक समान उपाय और एक समान तरीके होने चाहिए जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके और सभी राज्यों द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या को रोका जा सके। केन्द्र सरकार को इस सम्बन्ध में पहल करनी चाहिए। एक साथ इसका अनुपालन प्रभावी रूप से कर रहा है और दूसरा इस पर कोई नियंत्रण रखने की सोच भी नहीं रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उपाय है जिन्हें आज अपनाने जा रहे हैं उस राज्य पर आप किस प्रकार से नियंत्रण रखने जा रहे है जो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। जब एक राज्य पंचायती राज के पास कराने में असमर्थ है आप उस धन में कटौती कर रहे हैं। जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। आज ऐसा आप क्यों सोचते हैं? आप ऐसा कानून बना सकते हैं कि सदस्य बनने के लिए यदि उम्मीदवार के दो से अधिक बच्चे है तो उसे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार वहां कानून प्रतिबंध होना चाहिए। कठोर कानून होना चाहिए ताकि जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। अन्यथा यथा पूर्व स्थिति 2026 तक जारी रहेगी।

महोदय, मैं कुछ विशेष प्रयासों को बताना चाहूंगा जिसे हमने अपने राज्य में लिया हुआ है। यदि इस संशोधन को 2026 में पारित नहीं किया जाता है तो तमिलनाडू 39 सीटों में से 11 सीटों को खो देगा। क्या यही मूल्य हमें अदा करना पड़ेगा? क्या यही इनाम आप ऐसे राज्य को देने जा रहे हैं? महोदय तमिलनाडू में मान लो एक दम्पत्ति ने दो बच्चे लड़कियां है जन्म की तिथि पर बच्चे के नाम पर, यदि वह लड़ी है 20,000 रुपये की राशि जमा की जाती है यदि उसके दोनों बच्चे लड़कियां है तो प्रत्येक बच्चे को 15,000 रुपये की राशि जमा राशि के रूप में दी जाएगी। जब बच्चा वयस्क होगा तो वे उस राशि को उसके विकास अथवा उच्चतर शिक्षा पर खर्च करते है। भारत सरकार को इस प्रकार के प्रोत्साहन का समर्थन करना चाहिए। इस प्रकार ने प्रोत्साहन अन्य राज्यों में भी लागू किये जाने चाहिए। जब तक कानून कठोर नहीं है यथापूर्व स्थिति जारी रहेगी।

हमारी आशंका है कि इस संशोधन को 2026 में पुन: पुर:स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्पष्ट और समान जनसंख्या नीति लाए और जिसे जनसंख्या नियंत्रण नीति के सम्बन्ध में कार्यसूची को निर्भीकता और प्रभावी ढंग से चलाया जा सके। हमारा मुद्दा है कि परिवार नियोजन के कार्यान्वयन की प्रगति पूरे राष्ट्र में एक जैसी होनी चाहिए चाहे कोई भी राज्य अथवा धर्म हों। इसलिए सरकार को सभी राज्यों के लिए एक समान नीति लानी चाहिए। महोदय मैं समाप्त करता हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव (सिल्चर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं अपने मित्र श्री सेल्वागनपति के सुझाव का पुरजोर विरोध करता हूं कि दो बच्चे वाले व्यक्तियों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। महोदय मेरी चार लड़कियां है यह भविष्य प्रभावी होना चाहिए न कि पूर्वप्रभावी। अध्यक्ष महोदय, हमारे युवा और आकर्षक मंत्री और मेरे मित्र ने अपने आरंभिक, भाषण में कहा था कि देश की जनसंख्या 2026 में स्थिर होने जा रही है। मैंने हिसाब लगाना शुरू किया कि उस समय मेरी उमर क्या होगी। मैं लगभग 96 वर्ष का होऊंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मेरे राजनीतिक विरोधी कह रहे है कि मैं बुढ़ा हो गया हूं क्योंकि मैं अब 67 वर्ष का हूं अत: मैं 2026 तक नहीं होऊंगा और कुछ समय के बाद मेरा दल मुझे टिकट भी नहीं देगा। लेकिन मंत्री जी वहां होगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे उस समय मुझे एक पोस्टकार्ट भेजे जिसमें लिखकर मुझे बताए कि देश की जनसंख्या क्या है।

श्री सेल्वागनपति ने जो कहा है वह सच है। अनुच्छेद यहां कहता है कि वर्ष 2026 के पश्चात् निर्वाचन क्षेत्र 49 से घटकर 39 पर रह जाएंगे। तमिलनाडू में यह वर्तमान 39 से घटकर 31

हो जाएंगे। कर्नाटक में यह 28 से घटकर 27 हो जाएंगे। केरल से आप मेरे मित्र का नाराज होना उचित है क्योंकि यह 20 से घटकर 16 रह जाएंगे। यही इस विधेयक के प्रोत्साहन है। अत: इसे अत्यन्त सावधानीपूर्वक बनाया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आपके केबिनेट मंत्रियों ने औसतन बच्चे कितने है। लेकिन मैं अवश्य कहूंगा कि केबिनेट सचिव ने अच्छा काम नहीं किया है। इसका कारण यह है कि हमें सिर्फ इस स्थिति को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर आप निर्वाचन क्षेत्र को पुनर्गठन और पुन: अनुकूलन के पिटारे को खोलते हैं तो देश भर में गंभीर समस्या हो जाएगी। आपने पुनर्गठित उत्तरांचल और झारखंड राज्यों के संबंध में अनुच्छेदों को पढ़ा ही होगा। स्थिति वहां तक भी पहुंच सकती है जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा है।

कुछ राज्य झारखण्ड तथा अन्य विद्यमान राज्यों को व्याप्त कर रहे हैं। बिहार और उ.प्र. में भी ऐसी स्थिति हो सकती है। इस प्रकार यह एक बड़ी समस्या है।

मेरे पास आठ सम्पादकीय हैं। मैंने केवल अपनी रूचि के लिए ही इन्हें इकट्ठा किया है। लगभग सभी इसका समर्थन करते हैं। परन्तु उन्होंने कहा कि यह एक त्रुटिहीन पद्धति नहीं है। परन्तु एक महिला पत्रकार-मुझे विश्वास है कि आप उसे जानते हैं- ने लिखा है कि आपको महिलाओं के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। अगर आप लैंगिक आधार पर कुछ करते हैं तो इससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री ने एक बैठक में महिलाओं के समक्ष कहा था कि आप अपनी मांगे कम करो तभी हम आपकी मांगों के संबंध में कुछ कर सकेंगे। उसी प्रकार उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि यह एक अवसर है। उस परिसीमन के बाद, जिस निर्वाचन क्षेत्र में अधिक महिलाएं है उन्हें उनके पास जाना चाहिए, चाहे वे अ.जा. या अ.ज.जा. या अन्य किसी के लिए आरक्षित हों। अन्य निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में अन्य तरीका होना चाहिए।

इसके अलावा एक अन्य सम्पादकीय ने सरकार की बहुत बुरी तरह से आलोचना की है और कहा है कि यह सरकार देश में केवल उलझन ही पैदा कर रही है। वे किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। यह कोई कांग्रेस पेपर नहीं है। यह एक ऐसा पेपर भी है जिसने पहले आपका समर्थन किया था। संभवत: इंडिया टूडे के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया था और वे ऐसा कह रही है। अब प्रश्न यह है कि आज नहीं तो कल आपको परिसीमन करना ही होगा। आप इसे काफी दिनों तक नजर अंदाज नहीं कर सकते।

जब हम सत्ता में थे तब हमने भी इसे नजरअंदाज किया था। आप भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इसीलिए हम इस कार्य के लिए आपका समर्थन कर रहे हैं। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। परन्तु मैं सोचता हूं कि किसी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए और मूलत: कुछ किया जाना चाहिए।

हम जनसंख्या की वृद्धि को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। हम यह भी नहीं कह सकते कि जिन लोगों ने जनसंख्या को नियंत्रित किया है उन्हें हतोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं यह नहीं किया जाना चाहिए। मैं अपने दल का विचार नहीं जानता परन्तु मैं सोचता हूं कि मेरे विचार से आपको कुछ मितव्ययिता का मानदण्ड अपनाना चाहिए। जो योजना आयोग से धन ले रहे हैं, जो अच्छी तरह से उपयोग करते है और जिनकी उपलब्धियां अधिक अच्छी हैं वे अन्यों की तुलना में अधिक प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। मैं ऐसे ही दल से आया हूं। कभी-कभी मैं अपने साथियों की बातों से असहमत होता हूं। वे कहते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों को नजरअंदाज किया जाता है। परन्तु क्या हम उस धान का सही उपयोग करते हैं जो हमने लिया था। अगर कोई यह पाता है या यदि आप यह पाते हैं कि उपयोगिता काफी खराब है जिसके लिए कभी-कभी हम आपके सामने उठकर बैठने में शर्माते हैं। परन्तु अरूणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्य हैं जिसकी सरकारी निधि की उपयोगिता दक्षिण और अन्य स्थानों के कई राज्यों से बहुत अच्छी है।

इसलिए उन्हें प्रोत्साहन क्यों नहीं मिलना चाहिए?

आज, असम में हम इसलिए कष्ट में हैं क्योंकि वहां कोई पंचायती चुनाव नहीं हुआ है। जब हम माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री एम. वैंकय्या नायडू के पास जाते हैं तो हम निधियों को प्राप्त करने में असफल रहते हैं क्योंकि पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। उन्होंने हमसे बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं इसलिए निधियां जारी नहीं की जाएंगी। यह भी परिसीमन कार्य के साथ जुड़ा है। जो सरकार पहले थी वह चुनावों का सामना नहीं करना चाहती थी क्योंकि परिसीमन इस प्रकार किया गया था कि वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। हमारी जनसंख्या पद्धति ऐसी है कि हमारे यहां हिन्दु, मुसलमान, असामी और जनजातीय लोग भी हैं। इस पद्धति से भी ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें यह कार्य आसानी से नहीं किया जा सकता है।

अपने दल की तरफ से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हम अपना पूरा समर्थन करेंगे। हम सांय 7.30 बजे तक बैठेंगे। परन्तु इसे यह मत समझिए कि यह आपके सभी विधेयकों का समर्थन करने की शुरूआत है। ऐसी बात नहीं है।

आपको अपने भाषण में हमें कुछ आश्वासन देना होगा। मुझे विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे क्योंकि मैं आपको जानता हूं।

[श्री सन्तोष मोहन देव]

आपके दिमाग में जरूर कोई बात होगी। मैं अपने विचार बता रहा हूं और आप भी कृपया हमें एक बार अपने विचारों के बारे में बताएं तथा सरकार के विचारों के बारे में भी बताएं कि इस समस्या का किस तरह समाधान किया जा सकता है।

सायं 6.17 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए।*]

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि कुछ सकारात्मक किया जाना चाहिए जिसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित की जा सके और परिसीमन का उद्देश्य भी पूरा हो सके।

[हिन्दी]

श्री धावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं 91वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए जो आशा और विश्वास प्रकट किया है, उसमें हम सफल हो पाएंगे। मैं भी सोचता हूं कि इस संशोधन में डिलिमिटेशन के संबंध में जो प्रावधान हैं, उस पर कार्रवाई करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

महोदय, समायोजन प्रत्येक जनगणना के बाद करना चाहिए जिससे हम उसकी ओर अग्रसर हो सकें। इस संविधान संशोधन में मुख्य रूप से संविधान का अनुच्छेद 55, जो राष्ट्रपति जी के निर्वाचन के संबंध में हैं, संशोधन किया जा रहा है। अनुच्छेद 81 (1) जो लोक सभा की संरचना से संबंधित है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन के संबंध में है। 170 (1) विधान सभा की संरचना के संबंध में है जिसमें संशोधन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 330 और 332 लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के संबंध में है। चुनावी प्रक्रिया में वोटरों की संख्या में काफी अन्तर है - चाहे राष्ट्रपति के चुनाव को ले लिया जाए। जिस राज्य से कोई सांसद आता है, उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर एक मापदंड तैयार किया जाता है। वह आज भी अनबैलेंस्ड है जिसमें सुधार करने की जरूरत है। कुल मिला कर 2000 तक की जनगणना को आधार मानना चाहिए था लेकिन उसे माना नहीं जा सकता। इस कारण इसे 2026 तक किया है। 2001 की जनगणना को माना जाता तो दो हजार तक की जो बात लिखी है, वह स्वत: व्यक्त हो जाती। ऐसी स्थिति में यह संशोधन लाना जरूरी था। इसके आधार पर 2026 तक का मापंदड बनेगा।

बिल के उद्देश्यों में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की जो आरक्षित सीटें हैं, उनको फिर नियत किया जा सकेगा लेकिन उसे नियत करने का क्या तरीका है? मैं यह जानना चाहूंगा कि संख्या में वृद्धि होगी या नहीं क्योंकि लोक सभा की सदस्य संख्या निर्धारित है। राज्यों और संघ राज्यों की 530 + 20 मिलाकर 550 बनती है। इसमें वृद्धि की कहां आवश्यकता है? संविधान में प्रावधान 550 सदस्यों के लिये है और राज्यों की विधानसभाओं के लिये अनुच्छेद 170 एक में कहा गया है:

> "कि राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुये प्रत्येक राज्य की विधानसभा राज्य की प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुये 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों को मिलाकर बनेगी।"

अब इसका सीधे-सीधे अर्थ यह निकलता है कि विधानसभा में 500 तक सदस्य हो सकते हैं। अभी तक केवल उत्तर प्रदेश विधानसभा ही ऐसी है जहां 403 सदस्य हैं, बाकी किसी राज्य में नहीं है। उनमें संख्या बढ़ाये जाने की बहुत गुंजाइश है और संविधान के मुताबिक बढ़ायी भी जा सकती है। इस विधेयक में जो संशोधन किया जा रहा है, उसे पढ़कर सुनाना चाहूंगा। संविधान के अनुच्छेद 170 का तीसरा परन्तुक है:

> "यह और भी कि जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई जनगणना के सुसंगत आंकड़ें प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक प्रत्येक राज्य की विधानसभा के स्थान कुल संख्या का और इस खंड के अधीन ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुन: समायोजन आवश्यक नहीं होगा।"

अब यह स्पष्ट नहीं करता है कि संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है। इसके तारतम्य में अनुच्छेद 82 के परन्तुक को पढ़कर सुनाता हूं:

> "परन्तु यह और भी कि जब तक सन् 2000 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक राज्यों के लोक सभा में स्थानों के आवंटन होंगे।"

सभापति जी, मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहूंगा कि जब विधानसभा के लिये स्थान हैं, उनके लिये आवंटन शब्द नहीं है तो क्या उसके आधार पर संख्या बढ़ाई जा सकती है या नहीं क्योंकि संविधान में यह प्रावधान है कि वहां 500 तक संख्या रखी जा सकती है। मैंने पहले ही कहा कि लोक सभा में जो निर्धारित संख्या है, वहां तक पूर्ति हो गई है। इसमें अभी कुछ बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। जब विधानसभाओं में बढ़ाने की गुंजाइश है तो क्या वहां बढ़ाई जा सकती है या नहीं?

सभापति महोदय, देश में जनसंख्या में काफी वृद्धि हो रही है। इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जनसंख्या वृद्धि करके देश की सर्वोच्च सत्ता पर बैठना चाहता है क्योंकि हमारे यहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। वे जानते हैं कि वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और वह प्रतिनिधि लोकसभा या राज्य विधानसभा में जायेगा और उसके माध्यम से वे सत्ता पर कब्जा कर लेंगे। यह कहा गया कि इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर पर रोक लगेगी। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिये कड़े कानून बनाये जाने की आवश्यकता है, भले ही दो से अधिक बच्चे वालों को संसद या प्रतिनिधि के रूप में चुना जाये तो चलेगा। अगर इस तरह का कानून नहीं बनायेंगे तो कुछ लोग इस प्रोडक्शन में लगे हुये हैं और खूब तेज गति से उत्पादन कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि आने वाले 2026 के बाद, आपकी संख्या बढ़े या न बढ़े, वे अपने प्रतिनिधि चुनकर इस प्रशासन पर कब्जा कर लेंगे। माननीय मंत्री जी अच्छे कानूनविद हैं। इस खतरे से निपटने के लिये वह कोई ऐसी योजना बनायें।

आपका राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा अध्ययन है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस दिशा में कड़े कानून बनाये जाने चाहिए, नहीं तो जिस उद्देश्य से इसमें 2026 तक का प्रावधान कर रहे हैं कि कोई संख्या नहीं बढ़ेगी और जनगणना के आधार पर अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो समायोजन हो जायेगा।

सभापति महोदय, इसमें मेरा एक और निवेदन है कि लगभग 20-25 वर्षों से लोक सभा और विधान सभाओं के जो क्षेत्र बने हुए हैं, उनका परिसीमन नहीं हुआ है। वह परिसीमन भी अति आवश्यक है। कई क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से बहुत ज्यादा लम्बे-चौड़े बन गये हैं। 500 किलीमोटर की लम्बाई और 400 किलोमीटर की चौड़ाई के भी क्षेत्र हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मुश्किल से पांच-सात किलोमीटर की रेडियस में है। एक संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां 35 हजार मतदाता हैं और एक क्षेत्र ऐसा है जहां 35 लाख मतदाता हैं। श्री पी.एम. सईद साहब का निर्वाचन क्षेत्र ऐसा ही है, जहां 35 हजार मतदाता हैं। हालांकि भौगोलिक दृष्टि से इसमें ज्यादा बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकती ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जैसे चांदनी चौक और बाहरी दिल्ली का उदाहरण दिया। मुम्बई में एक ऐसा संसदीय क्षेत्र हैं जिसमें 12-13 लाख मतदाता हैं और एक संसदीय क्षेत्र ऐसा है जिसमें 32 लाख मतदाता हैं। इस तरह से इनमें बहुत बड़ा आनुपातिक अंतर है, इस अंतर को ठीक करने की आवश्यकता है। अंत में मैं विधेयक का समर्थन करते हुए आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस दिशा में प्रयास करें, कार्रवाई करें और यदि कानून में संशोधन करना पड़े तो वह भी करें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, सदन में 91वें संविधान संशोधन पर विचार चल रहा है। उसमें हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोग बिना सोचे-समझे कुतर्क दे रहे हैं। लोग समझते हैं कि लोगों ने योजना बनाई और सभा की कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ा दो और कब्जा कर लो। संख्या बढ़ा दो, क्या ऐसा विचार हुआ है। ऐसा लोग कह रहे हैं। इस देश में छोटे राज्य भी हैं। एक राज्य ऐसा है जिसमें एक एम.पी. है और एक राज्य इतना बड़ा है कि उसमें 85 एम.पीज. हैं और कहीं पर दस एम.पीज. का राज्य भी है। अब छोटा वाला राज्य कहेगा कि 85 एम.पीज. वाला कैसे बन गया। राज्यों का जिस ढंग से बंटवारा हुआ है, वे उसी ढंग से बन गये।

सभापति महोदय, अब यह संविधान संशोधन विधेयक ला रहे हैं। 1971 की जनगणना का जिक्र करते हुए 1976 में संशोधन आया, अब 2001 में संविधान संशोधन विधेयक आया है, उसमें 1991 को ही आधार रखेंगे। कोई पढ़ने वाला आदमी भविष्य में 25 वर्षों तक पढ़ेगा और कहेगा कि वर्ष 2001 में संविधान संशोधन हुआ, लेकिन उसमें जनगणना का आधार 1991 माना गया। 1971 से बीस बढ़ाकर 1991 कर दिया गया और खतरे लिख रहे हैं। जनगणना का सवाल उठायेंगे। लोगों ने क्या समझकर कानून बनाया, बात समझ में नहीं आती है कि क्या तर्क चल रहे हैं। रोना रोया जा रहा है, हमारे बिहार में किसी पार्लियामैन्ट्री कांस्टीटुएंसी में छः असैम्बली सीट्स हैं, उत्तर प्रदेश में पांच असैम्बली सीट्स हैं, कहीं सात असैम्बली सीट्स हैं, कहीं नौ असैम्बली सीट्स हैं और कहीं 12 असैम्बली सीट्स हैं। इस तरह से हर जगह देखते हैं कि एक एम.एल.ए. कहीं दो लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और हम लोग 10-12 लाख वोटर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह विषमता कैसे दूर होगी। विभिन्न क्षेत्रों में कहीं कोई सात लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, कोई तीस लाख का प्रतिनिधित्व करता है, इसका भी रैशनलाइज होना चाहिए और फिर संख्या जहां की तहां होनी चाहिए। इसे 2026 तक सीटें फ्रीज रखी जायेंगी, लोक सभा की सीटों की संख्या वही रहेगी।

सभापति महोदय, अभी उत्तराखंड में विधान सभा की तीस सीटें हैं, उसमें 70 सीटों का कानून बन गया तो संविधान और कानून एक तरह का रहेगा कि उन दोनों में कंट्राडिक्शन है। इसका आपने कौन सा इलाज दिखाया है, कौन सा कानून बनाया है, यह भी स्पष्ट करिये। जो राज्य बना उसमें तो राज्य का विभाजन नहीं था, वह कानून बन गया...*(व्यवधान)* उस समय जो जनसंख्या एम.एल.एज. की भी सीटों की संख्या उसने नहीं बढ़ाई जायेगी। मतलब यह कि उत्तर प्रदेश के दो भाग हुए जिसमें 22 सीटें असेम्बली की गई उत्तरांचल में और हरिद्वार को मिलाकर 30 होगी लेकिन अभी पास हुए पुनर्गठन विधेयक में 70 सीटों का प्रावधान किया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत: संविधान में प्रावधान है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमें मत बताइए। कानून मंत्री जी से पूछिये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: थावरचंद गेहलोत जी आप बैठिये।

श्री थावरचन्द गेहलोत: मैंने अभी तो पढ़कर सुनाया था कि 60 से कम नहीं होंगी इसलिए करनी पड़ी।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सीटें बढ़ाने पर आपत्ति मैं नहीं कर रहा हूं। मैं टैक्निकल सवाल उठा रहा हूं कि जब संविधान संशोधन आप कर रहे हैं तो पहले से ऐक्जिस्टिंग जो सीटें हैं उनसे ज्यादा नहीं बढ़ाई जाएंगी। तुरंत उस कानून में आपने बढ़ा दीं। संविधान उस पर भी लागू रहेगा या कानून हावी रहेगा? माननीय कानून मंत्री उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि इस पर इन्होंने विचार-विमर्श किया है या ऐसे ही कानून लेकर चले आए हैं। विधि वाले लोग तो सीधे की उल्टी और उल्टे की सीधी बात करना जानते हैं। यह संविधान संशोधन है, कोई ऐक्ट नहीं है कि जब चाहे ले आएं।...*(व्यवधान)*

श्री थावरचन्द गेहलोत: यह गलत बोलते हैं और पकड़ में आते हैं बात टाल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: केवल हमारा भाषण जमाने के लिए आप बोलते रहते हैं। इसलिए हमारी शंका स्पष्ट करें जिन तीन राज्यों का बंटवारा हुआ और उनमें जो विधान सभा की सीटों की संख्या बढ़ाई गई, यहां ये कहते हैं कि पुरानी संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होने देंगे, तो यह विरोधाभास है। जो सीटें उनमें बढ़ी हैं और जो कानून ये लाना चाहते हैं कि कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी, उनमें विरोधाभास है। उसके बाद डीलिमिटेशन में देश भर में जो आरक्षित सीटें हैं, उनकी संख्या में किसी रूल के अंतर्गत बढ़ जाएं तो कोई एतराज नहीं है। जनरली एतराज है लेकिन उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं है। फिर कुछ सीटें जो शुरू से आरक्षित हुई और आज तक आरक्षित हैं, ऐसा कौन सा कानून है देश में? यह मालूम नहीं पड़ता है कि जो रिजर्व हुई असेम्बली सीटें या पार्लियामेंट की सीटें वे अभी तक कैसे आरक्षित हैं। यह कौन से कानून के अंतर्गत है या गैर-कानूनी है, इसे कानून मंत्री स्पष्ट करें क्योंकि संविधान संशोधन करने जा रहे हैं। सब लोग जब समर्थन कर रहे हैं तो हमने सोचा कि इसमें असली पॉइंट उठा देना चाहिए। इसमें जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से विचार करें तो सोमनाथ दादा ने शंका जाहिर की थी कि उससे किसी स्टेट की सीटें बढ़ जाएंगी और घट जाएंगी, प्रतिनिधित्व बढ़ जाएगा, उससे जनसंख्या नियंत्रण का कोई मतलब नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण अलग विषय है जिसके बारे में आम आदमी को जानकारी देनी चाहिए कि उसका उपचार हो, उसका उपाय हो।

अब बात कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने वाले के लिए प्रावधान होना चाहिए कि दो या एक बच्चा रहे तभी चुनाव लड़ने की इजाजत मिले। अगर कुल मिलाकर 1000 आदमी चुनाव जीतकर आते हैं और वे बच्चें पैदा करेंगे तो देश की आबादी पर उसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। कौन लोग ऐसे तर्क दे रहे हैं कि 1000-500 लोगों के लिए ऐसा कानून लाया जाए? तर्क का कुतर्क चल रहा है, इस पर मुझे घोर आपत्ति है। कहां की बात कहां जोड़ देते हैं? तमिलनाडु के बारे में बोल रहे थे उनको मान लिया। यू.पी. की 85 सीटें थीं, उसके दो राज्य हो गए, फिर बिहार था, वह भी बंट गया, संख्या 40 से 15 हो गई। उसमें एकाध सदस्य ऐसे आते हैं जो 25000 वोटों से जीकर चले आते हैं और हमें 20 लाख लोगों में मुकाबला करना पड़ता है। कैसी इर्रेशनल बात है? इसका कैसे समाधान होगा? एक तरफ रेशनल बात हो और दूसरी तरफ इर्रेशनल? यह लाबी चलती है कि कुछ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के लोगों के दबाव में राज चल रहा है तो उनकी बात कैसे अनसुनी करेंगे, इसलिए जैसे भी हो, वैसे ही संविधान संशोधन कर दीजिए।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सदन में जो भी संविधान संशोधन विधेयक आए, वह सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। यह जो संविधान संशोधन विधेयक आया है यह किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसमें यूनीफार्म पालिसी की बात नहीं है। हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। लोकतंत्र में वोट का राज्य है और वोट की संख्या पर सरकारें बनती और बिगड़ती हैं। इसलिए किस राज्य में कितनी सीटें रहेंगी, कितनी नहीं, यह वहां की जनसंख्या पर आधारित होना चाहिए। जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह यूनीफार्म पालिसी पर आधारित नहीं है। चूंकि आपका बहुमत है इसलिए इसे आप भले ही पास करा लें, लेकिन यह एक सम्मान न्याय के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है।

सभापति महोदय, एक सिद्धान्त नहीं होने के कारण ही कहीं चार लाख की आबादी का राज्य है तो कहीं 10 और 15 करोड़ की आबादी वाला राज्य भी है।...*(व्यवधान)* आपकी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे हमारा समर्थन प्राप्त कर सके।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश प्रसाद जी, अब आप समाप्त करिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, आपकी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हम उसका समर्थन करें। यह सरकार सिद्धान्तविहीन, पक्षपातपूर्ण और साम्प्रदायिकता पर आधारित है।

आप इस देश को एकजुट करने वाला, सिद्धान्त सम्मत कोई विधेयक लाएं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। इसलिए मैं इस सरकार का समर्थन कभी नहीं कर सकता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, अब आप अपना भाषण समाप्त करिए, नहीं तो आपका भाषण रिकार्ड में नहीं जाएगा। इसलिए कृपया आप बैठिए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: हमें मालूम है भाजपा सरकार में दलितों की क्या स्थिति है। बंधुआ मजदूर की तरह जी रहे हैं। कड़िया मुंडा आदिवासी हैं, उनकी क्या स्थिति है, आप सबको मालूम है। बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में सब दलित सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं। जैसा दलितों का सम्मान बिहार में है वैसा देश के किसी भी भाग में नहीं है।

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, कृपया अब आप बैठिए। मैं अगले माननीय सदस्य को बोलने के लिए कह रहा हूं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर समाप्त कह रहा हूं। बिहार में हमारे एक श्री रामसूरत डोम हैं। उनके साथ लालू प्रसाद यादव ने एक ही बैंच पर बैठकर चाय पी। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बिहार में दलितों का कितना सम्मान है। ऐसी मिसाल हिन्दुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। जैसा दलितों और आदिवासियों का बिहार में सम्मान है, वैसा कहीं नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रघुवंश बाबू, अब आपका रिकार्ड में नहीं जा रहा है। श्री प्रभुनाथ सिंह।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस संविधान संशोधन विधयेक का विरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, मैं संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 का समर्थन कुछ हलके-फुलके सुझाव के साथ कर रहा हूं।

सभापति जी, जिस समय माननीय मंत्री जी इस संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत कर रहे थे तब बता रहे थे कि यह, 1971 की जनगणना के आधार पर है और खासकर के जो रिजर्व सीट हैं उनमें कुछ बढ़ोत्तरी के बात कही गई है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस बिल से क्या लाभ होगा, वह बताएं क्योंकि आप 1971 की जनगणना को आधार मान रहे हैं और 1991 के अनुसार आप उसको जोड़ रहे हैं। जो प्रतिनिधि यहां आते हैं, चाहे वे किसी भी राज्य से आते हैं, वे जनसंख्या के आधार पर ही आते हैं और जब जनसंख्या की बढ़ोत्तरी होती है तब सीटों को आप नहीं बढ़ाएंगे, तो इससे क्या फायदा होगा। इसलिए आप इस विधेयक को लाकर केवल कागजी फार्मेलिटी पूरी करने का काम कर रहे हैं। जब तक डी-लिमिटेशन नहीं कराएंगे, तब तक कुछ भला होने वाला नहीं है।

आप ही बता रहे थे कि दिल्ली में कोई कान्सटीटुयंसी 23 लाख की है, कोई दो-तीन लाख की है। आपके पास सही वोटर्स की संख्या नहीं है, तब इतनी है। हम आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश से काफी लोग मजदूरी करने के लिए दिल्ली में आते हैं और जहां तक हमको अंदाज है, पन्द्रह लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं लेकिन वोटर लिस्ट में उनके नाम पांच लाख से ज्यादा नहीं होंगे। आप पांच लाख को मानते हैं तब कहते हैं कि 23 लाख है। अगर सब जोड़ लेंगे तो अंदाज कीजिए कि कितने नाम वोटर्स लिस्ट में होंगे। इसलिए जब तक डीलिमिटेशन नहीं करवाएंगे, प्रतिनिधियों को बराबर का बोझ नहीं देंगे और बराबरी की जनसंख्या नहीं होगी, तब तक इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है।

जनसंख्या नियंत्रण के विषय में चर्चा चली है। मंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधान मंत्री थीं, उन्होंने देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए काफी प्रयास किए थे। आज कोई भी व्यक्ति, चाहे उनके पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उनकी प्रशासनिक क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से कानून द्वारा जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास किया, चुनाव में इस कारण उनकी हार हुई थी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब स्वाहा हो गया था। इसलिए कभी भी कानून के माध्यम से जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। हम यह नहीं समझ पाते कि आप किस आधार पर कह देते हैं कि सन् 2026 तक सब ठीक हो जाएगा। कहां से ठीक हो जाएगा, आपके पास क्या आधार है? इसलिए कुछ मत कहिए। जब तक आप लोगों में विश्वास अर्जित नहीं करेंगे, तब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो सकता। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं किसी देश में एक समुदाय ऐसा है जो धार्मिक दृष्टिकोण से कहता है कि हम जनसंख्या नियंत्रण में विश्वास नहीं करते और गांवों में कुछ दूसरे समुदाय के लोग भी हैं, जो यह कहते हैं कि आठवां पुत्र कृष्ण पैदा हुआ था। कहीं हमारी भी आठवां कृष्ण पैदा हो जाए तब क्या होगा। यह ठीक है कि गांवों में अशिक्षा भी इसका कारण है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन लोगों में विश्वास पैदा करना होगा। आप कहते हैं कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे, उसको राजनीति से अलग कर दिया जाएगा। इससे आप कितनी जनसंख्या पर रोक लगा

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

लेंगे? इससे रोक लगने वाली नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं हर वर्ग को विश्वास में लेना होगा। आप राजनीतिज्ञों की बात कह रहे हैं तो यह एकदम कर दीजिए लेकिन अगर यह कर देंगे तो रघुवंश बाबू को दिक्कत हो जाएगी, श्री लालू यादव गोल हो जाएंगे। इसलिए इसे कर दीजिए लेकिन उसी आधार पर सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू कीजिए कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे, उनकी कम्पलसरी रिटायर कर दिया जाएगा। जब आप राजनीतिज्ञों के लिए कानून बनाएंगे कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, उसी आधार पर सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कीजिए। किसानों के बारे में भी कुछ सोचें। उनको रिटायर नहीं करवा सकते लेकिन उनके लिए ऐसा कर सकते हैं कि जिसके दो से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, उसको खेती के साधन, जैसे बीज आदि सबसिडी के आधार पर देंगे। हो सकता है कि उसका भी आपको लाभ मिल सके। मजदूरों के लिए भी कुछ कीजिए। जब तक आप लोगों को विश्वास में लेकर इसे लागू नहीं करेंगे तब तक कानून बनाते रहें, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, उस पर कानून बनाते हुए बहुत लोग आए और गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए इसे कानूनी रूप में लीजिए, देश की जनता का विश्वास अर्जित करके प्रयास कीजिए ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके - यही सुझाव हम देना चाहते हैं।

साथ ही आप रिजर्व सीट बढ़ाने के बारे में कहते हैं। अन्याय मत कीजिए। यदि बढ़ाना है तो सबका बढ़ाइए क्योंकि राज्यों के प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जो आबादी होती है, उसी के आधार पर प्रतिनिधि आते हैं और आबादी के आधार पर कहीं सात और नौ बढ़ा देंगे तो कहीं न कहीं किसी के हक पर कुठाराघात करेंगे। इसलिए आबादी के अनुरूप बढ़ाइए लेकिन अगर इस तरह करेंगे कि किसी का बढ़ा देंगे, किसी का छोड़ देंगे तो देश में इसका बहुत गलत संदेश जाएगा। हम सोचते हैं कि आप ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे देश में गलत संदेश जा सके। हम निवेदन करेंगे, कोई लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं देंगे, कि जब इसे बढ़ाएं तो पूरी जनसंख्या को आधार मान कर, राज्यों से जो प्रतिनिधि आते हैं, उसके आधार पर बढ़ाइए। अगर जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं तो देश की जनता को विश्वास में लेकर, कोई नया तरीका निकाल कर प्रयास कीजिए। इसमें कानूनी प्रावधान से कोई लाभ नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): सभापति जी, यह बहुत अहम बिल है और 2026 तक सरकार अगर लोक सभा और असेम्बलीज की सीट्स फ्रीज करना चाहती है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा एतराज की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बिल के अन्दर मंत्री जी ने पोपुलेसन के हिसाब से कांस्टीट्वेंसीज को बदलने की बात की है, उसमें मुझे थोड़ा सा शुबहा पैदा होता है कि जिन लोगों के हाथों में आज सरकार है, वे कितनी ईमानदारी के साथ इस काम को करेंगे। आज पूरे देश के अन्दर कास्टिज्म, जाति-पाति आसमान की बुलन्दियों को छू रही है। सियासत के अन्दर यह गंदगी बहुत गहराई तक चली गई है। इसमें मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं, किसी एक पार्टी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। आज हिन्दुस्तान का पोलिटिकल सिस्टम इस तरीके का हो गया है कि यह देखकर टिकट देनी पड़ती है कि किस कांस्टीट्वेंसी में कौन सी कास्ट के लोग ज्यादा हैं और इस बुराई की वजह से नौबत यहां तक आ पहुंची है कि ऐसे लोग, जिन लोगों से सोसायटी नफरत करती है, वे अपनी कास्ट के अन्दर बड़े हीरों बन जाते हैं। मैं बहुत खुलकर नहीं कहना चाहता हूं, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह पूरे देश की यूनिटी और इज्जत का सवाल है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस हाउस को ईमानदारी के साथ यह भी यकीन दिलाया जाये कि कांस्टीट्वेंसीज को जिस तरीके से काटा जायेगा और जोड़ा जायेगा, उसके अन्दर यह बात नहीं देखी जायेगी कि किस जाति को इस कांस्टीट्वेंसी से काटकर अलग कर दिया जाये ताकि इस कांस्टीट्वेंसी में फलां कास्ट की आबादी ज्यादा बढ़ जाये। इसलिए उस कास्ट का एम.पी. जीतकर चला जाये, क्योंकि आज जिन लोगों के हाथों में सरकार है, डेढ़ साल के अन्दर उनके तरीका-ए-कार से इस बात का शको-शुबहा हमारे दिलों में पैदा होता है। चुनाव के अन्दर ज्यादातर एम.पीज. का यह तजुर्बा रहा है कि जब वोट डालने जाते हैं, मेरा अपना तजुर्बा है, तो पोलिंग स्टेशन पर वोटर लिस्ट में, मंत्री जी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अलवी जी, आपकी पार्टी का निर्धारित समय केवल पांच मिनट ही है, इसलिए कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री राशिद अलवी: अभी तो मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और कह रहे हैं कि पांच मिनट के लिए बोलिये।

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): फैमिली प्लानिंग पर बोलिये।

श्री राशिद अलवी: इन्हें यही पता नहीं है कि फैमिली प्लानिंग का बिल है या किसका बिल है। आप अगर मुझे मना करे देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय: मैंने कहा है कि संक्षप में बोलिये।

श्री राशिद अलवी: अभी तो मैंने शुरू किया है, मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देना चाहता, मैं टू दि पाइंट बात करना चाहता हूं। मुझे कोई भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे भाषण का असर कितना होगा, कितना नहीं होगा। इसलिए 10 मिनट में मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जो सच्चाई है, वह पता चलनी चाहिए।

मेरी अपनी लोक सभा कांस्टीट्वेंसी के अन्दर जब मैं चुनाव लड़ा तो जो लिस्ट थी, उसके अन्दर मुसलमानों की जो लिस्ट थी, वह फाड़कर फेंक दी गई।...*(व्यवधान)* आप सुन लीजिए। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यों कृपया व्यवधान न डालें। उन्हें बोलने दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगढ़): महोदय यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: गोयल साहब, हम आपको भी बोलने नहीं देंगे, इतना हम भी जानते हैं। वोटर लिस्ट को फाड़कर फेंक दिया गया। जो लोग वोट डालने गये, उन्हें पता चला कि उनका वोट ही नहीं है। यह एक जेहनियत का नाम है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस सरकार को यकीन दिलाना चाहिए कि जब कांस्टीट्वंसी को छोटा और बड़ा किया जायेगा तो उसके अन्दर यह नहीं देखा जायेगा कि किस कास्ट की पोपुलेशन किस कांस्टीट्वेंसी में कितनी-कितनी है।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वोटिंग को कम्पलसरी कर देना चाहिए। बहुत सी कांस्टीट्वेंसीज के अन्दर जो दलित वोट हैं, उन्हें जबरदस्ती वोट डालने नहीं दिया जाता। इसलिए इसके अन्दर यह भी एमेंडमेंट होना चाहिए कि इस देश में हर आदमी को वोट देना जरूरी होगा।

उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके की हरकत करें और वोट डालने के लिए पाबंदी डालें।...*(व्यवधान)* इस कारण इनमें से, भारतीय जनता पार्टी के आधे लोग भी जीतकर नहीं आएंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इनको डिस्टर्ब न करें। इनका समय बहुत कम है।

श्री राशिद अलवी: भूलचूक कर आप जीत गए, राम के नाम पर। अब की चुनाव में देखना क्या होता है।

श्री थावरचन्द गेहलोत: आप बाबर के नाम से लड़े थे।

श्री राशिद अलवी: आपको तो बाबर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। सोते में भी उसकी तस्वीर देखकर डर जाते हैं। बाबर का एक हौवा है आपके ऊपर। इतिहास के नाम से न डरें। आप न इतिहास को जानते हैं और न किसी चीज को समझते हैं। राम के नाम से एम.पी. बन गए।

सभापति महोदय: आप सीधे चेयर को एड्रैस करें।

श्री राशिद अलवी: फिर इनको खामोश कीजिए, क्योंकि इनकी बात का जवाब देना पड़ता है। अगर वोटिंग जरूरी कर दी जाए तो इसके जो नतीजे निकलेंगे, उससे पता चल जाएगा। यहां जो लोग हल्ला करते हैं, अच्छे लोग चुनकर आएंगे। जो आवाज को दबाना चाहते हैं, बोलने नहीं देना चाहते, उनका किस्सा खत्म हो जाएगा।

सभापति जी, मैं यह भी कहूंगा कि चुनाव सुधार के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। इस बिल के साथ वह मामला बहुत दिनों से पेंडिंग है। चुनाव सुधार किस तरह से होने चाहिए, वोटिंग सिस्टम किस तरह का होना चाहिए और चुनाव आयोग किस तरीके से होना चाहिए, इन पर तवज्जोह देनी चाहिए और सदन में एक कम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए।

श्री छत्रपाल सिंह (बुलंदशहर): सभापति जी, जेटली जी ने संशोधन बिल सदन में रखा है। सही मायनों में इस बिल के अनुसार देश की आबादी ने बढ़े, कुछ राज्यों के जो एतराज थे, उनको ध्यान में रखते हुए ही 2026 तक लोक सभा की सीटें फ्रीज रखी जाएंगी। यह बात सही है कि आबादी की समस्या पर किसी न किसी तरीके से नियंत्रण रखा जाए। इस बिल में एक विरोधाभास भी है। इसमें एक विशेष बिरादरी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए सीटें बढ़ाने के लिए प्रावधान रखा है, जो कि 1991 की जनगणना के अनुसार होगा। एक तरफ आप आबादी को रोकना चाहते हैं, सीटें न बढ़ें, सब लोगों को देश को और प्रांतों को यह संदेश दिया जा रहा है कि अगर किसी प्रांत में आबादी बढ़ेगी तो भी वहां सीटें नहीं बढ़ेंगी, परंतु दूसरी ओर एक वर्ग विशेष को यह कहा जा रहा है कि तुम अपनी आबादी बढ़ाते चले जाओ, सीटें बढ़ती चली जाएंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि यह अपने आप में एक विरोधाभास है। किसी भी वर्ग की आबादी ने बढ़े, तभी इस देश की आबादी रूकेगी। अगर एक भी वर्ग आबादी बढ़ाने में इंटरेस्ट लेगा तो देश की आबादी को रोकना मुश्किल होगी। इसलिए मंत्री जी यह सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। जिस तरह सभी प्रांतों के लिए आपने लागू किया है उसी तरह सभी वर्गों के लिए लागू होना चाहिए।

श्री राशिद अलवी: किस वर्ग की आबादी बढ़ रही है?

श्री छत्रपाल सिंह: आप संशोधन को पढ़ लें। इस बिल में यह भी प्रावधान है कि जनरल सीटें नहीं बढ़ाएंगे, रिजर्व सीटें बढ़ाई जाएंगी। इस तरह तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो जनरल सीटें

[श्री छत्रपाल सिंह]

कम होती जाएंगी, घटती जाएंगी। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि अगर इस क्लाज को बिल से डिलीट कर दें तो जो संदेश आप देश को देना चाहते हैं आबादी रोकने का, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी।

जहां तक पोपुलेशन की समस्या का सवाल है, पोपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत से साधन सरकार अपना रही है। कानून बनाकर इंदिरा गांधी जी चली गई लेकिन कानून से पोपुलेशन को नहीं रोका जा सकता परंतु जैसा प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा कि कहीं न कहीं ऐसी क्लाज रखी जानी चाहिए कहीं बंदिश जरूर होनी चाहिए कि जिन परिवारों ने ज्यादा आबादी बढ़ाई है, उनके राशन-कार्ड में कर्टेलमेंट करिए, कहीं उनकी छात्रवृत्ति रोकिए, उनके लाइसेंसों को रोकिए। इस तरह के कहीं न कहीं कदम बढ़ाना शुरू करें। कुछ कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से जो लोग आबादी बढ़ा रहे हैं, उनको हैरेसमेंट होगा और इस देश की आबादी को रोकने का एक कदम शुरू हो जाएगा। मैं कोई ज्यादा लम्बा भाषण नहीं करना चाहता। मैं इसमें एक बात विशेष तौर पर और जोड़ना चाहता हूं कि किसी भी वर्ग को या किसी भी प्रांत को या किसी सर्विस क्लास को कहीं भी जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन न मिले, ऐसी इसमें व्यवस्था हो। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि संविधान में आपने सभी ओबीसी को हर मायने में रिजर्वेशन देना मान लिया तो लोक सभा और विधान सभाओं में भी ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): सभापति महोदय, हमारा दल इस विधेयक का समर्थन करता है, इसी वजह से मैं भी इस विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु इस विधेयक को संशोधन हेतु लाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें किसी परिवर्तन, किसी परिसीमन किसी परिक्रमण और सीटों को बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इस विधेयक का क्या अर्थ है, के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। बेशक श्री अरुण जेटली, माननीय मंत्री जी अच्छे अधिवक्ता है, परन्तु वह एक बेकार मामले पर तर्क दे रहे है। इस विधेयक जिसे इस सम्मानीय सभा के सम्मुख रखा गया है में ऐसा कुछ नहीं है।

वर्ष 1952 में, संसद ने 545 निर्वाचन क्षेत्रों को बनाया था। पिछले 50 वर्षों से हमने निर्वाचन क्षेत्रों का परिक्रमण नहीं किया है यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। हमारे दल ने पहले से ही इस विधेयक के समर्थन करने का निर्णय ले लिया है परन्तु मैं अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करना चाहूंगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित थे। महोदय, 70 से 75 प्रतिशत जनसंख्या अन्य समुदायों की होती है, परन्तु वे अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वे पिछले 50 वर्षों से ही अपने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं हम परिक्रमण के लिए तैयार है, हम अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहते हैं तथा अन्य लोग हमारे निवार्चन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकते हैं। हम दल के लिए कार्य कर सकते हैं हम इनकी बात की परवाह नहीं करते हैं प्रजातियां कहां है? अनुच्छेद 14 से क्या अभिप्राय है? क्या आप अनुच्छेद 14 की रक्षा कर रहे हैं, जैसाकि श्री शिवराज पाटील जी ने कहा था कि हम इस सभा को केन्द्रीय कक्ष में स्थानान्तरित कर सकते हैं। वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है? मैं इन चीजों को स्पष्ट नहीं करना चाहता हूं श्री शिवराज वि. पाटील और श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा प्रत्येक चीज स्पष्ट की जा चुकी है।

महोदय, मैं तीन बातें कहना चाहता हूं जहां तक परिसीमन का संबंध है, इससे कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। मुझे मालूम नहीं कि क्या वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों में वृद्धि कर रहे है यदि यह बात है तो इस विधेयक का कोई अर्थ है। इन सीटों को देकर वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मतों के लाभ को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे इसमें सफल नहीं हो पायेंगे क्योंकि वे बुरी तरह से विफल हुए है। डी.ओ.पी.टी. संबंधी मुद्दे सरकार के पास अभी भी लंबित पड़े हैं। वे किसी समाधान पर नहीं पहुंचे है माननीय प्रधानमंत्री ने दो बार सभा में आश्वस्त किया है। परन्तु उन्होंने मामले को सुलझाया नहीं है। कर्नाटक में केवल 300 अभियंता प्रभावित हुए है। कल कर्नाटक सरकार ने उनको पदावनति करने के आदेश जारी किए थे क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया जिसकी वजह से 20 तारीख से पहले उनको आदेश जारी करना था।

सायं 7.00 बजे

अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के 200 अभियन्ताओं की स्थिति खराब है उनकी पदावनति कर दी गई है यह स्थिति है समस्त दलों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि यह मामला जावज हैं परन्तु वे इस समस्या को सुलझाने में सफल नहीं हो पाये हैं। यह कहकर कि ये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की सीटें हैं वे समझते हैं कि आगामी चुनाव में हमें कुछ न कुछ मिलेगा। मैं उस प्रयोजनार्थ नहीं हूं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात क्या है? यह 27.5 करोड़ हैं तथा उनकी साटों के बारे में क्या स्थिति है? हम तार्किक रूप से इस जनसंख्या के अनुपात पर आधारित सीटों के लिए पात्र हैं। इस देश की लगभग 27.5 करोड़ जनसंख्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की है। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि आप को अन्य समुदाय के लोगों को भी सीटें देनी हैं। आप उनके लिए सीटों की संख्या को बढ़ा सकते हैं। हमें इस पर कोई भी

आपत्ति नहीं है। परन्तु यह विधेयक उपयोगी परिणाम नहीं देगा। श्री शिवराज पाटील ने बताया कि सीटों की संख्या 7 तक बढ़ेगी हम इसका स्वागत करते हैं परन्तु यह अन्य समुदायों की कीमत पर नहीं होगा। आप अन्य समुदायों के लिए भी सीटों को साथ-साथ बढ़ा सकते हैं जिसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं हैं परन्तु इससे उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा।

कल्याण मंत्री हमारी 20 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं समस्त संसद सदस्य, चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों ने अनुरोध किया है कि उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाना चाहिए। परन्तु इस पर विचार नहीं किया गया हमने इसके लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है परन्तु उनकी उन्नति नहीं की गई। पर दुर्भाग्यवश मंत्री अनुसूचित जातियों के कल्याण के बजाय पशुओं के कल्याण करने के लिये ज्यादा इच्छुक हैं। उनके लिये पशुओं का कल्याण अ.जा. और अ.ज.जा. के कल्याण की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। वह उनके प्रति अधिक दयालु है हम इसकी प्रशंसा करते है कि वे जानवरों के कल्याण में दिलचस्पी ले रही है इसका ध्यान श्री अजित सिंह द्वारा किया जाना चाहिए न कि श्रीमती मेनका गांधी द्वारा परन्तु यह हो रहा है। कुछ धनराशि का भी अन्यत्र उपयोग किया गया है। यहां तक कि धनराशि जो पर्याप्त रूप से नहीं दी गई है का भी अन्यत्र उपयोग कर लिया गया है। इसमें सन्देह नहीं कि वह प्रगतिशील है परन्तु वह इन लोगों के कल्याण हेतु सही कार्य नहीं कर रही है।

श्री जेटली, यह विधेयक उद्देश्य को पूर्ण नहीं करेगा अन्ततः हमें इसका समर्थन करना होगा हमने इसे 10 वर्ष में एक बार करने का निर्णय लिया था। परन्तु आज आपने इसे 20 वर्ष में करने का निर्णय लिया है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना परिक्रमण के इस विधेयक को पुरःस्थापित अथवा पारित करने का कोई अर्थ नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सभा में मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं यह गुप्त एजेन्डा जैसा ही है। यदि आप राजनैतिक लाभ के बारे में सोचते हैं तो इससे आप को लाभ नहीं मिलेगा। केवल कांग्रेस पार्टी जोकि श्रीमती सोनिया गांधी के गतिशील नेतृत्व में कार्यरत है। सत्ता में आयेगी केवल तभी कमजोर वर्ग के लोगों की समस्याएं हल होंगी। परिसीमन और परिक्रमण संबंधी कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा नहीं बनाये जाएंगे, बल्कि यह कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा होगा, परन्तु जैसा कि तय किया गया है हम इस विधेयक का समर्थन करेंगे हालांकि कोई परिणाम नहीं आएगें तथा इस विधेयक के द्वारा कुछ भी लाभकारी कार्य नहीं होने वाला है।

सभापति महोदय: कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा। अब श्री रामनगीना मिश्र बोलेंगे।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना): सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत 91वां संविधान संशोधन का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मुझे इस बात की खुशी है कि आज पूरा सदन किसी बिल पर एकमत है और सारे सदन की राय है कि इसे पारित करना चाहिए। किन्तु, विद्वान साथियों की राय सुनने के बाद आभास हुआ कि इसमें कुछ विरोधाभास है। बिल के उद्देश्यों और कारणों के कथन के पैरा-4 में लिखा है - यह भी प्रस्ताव है कि सन् 1991 की जनगणना में अभिनिश्चित जनसंख्या के आधार पर, लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या को पुनः नियत किया जाए।

इस पर लोगों के मतभेद हैं। अगर मैं सही समझा हूं तो शिवराज पाटील जी, विरोधी पक्ष के वरिष्ठ नेता ने जो अपना भाषण दिया, उनके भाषण से हमें आभास हुआ। उनका कहना है कि किसी वर्ग के नाम पर सीटें मत बढ़ाएं, पूरी जनसंख्या के आधार पर बढ़ाएं। यह विद्वान व्यक्ति हैं और विरोधी दल के वरिष्ठ नेता भी हैं, जिनके विचार मैंने सुने। हमारे दल के वरिष्ठ साथियों के भी विचार हैं कि अगर सीटें बढ़ानी हैं तो पूरी जनसंख्या के आधार पर बढ़ाएं, किसी वर्ग के नाम पर न बढ़ाएं।

महोदय, संविधान में दस साल के लिए इसलिए आरक्षण हुआ था ताकि समाज में कमजोर वर्ग अन्य वर्गों के बराबर आएं और हम इसे कंटीन्यू करते आ रहे हैं, यह स्वागत की बात है। किन्तु इससे पुनः विवाद, आपस में वैमनस्य पैदा हो जाएगा और कानूनी प्रोसिजर भी आ जाएंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जनभावना को देखते हुए, अगर सीटें बढ़ानी हों तो पूरी जनसंख्या के आधार पर बढ़ाएं, न कि जाति-वर्ग के नाम पर बढ़ाएं। *...(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: यह बीजेपी की राय है।

श्री राम नगीना मिश्र: मैंने पहले कहा, शायद आपने सुना नहीं। प्रतिपक्ष के नेता पाटील जी ने जो बयान दिया, उनके भाषण में हमें यह आभास हुआ। वह यहां मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। उनका भी विचार था कि अगर सीटें बढ़ाई जाएं तो जनसंख्या के आधार पर बढ़ाई जाएं।...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह: यह अच्छी बात है।

श्री राम नगीना मिश्र: हमारी तरफ से भी कुछ लोगों ने कहा तथा अन्य लोगों ने भी कहा।...*(व्यवधान)* यह बात सही है। हमें भी वह दिन याद है, जब संजय जी थे। इंदिरा जी के समय में

[श्री राम नगीना मिश्र]

जनसंख्या न बढ़े इसके लिये प्रयास किया तो ऐसा गलत प्रचार हुआ कि सब कुछ होते हुए भी जनता ने नाराज होकर कांग्रेस को हरा दिया। यह बात सही है कि कानून और सामाजिक प्रयास दोनों जरूरी हैं। अभी एक प्रयास हुआ, देश के सारे संत, हर वर्ग के ईसाई, मुसलमान और हिन्दू थे, सब संतों ने कहा कि जनसंख्या रोकने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। यह भी प्रयास होना चाहिए, कानून में भी प्रतिबंध होना चाहिए। आप बताइए कि क्या यह अन्याय नहीं है।

महोदय, अभी-अभी असम के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया। उन्होंने दो शादी की थीं। जो चार-चार शादी करे उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो एक शादी के अलावा दूसरी शादी करे, उसे अवैध माना जाए। सरकारी कर्मचारियों और किसानों पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। अभी हमारे पुराने मित्र ने कहा कि जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। दक्षिण भारत में जनसंख्या पर नियंत्रण हुआ है। उनकी सीटें कम नहीं होनी चाहिए, जितनी सीटें हैं, उतनी रहनी चाहिए। जनसंख्या जहां बढ़ी है वहां सीटें बढ़ाएं, उनकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं मैं संविधान (इक्यानवां संशोधन) विधेयक, 2000 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे दल द्वारा इस संविधान संशोधन का समर्थन करने के लिए मुझे खड़ा किया गया है मैं समझ रहा हूं कि यह संशोधन किस बारे में है परन्तु उत्तर पूर्व विशेषकर तीन राज्यों के सन्दर्भ में जिसमें केवल एक-एक संसद सदस्य है के लोगों की भावना को व्यक्त करता हूं। संघ राज्य क्षेत्रों के सन्दर्भ में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी केन्द्र और राज्यों के मध्य बंटी होती है। परन्तु नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम जैसे पूर्ण राज्यों में प्रत्येक में एक-एक संसद सदस्य हैं। जबकि नागालैंड राज्य का वर्ष 1963 में गठन हुआ था। तब केन्द्र सरकार और नागा लोगों के बीच एक समझौता हुआ था। यह 16 सूत्रीय समझौता था। मैं यहां पर उस समझौते के बिन्दु 6 को उद्धृत करता हूं। इस शीर्षक के अन्तर्गत संसद में प्रतिनिधित्व के बारे में यह कहा गया है:

> "संघीय संसद में, नागालैंड के तीन निर्वाचित सदस्य अर्थात दो लोक सभा में और एक राज्य सभा में प्रतिनिधित्व करेंगे।"

उस समय वहां की जनसंख्या बहुत कम थी अत: सरकार ने यह कहा था कि जनसंख्या की वृद्धि होने तक हम प्रतीक्षा करेंगे। वर्ष 1963 में हमारी जनसंख्या मात्र 3.5 लाख थी। अत: लोक सभा में केवल एक सदस्य को ही प्रतिनिधित्व दिया गया था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या 19 लाख हो गई है। नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम जैसे पूर्ण राज्यों के दायित्वों की ओर देखने पर हमारे पास केवल एक प्रतिनिधि हैं। मेघालय, मणिपुर और अरूणाचल जैसे अन्य राज्यों में लोकसभा के दो सदस्य हैं। नागालैंड में 16 जनजातियां भी है। राज्य में भिन्न-भिन्न भाषाएं हैं एवं रीति-रिवाज हैं तथा उनका स्वरूप विविध है।

मैं यहां पर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वर्ष 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में इस राज्य का गठन हुआ है केन्द्र सरकार ने इस ओर काफी ध्यान दिया है तथा आज भी काफी ध्यान दे रहा है। मुझे आपार हर्ष है कि इस सम्मानीय सभा ने भी पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर नागालैंड पर काफी महत्व दिया है।

19 मार्च 1999 को नागालैंड विधान सभा ने एक संकल्प स्वीकृत किया था यह इस प्रकार है-

> "एतद् द्वारा संकल्प पारित किया जाता है कि नागालैंड विधान सभा में सीटों की संख्या को 60 से बढ़ाकर 80 किया जाए तथा राज्य सभा और लोक सभा में नागालैंड राज्य में सीटों को बढ़ाकर क्रमश: एक से दो और एक से तीन किया जाए।"

अत: मैं नागालैंड राज्य और इसके लोगों की भावनाओं को यहां पर व्यक्त करता हूं केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर नागालैंड की ओर ध्यान दे रही है। मैं अनुरोध करता हूं कि इस संकल्प जिसे कि नागालैंड विधान सभा द्वारा पारित किया गया है, को स्वीकार किया जाए।

कुछेक माननीय सदस्यों ने इस विधान के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और मुझे इस बात की पूरी जानकारी है कि किस प्रकार से इस संविधान (संशोधन) विधेयक को लाया गया है। परन्तु हमारे राज्य के मामले में वर्ष 1963 से आज तक केवल एक सीट दी गई है। मात्र एक सदस्य जो नागालैंड का प्रतिनिधित्व कर रहा है के रूप में सभी प्रकार के कार्यों को निपटाने के लिए मुंझे दर-दर भटकना पड़ता है मान लीजिये मेरे राज्य में कोई समस्या है तो सभा में मेरी अनुपस्थिति में कोई भी मेरे कार्य को देखने के लिए मौजूद नहीं है परन्तु मेघालय, अरूणाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में दो-दो सदस्य है जो कि दायित्व को निभा लेते हैं।

अत: मैं भारत सरकार और इस सम्मानीय सभा से यह अनुरोध करता हूं कि वह मेरे अनुरोध पर विचार करें। नागालैंड राज्य के संबंध में लोक सभा की एक सीट को बढ़ाकर दो किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय मैं 91वें संविधान (संशोधन) विधेयक, 2000 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। अपने दल की ओर से हमें इस विधेयक का समर्थन करने का अनुदेश दिया गया है। परन्तु मेरे व्यक्तिगत विचार भी हैं।

इस विधेयक पर अत्यन्त विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। परन्तु मैं कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहूंगा जिनमें मेरे व्यक्तिगत विचार हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि श्री सेल्वागनपति ने देश में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के बारे में कहा है, मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे कालेज के दिनों में इतिहास के एक प्रोफेसर महाभारत के बारे में एक बात कहते रहते है। महाभारत के 18 पर्व कवि व्यास ने लिखे थे। इतिहास के एक छात्र के रूप में कोई भी घंटों तक और बारीकी के साथ ऐतिहासिक स्थिति के बारे में लिख, बोल और वर्णित कर सकता है। परन्तु अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी एक वाक्य में इस स्थिति को बता सकता है।

वे महाभारत के बारे में बताया करते थे। महाभारत का युद्ध लड़ा गया - युधिष्ठिर जीते और दुर्योधन हारे। यही महाभारत की पूरी कहानी है। इसी प्रकार से यह मामला है जिसके संबंध में आज चर्चा हुई और जिसको बड़े भाई श्री त्रिलोचन कानूनगो द्वारा सही रूप में बताया गया था। हम इस सभा में उपस्थित प्रतिनिधियों के द्विभाजन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक सदस्य 29 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व एक मत एक मतदाता के साथ करता है। इस सभा में हमारे दूसरे सदस्य भी हैं जिनके निर्वाचन क्षेत्र में केवल 29 हजार मतदाता है। यह द्विभाजन है। संविधान में बताया गया है प्रत्येक जनगणना के बाद सरकार संसद को इस द्विभाजन के मध्य समानता लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। मैं समझता हूं कि 70 के दशक में ऐसा प्रयास किया गया था। बाद में यहां तक कि आज हम इस चुनौती का सामना वास्तविक रूप से नहीं कर रहे हैं। आज की चुनौती यह आशंका है जिसे कि हमारे दक्षिण राज्यों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किया गया है। क्या हुआ है? मैं दूसरे विषयों पर विचार नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं एक विषय, जिस पर आज तक चर्चा नहीं की गई है, को उठाना चाहता हूं।

दक्षिणी राज्यों को पहले से ही, जिनका आर्थिक प्रगति का रिकार्ड है, दंडित किया जा चुका है। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें केन्द्रीय वित्तीय सहायता को सीमित करके ही दण्डित किया गया है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: यदि आप मुझे बोलने का अवसर नहीं देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा पहले ही दक्षिणी राज्यों को दण्डित किया गया है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता 11वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार दक्षिणी राज्यों तक उनके आर्थिक विकास के कारण सीमित कर दी गई है, मैं इसे प्रशंसनीय निर्णय मानता हूं। यदि कमजोर राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार जो विभिन्न सरकारों द्वारा लगातार उपेक्षित रहे हैं को अधिक धनराशि प्रदान की जाती है। परन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किये हैं। इस संबंध में अनेक सुझाव दिये गये हैं।

दूसरे, में अपनी विनम्र टिप्पणी द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। विद्यमान स्तर पर लोक सभा और विधान सभाओं के स्थानों को सीमित करना केवल अस्थायी राहत है। हम इस समस्या को केवल सन् 2026 तक स्थगित कर रहे हैं। परन्तु इसका विकल्प क्या है? यह ऐसा समय है मैं समझता हूं जब हम अपने मित्र माननीय मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा कतिपय सुझावों से लाभान्वित होंगे। हमें क्या करना चाहिये? हम अपने, विचारों को किस प्रकार ठीक करेंगे? 2026 में नई पीढ़ी यहां पर बैठी होगी। हममें से भी काफी लोग यहां बैठे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। वे इस समस्या का किस प्रकार सामना करेंगे। 1976 में हमने इसे 1991 तक के लिये टाल दिया था। पुन: 1991 में हमने इसे 2000 तक टाल दिया था। पुन: हम इस जिम्मेदारी को अगली पीढ़ी को सौंप रहे हैं। हम इस विचार को किस प्रकार ठीक करेंगे? जनसंख्या के कारण निश्चय ही इस सभा में हमारे प्रतिनिधियों की संख्या में परिवर्तन आएगा। परन्तु हम ऐसा किस प्रकार कर पायेंगे। हम इस द्विभाजन की चुनौती का किस प्रकार सामना करेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री भर्तृहरि महताब: पंजाब के विभाजन के पश्चात् चण्डीगढ़ एक अपवाद है लक्षद्वीप भी इसी प्रकार है। इसी प्रकार ठाणे और बाहरी दिल्ली है।

मैं यह कहते हुये समाप्त कर रहा हूं कि लोक सभा और विधान सभाओं के स्थानों को विद्यमान स्तर पर सीमित करना केवल अस्थायी राहत है।

तीसरे जनसंख्या को नियन्त्रित रखने में विफल होने पर अप्रत्यक्ष रूप से पारितोषिक देकर सरकार वर्तमान विधान के उद्देश्यों को आंशिक रूप से विफल कर रही है जोकि एक राष्ट्रीय उद्देश्य है। इसे बदला जा सकता था, यदि सरकार ने अ.जा. तथा अ.ज.जा. की लाबी के दबाव पर अंकुश लगाया होता और इन संशोधनों के लिए समान आधार बनाने के लिये 1971 की जनगणना का अनुपालन किया होता।

श्री आनन्द मोहन विश्वास (नवद्वीप): सभापति महोदय, मैं आपको माननीय विधि मंत्री द्वारा इस माननीय सभा में संविधान (91वां संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करने के पश्चात् इस पर चर्चा में भाग लेने और दो शब्दों में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक संशोधन से परे नहीं है। मंत्री महोदय इसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से जोड़कर 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को स्थिर कर रहे हैं। परंतु यह और कुछ नहीं बल्कि घुमा-फिरा के वही बात है।

महोदय हम जानते हैं कि हमारी राजकोषीय नीति आयोजना की अर्थव्यवस्था पर आधारित है और हमारी अर्थव्यवस्था की सफलता राष्ट्रीय जनसंख्या पर निर्भर है। अत: हमारी जनसंख्या नियन्त्रित होनी चाहिये। यह हमारी अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक है। परन्तु सरकार द्वारा अपनायी गई विधि लोगों के मौलिक अधिकारों, मानवाधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के हनन पर आधारित है, जबकि वे इसके विपरीत मानवाधिकारों, लोकतांत्रिक अधिकारों और मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दावा करते हैं।

महोदय हमने देश में इतने अधिक आयोग गठित किये हैं। हम चुनाव सुधार कार्य पर भी विचार कर रहे हैं जिसमें चुनावों का राज्य द्वारा वित्तपोषण करना भी सम्मिलित है। अब हम महसूस करते हैं कि इस विधेयक का महत्त्व कम हो गया है। मैं यहां यह जिक्र करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने सभा में यह विधेयक प्रस्तुत करते समय अपने विधेयक का उपयोग नहीं किया है। इस विधान में कोई स्पष्टता नहीं है। उदाहरणार्थ, दिल्ली के एक निर्वाचन क्षेत्र में 3 लाख मतदाता है जब कि मुम्बई के एक निर्वाचन क्षेत्र में 30 लाख से अधिक मतदाता है।

पश्चिम बंगाल में एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में $3^1/_2$ लाख मतदाता हैं और एक दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में केवल 85000 मतदाता हैं। अत: यदि 2026 तक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सीमित रही तो वास्तविक स्थिति क्या होगी? ऐसा हो सकता है कि वर्ष 2026 तक बड़े निर्वाचन क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक मतदाता होंगे। इतने बड़े निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी संसद सदस्य किस प्रकार वहां की समस्याओं पर पर्याप्त रूप से ध्यान दे पायेगा?

महोदय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिये आरक्षण का उपबंध किया गया है और उन्हें यह रियायत 1971 की जनगणना के आधार पर दी गई है। परन्तु इस संशोधन में उन्हें जो विशेषाधिकार दिया गया है वह 2026 तक 1991 की जनगणना के आधार पर सीमित रहेगा और इस प्रकार 1991 से 2026 तक उनके संवैधानिक अधिकार निलम्बित रहेंगे।

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री आनन्द मोहन विश्वास: इन सब विसंगतियों के बावजूद मैं उक्त आपत्तियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अवतार सिंह भडाना (मेरठ): माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि बहुत लम्बे समय के बाद जहां आपने यह विधेयक लाकर एक बहुत अच्छे कार्य की शुरूआत की है, वहीं आपकी कथनी और करनी में लोगों के बीच में जो संकोच है, उसे भी दूर करने का काम किया है। इस विधेयक को लाकर आप देश के कानून में संशोधन करना चाहते हैं। कानून मंत्री जी हम आपसे बड़ी उम्मीद करते हैं कि आप इस विधेयक को लागू भी करेंगे। इसकी आज जरूरत है। जहां पूरे देश में दस वर्षों के लिए संविधान में कुछ सीटों को रिजर्व किया गया था, उसके बाद उन्हें रोटेट करने का प्रावधान भी संविधान में किया गया था। मेरा कहना है कि आज लोक सभा और बहुत सी ऐसी विधान सभाएं हैं, जिनमें सन् 1952 से लेकर आज तक कन्टीन्यू रिजर्वेशन है। अगर उन्हें रोटेट किया जाए तो उससे दलित समाज के सभी लोगों को अवसर मिलेगा, चूंकि संविधान में दबे और कुचले लोगों को आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था।

सभापति महोदय, मैं जिस समुदाय से आता हूं, उस समुदाय के साथ बहुत लम्बे समय से ज्यादतियां होती रही हैं। लोक सभा के साथ-साथ अनेकों ऐसी विधान सभाएं हैं, जिनमें उन्हें रोटेट नहीं किया गया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि डीलिमिटेशन के वक्त इसका ध्यान रखा जाए और यदि इसमें सभी समुदायों और वर्गों का ध्यान रखा जाएगा तो यह देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी।

सभापति महोदय, सबने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी इस देश में चिन्ता का विषय है, इसे सदन और इस देश के लोगों को गम्भीरता से लेना चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं कि चाहे वह कोई भी वर्ग हो, किसी भी समुदाय से ताल्लुक रखता हो, अगर वह इस मुल्क का वफादार है तो उसे इस मुल्क की बढ़ती हुई आबादी से चिन्तित होना चाहिए। यदि देश की आबादी बढ़ती रहेगी तो देश की समस्याएं भी बढ़ती रहेंगी। कोई भी दल और कोई भी पार्टी इसका समाधान नहीं खोज पायेगी। लेकिन इसके लिए किसी पर कुछ थोपा न जाए। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसा कानून बनाये कि जिससे हर वर्ग और समुदाय के लोगों को न्याय मिल सके। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह इसे जल्दी ही लागू करेगी।

सायं 7.28 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

ऐसा न हो कि आप सिर्फ विधेयक लाकर यह कहें कि हम विधेयक लाये हैं। मैं समझता हूं कि कुछ समुदायों के बीच ऐसी सोच बन रही हैं कि आप इस विधेयक को लाकर कुछ समुदायों के ऊपर थोपना चाहते हैं या उन पर कुछ पाबन्दियां लगाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह विधेयक देश के लिए अच्छी चीज है और यदि आप इसे तुरंत लागू करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपके बारे में लोगों का जो संदेह है कि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, सिर्फ दिखावा करना चाहते हैं, वह नहीं रहेगा। मुझे उम्मीद हैं कि आप इसे जल्दी ही लागू करेंगे। इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय श्री एस. जयपाल रेड्डी को आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये छोटी सी बात कहनी है। इससे आपको सहायता मिलेगी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि सुबह से ही मुझे उनसे संपर्क करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस संविधान (संशोधन) विधेयक के कुछ पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ। मैं इस विधेयक के मूल उद्देश्य से पूरी तरह सहमत हूं। मुझे दो आपत्तियां हैं। एक राज्य विधान सभाओं के स्थान को सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

विधेयक का मुख्य उद्देश्य राज्यों में लोक सभा के स्थानों के विद्यमान अनुपात को सीमित करना है। अत: राज्य विधान सभाओं के स्थानों को सीमित करके हम आदेशों का अतिक्रमण कर रहे हैं। मैं समय की कमी के कारण इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि यह 1991 की जनगणना के आधार पर होगी। हम इस संशोधन को 2001 में पारित कर रहे हैं। अत: 1991 का संदर्भ उचित नहीं है। यदि हम 42वें संशोधन की स्थिति से पूर्व की स्थिति को देखें तो संविधान में 'पिछली जनगणना' शब्दों का उपयोग किया गया है। उसमें किसी वर्ष विशेष का कोई जिक्र नहीं था। आज भी मेरी राय में 1991 के स्थान पर "पिछली जनगणना" शब्दों का प्रतिस्थापन करने के लिये विलंब नहीं हुआ है जिस मामले में निम्नलिखित बातें आयेंगी:

परिसीमन प्रति दस वर्ष में हो जोकि हमारे संविधान निर्माताओं का मूल उद्देश्य था। आप परिसीमन की प्रक्रिया को स्थिर कर रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक दशक पर परिसीमन की बात कही है। प्रति दशक के परिसीमन को समाप्त किया जा रहा है।

अत: मैं विधि मंत्री महोदय से इस पर विचार करने का आग्रह करूंगा। अन्तिम समय पर यदि वे विधानसभाओं के स्थानों को स्थिर करने पर विचार नहीं करते हैं, कृपया इस पर विचार करें। अन्यथा, अगले 25 वर्षों में इस संसद और राज्य विधानसभाओं को एक ही उद्देश्य को पूरा करने के लिये संविधान में 3 बार संशोधन करना पड़ेगा।

श्री हरीभाऊ शंकर महाले (मालेगांव): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मंत्री महोदय की छवि अच्छी है, वाणी भी मृदु है और काम की धमक है और नाम भी अरुण है। अरुण तो सूरज होता है। आदिम जाति के बारे में सूरज से मेरी प्रार्थना है कि इस पर ध्यान दीजिए। मैं शुक्रवार को यहां से चला अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए, शनिवार चार बजे वहां पहुंचा जहां सदन की विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी मालेगांव की यात्रा पर थीं। मैं मालेगांव शनिवार को गया। मालेगांव विधान सभा क्षेत्र पूरा किया। दूसरे दिन 7 बजे निकला तो तीन तहसील हैं सुरगाणा में - एक त्रयम्बकेश्वर, एक पेट, जिसके बारे में माननीय सदस्य सुशील कुमार शिन्दे जी को मालूम है। एक तहसील में सारा दिन निकल गया, मुझे पता नहीं लगा। इसलिए यहां शिवराज पाटील साहब से माफी मांगकर कहना चाहता हूं कि उन्होंने खाली संख्या की बात की, एरिया की नहीं की, वह आदिम जाति के साथ अन्याय होगा। अभी महाराष्ट्र के चार संसद सदस्य हैं, वह आठ हो जाएंगे। यहां सदन में 40 संसद सदस्य हैं आदिम जाति के वह भी बढ़ जाएंगे क्योंकि एरिया बढ़ा है। मेरा एरिया पूर्व से पश्चिम तक 250 किलोमीटर है और दक्षिण से उत्तर तक 150 किलोमीटर है और आठ तहसील हैं। इसलिए आदिम जाति का जो निर्वाचन क्षेत्र है वह दुगुना बढ़ जाना चाहिए? मंत्री महोदय ने यहां जनगणना की बात क्यों जोड़ी, यह तो बड़ा कार्यक्रम है। क्या मुसीबत आई है यहां? इसको अलग रखना चाहिए यही मेरी विनती है।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, श्री अरुण जेटली साहब ने जो सन् 2001 में यह बिल प्रस्तुत किया है उसमें सन् 2026 तक एक भी सीट नहीं बढ़ाने की बात कही है, यह ठीक नहीं है। मैं तो उम्मीद करता था कि सीटों को बढ़ाने वाला विधेयक लाया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि श्री अरुण जेटली जी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि अभी जितनी सीटें हैं, उनके अनुसार ही मुझे सरकार चलाने में परेशानी हो रही है इसलिए यदि और सीटें बढ़ाने वाला विधेयक लाओगे, तो मेरी परेशानी और बढ़ेगी इसलिए सीटें बढ़ाने वाला विधेयक मत लाओ।

[श्री रामदास आठवले]

अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा था कि आप सन् 2004 तक ही सीटें न बढ़ाने वाला विधेयक लाएंगे क्योंकि सन् 2004 में लोक सभा के चुनाव होंगे और तब आपकी सरकार आने वाली नहीं है। उस समय हमारी सरकार आएगी। पूरी देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या 27.5 प्रतिशत है। अगर आप दूसरी सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, तो भी मैं कहना चाहता हूं कि एस.सी. और एस.टी. सीटें बढ़ानी चाहिए। मैं जनरल सीटों को बढ़ाने के विरोध में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि जनरल सीटें भी आप बढ़ाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कानून मंत्री महोदय से निवदेन करना चाहता हूं कि लोक सभा की कम से कम 300 सीटें बढ़ाई जाएं क्योंकि जब तक सीटें नहीं बढ़ती हैं तब तक सदन में महिला आरक्षण विधेयक आने वाला नहीं है। मैं सदन की सभी सम्माननीय महिला सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जब तक लोक सभा की 300 सीटें नहीं बढ़ाई जाएं तब तक वे इस सरकार को वोट न दें। मैं कुमारी ममता बैनर्जी से भी प्रार्थना करूंगा, अब मुझे पता नहीं है कि उन्हें अभी तक सरकार में शामिल किया गया है या नहीं, लेकिन उधर बैठने वाली सभी सम्माननीय महिला सदस्यों से मेरा निवेदन है कि यदि उन्हें 33 प्रतिशत महिला आरक्षण चाहिए, तो वे श्री अरुण जेटली जी को कहें कि वे लोक सभा की 300 सीटें बढ़ाएं। हम सदन में महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं और कहना चाहते हैं कि लोक सभा की सीटें बढ़ाई जाएं।

अध्यक्ष महोदय, 14 अक्तूबर, 1956 को नागपुर में बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद हमारी लोक सभा की छः सीटें और विधान सभा की 18 सीटें कम कर दी गई। उस समय 56 सदस्यों की विधान सभा थी। जब श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री बने, तो उन्होंने बौद्धों को सुविधा देने का निर्णय लिया, मगर हमारी सीटें नहीं बढ़ीं। महाराष्ट्र में लोक सभा की तीन सीटें और विधान सभा की 18 सीटें बढ़नी चाहिए। इसलिए मैं इस संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं करना चाहता हूं। मैं सभी विमेन मैम्बर से कहना चाहता हूं कि 50 परसेंट विमेन हमारी बात का सपोर्ट करती हैं इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराया। मेरा यहां की सभी महिला सांसदों से निवेदन है, सोनिया जी से भी निवेदन है, भले ही उन्होंने अपने भाषण में इस बिल का समर्थन किया है, लेकिन मेरा निवेदन है कि जब इस संशोधन विधेयक पर वोटिंग हो, तब इसका सभी महिला सांसद विरोध करें। महिलाओं को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। श्री अरुण जेटली जी से मेरा निवेदन है कि वे इसके बारे में जरूर विचार करें।

"अगर आप सीटें नहीं बढ़ाएंगे तो हम तुम्हें आपस में लड़ाएंगे, आने वाले चुनाव में हम तुम्हें हराएंगे और फिर सब मिलकर हम अपनी सरकार बनाएंगे।"

श्री अरूण जेटली: अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं उन माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बड़ी संख्या में इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। अन्तिम माननीय सदस्य को छोड़कर लगभग सभी माननीय सदस्यों ने इस विधान का समर्थन किया। मैं माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि वे उनकी राय न मानें, क्योंकि यदि उनकी राय मानी गई तो बहुत व्यापक संवैधानिक शून्य उत्पन्न हो जायेगा।

42वें संशोधन द्वारा परिसीमन प्रक्रिया पर लिया गया निर्णय सन् 2000 में व्यपगत हो गया। अतः इस सभा को भविष्य के लिये संवैधानिक व्यवस्था करनी है। भविष्य के लिये की गयी यह संवैधानिक व्यवस्था केवल पूर्ण सर्वसम्मति द्वारा ही संभव हो पायेगी। जोकि उस स्थायी समिति के समक्ष व्यक्त किया गया था। जिसने सीटों की संख्या को सन् 2026 तक स्थिर करने का निर्णय लिया था। मैं इस तथ्य के लिये भी आभार व्यक्त करता हूं कि बड़ी संख्या में ऐसे सुझाव प्राप्त हुये हैं जो पक्षपातपूर्ण नहीं है। परन्तु विभिन्न मुद्दों जैसे जनसंख्या नीति, इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता के बारे में बहुत ही सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुये हैं। कुछ ऐसे सुझाव दिये गये हैं जिनका मैं उत्तर देना चाहता हूं।

मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि यह चर्चा बहुत लम्बी हो गई है और मैं संक्षेप में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा।

श्री शिवराज वि. पाटील ने इस विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ प्रश्न उठाये थे जोकि उन्होंने कहा कि वे इन्हें अपनी निजी हैसियत से उठा रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि जहां तक संसद का सवाल है सीटों की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता है और सीटों की संख्या में वृद्धि करने का प्रधान तर्क यह है कि निर्वाचन क्षेत्र का आकार बहुत बढ़ गया है और आकार बढ़ने के कारण संसद सदस्य के लिये अपने निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के संपर्क में रहना संभव नहीं हो रहा है क्योंकि आज इनकी संख्या लाखों में है। यदि आज की 100 करोड़ की जनसंख्या 2026 तक बढ़ कर 140 करोड़ हो गई तो संसद सदस्य की परेशानी और बढ़ेगी। स्थायी समिति में इस तथ्य पर चर्चा विशिष्ट रूप से की गई थी। इसके विपरीत विरोधी दृष्टिकोण पर भी चर्चा की गई थी। वस्तुतः उन्होंने बहुत ही सकारात्मक सुझाव दिये थे। वास्तव में यदि संख्या में वृद्धि होती है तो शायद लोक सभा केन्द्रीय कक्ष में कार्य कर सकती है।

समस्या वास्तु शिल्प की नहीं है बल्कि अवधारणा की है। अवधारणा की समस्या यह है। इसे परिवार नियोजन कार्यक्रम से कैसे जोड़ा जा सका है। इसे दूसरे प्रश्न से जोड़ा जाता है जिसे उनके द्वारा और श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रवर्त्तन राज्यों द्वारा किया जाता है। केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। कुछ राज्य सरकारें ऐसी हैं जो परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास कर रही हैं। अब वे राज्य सरकारें जो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन कर रही हैं, वे यदि वे राजनीतिक दृष्टि से हतोत्साहित होती है और उनका संसद में प्रतिनिधित्व कम रह जाता है क्योंकि उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन किया था तो हमारी ओर से यह उन राज्यों के लिये हतोत्साही होगा जो देश में परिवार नियोजन कार्यक्रम के अच्छे परिणाम देते हैं। श्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता वाली स्थायी समिति के गठन से पूर्व हमारे सामने यह दो समस्यायें थीं। निर्वाचन क्षेत्र बड़े होते जा रहे हैं। इसके विपरीत हमें 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान सीटों की संख्या को सीमित करना हैं और यह परिसीमन 2026 तक लागू करना है क्योंकि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी गई है जिसके लिये क्रियान्वयन के प्रयास किये जा रहे हैं, तथा लक्ष्य तिथि वर्ष 2026 की है जिस तिथि तक हम अपेक्षा करते हैं कि यदि उचित प्रवर्तन किया गया तो जनसंख्या में स्थायित्व आ जायेगा। अत: सभा जोकि प्रभुता सम्पन्न है को उस समय या उससे पहले के किसी समय में यह अवसर प्राप्त होगा कि वह यह चर्चा करे कि आज इस संशोधन द्वारा इस प्रक्रिया के बारे में जो निर्णय लिया गया है उसे परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है या नहीं। अत: यह महसूस किया गया कि सीटों की संख्या को सीमित करने के बीच में महत्वपूर्ण संबंध है सीटों की संख्या को सीमित करने से उनके लिये प्रोत्साहन का सृजन नहीं होगा जो परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रवर्तन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही परिसीमन उन राज्यों के लिए हतोत्साहकारक नहीं होगा जो परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं यह स्थिति होते हुये यह महसूस किया गया कि परिसीमन 2026 तक लागू रहे। यह सभी राजनीतिक दलों के बीच सर्व सम्मति थी। स्थायी समिति के सभी सदस्यों का यही विचार था। वर्ष 2026 तक परिसीमन को जारी रखते हुये हम सभी इस तथ्य के प्रति जागरूक हैं कि विशेषकर वर्ष 1971 से 1991 के बीच तीव्र विकास और शहरीकरण के कारण प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रों के आकारों में विसंगतियां पैदा हो गई हैं। अत: उन विसंगातियों को दूर करने के लिये हमें एक परिसीमन आयोग का गठन करना पड़ेगा जो सभी संगत तथ्यों पर विचार करेगा और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करते हुये जहां तक संबव हो यह सुनिश्चित करे कि कम से कम एक पूरे राज्य में समान आकार के निर्वाचन क्षेत्रों का गठन हो सके। प्रत्येक राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या को सीमित कर दिया जायेगा। अत: यह महसूस किया गया कि किसी विशेष राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्र समान आकार के होंगे। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो आकार में छोटे हों। सीमित करने के परिणाम स्वरूप सीटों की संख्या के संबंध में संख्या भिन्न हो सकती है। परन्तु राज्यों के भीतर वे समान आकार के होंगे।

एक प्रश्न उठाया गया कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सीटों की संख्या के अनुपात के संबंध में कौन से नये उपबंध किया जा रहा है तथा देखा जा रहा है। इस विशिष्ट विधेयक द्वारा कोई नया उपबंध नहीं लाया जा रहा है। अनुच्छेद 330 मूल संविधान का मात्र है। अनुच्छेद 330 में यह बताया गया है कि जहां तक व्यवहार्य हो अ.जा. तथा अ.ज.जा. के सीटों की संख्या इन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होंगी। जहां तक इस संशोधन का सवाल है इस सिद्धांत के आधार पर इसे तर्कपूर्ण तरीके से बढ़ाया जा रहा है। इस उपबंध के संबंध में कोई नई बात नहीं जोड़ी जा रही है।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): क्या यह अ.जा. तथा अ.ज.जा. के लिये परिवार नियोजन हेतु हतोत्साहन नहीं है?

श्री अरूण जेटली: इस निर्णय पर स्थायी समिति ने विचार किया था। विचारणीय विषय और सर्वसम्मति यह थी कि अनुच्छेद 330 में जो मूल उपबंध था उस पर आज ही विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संख्या और अनुपात जो संविधान में दिया गया है पर आज विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्यों की इस बात पर आम सहमति हुई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने एक प्रश्न उठाया था। जिसका कि मैंने आपके भाषण के प्रारंभ में उल्लेख किया है। आज हम वर्ष 2001 में है। वर्ष 2000-2001 की जनगणना हो चुकी है। अत: हम 1991 की जनगणना का इस विधान में उल्लेख क्यों कर रहे हैं? हम दो विशेष जनगणनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। सीटों की संख्या स्थिर करने के लिए हम 1971 के आंकड़ों का आज भी उल्लेख कर रहे हैं और यह जारी रहेगा। निर्वाचन क्षेत्रों के पुर्नगठन के लिए हम 1991 का उल्लेख कर रहे हैं। प्रशासनिक आकलन यह है कि सही आंकड़े पिछली जनसंख्या की गणना के पश्चात् 2002 तक उपलब्ध होंगे। क्योंकि यह 2002 के अन्त तक उपलब्ध होंगे, यदि परिसीमन की प्रक्रिया इसके पश्चात् आरंभ होती है तो अगले चुनावों का 2000-2001 के आधार पर होना संभव नहीं होगा। पिछली बार परिसीमन की प्रक्रिया में 4 वर्ष, 1972 से 1976 तक लगे। इस बार यह आशा की जाती है कि कम समय लगेगा किन्तु फिर भी कुछ समय लगेगा। पिछली बार पूरे परिसीमन को पुन: आरंभ करना पड़ा था। आज सीटें नहीं बढ़ रही है किन्तु

[श्री अरूण जेटली]

सीटों का पुर्नसमायोजन हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी हमारे पास नई प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर उपलब्ध है जिनसे यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अत: इस तथ्य के फलस्वरूप अगला चुनाव 1991 की जनगणना से जुड़ा हो सकता है न कि 1971 की जनगणना से और हमने यह निर्णय सचेत होकर लिया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या आप लोक सभा चुनाव की 2002 में आशा रख रहे हैं।

श्री अरूण जेटली: मुझे भ्रम नहीं है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक प्रश्न उठाया था जबकि इन सीटों की संख्या को स्थिर कर रहे हैं, तो हमने हाल ही में सृजित उत्तरांचल विधान सभा में सीटों की संख्या क्यों बढ़ाई है?

[हिन्दी]

आपने कहा कि उत्तरांचल के अन्दर हमने सीटों की संख्या क्यों बढ़ाई है। वह इसलिए बढ़ानी पड़ी, क्योंकि संविधान की धारा 170 में यह लिखा है कि किसी भी विधान सभा में सीटों की संख्या 60 से कम नहीं हो सकती। जब यह नया राज्य बनेगा और नये राज्य की विधान सभा बनेगी तो उसकी सीटों की संख्या कम से कम 60 रहने वाली है।

[अनुवाद]

माननीय सदस्य श्री राशिद आल्वी ने एक प्रश्न उठाया था। वास्तव में उन्होंने सोचा कि परिसीमन कुछ संपार्श्विक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है अथवा प्रस्तावित है। कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में फेरबदल होने जा रहा है। सम्भवत: वह इस गलतफहमी में थे कि सरकार परिसीमन का कार्य करती है। सरकार यह कार्य नहीं करती। इस संशोधन के कानून और संविधान का अंग बन जाने के पश्चात् इस सदन को एक अलग विधान पर विचार करने का अवसर प्राप्त होगा जो कि परिसीमन कानून होगा। उस परिसीमन कानून के अन्तर्गत वे सिद्धांत जिन पर परिसीमन किया जाना है तथा जनसंख्या के आधार पर समानता, असमानता और अनेक तत्वों का कानून में ही उल्लेख किया गया है। उस निकाय के बारे में जो कि परिसीमन करेगा, उसमें भी अनेक राजनैतिक हितों की भागीदारी और सहभागिता होगी। वे उनके साथ शामिल होंगे। उस निकाय की स्थापना कानून के अनुसार होगी तथा यथासंभव वह निकाय पूर्णतया परिसीमन का कार्य करेगा।

पूर्वोत्तर के कुछ सदस्यों की भावना के संदर्भ में कुछ सुझाव थे। मैं निश्चित रूप से उन विचारों का सम्मान करता हूं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि यह सदन, जब कभी भविष्य में विधान बनाएगा तो उन भावनाओं को ध्यान में रखेगा।

महोदय, माननीय सदस्य, श्री एस. जयपाल रेड्डी ने दो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए थे। एक था कि हम राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को स्थिर क्यों कर रहे हैं। उन्होंने महसूस किया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रोत्साहन के कारण आप लोक सभा की सीटों को भी स्थिर कर सकते हैं ताकि कोई भी राज्य जिसे परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन न करने वाले किया हो वह इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले राज्य से अधिक लाभान्वित न हो जाए। किन्तु, उनकी विधानसभाओं में आप सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि राज्य सभा के एक माननीय सदस्य एकमात्र इसी प्रश्न पर स्थायी समिति के विचारों से असहमत थे। जब इस प्रश्न को उठाया गया तो उन्होंने बार-बार आपत्ति की कि और मैं स्थायी समिति के सभापति के उस समय के कथन को उद्धृत करना चाहूंगा। यह एक अच्छा तर्क था:

> "विधान सभा सीटों को स्थिर करने के बारे में लोक सभा जैसा तर्क लागू होता है क्योंकि यह समझा जाता है कि अधिक लोग अधिक सीटों की संख्या; पूर्ण अधिनियम जनसंख्या नियंत्रण नीति को हतोत्साहित करने वाला है, यह कभी भी लोक सभा अथवा विधान सभा सीटों के संबंध में नहीं है। अत: यह समझा गया कि इसे 1971 के जनसंख्या स्तर पर स्थिर किया जाना चाहिए और सीटों की संख्या परिसीमन के आधार पर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।"

यह 1971 में प्रभावी हुआ। 1971 में जब यह संशोधन पारित हुआ तो तर्क यह था और इस तर्क को विधानसभा सीटों पर भी लागू किया गया और यह आज भी लागू है। श्री प्रणव मुखर्जी ने यह विचार व्यक्त किए और इसका पक्ष एक सदस्य को छोड़कर सम्पूर्ण स्थायी समिति ने लिया।

दूसरा प्रश्न जो उन्होंने उठाया वह था कि जब हम अंतिम तिथि को बढ़ा रहे हैं, कि जब हम आज परिसीमन करने जा रहे हैं तो क्या हम अपने अगले 26 वर्षों के लिए आंखे बन्द करने जा रहे हैं, जबकि विशेषकर 1991 की जनगणना के पश्चात् हमें 2001 अथवा 2011 अथवा 2021 की जनगणना का लाभ होगा। क्या मैं यह सुझाव दे सकता हूं कि जब मूल संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, तो मूल संविधान में यह प्रावधान था कि प्रत्येक अवसर पर, परिसीमन के लिए पिछली जनगणना के आंकड़ों पर भी विचार किया जाएगा?

1976 में यह महसूस किया गया कि इस कार्य को प्रत्येक दर वर्ष पश्चात करने की आवश्यकता नहीं है। अत: मूल संविधान के लागू होने के पश्चात् प्रत्येक जनगणना के समापन पर परिसीमन स्वत: होगा, चाहे परिवर्तन आंशिक हो अथवा पर्याप्त हो। 1976

के संशोधन ने इसे 1971 की व 1981 तथा 1991 की जनगणना से जोड़ दिया उस समय के विधान सभा सदस्यों ने यह महसूस किया कि परिसीमन पुन: करना अनिवार्य नहीं है अत: उन्होंने इसे आगे नहीं बढ़ाया। आज हम यह महसूस करते हैं कि 1971 के आंकड़े पुराने पड़ गए हैं, यह 30 वर्ष पुराने हैं अब हमें नए परिसीमन की आवश्यकता है। यह सदैव संसद के लिए खुला होगा जब कभी उनके समक्ष भविष्य में जनगणना उपलब्ध होगी यदि वे यह पाते हैं कि पिछली जनगणना से यदि तारीख परिवर्तन के लिए थोड़ा भटकाव आता है जिसे कि हम अब 1991 से 2001 अथवा 2011 मान रहे हैं। किन्तु, उस समय परिवर्तनों पर विचार करना सदन के विवेक पर निर्भर होगा। इस प्रकार की कोई रोक नहीं है कि यह सदन इसे नहीं करेगा। यह सदन सार्वभौमिक है। उन परिवर्तनों को करना सदैव इसके अधिकार में होगा।

अन्तत: प्रत्येक दस वर्षों के पश्चात् आरक्षण के लिए, हमें संशोधन और समुचित विस्तार की भी आवश्यकता होगी। अत: प्रत्येक दस वर्षों में स्थिति पर विचार करना सदैव सदन के अधिकार क्षेत्र में होगा कि क्या एक नए परिसीमन की आवश्यकता है अथवा नहीं। अत: संविधान में तारीख बदलनी ही होगी। महोदय, यह कुछ व्यापक बिन्दु हैं जिन्हें उठाया गया है।

बेशक, एक प्रश्न उठाया गया है कि आरक्षण के आधार पर सीटों का परिक्रमण किया जाए अथवा नहीं। इस बिन्दु पर विशेष रूप से चर्चा हुई किन्तु यह महसूस किया गया कि सदन में व्यापक जनमत के आधार पर संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और क्योंकि स्थायी समिति के समक्ष भी कोई व्यापक आम सहमति नहीं थी, उन्होंने इस विशिष्ट सुझाव की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। महोदय, यह कुछ मूल प्रश्न थे जिन्हें उठाया गया था। महोदय, मैं एक बार पुन: उन माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किये और जिन्होंने इस विधान का समर्थन किया।...*(व्यवधान)*

महाराष्ट्र के बारे में भी प्रश्न उठाया गया निश्चित रूप में इस संशोधन के पश्चात् परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा जबकि यह विधान पारित हो जाएगा। यह परिसीमन आयोग को देखना होगा कि यह जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या में परिवर्तन को ध्यान में रखना है अथवा नहीं। अत: सारी की सारी प्रक्रिया परिसीमन आयोग द्वारा उस आधार पर निर्धारित की जाएगी। यदि आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि होती है तो वे सीटें कौन सी हैं, उनकी पहचान तथा उन सीटों की सीमा के निर्धारण के बारे में निर्णय आयोग को लेना होगा। यह कार्य परिसीमन आयोग को प्रत्येक राज्य में जहां कहीं जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, करना होगा।

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): क्या मैं माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सीटों में कितनी वृद्धि होने जा रही है।

श्री अरूण जेटली: मेरे पास यह गणना है। वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या में प्रत्येक राज्य में आये परिवर्तन का ब्यौरा मेरे पास है। अब ठीक-ठीक गणना परिसीमन आयोग को करनी होगी। यह एक सांविधिक प्राधिकरण होगा जिसका गठन किया जायेगा। वह ठीक गणना करेगा अत: इस समय मेरा इस बारे में अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। मैं सदन में अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित करे।

श्री एन. जर्नादन रेड्डी (नरसारावपेट): महोदय, मैं स्थायी समिति का एक सदस्य हूं हमने महसूस किया कि स्थायी समिति के लिए इस पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है। क्योंकि यह परिसीमन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है अत: ऐसा नहीं है कि हमने सिफारिशें नहीं की किन्तु हमने इसके बारे में बोलना पड़ा। उन्होंने इसे पूर्णत: निरस्त कर दिया जैसाकि स्थायी समिति ने इसके बारे में सिफारिश ही न की हो। यह ठीक नहीं है।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति में क्या माननीय मंत्री महोदय को एक जानकारी दे सकती हूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: महिलाओं की ओर से भी एक स्पष्टीकरण आना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी: अध्यक्ष महोदय को ही आपको सारी बातें याद करवानी पड़ती है।

महोदय, जहां कहीं भी बदले जाने का स्तर सफल रहा है, वहां यह महिलाओं को अधिकार प्राप्त है और उन्हें निर्णय भी लेने का अधिकार है। महिलावादी होने के जोखिम के साथ, यह हमारे देश का एक अखंडनीय तथ्य है। उन राज्यों में जहां कि महिलाओं की स्थिति निम्नतम है, जनसंख्या अत्यधिक है। मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

अध्यक्ष महोदय: मतदान की प्रक्रिया से पूर्व, जिन सदस्यों को सीट संख्या आबंटित नहीं की गई है, वे कृपया अपनी पसन्द का मत विभाजन पर्ची जो कि विभाजन लिपिक/पर्यवेक्षक द्वारा दी गई

[अध्यक्ष महोदय]

है, से रिकार्ड करवायें। वे अपना नाम, परिचय पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य और तारीख पर्ची पर अंकित करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले प्रतिदिन आपको वहां ही बैठना चाहिए।

...(व्यवधान)

रात्रि 8.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अत: इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें खाली कर दी जायें–

अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ:

रात्रि 8.02 बजे

मत विभाजन सं. 1

पक्ष में

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

आचार्य, श्री प्रसन्न

आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

उमा भारती, कुमारी

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी.डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

*कानूनगो, श्री त्रिलोचन

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री वी. धनंजय

*कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खांदोकर, श्री अकबर अली

खाबरी, श्री बृजलाल

खूंटे, श्री पी.आर.

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गालिब, श्री जी.एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए.डी.के.

जाधव, श्री सुरेश रामराव

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

जोशी, श्री मनोहर

जोस, श्री ए.सी.

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तुड़, श्री तरलोचन सिंह

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

*त्रिपाठी, श्री रामनरेश

*थामस, श्री पी.सी.

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

*दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दाहाल, श्री भीम

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दुराई, श्री एम.

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री बिक्रम केशरी

*देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नायक, श्री अनन्त

*नायक, श्री अली मोहम्मद

नीतीश कुमार, श्री

*पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांजा, श्री अजित कुमार

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमर सिंह वसंतराव

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौड़ा रामनगौड

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री राम विलास

पासी, श्री राजनारायण

पुगलिया, श्री नरेश

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बचदा, श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बालू, श्री टी.आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

बुन्देला, श्री सुजान सिंह

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर

बौरी, श्रीमती संध्या

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगत, प्रो. दुखा

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री आर.एल.

भौरा, श्री भान सिंह

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस.बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरूगेसन, श्री एस.

मूर्ति, श्री ए.के.

मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

*यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के

रमण, डा.

रमैया, डा. बी.बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

*राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम, श्री ब्रजमोहन

रामशकल, श्री

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय प्रधान, श्री अमर

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

*रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी.वी.एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

वेणुगोपाल, डा. एस.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

शर्मा, कैप्टन सतीश

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

*शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

सईद, श्री पी.एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई.जी.

सरोज, श्री तूफानी

सरोजा. डा. वी.

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचन्द

*सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, चौधरी तेजवीर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, राजकुमारी रत्ना

*सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

*सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री छत्रपाल

*सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच. चाओबा

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधामोहन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सिंह देव, श्री के.पी.

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुब्बा, श्री एम.के.

*सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

*सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

आठवले, श्री रामदास

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

अध्यक्ष महोदयः शुद्धि* के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 284

विपक्ष में : 002

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदयः अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगी।

खंड 2 से 7

अध्यक्ष महोदयः खंड 2 से 7 के लिए कोई संशोधन नहीं है। यदि सभा सहमत हो तो मैं खंड 2 से 7 एकसाथ सभा में मतदान के लिए रखूंगा जहां मतदान का परिणाम प्रत्येक खंड पर लागू माना जायेगा।

अनेक माननीय सदस्यः हम सहमत हैं।

---

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पक्ष में: 284 + 18 (सर्वश्री सुन्दर लाल पटवा, फग्गन सिंह कुलस्ते, राम नरेश त्रिपाठी, अर्जुन सेठी, किरीट सोमैया, त्रिलोचन कानूनगो, देवेन्द्र प्रसाद यादव, अली मोहम्मद नायक, माधवराव सिंधिया, अब्दुल रशीद शाहीन, संतोष मोहन देव, अजित सिंह, एस. जयपाल रेड्डी, वरकला राधाकृष्णन, चरनजीत सिंह, तिलकधारी प्रसाद सिंह, पी.सी. थामस और दलित इजिलमलाई ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया) - 302

अध्यक्ष महोदय: दीर्घायें, पहले ही खाली कर दी गई है।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

रात्रि 8.15 बजे

मत विभाजन सं. 2

पक्ष में

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

*अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

आचार्य, श्री प्रसन्न

आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

उमा भारती, कुमारी

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी.डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

*कानूनगो, श्री त्रिलोचन

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

*कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खांदोकर, श्री अकबर अली

खाबरी, श्री बृजलाल

खूंटे, श्री पी.आर.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गालिब, श्री जी.एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

*गोयल, श्री विजय

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए.डी.के.

*जाधव, श्री सुरेश रामराव

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जालप्पा, श्री आर.एल.

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

*जोस, श्री ए.सी.

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तुड़, श्री तरलोचन सिंह

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*थामस, श्री पी.सी.

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

*दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दाहाल, श्री भीम

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दुराई, श्री एम.

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री बिक्रम केशरी

*देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पांजा, श्री अजित कुमार

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमर सिंह वसंतराव

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौड़ा रामनगौड

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री राम विलास

पासी, श्री राजनारायण

पुगलिया, श्री नरेश

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बचदा, श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बालू, श्री टी.आर.

*बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बुन्देला, श्री सुजान सिंह

*बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगत, प्रो. दुखा

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री आर.एल.

भौरा, श्री भान सिंह

मंडल, श्री सनत कुमार

*मकवाना, श्री सवशीभाई

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस.बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुनि लाल, श्री

मुरूगेसन, श्री एस.

मूर्ति, श्री ए.के.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

रमैया, डा. बी.बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

*राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम, श्री ब्रजमोहन

रामशकल, श्री

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री सुबोध

राय प्रधान, श्री अमर

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रावत, प्रो. रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी.वी.एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

लेपचा, श्री एस.पी.

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

*वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, डा. एस.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

शर्मा, कैप्टन सतीश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

सईद, श्री पी.एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई.जी.

सरोज, श्री तूफानी

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

*साहू, श्री ताराचन्द

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, राजकुमारी रत्ना

*सिंह, श्री अजित

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच. चाओबा

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सिंह देव, श्री के.पी.

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुब्बा, श्री एम.के.

सेठ, श्री लक्ष्मण

*सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

*सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

आठवले, श्री रामदास

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि* के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम** इस प्रकार है:

पक्ष में : 286

विपक्ष में : 1

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 - संक्षिप्त नाम

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,-

"(इक्यानवेवां संशोधन)" *के स्थान पर*

"(चौरासीवां संशोधन)" *प्रतिस्थापित किया जाए।* (2)

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

*पक्ष में: 286 + 17 (सर्वश्री ए.पी., अब्दुल्लाकुट्टी, जसवंत सिंह बिश्नोई, दलित इजिलमलाई, विजय गोयल, सुरेश रामराव जाधव, ए.सी. जोस, त्रिलोचन कानूनगो, प्रेनीत कौर, सवशीभाई मकवाना, वरकला राधाकृष्णन, ताराचंद साहू, अर्जुन सेठी, अजित सिंह, किरीट सोमैया, पी.सी. थामस, जी. वेंकटेस्वरलु और बेगम नरू बानो ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया) - 303

** इस मत विभाजन का परिणाम खंड 2 से 7 तक प्रत्येक खंड पर अलग-अलग लागू होता है।

पृष्ठ 1, पंक्ति 2,–

''2000'' *के स्थान पर* ''2001''

प्रतिस्थापित किया जाए। (3) (श्री अरुण जेटली)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

''इक्यावनवेवां'' *के स्थान पर* ''बावनवेवां''

प्रतिस्थापित किया जाए। (1) (श्री अरूण जेटली)

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

श्री अरूण जेटली: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।''

अध्यक्ष महोदय: विधेयक को संशोधित रूप में पारित करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः इस पर मतदान विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें पहले ही खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह है:

''कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।''

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

रात्रि 8.16 बजे

मत विभाजन सं. 3

पक्ष में

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अर्गल, श्री अशोक

अलवी, श्री राशिद

आचार्य, श्री प्रसन्न

आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

उमा भारती, कुमारी

उराम, श्री जुएल

उस्मानी, श्री ए.एफ. गुलाम

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

एलानगोवन, श्री पी.डी.

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कटियार, श्री विनय

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कलिअप्पन, श्री के.के.

कश्यप, श्री बली राम

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

किन्डिया, श्री पी.आर.

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृष्णन, डा. सी.

*कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के.ई.

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खां, श्री अबुल हसनत

खांदोकर, श्री अकबर अली

खाबरी, श्री बृजलाल

खूंटे, श्री पी.आर.

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गमांग, श्रीमती हेमा

गवली, कुमारी भावना पुंडलिकराव

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्रीमती सोनिया

गालिब, श्री जी.एस.

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गावीत, श्री रामदास रूपला

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री धावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गौतम, श्रीमती शीला

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चौधरी, कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री राम रघुनाथ

चौधरी, श्री हरिभाई

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती सन्तोष

चौबे, श्री लाल मुनी

चौहान, श्री नंदकुमार सिंह

चौहान, श्री शिवराजसिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जयशीलन, डा. ए.डी.के

जाफर शरीफ, श्री सी.के.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जावमा, श्री वनलाल

जावीया, श्री जी.जे.

जैन, श्री पुष्प

जोस, श्री ए.सी.

ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

ठाकुर, श्री चुन्नी लाल भाई

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. राम चन्द्र

तिवारी, श्री नारायण दत्त

तिवारी, श्री लाल बिहारी

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तुड़, श्री तरलोचन सिंह

तोमर, डा. रमेश चंद

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर

त्रिपाठी, श्री रामनरेश

थामस, श्री पी.सी.

दत्तात्रेय, श्री बंडारू

*दलित इजिलमलाई, श्री

दास, श्री नेपाल चन्द्र

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन

दाहाल, श्री भीम

दिलेर, श्री किशन लाल

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी

दुराई, श्री एम.

दूलो, श्री शमशेर सिंह

देव, श्री विक्रम केशरी

देव, श्री संतोष मोहन

नरह, श्रीमती रानी

नाईक, श्री राम

नायक, श्री अनन्त

नायक, श्री अली मोहम्मद

नीतीश कुमार, श्री

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी

पटेल, श्री दीपक

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पद्मानाभम्, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांजा, श्री अजित कुमार

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री अमर सिंह वसंतराव

पाटिल (यत्नाल), श्री बसनगौड़ा रामनगौड

पाटील, श्री उत्तमराव

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड

पाटील, श्री प्रकाश वी.

पाटील, श्री शिवराज वि.

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री राम विलास

पासी, श्री राजनारायण

पुगलिया, श्री नरेश

पोन्नुस्वामी, श्री ई.

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक

प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

प्रेमाजम, प्रो. ए.के.

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बंसल, श्री पवन कुमार

बखला, श्री जोवाकिम

बचदा, श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बसवनागौड़, श्री कोलुर

बालू, श्री टी.आर.

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह

बिश्वास, श्री आनन्द मोहन

*बुन्देला, श्री सुजान सिंह

बेगम नूर बानो

बेहरा, श्री पद्मनाव

बैंदा, श्री रामचन्द्र

बैनर्जी, श्रीमती जयश्री

बैस, श्री रमेश

बौरी, श्रीमती संध्या

ब्रह्मनैया, श्री ए.

भगत, प्रो. दुखा

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री आर.एल.

भौरा, श्री भान सिंह

मंडल, श्री सनत कुमार

मकवाना, श्री सवशीभाई

मल्होत्रा, डा. विजय कुमार

महताब, श्री भर्तृहरि

महतो, श्री बीर सिंह

महतो, श्रीमती आभा

महरिया, श्री सुभाष

महाजन, श्री वाई.जी.

मांझी, श्री रामजी

माझी, श्री परसुराम

मिश्र, श्री राम नगीना

मीणा, श्री भेरूलाल

मीणा, श्रीमती जस कौर

मुखर्जी, श्री एस.बी.

मुण्डा, श्री कड़िया

मुनि लाल, श्री

मुनियप्पा, श्री के.एच.

मुरूगेसन, श्री एस.

मूर्ति, श्री ए.के.

मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.

मेहता, श्रीमती जयवंती

मोहले, श्री पुन्नू लाल

यादव, डा. (श्रीमती) सुधा

यादव, डा. जसवंतसिंह

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री शरद

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

येरननायडू, श्री के.

रमण, डा.

रमैया, डा. बी.बी.

रवि, श्री शीशराम सिंह

राजवंशी, श्री माधव

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेन्द्रन, श्री पी.

राठवा, श्री रामसिंह

राणा, श्री काशीराम

राणा, श्री राजू

राधाकृष्णन, श्री वरकला

राधाकृष्णन, श्री पोन

राम, श्री ब्रजमोहन

रामशकल, श्री

रामैया, श्री गुनीपाटी

राय, श्री सुबोध

राय प्रधान, श्री अमर

राव, श्री गंता श्रीनिवास

राव, डा. डी.वी.जी. शंकर

राव, श्री सीएच. विद्यासागर

रावत, प्रो, रासासिंह

रावत, श्री प्रदीप

रावले, श्री मोहन

रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल

रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर

रेड्डी, श्री जी. गंगा

रेड्डी, श्री बी.बी.एन.

रेनु कुमारी, श्रीमती

लाहिड़ी, श्री समीक

वनगा, श्री चिंतामन

वर्मा, प्रो. रीता

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रवि प्रकाश

वसावा, श्री मनसुखभाई डी.

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

विजयन, श्री ए.के.एस.

विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.

वीरेन्द्र कुमार, श्री

वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा

वेंकटस्वामी, डा. एन.

वेंकटेस्वरलु, श्री बी.

वेणुगोपाल, डा. एस.

वेत्रिसेलवन, श्री वी.

वैको, श्री

शर्मा, कैप्टन सतीश

शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम

शान्ता कुमार, श्री

शाह, श्री मानवेन्द्र

शाहीन, श्री अब्दुल रशीद

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शुक्ल, श्री श्यामाचरण

श्रीनिवासुलु, श्री कालवा

षणमुगम, श्री एन.टी.

सईद, श्री पी.एम.

सईदुज्जमा, श्री

सनदी, प्रो. आई.जी.

*सरोज, श्री तूफानी

सरोजा. डा. वी.

सांगतम, श्री के.ए.

सांगवान, श्री किशन सिंह

साथी, श्री हरपाल सिंह

सामन्तराय, श्री प्रभात

साय, श्री विष्णुदेव

साहू, श्री अनादि

साहू, श्री ताराचन्द

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी

सिंह, कुंवर अखिलेश

सिंह, चौधरी तेजवीर

सिंह, डा. रामलखन

सिंह, राजकुमारी रत्ना

*सिंह, श्री अजित

सिंह, श्री चन्द्र प्रताप

सिंह, श्री चरनजीत

सिंह, श्री छत्रपाल

सिंह, श्री तिलकधारी प्रसाद

सिंह, श्री टीएच. चाओबा

सिंह, श्री बहादुर

सिंह, श्री बृज भूषण शरण

सिंह, श्री महेश्वर

सिंह, श्री राजो

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिकदर, श्री तपन

सिन्हा, श्री मनोज

सिन्हा, श्री यशवन्त

सिंह देव, श्री के.पी.

सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेठी, श्री अर्जुन

सेन, श्रीमती मिनाती

सेल्वागनपति, श्री टी.एम.

*सोमैया, श्री किरीट

सोराके, श्री विनय कुमार

सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह

स्वाइं, श्री खारबेल

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हमीद, श्री अब्दुल

हान्दिक, श्री विजय

हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

विपक्ष में

आठवले, श्री रामदास

महाले, श्री हरीभाऊ शंकर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अध्यक्ष महोदय: शुद्धि* के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 297

विपक्ष में : 2

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

त्रिधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 22 अगस्त, 2001 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 22 अगस्त, 2001/ 31 श्रावण, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*पक्ष में : 297 + 6 (सर्व श्री सुजान सिंह बुन्देला, दलित इजिलमलाई, कृष्णमराजू, तूफानी सरोज, अजित सिंह और किरीट सोमैया ने पर्ची के माध्यम से मतदान किया) = 303

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

मंगलवार, 21 अगस्त,2001/30 श्रावण ,1923 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(iii)	10	प्रस्ताव	प्रसव
(iv)	अंतिम पंक्ति	225	255
215	नीचे से 3		
223	नीचे से 18	(निरसन)शब्द का लोप किया जाए	
229	नीचे से 9	बहु-पत्नी	बहु-पति
229	नीचे से 4	पक्षपात	भेदभाव
239	1-2	रूस और चेकोस्लोवाकिया या जैसे पूर्व मित्र देशों	रूस के पूर्व देश और चेकोस्लोवाकिया जैसे मित्र देशों
280	6	मान लो एक दम्पत्ति ने दो बच्चे लड़कियां	मान लो एक दम्पत्ति के दो लड़कियां
280	6	लड़ी	लड़की
301	10	बात कहते रहते हैं	बात कहते थे ।

पी.एल.एस.–48.19.21/2001 (एन०)
280

© 2001 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382
के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।